राजभाषा भारती

अक्टूबर-दिसंबर 1986

अंक 35

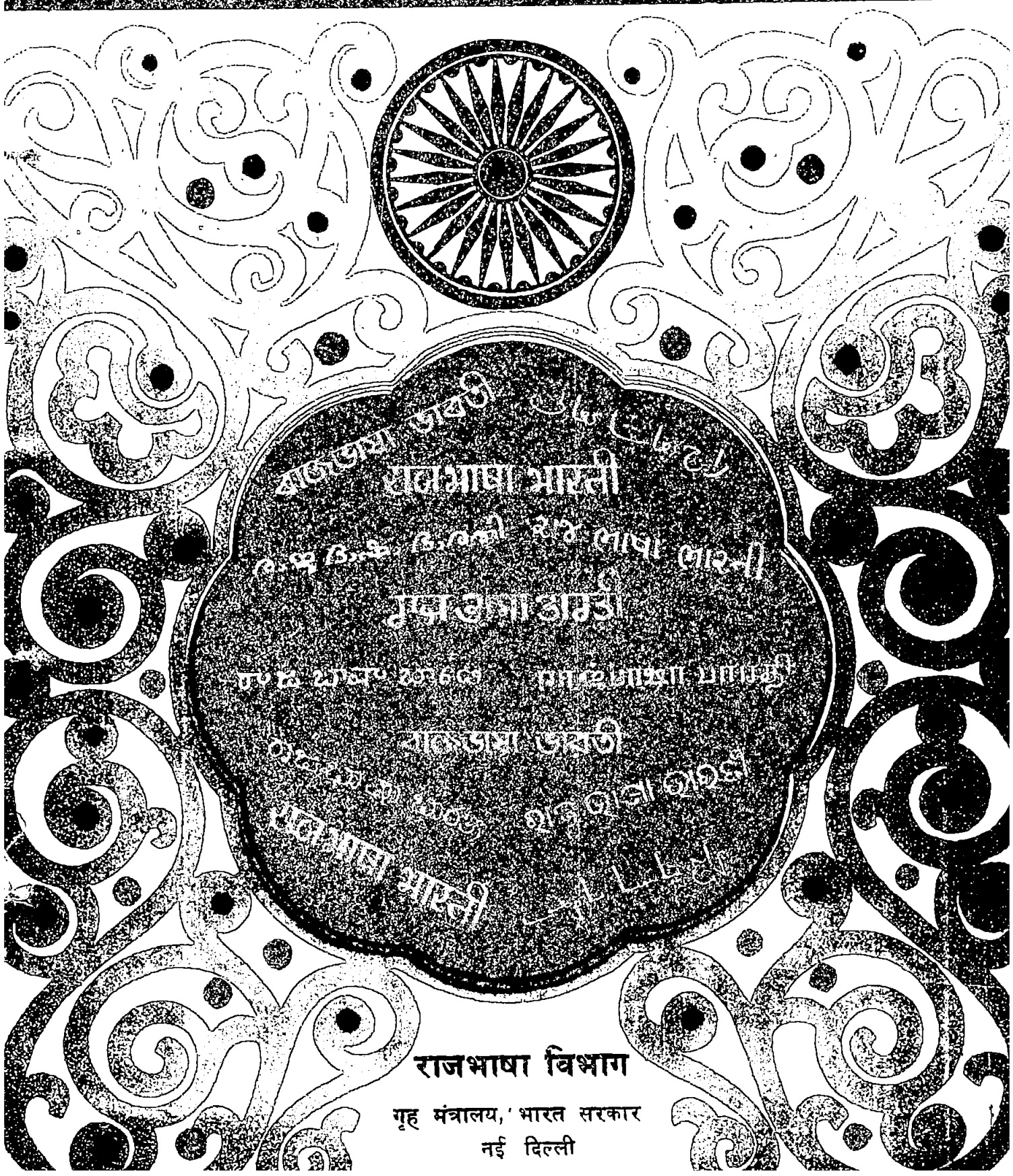

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

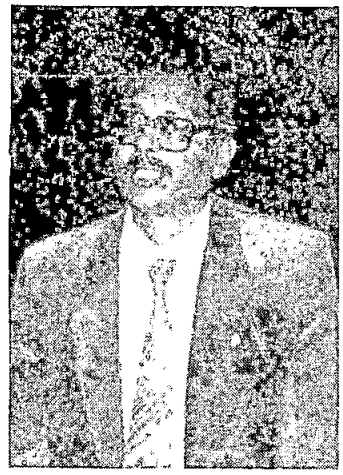

दिनांक 27 अक्तूबर, 1986 को श्री शंभु दयाल (भारतीय प्रशासनिक सेवा) ने राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यवहार में अतिकुशल और स्वभाव से शान्त श्री शभु दयाल अपनी कार्यालयीन अतिव्यस्तता के बावजूद अध्ययन के लिए समय निकाल लेते हैं।

उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी साहित्य में एम० ए० किया और सन 1962 में भारतीय आरक्षी सेवा (आइ० पी० एस०) में सहायक आरक्षी अधीक्षक के पद पर मध्यप्रदेश संवर्ग में नियुक्त किए गए। तीन वर्ष तक इस पद पर सेवा करने के पश्चात् सन् 1965 में उन्हें गुजरात संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइ० ए० एस०) में नियुक्त किया गया।

प्रशासनिक उत्तरदायित्वों की व्यस्तता के बावजूद अध्ययन में विशेष रूचि होने के कारण सन 1979 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से "प्रबंधन" में स्नातकोत्तर पूर्णकालीन प्रशिक्षण लिया। इसके पश्चात सन् 1982 में उन्होंने अहमदाबाद विश्वविद्यालय से "विधि स्नातक" की परीक्षा उत्तीर्ण की।

हिन्दी भाषा एवं साहित्य से उन्हे विशेष अनुराग है। वे सचिव, 'जनजाति विकास एवं श्रम' सचिव, गुजरात एवं महानिदेशक, गांधी आश्रम संस्थान के पद पर भी कार्य कर चुके हैं।

चिन्तनशील एवं कुशाग्र व्यक्तित्व के श्री शंभु दयाल राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए कुछ ठोस कार्य करने में विश्वास रखते हैं। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि उनके दीर्घकालीन प्रशासकीय अनुभव और मार्गदर्शन से राजभाषा विभाग लाभान्वित होगा और राजभाषा के रूप में हिन्दी प्रगतिपथ पर निरन्तर अग्रसर होती रहेगी।

राज भाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

अक्तूबर—दिसम्बर, 1986 वर्ष 9, अंक 35

संपादक :

डॉ० महेशचन्द्र गुप्त

उप संपादक :

जयपाल सिंह

पत्र व्यवहार का पता:

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110 003

फोन : 617657

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभिव्यक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

(नि:शुल्क वितरण के लिए)

विषय-सूची

		पृष्ठ
अपनी बात		
1. भाषा और संस्कृति : आज के परिप्रेक्ष्य में	जगदम्बी प्रसाद यादव	1
2. हिन्दी शिक्षण तथा माध्यम की समस्याएं	डा० लक्ष्मीनारायण दुबे	3
3. राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में पारिभाषिक शब्दावली की समस्या	अवधेश मोहन गुप्त	7
4. अनुवाद-विचार, प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य	भैरवनाथ सिंह	12
5. हिन्दी और बंगला—एक भ्रम निवारण	डा० सत्येन्द्र नाथ बोस	16
6. हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान का स्तर बढ़ाने के संबंध में सुझाव	डा० धर्मवीर	21
7. राजभाषा सरलीकरण की परिभाषा	डा० सुरेन्द्र गुप्त	23
8. संविधान की दृष्टि में मातृ भाषा, राजभाषा और अन्तर्राष्ट्रीय भाषा	प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी	25
9. देवनागरी वर्ण व्यवस्था में वैज्ञानिकता	प्रफुल्ल कुमार सिन्हा	28
10. राजभाषा हिन्दी को अपनाने में कठिनाई क्यों?	डॉ० उषा गोपाल	29
11. हिन्दी चली समुंदर पार : पश्चिमी जर्मनी में हिन्दी के अध्ययन अध्यापन की स्थिति	डॉ मोनिका थियल होस्टमन	31
12. समिति समाचार :		32–44
(क) मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठक–		
1. वित्त मंत्रालय		
2. इस्पात और खान मंत्रालय		
3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
4. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग		
6. वस्त्र मंत्रालय		
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें–		44–51
1. कलकत्ता 2. मंगलूर 3. गोवा 4. नासिक 5. नई दिल्ली 6. पटना 7. मेरठ 8. फूलपुर 9. वाराणसी		

13. राजभाषा सम्मेलनों/संगोष्ठियों का आयोजन— 52–58
1. सेण्ट्रल बैंक में शाखा प्रबन्धकों के लिए राजभाषा सेमीनार का आयोजन
2. बैंक आफ बड़ौदा के तत्वावधान में रिजर्व बैंक राजभाषा सम्मेलन
3. इलाहाबाद बैंक द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन का आयोजन
4. भारतीय जीवन बीमा निगम दिल्ली मंडल कार्यालय द्वारा राजभाषा सम्मेलन का आयोजन
5. मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली में संगोष्ठी
6. राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जन्म शताब्दी पर साहित्य संगोष्ठी
7. "खनन उद्योग का आधुनिकीकरण" पर राजभाषा सेमिनार

14. हिन्दी के बढ़ते चरण— 59–65
1. सी० सी० आई० में हिन्दी
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में हिन्दी
3. यूनियन बैंक आफ इंडिया में हिन्दी
4. बैंक आफ इंडिया, जयपुर में हिन्दी
5. पश्चिमी रेलवे के मंडल कार्यालय, कोटा में हिन्दी

15. हिन्दी दिवस / सप्ताह का आयोजन— 60–108
1. हिन्दी दिवस के अवसर पर श्री जगदम्बी प्रसाद, सांसद का भाषण
2. हिन्दी दिवस के अवसर पर–बैंकिंग व्यवसाय में हिन्दी—स्थिति और सुझाव
3. मद्रास (दूरदर्शन)
4. मद्रास (टेलीफोन्स)
5. मंगलूर
6. तिरुवनंतपुरम
7. बेंगलोर (आकाशवाणी)
8. बेंगलोर (टेलीफोन्स)
9. अलीपुर
10. कटक
11. रांची
12. सिकंदराबाद
13. नागपुर (आकाशवाणी)
14. नागपुर (आयकर विभाग)
15. नासिक (देना बैंक)
16. नासिक (जीवन बीमा)
17. नासिक (प्रतिभूति मुद्रणालय)
18. चान्दा
19. भुज
20. अन्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
21. गोवा, दमन और दिव एवं दादर और नागर हवेली
22. बम्बई (बैंक आफ बड़ौदा)
23. बम्बई (नौसेना गोदीबाड़ा)
24. बम्बई (दूरदर्शन)
25. पुणे (खड़कवासला)

26. पुणे (टेलीफोन्स)
27. पुणे (दि न्यू० इंडिया एश्योरेन्स)
28. पुणे (आकाशवाणी)
29. पुणे (हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स)
30. अहमदाबाद (विजया बैंक)
31. जम्मू
32. ईशापुर
33. नई दिल्ली (दि फर्टीलाइजर कार्पोरेशन)
34. नई दिल्ली (गैस अथारिटी आफ इंडिया)
35. नई दिल्ली (देना बैंक)
36. नई दिल्ली (प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय)
37. नई दिल्ली (नेशनल बिल्डिंग्स)
38. नई दिल्ली (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक)
39. नई दिल्ली (केन्द्रीयमुद्रा और सामग्री अनुसंधान शाला)
40. नई दिल्ली (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क)
41. नई दिल्ली (निरीक्षण निदेशालय)
42. नई दिल्ली (सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया)
43. कलकत्ता (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक)
44. पटना
45. धनवाद
46. जोधपुर
47. जयपुर
48. जयपुर (सेन्ट्रल बैंक)
49. जयपुर (महालेखाकार कार्यालय)
50. जालन्धर
51. रोहतक
52. चण्डीगढ़
53. लखनऊ (भारतीय गैस प्राधिकरण)
54. लखनऊ (टेलीफोन्स)
55. मुजफ्फरनगर
56. वाराणसी
57. इलाहाबाद
58. रुड़की
59. देहरादून
60. आगरा
61. भोपाल

16. हिन्दी कार्यशालाएं— 109–123
1. विशाखापट्टनम
2. हैदराबाद,उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र
3. बेंगलूर, इसरो उपग्रह केन्द्र
4. कलकत्ता
5. बम्बई

6. बर्नपुर
7. नई दिल्ली (इण्डिया ओवरसीज़ बैंक)
8. नई दिल्ली (भारतीय जीवन बीमा निगम)
9. नई दिल्ली (नेशनल थर्मल पावर)
10. नई दिल्ली (मौसम विज्ञान विभाग)
11. नई दिल्ली (इण्डियन आयल कार्पोरेशन)
12. आगरा (सेण्ट्रल बैंक)
13. जयपुर (बैंक-आफ इंडिया)
14. उदयपुर
15. लखनऊ (यूको बैंक)
16. मसूरी

17. विविधा— 124–128
1. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पच्चीस वर्ष
2. नौएडा में सेन्ट्रल बैंक के राजभाषा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. एक नया कदम
4. अभिव्यक्ति कोश का प्रकाशन
5. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, नई दिल्ली में हिन्दी हस्ताक्षर प्रतियोगिता का आयोजन
6. मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनु०) पुणे के कार्यालय में कवि सम्मेलन/लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन

अपनी बात

सितम्बर का महीना राजभाषा हिन्दी के इतिहास में अत्यंत महत्व रखता है, क्योंकि सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। उसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की स्मृति में हिन्दी जगत इस दिवस को 'राजभाषा दिवस' या 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाता है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों एवं उपक्रमों आदि में 'हिन्दी दिवस'/'हिन्दी सप्ताह' मनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें से कुछ संकलित करके हम इस अंक में प्रस्तुत कर रहे हैं।

भाषा मानव, स्थान तथा काल को जोड़ने वाली अद्भुत कड़ी है। यह संस्कृति के रूप में तथा परम्परा के रूप में प्रतिष्ठापित होकर कला के रूप में प्रतिध्वनित होती है। भाषा के इस स्वरूप पर प्रकाश डाल रहे हैं सांसद श्री जगदम्बी प्रसाद यादव 'भाषा और संस्कृति आज के परिप्रेक्ष्य में' नामक अपने लेख में।

हिन्दी शिक्षण तथा शिक्षा का माध्यम क्या हो—यह प्रश्न चर्चा का विषय रहा है। इन समस्याओं पर विचार करते हुए समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं डाक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे "हिन्दी शिक्षण तथा माध्यम की समस्याएं" नामक अपने लेख में।

राजभाषा हिन्दी के संदर्भ में पारिभाषिक शब्दों का अत्यंत महत्व है। इनके सर्जन, विकास तथा प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा श्री अवधेश मोहन गुप्त ने अपने लेख "राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में पारिभाषिक शब्दावली की समस्या" में की है।

बहुभाषी विश्व समाज की आवश्यकता को देखते हुए अनुवाद का महत्व असंदिग्ध है। केन्द्र सरकार की वर्तमान राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए तो अनुवाद अपरिहार्य है। अनुवाद के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक श्री भैरव नाथ सिंह "अनुवाद—विचार, प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य" नामक अपने लेख में।

डा० सत्येन्द्र नाथ बोस ने अपने लेख "हिन्दी और बंगला–एक भ्रम निवारण" में यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि दोनों भाषाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में काम करने के लिए कर्मचारियों से कार्यसाधक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है इस ज्ञान का स्तर बढ़ाने के संबंध में उपयोगी सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डा० धर्मवीर "हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान का स्तर बढ़ाने के संबंध में सुझाव" नामक अपने लेख में।

राजभाषा के संबंध में यह भी कहा जाता है कि उसका स्वरूप कुछ क्लिष्ट होता जा रहा है। इसको सरल बनाने के बारे में प्रकाश डाल रहे हैं डा० सुरेन्द्र गुप्ता "राजभाषा सरलीकरण की समस्या" नामक अपने लेख में।

प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी ने अपने लेख "संविधान की दृष्टि में मातृ भाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा" में भाषा के बारे में विशद विवेचन प्रस्तुत किया है।

देवनागरी वर्णमाला अत्यंत वैज्ञानिक है। इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं श्री प्रफुल्ल कुमार सिन्हा अपने "देवनागरी वर्ण व्यवस्था में वैज्ञानिकता" नामक अपने लेख में।

डा० उषा गोपाल ने अपने लेख "राजभाषा हिन्दी को अपनाने में कठिनाई क्यों" में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में चर्चा की है।

इन लेखों के अतिरिक्त अन्य नियमित स्तम्भ जैसे, "हिन्दी चली समन्दर पार" "समिति समाचार," "समितियों की बैठकें", "हिन्दी के बढ़ते चरण" आदि भी पहले की भांति प्रस्तुत किए गए हैं।

आशा है यह अंक भी आपको पहले की भांति आकर्षक एवं उपयोगी लगेगा। आपके सुझावों की हमें सदैव प्रतीक्षा रहेगी।

—सम्पादक

भाषा और संस्कृति : आज के परिप्रेक्ष्य में

—जगदम्बी प्रसाद यादव

भाषा विचार विनिमय का महत्वपूर्ण साधन है । इसी के आधार पर समाज का संगठन होता है । बिना भाषा समाज का निर्माण संभव नहीं । भाषा मानवी संस्कृति का एक अपार सागर है अर्थात् भाषा मनुष्य की संस्कृति रचना है । आत्मा और संस्कृति भाषाओं के विशेष स्वरूप को निर्धारित करती है । भाषा मानव की अनमोल निधि है । इसके अभाव में भाव मुक, विचार बधिर और व्यवहार लंगड़े बन कर रह जाते हैं ।

भाषा-मानव, स्थान काल को जोड़ने वाली अद्भुत कड़ी है । इस कड़ी का प्रगटीकरण संस्कृति के रूप में भी तथा परम्परा के रूप में परिष्कृत होता है और कला के रूप में प्रतिध्वनित होता है ।

भाषाओं की सामान्य और व्यापक आत्मा के समान ही एक विशेष संस्कृति भी होती है । संस्कृति मूलतः आत्मिक है । संस्कृति की रचना जीवन को समृद्ध बनाती है । संस्कृति का संबंध किसी जाति के बौद्धिक तथा मानसिक विकास से माना जाता है । जब कोई जाति विकास करती है तो अपना परिष्कार और सुधार करते हुए विशिष्ट गुणों को महत्व देने लगती है । गुण व्यक्ति या समाज को संस्कारों के रूप में मिलते हैं । संस्कृति मूलतः रहन-सहन, विचार-व्यवहार, खानपान आदि एक विशेष पद्धति वाली सामूहिक इकाई है । इसकी छत्रछाया में संबंधित समाज सुविधापूर्वक रहता है । संस्कृति उन मूल्यों, विचारों, दृष्टियों तथा नियमों का सामूहिक रूप है । इससे समाज विशेष के लोग नियंत्रित होते हैं । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है सभ्यता का आंतरिक प्रभाव संस्कृति है । सभ्यता समाज का वाह्य व्यवस्थाओं का नाम है, संस्कृति व्यक्ति के अन्तर के विकास का ।

डा० राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है —

"भारत की सभ्यता और संस्कृति संसार के अन्य की सभ्यता से अधिक प्राचीन और प्राणवान है । यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुत कम देशों ने विदेशी जातियों के इतने हमलों का सामना किया— जितना कि भारत ने । इस विशाल भू-भाग पर आक्रमणों, युद्धों अथवा विजयों ने राज्यों और साम्राज्यों को संगठित या विघटित किया किन्तु भारतीयों के स्वभाव और चरित्र पर इसका आन्तरिक प्रभाव नहीं पड़ा । विदेशी जातियों ने भारत पर हमले किए पराजित भी किया किन्तु वे यहां की संस्कृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सके ।

इसको अनुभव करके श्री इकबाल कह उठे —
युनानो, मिश्र, रोमा मिट गए यहां से,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा ।

इस संस्कृति की विशेषता देखी जाय प्राचीनता, निरन्तरता, अध्यात्मिकता, धर्म की प्रधानता में । धार्मिक सहिष्णुता तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता—ये भारतीय संस्कृति की अद्भुत विशेषता है । यही कारण था कि यहां अधिक धार्मिक चिन्तन हुए । इसमें समन्वय शक्ति की अद्भुत विशेषता है । वाहरी तत्वों को वचाने की क्षमता भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण गुण है तथा गुण ग्रहणता-शीलता इसका आधार है ।

"वसुधैव कुटुम्बकम्", इसका धर्म है । मानव का सर्वांगीण विकास करना इसका कर्म है ।

संस्कृति-समाज विशेष में जन्मती है, पनपती है और फलती है । संस्कृति के लिए समाज अनिवार्यता है तो समाज के लिए भाषा अनिवार्यता है । समाज और संस्कृति के बिना भाषा की सत्ता नहीं है । प्रत्येक भाषा का अपना समाज होता है – जिसमें वह व्यवहृत होती है । समाज है तो उसकी संस्कृति भी है । भाषा और संस्कृति साथ-साथ जन्मती है, साथ-साथ पनपती है और साथ-साथ उदात्तता को प्राप्त होती है । दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग हैं,—एक दूसरे की परिचायिका हैं ।

पर्व-त्यौहार संस्कृति की खिड़की होती है । इसका धार्मिक, सामाजिक और वैयक्तिक महत्व है । इसी के कारण इसका सम्बन्ध भाषा से है । ये पर्व भाषा को मुहावरे देकर और लोकोक्तियों से सजाकर इसमें चार चांद लगाते हुए समृद्ध करते हैं ।

प्रत्येक क्षेत्र के रीति रिवाज उस क्षेत्र की संस्कृति का अंग होते है । ये भाषिक अभिव्यक्ति के आधार हैं । गुनगुनाहट ओंठों से फुटकर कविता बन जाती है, तब साहित्य देवता का जन्म होता है । इस साहित्य का पिता भाव है और मातोश्री भाषा है । इस तरह भाषा और

साहित्य का अटूट सम्बन्ध है । साहित्य की सत्ता भाषा के बिना सम्भव नहीं और भाषा का सौन्दर्य और उसकी सर्जनात्मकता साहित्य बिना सम्भव नहीं ।

संस्कृत भारत की मौलिक भाषा है—इसकी संचार की दिशा पश्चिम से भारत की ओर नहीं बल्कि भारत से पश्चिम की ओर है । संस्कृत देश तथा अन्य भाषाओं की जननी है तथा हिन्दी इसकी मानस पुत्री है ।

भारतीय संस्कृति का वाहन आज भारतीय राष्ट्रीय भाषाएं हैं । इसका रथ किसी भी तरह विदेशी भाषा नहीं हो सकती है । भारतीय चरित्र, संस्कृति को विदेशी आक्रांताओं से नहीं देशी प्रशासनिक तंत्र, श्रेष्ठि वर्ग से खतरा पैदा हो गया है। आज भारतीय संस्कृति का वाहन विदेशी भाषा जो देश को परतंत्र बनाकर लादी गई थी आजादी के वर्षों-वर्षों के बाद वह आगे बढ़ कर बन गई है। भारतीय संस्कृति के तथाकथित नेतृत्व प्रदान करने वाले इस अंग्रेजी के साहित्य में पाश्चात्य संस्कृति को अपना समझने का भ्रम पाले हैं और पालने के लिए बाध्य कर रहे हैं ।

देश की राष्ट्रीय एकता अखण्डता को जहां तहां चुनौती देने का प्रयास होता है और आज अनेक राज्यों को, राज-भाषा हिन्दी जो संविधान की भाषा है, स्वीकार्य नहीं बल्कि अंग्रेजी स्वीकार्य है । प्रशासन, शासन, व्यापार, चिकित्सा, औद्योगिक, प्रौद्योगिकी आदि की भाषा मात्र अंग्रेजी ही है । देश के भीतर और बाहर अपना कोई स्वतंत्र परिचय नहीं हैं । आश्चर्य है विदेशों में भारत सरकार ने यह भी घोषणा नहीं की है कि भारत की संविधान की, भारत की गौरव की राजभाषा हिन्दी है । राजनेता, अधिकारी की देश एवं विदेश की भाषा मात्र अंग्रेजी है । भाषा ही नहीं, परिवेश, पोशाक आदि भी अंग्रेजी है ।

देश में दो तिहाई आबादी राजभाषा हिन्दी को समझने में समर्थ है । संपूर्ण देश ग्रामीण अंचल तक हिन्दी सिनेमा देखता है—समझता है और गाना भी गुनगुनाता है । मात्र दो प्रतिशत की जानकारी वाले लोगों की भाषा, संस्कृति 78 प्रतिशत भारतीयों पर लाद कर जोर से कहा जाता है कि राजभाषा हिन्दी लादी नहीं जा सकती । चोर कोतवाल को डांटने में समर्थ है ।

स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी माध्यम स्कूल धड़ल्ले से खुलते जा रहे हैं—जहां राम-रामा और कृष्ण-कृष्णा बिनकर अर्थ का अनर्थ करने में भी नहीं चूक रहा है । । क्या देश अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बिगड़ते देखता रहेगा ।

देश की परंपरा, आचार व्यवहार जहां आचरण में प्रगट होता है उसकी वाणी उनकी अपनी भाषा देता है । उसके इतिहास को जोड़ने का कार्य-उनके भाव को प्रगट करने का, सुख-दुख, आमोद-प्रमोद को मूर्त रूप देने का कार्य भाषा करती है ।

अपनी भाषा के वाहन पर उस समाज, उस प्रदेश, देश की परम्परा तथा संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है । भाषा वहां की नदियों, नालों-वनों-खेतों-पक्षियों-पशुओं-आब-हवा की कहानी सरसता के साथ कहती है ।

विश्व में 16 काम आने वाली भाषाओं में जिनके बोलने-वाले पांच करोड़ से अधिक हैं उसमें भारत ही ऐसा देश है जिसकी पांच भाषाएं ऐसी है जो विश्व की 16 भाषाओं में हैं । भारतीय भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति भारत सहित 131 देशों में फैले है । भाषा के साथ भारतीयता और भारतीय संस्कृति भी यात्रा करती हुई उन देशों में पहुंची है ।

हिन्दी ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से हमारी भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनी । आंदोलन के भाषा के रूप में संघर्ष के बीच इसका विकास हुआ और विशिष्ट नैसर्गिक गुणों के कारण राजभाषा के लिए संविधान में स्वीकृत हुई पर पदस्थापना अभी बाकी है । हिन्दी को भारत के हर क्षेत्र के मनीषा ने संवारा है और हर प्रदेश की भाषा ने इसे समृद्ध किया है । भाषा वही जीवित रह सकती है जो जनता द्वारा प्रयुक्त होती है । वह न तो विद्वानों द्वारा गढ़-मढ़ी जाती है, न कोशों द्वारा सिखाई जाती है । हिन्दी गतिशील और बुद्धिशील प्रकृति की है जिसका विस्तार होता रहा है । यह जनता की भाषा है—जड़ता की नहीं । हिन्दी राजकाज की ही भाषा नहीं हमारी सांस्कृतिक संदेश वाहिका भी है । वैसे संस्कृति महिमा की दृष्टि से हमारी सभी भाषाएं समान है । राष्ट्रीय, अन्तर्रा-ष्ट्रीय और राजकीय प्रयोजन के लिए इन भाषाओं के बीच अनेक विदित कारणों से हिन्दी को अपने देश की प्रयोजन-मूलक भाषा के रूप में स्वीकार करना पड़ा ।

सत्ता के प्रभाव के माध्यम से इस सतह पर संगठित होने वाले वर्ग अपनी स्थिति बनाए रखने, अधिक सुदृढ़ करने, चलने के लिए साधारण जन समाज को अनेक प्रकार से भ्रमित करते रहते हैं । यह भ्रम पैदा किया जाता है कि हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले रही है । इस सतह के लोगों के पास पर्याप्त पैसा और सुविधा है वे अपने बच्चों को अंग्रेजी अपेक्षा त अधिक सिखा सकते हैं जो सामान्य-जन नहीं कर सकते हैं ।

विगत 35 वर्षों का इतिहास बताता है कि संविधान का पालन जिस पद्धति से हुआ है और हो रहा है वह अंग्रेजी और अंग्रेजियत को हमारे देश से दूर करने में समर्थ नहीं हो सका । राजभाषा और राष्ट्रीय अस्मिता को वह स्थान नहीं दिया जा सका जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिलना चाहिए । अंग्रेजी के प्रचार के साथ अंग्रेजियत का भी प्रचार हुआ । अंग्रेजियत एक संस्कृति है, एक संस्कार है जो भारतीय जनता को बड़े आकर्षण के साथ आधुनिकता और विज्ञान के नाम पर सिखाया जा रहा है।

[शेष 6 पृष्ठ पर]

हिंदी-शिक्षण तथा माध्यम की समस्याएं

—डॉक्टर लक्षीनारायण दुबे

हिन्दी-शिक्षण के बहुमुखी आयाम राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक सन्दर्भों के साथ जुड़े हुए हैं। हिन्दी-शिक्षण सम्बधी पाठ्य-क्रमों का ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष भी हैं। फोर्ट विलियम (सन् 1800-18) की स्थापना, उससे संबंधित लल्लूलाल के 'प्रेमसागर' और सदल मिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान' को इतिहास की दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता। हिन्दी-शिक्षण के पाठयक्रम को व्यक्तिगत रूप से सर्वप्रथम राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द (सन् 1823-1895) ने अनुभव किया था। तद्नंतर लाला सीताराम का ध्यान कलकत्ता विश्वविद्यालय में गया। फिर काशी विश्व-विद्यालय में डा० श्यामसुन्दर दास तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रयाग विश्वविद्यालय में डा० धीरेन्द्र वर्मा ने इस ओर विशेष प्रयास किया। हिन्दी शिक्षण की पृष्ठभूमि में ईसाई पादरियों तथा प्रचारकों के ट्रक्टों एवं बाइबिल के अनुवाद (सन् 1800-1810), ब्रह्म समाज (सन् 1823), पाठ्य पुस्तकों (सन् 1833), नाहक (सन् 1867), आर्य समाज (सन् 1875), समाचार पत्र (सन् 1926) और राष्ट्रीय भावना (सन 1885-1947) के अनेक अपरिहार्य तथा महत्वपूर्ण घटकों ने क्रियात्मक योगदान दिया था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (सन् 1850-85) ने हिन्दी गद्य को विकसित किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे खड़ी बोली का सामर्थ्य माध्यम प्रदान कर, विश्वविद्यालयों के हिन्दी शिक्षण का मूलाधार बनाया। इस अनुष्ठान में साहित्यिक पत्रकारिता तथा निबंध लेखन ने 'बुद्धि प्रकाश' (आगरा : सन् 1852) से लेकर 'सरस्वती' (सन् 1899) तक हमें एक अर्द्धशती की रचनाशीलता दी। हिन्दी समीक्षा के तृतीय चरण (सन् 1922-1947) में सन् 1922 में हिन्दी बी०ए० तथा एम०ए० की उच्च कक्षाओं के पाठ्य विषय के रूप में स्वीकृत हुई थी और शिक्षण की सुविधा के लिए सम्पादित संस्करणों, आलोचनात्मक ग्रन्थों तथा साहित्य के इतिहासों की रचना अनिवार्य स्थिति को प्राप्त हो गई। विगत पचास वर्षों में इस दिशा में ठोस और सर्वतोमुखी कार्य हुआ।

हिन्दी-शिक्षण के सन्दर्भ में हिन्दी प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा तथा चतुर्थ भाषा के रूप में आती है। शैक्षणिक दृष्टि से हिन्दी पठन-पाठन को प्रधानत: दो खण्डों में विभाजित किया जा सकता है यथा: प्रथम भाषा या मातृभाषा सन्दर्भ और अन्य भाषा सन्दर्भ। सन् 1961 की जनगणना के आधार पर मातृभाषा के रूप में भारतवर्ष की समस्त जनता का एक तिहाई अंश (32 प्रतिशत) हिन्दी भाषी है।

हिन्दी शिक्षण के साथ उसका भाषा तथा साहित्य शिक्षण जुड़ा हुआ है। सामान्यतया साहित्यिक प्रक्रिया और साहित्य शिक्षा के चार अंग माने जाते हैं: (क) साहित्य का बोध (ख) साहित्य का आस्वाद (ग) साहित्य का मूल्यांकन और (घ) साहित्य का सृजन। साहित्य शिक्षा के दो प्रमुख अंगों के रूप में पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान की समस्याओं पर भी विचार विमर्श अपेक्षित है।

भाषा तथा साहित्य का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। भाषा शिक्षण प्रारम्भिक तथा व्यावहारिक स्थिति के लिए आवश्यक होता है और साहित्य शिक्षण उच्च कक्षाओं हेतु। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के निमित्त पाठ्य पुस्तक निगम, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, शिक्षा महाविद्यालय, भाषा प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक हिन्दी-शिक्षण में वर्धा योजना या बुनियादी या बुनियादी शिक्षा अथवा नयी तालीम, उद्योगों के द्वारा भाषा की शिक्षा के अतिरिक्त अनेक आधु-निक शिक्षण पद्धतियों द्वारा हिन्दी शिक्षण होता है तथा : खेल-विधि, बालोद्यान-पद्धति, माण्टेसरी पद्धति, प्राजेक्ट योजना पद्धति, डाल्टन पद्धति इत्यादि। प्रौढ़ शिक्षा में हिन्दी शिक्षण के अंतर्गत कहानी पद्धति, तालिका शब्द पद्धति, ध्वन्यात्मक पद्धति और चित्र पद्धति का उपयोग किया जाता है।

प्रथम भाषा शिक्षण या मातृभाषा शिक्षण अथवा हिन्दी-शिक्षण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र दिल्ली प्रशासन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। इन क्षेत्रों के हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों ने हिन्दी को अन्य विषयों के माध्यम बनाने में सक्षम योगदान दिया। हिन्दी भाषा के अपने तीन वर्ग हैं : (क) प्रथम वर्ग में पश्चिमी हिन्दी और कौशली अर्थात् पूर्व मध्य वर्ग आता है जिसके बोलने वालों की संख्या 1961 की जनगणना के अनुसार 13 करोड़ 34 लाख 35 हजार 360 है। (ख) द्वितीय वर्ग सहयोगी मातृभाषा का है जिसमें बिहारी तथा राजस्थानी उपवर्ग के 1 करोड़ 68 लाख 6 हजार 772 बोलने वाले हैं। (ग) तृतीय वर्ग भाषा प्रयोग या संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुरूप सामाजिक संस्कृति अथवा सम्पर्क भाषा या हिन्दुस्तानी बोलने वाले 1 लाख 22 हजार 115 हैं।

2—282 एम० ऑफ० एच० ए०/एन० डी०/86

हिन्दी-शिक्षण मातृभाषा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य भाषा के रूप में सहायक भाषा, सम्पूरक भाषा, परिपूरक भाषा और समतुल्य भाषा के रूप में भी विचारणीय है। अंग्रेजों के प्रभुत्व काल में इस शताब्दी के कम से कम दो तीन दशकों तक अंग्रेजी प्रथम भाषा के स्थान पर पढ़ायी जाती रही थी। मातृभाषा शिक्षण के प्रसंग में उसकी समस्या घर-ग्राम की बोलियों के अवरोधक प्रभावों से सावधान रहने की है।

हिन्दी-शिक्षण का द्वितीय भाषा या अन्य भाषा या हिन्दीतर भाषी क्षेत्र अथवा हिन्दी प्रसार क्षेत्र है। इसमें भाषिक दृष्टि से पश्चिमोत्तर और पश्चिम, पूर्व तथा पूर्वोत्तर और दक्षिण के तीन भाग समाविष्ट हैं। हिन्दी-शिक्षण की दृष्टि से इनकी पृथकरूपेण स्थिति तथा समस्याएं हैं। तृतीय भाषा शिक्षण की दृष्टि से भारतीय मूल के निवासी देश और पडोसी देश आते है यथा मारिशस फिजी, सूरीनाम, थाइलैण्ड, कम्बोडिया, वर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि। चतुर्थ वर्ग में अंग्रेजी भाषी राष्ट्रों का है : उदाहरणार्थ : इंग्लैण्ड, अमेरिका, अस्ट्रेलिया इत्यादि। पंचम वर्ग में पश्चिमी यूरोप के देश और यूरोप के समाजवादी देश हैं जहां हिन्दी-शिक्षण की स्थिति अच्छी है और हिन्दी का सम्मान भी है। षष्ठ वर्ग में एशिया और अफ्रीका के हमारे पुरातन तथा अर्वाचीन सांस्कृतिक सम्बंध वाले देश हैं। सप्तम वर्ग में विश्व के शेष राष्ट्र हैं जिनम दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका के देश हैं जहां हिन्दी को शायद प्रवेश भी नहीं मिल पाया है।

हमारे देश में अमीर खुसरो की 'देहलवी' या हमारी हिन्दी का स्वयंमेव प्रचार प्रसार चौदहवीं शतावदी से मिलता है यद्यपि उसके विधिवत शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। महामति प्राणनाथ (सन् 1618–1694), महर्षि दयानंद सरस्वती (सन् 1824–1883) और महात्मा गांधी (सन् 1869–1948) ने राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी को आवश्यक निरूपित किया था। तमिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम भाषियों के लिए हिन्दी कठिन भाषा प्रतीत हुई। हिन्दी के शिक्षण की दृष्टि से सन् 1927 में मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना हुई और सन 1936 में सभा ने अपनी शाखाएं दक्षिण के चारों प्रमुख भाषाओं के क्षेत्र में पृथकरूपेण स्थापित की। यह कार्य देशभक्ति, हिन्दी-प्रचार तथा सेवा भावना से अभिभूत था और इसीलिए हिन्दी-शिक्षण प्रायः निःशुल्क रहा। इस दिशा में सन 1936 में स्थापित राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति ने भी ऐतिहासिक योगदान दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कारागृहों में भी हिन्दी-शिक्षण का कार्य व्यापक एवं अबाधित रूप से चलता था।

सन् 1937 में राजाजी ने अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में मद्रास में हिन्दी को अनिवार्य किया था परंतु सन 1965 में तमिलनाड् में राजनैतिक कारणों से पाठशालाओं में हिन्दी-शिक्षण को सर्वथा समाप्त कर दिया। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट, आन्ध्रप्रदेश, केरल, गोआ, दमण और दीव में पांचवीं कक्षा से लेकर ग्यारहवीं कक्षा तक सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से हिन्दी पढाई जाती है और इसके लिए प्रति सप्ताह 3,4 या 5 पीरियड निर्धारित हैं। कर्नाटक, असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर, लक्षद्वीप तथा दादरा नागर हवेली की शालाओं में 5,6 अथवा 7 वर्ष तक हिन्दी का शिक्षण होता है और उसके लिए सप्ताह में अरुणाचल में 6, मणिपुर में 3 से 5, दादरा-नागर हवेली में 5 से 6 और शेष में 2 या 3 पीरियड, स्वीकृत हैं। यहां उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। पश्चिमी बंगाल तथा नागालैण्ड के विद्यालयों में 4 वर्ष तक सप्ताह में क्रमशः 3 और 2 से 3 पीरियड, उड़ीसा तथा पाण्डिचेरी में 3 वर्ष तक प्रति सप्ताहों में 2 तथा 3 पीरियड और त्रिपुरा में सिर्फ दो वर्ष तक छठी तथा सातवीं कक्षा में सप्ताह में 2 पीरियड हिन्दी शिक्षण के लिए उपलब्ध हैं। हिन्दी-शिक्षण की दृष्टि से नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय तथा अरुणाचल उपेक्षित क्षेत्र हैं।

दक्षिण में हिन्दी-शिक्षण की मुख्य समस्या लिंग की है। हिन्दी में सिर्फ दो ही लिंग हैं जबकि संस्कृत, मराठी तथा गुजराती में तीन लिंग हैं।

संसार में कुल 2,800 भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें चीनी के सत्तर करोड़, अंग्रेजी के चालीस करोड और हिन्दी के बोलने वाले तीस करोड़ हैं। इस दृष्टि से हिन्दी विश्व की तृतीय भाषा है। पश्चिमी देशों में हिन्दी-शिक्षण की सर्वाधिक पुरानी संस्था लंदन विश्वविद्यालय का स्कल आफ ओरिएण्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज़ है। इंग्लैण्ड के बाद फ्रांस में हिन्दी-शिक्षण को कुछ महत्ता प्राप्त है। यूरोप के समाजवादी देशों में हिन्दी के प्रति विशेष उत्साह मिलता है। सोवियत रूस में सात केन्द्रों में हिन्दी-शिक्षण तथा अनुसंधान की व्यवस्था है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल मिलाकर हिन्दी-शिक्षण के चवालीस केन्द्र हैं। सोवियत काल में सोवियत संघ के जनगण की बत्तीस भाषाओं में सौ से अधिक भारतीय लेखकों की कोई सात सौ पुस्तकों के 2.6 करोड प्रतियों से अधिक के संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। मारिशस में सन् 1834 और फिजी में 5 मई सन् 1879 को हिन्दी का प्रवेश हुआ था।

विदेशों में हिन्दी-शिक्षण की अनेक समस्याएं हैं। जैसे फ्रांस में फ्रांसीसी में हिन्दी सिखाने के लिए पुस्तकें नहीं हैं और सब लोग भलीभांति अंग्रेजी नहीं जानते। दूसरी, फ्रांसीसी लोग भारतीय दैनिक जीवन और सांस्कृतिक परम्परा के बारे में कम जानते हैं।

विदेशों में भारत सरकार की हिन्दी योजना की क्रियान्विति में विश्वास की कमी है और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय की भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद में तालमेल तथा समन्वय का अभाव खटकता है। प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन, नागपुर (सन 1975) के अवसर पर 'विश्व हिन्दी विद्यापीठ' की स्थापना की गई थी।

हमारे देश में हिन्दी-शिक्षण की सबसे पहली तथा बडी समस्या मनोवैज्ञानिक है। आर्थिक कारणों से भी हिन्दी-शिक्षण की समस्याओं को विराट रूप मिल रहा है। सारे एशिया के देशों में जहां विदेशी शासन काल में एक पराई भाषा का आधिपत्य था, वहां भी उन देशों की भाषाओं को लेकर शैक्षिक क्रांति जन्म ले चुकी है। अनेक देशों को तो यूनेस्को उनकी भाषा समृद्ध

करने के लिए सहायता भी प्रदान कर रहा है जैसे थाई देश को। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक तथा शैक्षिक उपनिवेशवाद है कि विदेशी भाषा द्वारा विज्ञान और प्राविधिक की शिक्षा प्रदान की जा रही है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 18 अक्टूबर, सन् 1920 में गुजरात विद्यापीठ में हिन्दी को माध्यम स्वीकार किया गया था। विगत पच्चीस वर्षों से हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के विश्व-विद्यालयों में हिन्दी माध्यम प्रचलित है। हिंदी में विश्वविद्यालयीन स्तर की विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु केन्द्रीय शासन ने पांच हिन्दी भाषी राज्यों को एक-एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया था जिनके आधार पर हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों का गठन हुआ। हिन्दी-शिक्षण में हिन्दी के माध्यम की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती जिसके लिए उपयुक्त पाठ्य ग्रन्थों की अहम् समस्या रही है। इनके निदान में इन अकादमियों ने मानविकी के अंतर्गत जो पुस्तकें तैयार कराई गई। उनका सर्वेक्षण इस प्रकार है—अर्थशास्त्र : 451, इतिहास: 692, दर्शनशास्त्र-265, राजनीतिशास्त्र-950, वाणिज्य-203।

वास्तव में हिन्दी-शिक्षण तथा हिन्दी माध्यम से विभिन्न विषयों के पठन-पाठन हेतु स्तरीय एवं मानक ग्रन्थों के अभाव की समस्या के समाधान हेतु आधारभूत पाठ्य पुस्तकें निर्माण की जानी चाहिएं। हमारा कार्य समस्त भाषाओं में उपाधि स्तर की अच्छी पुस्तकों के सर्वेक्षण, परीक्षण तथा सूची बनाने का है जिससे यह विदित हो जाए कि कौन-कौन से क्षेत्र अभावग्रस्त हैं ? इस प्रकार की प्रामाणिक सूची प्राप्त हो जाने पर उन पुस्तकों का इस दृष्टि से परीक्षण करना आवश्यक होगा कि उनमें क्या त्रुटियां हैं ? और उन्हें किस प्रकार अद्यतन बनाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय के अनुवाद योग्य पुस्तकों की एक प्रामाणिक सूची तैयार की जाए ताकि उनके उत्तम अनुवाद उपलब्ध कराये जा सकें। मौलिक ग्रन्थ लेखन के अतिरिक्त हिन्दी में विधान के आधारभूत, प्रामाणिक तथा अद्यतन ग्रन्थों का अनुवाद करना अत्यावश्यक है। इससे हिन्दी माध्यम के द्वारा किए जाने वाले शिक्षण की एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान हो सकेगा। इसमें एक पुस्तक के अध्याय बांटकर भी अनुदित किए जा सकते हैं। एडोपशन या अनुकूलन का भी काम होना चाहिए। विदेशों में यह कार्य बहुत हो रहा है। पांचों हिन्दी भाषी राज्यों की हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों में परस्पर में तालमेल और समन्वय की भूमिका होनी चाहिए अन्यथा पुनरावृत्ति, पिष्टपेषण और दोहरेपन की स्थिति जन्म लेती है। इस समय देश में बारह करोड़ छात्र हैं जिन्हें 51 करोड़ पाठ्य पुस्तकों की आवश्यक है। कापी राइट एक्ट को कुछ समय के लिए शिथिल करके, दुनियां के ज्ञान-विज्ञान को हिन्दी में लाया जा सकता है। स्टाक-होम में आयोजित 'कापी राइट" कन्वेंशन' में अल्प विकसित देश की भाषाओं में अनुवाद करने की तीन वर्ष तक की छूट दी गई थी।

अमेरिका तथा सोवियत रूप में प्रतिवर्ष अस्सी हजार से ऊपर और जापान में 30 हजार से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित होती है। हमारे देश में प्रतिवर्ष पन्द्रह हजार पुस्तकों का प्रकाशन होता है जिनमें से 4 हजार साहित्य की, 3 हजार राजनीति का, 1 हजार कानून की और शेष 7 हजार में अन्य बीस विषय आ जाते हैं। इनमें से भी छः हजार पुस्तकें सिर्फ अंग्रेजी में ही छपती हैं और शेष 9 हजार हिन्दी सहित देश की अन्य 15 भाषाओं में। हिन्दी में प्रतिवर्ष तीन हजार पुस्तकों का प्रकाशन होता है जिसका अस्सी प्रतिशत भाग पुस्तकालयों द्वारा खरीदा जाता है। 60 करोड़ वाले हमारे देश में पुस्तकालयों की संख्या सिर्फ 35 हजार है जबकि 11 करोड़ के देश जापान में 42 हजार ग्रन्थालय हैं।

हिन्दी को विश्वविद्यालयीन शिक्षा के माध्यम बनाने और उसके स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से दृढ़ता तथा विश्वास के अतिरिक्त, पारिभाषिक शब्दावली की समस्या भी विशेष ध्यानाकर्षित करती है। वास्तव में संस्कृत के मूलाधार पर समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक ही पारिभाषिक शब्दावली होनी चाहिए। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में निम्नलिखित शब्दावलियों पर कार्य किया गया है : (क) हिन्दी-तेलुगु (ख) हिन्दी-कन्नड़ (ग) हिन्दी-मलयालम।

गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना को कार्य करते अब 23 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इसी प्रकार लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा हिन्दी-शिक्षण को केन्द्रीय उच्च अधिकारियों में उपयोगिता मूलक ढंग से विकसित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित अखिल भारतीय संस्था संघ के अंतर्गत सोलह हिन्दी सेवी संस्थाओं ने हिन्दी शिक्षण को व्यावहारिक बनाने में सहयोग दिया है। हिन्दीतर क्षेत्रों में हिन्दी-शिक्षण हेतु समुचित हिन्दी शिक्षकों के निर्माण और उनके पूर्ति का प्रश्न भी एक सम्यक समस्या है। पहले यह कार्य स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाएं करती थीं। हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो शासकीय और अशासकीय संस्थाएं स्थापित की गई हैं, उनकी सम्प्रति संख्या तीस है। आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा केरल में ये क्रमशः 9, 3 तथा 2 हैं।

हिन्दी शिक्षकों की प्राप्ति के साथ उनके प्रशिक्षण की समस्या भी है। शिक्षकों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम का सम्पूर्ण नवीनीकरण अपेक्षित एवं वांछित है। प्रशिक्षार्थियों में हिन्दी भाषा पर सम्यक् अधिकार होना चाहिए और उन्हें हिन्दी भाषा के वैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति का अभ्यासमूलक ज्ञान दिया जाना चाहिए। वे भाषा सीखने के मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र के अनुप्रयोगात्मक तरीके से अवगत हों।

इसके साथ ही प्रशिक्षकों के प्रशिक्षकों की उपलब्धि की भी समस्या है। विश्वविद्यालयों में भी साहित्य के अतिरिक्त व्याकरण, भाषाविज्ञान और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग-पक्ष की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की परमावश्यकता है। विदेशों में भी हिन्दी के ऐसे शिक्षक चयन करके भेजने की आवश्यकता है जिन्हें संस्कृति तथा साहित्य के अतिरिक्त भाषा-शिक्षण का अद्यतनतम तथा वैज्ञानिक अभ्यास एवं अनुभव हो। विदेशों में हिन्दी शिक्षण एवं अध्ययन हेतु शैक्षणिक सहायता देने के लिए 'ब्रिटिश कौंसिल' और 'फोर्ड फाउण्डेशन' जैसा रूप ग्रहण करने की जरूरत है।

आज हिन्दी-शिक्षण में उद्देश्य की अस्पष्टता की मुख्य समस्या है। लक्ष्य के आधार पर ही सीखने की अभिप्रेरणा जाग्रत होती है। सन् 1978 में हिन्दी-शिक्षण को देशभक्ति के साथ सम्प्रक्त नहीं किया जा सकता। आज अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक-वैधानिक-राजकीय तथा सामाजिक सेवा आदि के लिए हिन्दी सीखने की तात्कालिक उपादेयता है। अनेक स्थलों पर हिन्दी-शिक्षण के स्वरूप तथा सम्भावनाओं को सटीक न होने की एक समस्या है। स्वैच्छिक संस्थाएं व्यावहारिक उपयोग की भाषा के पाठ्यक्रम यथा शब्दावली, पदावली, वाक्य संरचना आदि को चरितार्थ कर सकती है। इसी प्रकार विद्यालय की शिक्षा में भी हिन्दी शिक्षण का लक्ष्य भाषा पर अधिकार प्राप्त करना होना चाहिए और उसके अंतर्गत कोषीय व व्याकरणिक शब्दावली, वाक्य संरचना तथा भाषा के मौखिक तथा लिखित अभ्यास पर समान बल दिया जाए। भारत के पचपन लाख अंधे व्यक्तियों को हिन्दी का शिक्षण देना एक समस्या है परंतु अथक परिश्रम के बाद सन् 1951 में देहरादून में हिन्दी-ब्रेल लिपि का आविभाव हुआ जिसमें छः उभरे हुए बिन्दुओं के आधार पर दृष्टिहीन व्यक्ति इसे अपनी अंगुलियों के स्पर्श से पढ़ते हैं।

सन् 1964 में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से प्रयाग विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर हिन्दी-शिक्षण कार्य शिविर का आयोजन हुआ था जिसमें विश्वविद्यालयों के हिन्दी पाठ्यक्रम तथा हिन्दी शोध की समस्याओं पर गंभीरता तथा विस्तारपूर्वक विचार किया गया था। इसके अंतर्गत आयोजित एकादश गोष्ठियों में अष्टाध्यायी प्राप्त हुई थी जिसमें विश्वविद्यालयों के हिन्दी पाठ्यक्रमों में एकीकरण नहीं अपितु समानीकरण पर जोर दिया गया। इसमें अध्ययन तथा अध्यापन के स्तर को उठाने और हिन्दी की प्रकृति, क्षेत्रीय बोलियों तथा व्यावहारिक भाषा-विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत की गई साहित्य के अध्ययन में पूर्णता लाने के लिए शोध को स्वीकार किया गया और उसका औचित्य उसकी नवीनता में देखा गया न कि सर्वेक्षण या समालोचना में। सम्प्रति अहिन्दी प्रदेश के प्रश्नपत्र सरलतर निर्धारित करने की बात हुई।

दो केन्द्रीय संस्थाएं आज हिन्दी-शिक्षण की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में कार्यरत हैं। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी-शिक्षण का कार्य एक सफलतया उपादेय प्रयोग है। विभिन्न छात्रवृत्तियों की संयोजना भी है। केन्द्रीय हिन्दी शिक्षक महाविद्यालय को हिन्दी-शिक्षण की मानक संस्था और शोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) के रूप में विकसित तथा प्रतिष्ठित होना चाहिए।

आज हिन्दी माध्यम के शिक्षण पर जो अनेक आरोप लगाए जाते हैं और उन्हें समस्याओं के रूप में उपस्थित किया जाता है—इसका मुख्य कारण हमें हमारी ही सामग्री से बेखबरी और अनभिज्ञता है। इस दिशा में मनोयोग, आस्था तथा अध्यवसाय की आवश्यकता है अन्यथा समस्या समस्या ही बनी रहेंगी और हम उनका समाधान नहीं कर पाएंगे। विवाद तथा बहस से ऊपर उठकर निष्ठापूर्वक साधनामय रूप में काम करने का यह समय है ताकि हिन्दी शिक्षण सही अर्थों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहज एवं समाहत हो सके।

जहां तक हिन्दी माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रश्न है, केन्द्रीय पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक शब्दावली आयोग तथा विभिन्न प्रान्तों की हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों ने प्रौढ़ तथा समृद्ध मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। अब हिन्दी में समस्त विषय पढ़ाए जा सकते हैं। अच्छी शब्दावलियां बन चुकी हैं तथा पर्याप्त सन्दर्भ वाङ्मय में आ चुका है। हिन्दी माध्यम के लिए सम्यक् परिवेश का निर्माण हो चुका है। यह आशाप्रद तथा गौरवपूर्ण उपलब्धि है। आयुर्विज्ञान, अभियांत्रिकी, तकनीकी, विज्ञान, विधि, मानविकी, वैमानिकी तथा सामाजिक विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावलियां तैयार हो चुकी हैं। अब हिन्दी माध्यम के रूप में पूर्ण समर्थ तथा सक्षम भाषा है। उसका पर्याप्त विकास हो चुका है। उसे उच्च शिक्षा तथा विभिन्न अकादमिक अनुशासनों में माध्यम बनने में कोई कमी नहीं रह गई है। विगत चालीस वर्षों में बड़ी उन्नति हुई है और विभिन्न आयाम उन्मुक्त हुए हैं।

● ● ●

[पृष्ठ 2 का शेष]

अंग्रेज, अंग्रेजी और अंग्रेजियत—इनमें अंग्रेजियत सबसे घातक है—भारतीयों के लिए, क्योंकि यह हमारी जातीय संस्कार और राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंचाकर उन्हें अस्मिता भुलवाने में सक्रिय है। म० गांधी जी इसीलिए अंग्रेजियत और अंग्रेजी को बहिष्कृत करना चाहते थे। इसके कारण हमारे देश में स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वदेशाभिमान कभी उत्पन्न नहीं हो सकेगा।

यह ठीक है कि हिन्दी अपनी अभ्यांतरिक ऊर्जा से, अपनी सार्वभौम लोकप्रियता से, स्नेह से विकास के पथ पर निरन्तर प्रगति कर रही है। क्या भारत की भावात्मक एकता-अखण्डता के लिए इतना ही काफी है ? आवश्यकता है तपः साधना राजभाषा के रूप को सम्पूर्ण भारतीयों के आचार-विचार, रीति-नीति और साहित्य-संस्कृति को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली भाषा के रूप में दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हो।

—जगदम्बी प्रसाद यादव

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में पारिभाषिक शब्दावली की समस्या

—अवधेश मोहन गुप्त

"पारिभाषिक शब्द किसको कहते हैं ? जिसकी परिभाषा की गई हो। पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएँ बाँध दी गई हों—जैसे अंग्रेजी का शब्द है "डैकोइटी", हिंदी में उसके लिए डैकती शब्द है। उसकी परिभाषा कर दी गई है कि चार या चार से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने आएंगे तो उसको डैकती कहेंगे। इसी प्रकार "प्रोरोगेटिव" शब्द की सीमा बाँधी हुई है। उसका प्रयोग मैं नहीं कर सकता, राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं कर सकता। जिन शब्दों की सीमा बाँध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बाँधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं।

पारिभाषिक शब्दों के बारे में डॉ रघुवीर का उपर्युक्त कथन मनन योग्य है। डॉ० भोलानाथ तिवारी के अनुसार "पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप में परिभाषिक होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं।"

पारिभाषिक शब्दों में निम्नलिखित विशेषताएँ अपेक्षित हैं :—

1. उच्चारण : पारिभाषिक शब्द उच्चारण की दृष्टि से सुविधाजनक होना चाहिए।
2. अर्थ : पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित परिधि से बद्ध तथा स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही विज्ञान या शास्त्र विशेष में एक संकल्पना अथवा वस्तु आदि के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द होना चाहिए एवं प्रत्येक पारिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए।
3. लघुता : यथासाध्य पारिभाषिक शब्दों का आकार छोटा होना चाहिए ताकि प्रयोक्ता को सुविधा रहे। शब्द व्याख्यात्मक हो इसके बजाय उसका पारदर्शी होना बेहतर है।
4. उर्वरता : पारिभाषिक शब्द उर्वर होना चाहिए अर्थात् उसे ऐसा होना चाहिए कि उसमें उपसर्ग प्रत्यय आदि जोड़ कर नए शब्द बनाए जा सकें यथा Fertile, Fertility, Fertilizer आदि या उर्वर, उर्वरकता, उर्वरक, अतिउर्वर आदि।
5. रूप : एक श्रेणी के पारिभाषिक शब्दों में रूप साम्य होना चाहिए जैसे Science, Scientific, Scientist आदि अथवा विशेषज्ञों के नाम—यथा Scientist, Cytologist, Botanist, Cardiologist, Dramatist आदि। साथ ही अलग-अलग श्रेणियों के पारिभाषिक शब्दों में रूप साम्य नहीं होना चाहिए ताकि भ्रम होने की गुंजाइश न रहे।
6. प्रसार योग्यता : भारत और हिन्दी के संदर्भ में पारिभाषिक शब्दों में यह योग्यता भी अपेक्षित है कि वे भारत के अन्य भाषा भाषियों में प्रसार पा सकें और उन्हें ग्राह्य हों।

विभिन्न दृष्टियों से पारिभाषिक शब्दों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार किया जा सकता है। प्रसिद्ध बंगला विद्वान राजेन्द्र लाल मित्र ने 100 से भी अधिक वर्ष पूर्व अपनी पुस्तक A Scheme for rendering of European Scientific Terminology in Vernaculars of India में पारिभाषिक शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा है :—

1. यदा कदा पारिभाषिक शब्दों के रूप में प्रयुक्त सामान्य शब्द।
2. मानविकी आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त ऐसे अर्धापारिभाषिक शब्द जो कि सामान्य संदर्भ में भी प्रयुक्त होते हैं।
3. विज्ञान में प्रयुक्त "योगरूढ़ि" शब्द।
4. प्राणिविज्ञान में प्रयुक्त द्विपदीय नामावली शब्द यथा Homo sapiens
5. व्युत्पत्तिपरक अर्थ देने वाले पारदर्शी तकनीकी शब्द।
6. एकांगी (और कभी-कभी पूर्ण) रूप से व्युत्पत्ति मूलक अर्थ देने वाले ऐसे योगिक शब्द जिनका प्रयोग मुख्यतः रसायन विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान में होता है।

डॉ० गोपाल शर्मा ने अपनी पुस्तक "सामाजिक विज्ञानों की पारिभाषिक शब्दावली का समीक्षात्मक अध्ययन" में पारिभाषिक शब्दों के तीन भेद माने हैं :—

1. पूर्ण पारिभाषिक
2. मध्यस्थ
3. सामान्य

इस संबंध में यह कहना अनुचित न होगा कि राजेन्द्र लाल मित्र के वर्गीकरण की तुलना में डॉ० गोपाल शर्मा का वर्गीकरण अधिक स्पष्ट एवं तर्क-सम्मत है। प्रयोग की दृष्टि से पारिभाषिक शब्दों का यही वर्गीकरण उचित प्रतीत होता है।

डॉ० भोलानाथ तिवारी ने विभिन्न आधारों पर पारिभाषिक शब्दों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार पारिभाषिक शब्दों का वर्गीकरण स्रोत रचना, प्रयोग, अर्थवत्ता, पदीय इकाइयों के आधारों पर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण संक्षेप में इस प्रकार है : —

(क) स्रोत के आधार पर :

1. तत्सम
2. तद्भव
3. आगत (विदेशी)
4. देशज
5. संकर

अथवा :

1. परम्परागत
2. गृहीत
3. नवनिर्मित

(ख) रचना के आधार पर :

1. मूल
2. यौगिक

अर्थ की दृष्टि से — रूढ़, सामान्य

संरचना की दृष्टि से —

1. उपसर्गयुक्त
2. प्रत्यययुक्त
3. समस्तपद
4. उपसर्ग प्रत्यययुक्त
5. उपसर्गयुक्त-समस्तपद
6. प्रत्यययुक्त समस्तपद
7. उपसर्ग प्रत्यययुक्त–समस्तपद

(ग) प्रयोग के आधार पर : 1. पूर्ण पारिभाषिक 2. अर्ध पारिभाषिक

(घ) अर्थ की सूक्ष्मता—स्थूलता के आधार पर :
1. संकल्पना बोधक 2. वस्तुबोधक

(ङ) पद-संख्या के आधार पर :

1. एकपदीय : यथा धमनी
2. द्विपदीय : यथा आम के लिए Mangifera indica
3. त्रिपदीय : यथा मानव के लिए Homo sapiens supiens

(उपर्युक्त वर्गीकरण में एक वर्ग "बहुपदीय" जोड़ना अनुचित न होगा, यथा एक रोग का नाम है Pneumonoultra microscopic-silico-volcanc-koniosis

(च) विषय के आधार पर : यथा भाषाविज्ञान, प्राणि विज्ञान, भौतिकी आदि, आदि की शब्दावलियां।

भारत में पारिभाषिक शब्दावली पर सर्वप्रथम डॉ० रघुवीर ने ही व्यवस्थित, पूर्ण वैज्ञानिक एवं विशद रूप से विचार एवं कार्य किया। डॉ० रघुवीर का कथन है कि "पारिभाषिक शब्दों का नियम है कि जितने शब्द अंग्रेजी में हों उतने ही हिन्दी में भी होने चाहिएं, उससे कम में काम नहीं चलेगा।" इस विचार से असहमत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान आदि अनेक विषयों में यूरोप-अमरीका का अनुसरण करने की मजबूरी और पुरानी अंग्रेजी दासता के परिप्रेक्ष्य में कम से कम अंग्रेजी के भाषा के प्रत्येक पारिभाषिक शब्द का समानक तो हिन्दी को लाना ही पड़ेगा।

यहां तक तो ठीक है किन्तु इसके आगे प्रश्न उठता है कि इन शब्दों को कहां से लाया जाए और उनका स्रोत तथा स्वरूप कैसा हो? इस प्रश्न पर पिछले कई दशकों में विद्वानों का मतैक्य नहीं रहा। पारिभाषिक शब्दों के स्वरूप, स्रोत और निर्माण संबंधी विचार धाराओं में निम्नलिखित प्रमख रही : —

1. पुनरुद्धारवादी/पुनरुत्थानवादी/शुद्धतावादी विचार-धारा :

इस विचार-धारा के प्रवर्तक एवं प्रतिनिधि डॉ० रघुवीर थे। डॉ० रघुवीर का मानना था कि जो पारदर्शिता हिन्दी के शब्दों में है वह संसार की किसी और भाषा में नहीं है तथा संस्कृत में उपलब्ध 20 उपसर्गों, 500 धातुओं और 80 प्रत्ययों की सहायता से लाखों-करोड़ों शब्द बनाए जा सकते हैं। डॉ० रघुवीर के अनुसार "भारत की अधिकांश भाषाओं की आगर भाषा संस्कृत है। यदि हम चाहते हैं कि सभी भाषाओं के पारिभाषिक शब्द एक जैसे हों तो वह संस्कृत से ही हो सकते हैं। डॉ० रघुवीर ने अकेले ही ढेरों शब्दों का निर्माण-अन्वेषण किया और यही कारण था कि भारत के स्वाधीन होते-होते डॉ० रघुवीर कई लाख शब्दों का निर्माण कर चुके थे और लोग उन्हें अभिनव पाणिनी के रूप में देखने लगे थे।" डॉ० रघुवीर की इच्छा अंग्रेजी के लाखों शब्दों के हिन्दी पर्याय बनाने की थी किंतु लगभग पांच लाख शब्द बनाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी तब तक शब्द-निर्माण की पक्की नींव वे रख चुके थे। डॉ० रघुवीर ने अपने प्रसिद्ध कोश (कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिन्दी डिक्शनरी) में अपने शब्द निर्माण सिद्धांतों की विशद व्याख्या की है, जो कि अत्यंत संक्षेप में निम्नानुसार हैं :—

1. भारतीय परंपरा, अर्थात् वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पालि आदि के ग्रंथों से शब्द—आनयन यथा :—
   Auction कोशविक्रय (कौटिल्य के अर्थशास्त्र से)
   Octroi द्वारादेय (राजतरंगिणी से)
2. संस्कृत के उपसर्गों, प्रत्ययों और धातुओं से शब्द निर्माण, यथा :—
   Law+Less+ness – विधि+हीन+ता
   Tele+printer – दूर+मुद्रक

3. संस्कृत परंपरा से अन्य देशों विशेषत: दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को चले गये शब्दों का अन्वेषण, यथा स्थायी भाषा से telegram के लिए "दूरलेख" की खोज ।

4. आवश्यकता पड़ने पर नये प्रत्ययों का निर्माण यथा "धातु" शब्द से "आतु" प्रत्यय बना कर डॉ० रघुवीर निम्नलिखित शब्द बनाए :— alloy मिश्रातु, Barium हर्यातु, Calcium चुर्णातु, Chromiam वर्णातु, Platinum महातु, तेजातु आदि ।

5. प्रचलित देशज, विदेशी मूल के शब्दों के स्थान पर संस्कृत परंपरा के अन्वेषित अथवा नवनिर्मित शब्दों का यथा Fountain Pen के लिए 'पसोपत्र', Tehsil के लिए 'भुक्ति' का प्रयोग किया जाए ।

आगे के विवेचन में हम देखेंगे कि अंतत: देश में डॉ० रघुवीर के सिद्धांतों तथा शब्दों का ही अपनाया गया सिवाए ऊपर दिए गए अंतिम सिद्धांत के । वस्तुत: डॉ० रघुवीर की शब्दावली में मुख्यत: यही दोष थे कि उसमें हिन्दी में रच-बस गए अनेक विदेशी तथा देशज शब्दों का तथा हिन्दी के बहु प्रचलित उपसर्गों एवं प्रत्ययों का बहिष्कार किया गया था, एवं प्रस्तुत किए गए कुछ पारिभाषिक शब्दों में अपेक्षित सरलता तथा ग्राह्यता का भी अभाव था ।

2. आदानवादी/शब्दग्रहणवादी/स्वीकारवादी विचारधारा :

इस विचारधारा के समर्थकों में अनेक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक थे । इस विचारधारा के अनुसार अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को ज्यों का त्यों अथवा थोड़ा-बहुत अनुकूलित करके हिन्दी में ले लिया जाए । यद्यपि हिन्दी काफी विदेशी शब्दों को पचा चुकी है किंतु लाखों विदेशी शब्दों को एक साथ कोई भी भाषा नहीं ग्रहण कर सकती न ही विश्व की किसी भाषा में अब तक ऐसा हुआ है कि उसके समस्त पारिभाषिक शब्द विदेशी हो । अत: यह विचारधारा चल नहीं पाई ।

3. प्रयोगवादी/हिंदुस्तानवादी विचारधारा :

इस विचारधारा के आधार पर पं० सुन्दर लाल, डॉ० जाफर हुसैन तथा हिन्दुस्तान कलचर सोसायटी एवं उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद आदि ने शब्द निर्माण किया । इस विचारधारा के अंतर्गत देश की सामाजिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, तद्भव, देशज एवं गंवई भाषा तत्वों की सहायता से शब्दों का निर्माण किया गया । किंतु इस संप्रदाय द्वारा निर्मित शब्द अटपटे (और कहीं-कहीं हास्यास्पद भी) होने के कारण चले नहीं । शब्दों के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं :— पलटकारी (reaction), पिछदर्शन (retrospect) स्टैंडर्डियाना (standardize), मसनदी (chairman) उबलावनुकता (boiling point)

4. समन्वयवादी/मध्यवादी विचार धारा :

इस विचारधारा का अनुसरण मुख्यत: सरकारी शब्द निर्माण संस्थानों में किया गया । इस विचारधारा के अनुसार मोटे तौर पर (क) सर्वप्रथम हिन्दी के उपलब्ध शब्द भंडार का उपयोग हो (ख) तत्पश्चात् हिन्दी में रच बस चुके सभी देशी अन्य भारतीय भाषाओं के तथा विदेशी शब्दों को ले लिया जाए (ग) मजबूरी में यदि किसी अप्रचलित विदेशी शब्द को हिन्दी में लेना पड़े तो उसका अनुकूलन (adaptation) कर लिया जाए यथा—Academy के लिए अकादमी । (घ) अत्यंत आवश्यक होने पर विदेशी शब्दों को शुद्ध रूप में भी ग्रहण (adopt) किया जाए ।

भारत सरकार के "वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग" एवं "केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय" ने भी अपनी शब्दावलियों के निर्माण में उपर्युक्त विचारधारा को अपनाया है ।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के त्यागी आयोग द्वारा स्वीकृत एवं प्रतिपादित किए गए शब्दावली निर्माण सिद्धांत निम्नलिखित हैं:—

1. अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाना चाहिए और हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं को प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्यंतरण करना चाहिए । अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के अंतर्गत निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं :—

(क) तत्वों और यौगिकों के नाम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइआक्साइड आदि ।

(ख) तोल और माप की इकाइयां और भौतिक परिमाण की इकाइयां जैसे डाइन, कैलोरी, एम्पियर आदि ।

(ग) ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए हैं जैसे फारेन हाइट के नाम पर फारेनहाइट तापक्रम, वोल्टा के नाम पर वोल्टमीटर और ऐम्पियर के नाम पर एम्पियर आदि ।

(घ) वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि की द्विपदी नामावली ।

(ङ) स्थिरांक जैसे, π (पाई) आदि ।

(च) ऐसे अन्य शब्द जिनका आमतौर पर सारे संसार में व्यवहार हो रहा है जैसे रेडियो, पेट्रोल, रडार, इलेक्ट्रान, प्रोटोन, न्यूट्रोन आदि ।

(छ) गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के संख्यक, प्रतीक, चिह्न और सूत्र, जैसे साइन, कोसाइन, टेन्जेन्ट, लॉग आदि (गणितीय संक्रियाओं में प्रयुक्त अक्षर रोमन या ग्रीक वर्णमाला में होने चाहिए) ।

2. प्रतीक, रोमन लिपि में अंतर्राष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएंगे परन्तु संक्षिप्त रूप नागरी और मानक रूपों में भी; विशेषत: साधारण तोल और माप में लिखे जा सकते हैं, जैसे सेन्टीमीटर का प्रतीक cm हिन्दी में भी ऐसे ही प्रयुक्त होगा परन्तु इसका नागरी संक्षिप्त रूप से० मी० हो सकता है । यह सिद्धांत बाल साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में अपनाया जाएगा, परन्तु विज्ञान और शिल्प विज्ञान की मानक पुस्तकों में केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे cm ही प्रयुक्त करना चाहिए ।

3. ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं जैसे :—

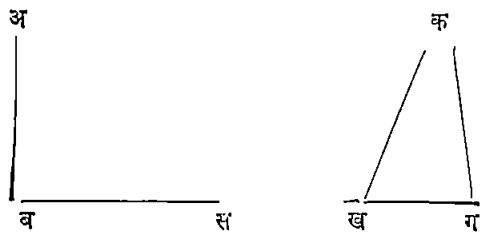

परन्तु त्रिकोणमितीय संबंधों में केवल रोमन अथवा ग्रीक अक्षर ही प्रयुक्त करने चाहिए जैसे साइन A, कॉस B आदि ।

4. संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्यतः अनुवाद किया जाना चाहिए ।

5. हिन्दी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए । सुधार विरोधी और विशुद्धिवादी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए ।

6. सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एकरूपता लाना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो :—

(क) अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों ।

(ख) संस्कृत धातुओं पर आधारित हों ।

7. ऐसे देशी शब्द जो हमारी भाषाओं में सामान्य वैज्ञानिक शब्दों के स्थान पर प्रचलित हो गये हैं, जैसे— telegraph, telegram के लिए तार, continent के लिए महाद्वीप, atom के लिए परमाणु आदि । ये सब इसी रूप में व्यवहार किए जाने चाहिए ।

8. अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के ऐसे विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे— इंजन, मशीन, लावा, मीटर, लीटर, प्रिज्म, टॉर्च आदि इसी रूप में अपनाए जाने चाहिए ।

9. अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यन्तरण : अंग्रेजी शब्दों का लिप्यन्तरण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण वर्तमान देवनागरी वर्णों में नए चिह्न व प्रतीक शामिल करने की आवश्यकता पड़े । अंग्रेजी शब्दों का देवनागरीकरण करते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिकाधिक अनुरूप हों और उनमें ऐसे परिवर्तन किये जाएं जो भारत के शिक्षित वर्ग में प्रचलित हों ।

10. लिंग—हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को, अन्यथा कारण न होने पर, पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए ।

11. संकर शब्द—वैज्ञानिक शब्दावली में संकर शब्द जैसे ionization के लिए आयनीकरण, voltage के लिए वोल्टता, ring stand के लिए वलय स्टैंड, sponifier के लिए साबुनीकरण आदि रूप सामान्य और प्राकृतिक भाषा-शास्त्रीय क्रिया के अनुसार बनाए गए हैं और ऐसे शब्दरूपों को वैज्ञानिक शब्दावली की आवश्यकताओं यथा सुबोधता, उपयोगिता और संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए ।

12. वैज्ञानिक शब्दों में संधि और समास—कठिन संधियों का यथासंभव कम से कम प्रयोग करना चाहिए और संयुक्त शब्दों के लिए दो शब्दों के बीच हाइफन लगा देना चाहिए । इससे नई शब्द रचनाओं को सरलता और शीघ्रता से समझने में सहायता मिलेगी । जहां तक संस्कृत पर आधारित "अभिवृद्धि" का संबंध है, "व्यावहारिक", "लाक्षणिक" आदि प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों में अभिवृद्धि का प्रयोग ही अपेक्षित है, परन्तु नवनिर्मित शब्दों में इससे बचा जा सकता है ।

13. हलंत—नए अपनाए हुए शब्दों में आवश्यकतानुसार हलंत का प्रयोग करके उन्हें सही रूप में लिखना चाहिए ।

14. पंचम वर्ण का प्रयोग—पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए परन्तु lens, patent आदि शब्दों का लिप्यंतरण लेंस, पेटेंट या पेटेण्ट न करके लेन्स, पेटेन्ट ही करना चाहिए ।

उपर्युक्त सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए शब्दावली आयोग तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा कई लाख पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जा चुका है । इन शब्दों के निर्माण में अनेक भाषाविदों एवं विषय विद्वानों का सहयोग लिया गया है किंतु इस महायज्ञ में सरकार द्वारा भारत के शीर्षस्थ कोशकारों, विशेषतः डॉ० कामिल बुल्के एवं डॉ० हरदेव बाहरी का सहयोग न प्राप्त कर पाना विस्मयजनक है । सरकार द्वारा निर्मित शब्दावलियों का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि पूरे देश में प्रयोग के लिए एक कामचलाऊ हिन्दी शब्दावली तैयार हो गई है । कामचलाऊ इसलिए कि संकलित शब्दावलियों में समन्वय का भारी अभाव है यथा—

क. उपसर्गों एवं प्रत्ययों के प्रयोग में एकरूपता का अभाव । इसके लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा :— Super conductivity के लिए अति चालकता है तो Superglacial के लिए अधिहिमानी । अर्थात् अंग्रेजी के Super के लिए कहीं अति, कहीं अधि । डॉ० रघुवीर के शब्दकोश में ऐसी चूकें नहीं थी ।

ख. अनेक अटपटे एवं अ-पारदर्शी शब्दों का संचय है, यथा Hypothecation के लिए आड्मान । आड्मान कितने लोग समझेंगे ?

ग. एक ही अर्थ के लिए एकाधिक शब्दों का प्रयोग भ्रमोत्पादक है यथा bibliophile पुस्तक प्रेमी है किंतु biblio-phobia ग्रंथभीति । प्रयोग के रूप में अथवा प्राथमिक तौर पर जारी शब्दावलियों की बात अलग है किंतु अंतिम तथा पक्के तौर पर जारी शब्दावलियों में एक अर्थ के लिए एकाधिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।

घ. कई स्थलों पर एकाधिक अर्थों के लिए एक ही शब्द हैं, यथा— Pagination तथा endorsement दोनों के लिए पृष्ठांकन ही दिया गया है। aggregate एवं Set के लिए "समुच्चय" दिया गया है जबकि Set के लिए "कुलक" उपयुक्त शब्द रहता ।

ङ. अनेक महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों की प्रविष्टियां नहीं हैं यथा नौवहन, परिवहन आदि की प्रविष्टियां तो नाममात्र की ही हैं, यहाँ तक कि बैंकिंग, वाणिज्य आदि के भी अनेक महत्वपूर्ण एवं प्रचलित शब्द छूट गये हैं ।

च. संस्कृत की सहायता से शब्द निर्माण की बात ठीक है किन्तु जीवंतता से हीन टकसाली शब्द गढ़ने का लाभ नहीं है। शब्दावली में ऐसे टकसाली शब्दों की भरमार है यथा— अवधान द्रव्य (Caution Money), सहतादात्मीकरण (Co-identification), संरेख (Collinear), संवर्गबाह्य (Ex-codre), प्रतिभूति (Guarantee), प्रतिभू (Security), अंतध्वंसक (Saboteur) ।

छ. हिन्दी की बोलियों तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं से नहीं के बराबर शब्द लिये गये हैं ।

ज. उपर्युक्त सिद्धांतों का मोटेतौर से पालन करते हुए ही हिन्दी राज्यों ने अपनी-अपनी पारिभाषिक शब्दावलियां तैयार की हैं किंतु केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की शब्दावलियों में परस्पर विषमता होने के कारण भ्रम होने की लगातार गुंजाइश बनी रहती है । उदाहरणार्थ Director के लिए कहीं निदेशक है तो कहीं संचालक (बंगाला में अधिकर्ता है), Attestation के लिए अनुप्रमाणन (केन्द्रीय सरकार), प्रमाणीकरण (उत्तर प्रदेश), अभिप्रमाणीकरण (मध्य प्रदेश), अभिप्रमाणन (बिहार) चल रहे हैं। इस बारे में विस्तृत रूप से उदाहरणों के लिए देखें "अखिल भारतीय प्रशासनिक शब्दावली" (तिवारी एवं भाटिया) ।

ऊपर कुछ विशेष कमियों की ओर ही संकेत करने का प्रयास किया गया है। किसी भी शब्दावली अथवा कार्य की उपयोगिता को उसके किंचित दोषों के कारण नकारा नहीं जा सकता किंतु दोषों के निराकरण का सतत प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। अनुवाद कर्म से जुड़े सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी लोगों ने यह अवश्य महसूस किया होगा कि भारत सरकार द्वारा तैयार आधे से अधिक शब्दों में ग्राह्यता की काफी कमी है, विशेषता नवनिर्मित शब्दों में । संभवतः इसका मुख्य कारण यह है कि पारिभाषिक शब्द निश्चित निर्मित करते समय शब्दों अथवा शब्द-रूपों पर ही ज्यादा ध्यान दिया गया। यदि अर्थ पक्ष पर भी बराबर का ध्यान दिया जाता तो बेहतर शब्दों का निर्माण हुआ होता जो कि अधिक ग्राह्य, अधिक परिचित एवं अधिक पारदर्शी होते । ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दावली निर्माण से संबद्ध भाषाविदों ने निर्मित शब्दों पर विचार करते समय रूपविज्ञान एवं शैली विज्ञान के पक्षों पर ही ध्यान दिया और अर्थ विज्ञान की दृष्टि से शब्दों की समुचित परख नहीं की । अर्थ विज्ञान भाषा विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है । उसका भाषा विज्ञान के संदर्भ में वही महत्व है जो राढ़ की कशेरुकाओं के बीच से गुजरती सुषम्ना का होता है ।

इस दृष्टि से विचार करने पर अर्थ का ज्ञानिक अभिविन्यास केन्द्रीय महत्व का है और रूप एवं संरचना संबंधी पक्ष गौण हैं । डॉ० रघुवीर ने भी शब्द निर्माण करते समय अर्थ पक्ष पर पूरा ध्यान नहीं दिया । यही कारण है कि सरकारी तथा डॉ० रघुवीर की शब्दावलियाँ काफी मशीनी ढंग से अनुवाद करके बनाई गई प्रतीत होती हैं । होंगी भी क्योंकि इनमें संग्रहित अधिकांश शब्द मुख्यतः अंग्रेजी के पारिभाषिक कोशों (और पुस्तकों आदि) में उपलब्ध वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों का रूपिमीय अनुवाद हैं, क्रमशः विकसित वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा के अवयव नहीं हैं, यही कारण है कि इन शब्दों में पग-पग पर आर्थी अनिश्चता तथा आर्थी अल्पपोषण (Semantic Variance तथा Semantic under feeding) दृष्टिगोचर होता है । इसका एक ऐतिहासिक एवं मानसिक कारण संभवतः यह भी रहा होगा कि हमारी परंपरा में पद्यबद्ध वैज्ञानिक लेखन के पद्धति रही है जिसमें भौतिक दृष्टि के स्थान पर अन्तर्दृष्टि पर बल दिया गया । किंतु पारिभाषिक शब्दावली में पर्यायों की अधिकता तथा अर्थपरिधि का शैथिल्य आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में भारी दोष माना जाता है तथा काफी भ्रम एवं अड़चनें पैदा करता है । यह बात निर्विवाद है कि अपनी जमीन से उगा पौधा, प्रतिरोपित पौधे की तुलना में हमेशा बेहतर होता है किंतु द्रुत आधुनिकीकरण की आवश्यकता ने हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली मे भारी संख्या मे अंग्रेजी शब्दों का प्रतिरोपण करवा दिया इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि एक ही अर्थ के लिए कई-कई शब्द प्रयोग में चल पड़े । इस संदर्भ में डॉ० गोपाल शर्मा का यह कथन दृष्टव्य है—"भारत के विराट व्यक्तित्व को गहराइयों म विज्ञान के गहन रूप को व्याप्ति तब तक कदापि न हो सकेगी जब तक नये अर्थ पुराने अर्थों को लोक प्रचलित प्रतीक विधानों द्वारा झकझोर नहीं देते और कक्षा-कक्ष की बाहर की जन-भाषा को कक्षा-कक्ष के भीतर भी प्रतिष्ठित नहीं किया जाता"। डॉ० गोपाल शर्मा का उक्त कथन भारत में व्याप्त अंग्रेजी माध्यम के शिक्षण के संदर्भ में है, किन्तु यही बात हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में भी उतनी सही जितनी कि अंग्रेजी शिक्षा वाले संदर्भ में ।

पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के संदर्भ में एक बात और ध्यान देने योग्य है । संस्कृत में एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्द उपलब्ध हैं यथा fast के संदर्भ में द्रुत, त्वरित, शीघ्र आदि, आदि । यदि नये सिरे से संस्कृत के शब्दों का विभिन्न अर्थों/संदर्भों के लिए मानकीकरण करने की अपेक्षाओं और संभावनाओं पर ध्यान दिया जा सके तो प्रतियोगी शब्द रूपों की भ्रामक बहुलता का निराकरण हो सकेगा ।

चूंकि हमारी पारिभाषिक शब्दावली बहुत कुछ अंग्रेजी पर आधृत है अतः अंग्रेजी की शब्द संपदा पर कुछ विचार करना समीचीन होगा ।

[शेष पृष्ठ 15 पर]

अनुवाद-विचार, प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य

—श्री भैरव नाथ सिंह

बहुभाषी विश्व समाज में अनुवाद की आवश्यकता और महत्व को एक लम्बे अरसे से समझा जाता रहा है। इस शताब्दी के प्रारंभ में जब ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में हुई नई खोजों के फलस्वरूप यातायात और परिवहन के नये-नये साधन खोजे जाने लगे और उनका उपयोग धीरे-धीरे विश्व में बढ़ने लगा तो यह स्वाभाविक ही था कि देश-विदेशों में और दूर-दराज तक फैले क्षेत्रों में पारस्परिक आदान-प्रदान और आवागमन का भी विस्तार होने लगा। यह विस्तार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में समान रूप से हुआ। इस नये परिप्रेक्ष्य में अनुवाद विश्व-समाज के लिए अनिवार्य-सा बन गया। अब तो अनुवाद अपरिहार्य बन चुका है और इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि बिना अनुवाद के संसार का कार्य-व्यापार सुचारु रूप से चलाया जा सके।

अनुवाद पर चिंतन, विचार और चर्चा करते समय कई आयाम सामने आते हैं। अनुवाद भाषा का व्यापार है और ज्ञान की एक स्वतंत्र विधा के रूप में विगत अर्द्ध शताब्दी में इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है। इस प्रकार एक विषय के रूप में अनुवाद आज पठन-पाठन और शोध एवं अनुसंधान का विषय बन चुका है और भाषा विज्ञान के अन्तर्गत अनुवाद के सिद्धांत, प्रकार और प्रविधि पर नित नयी सामग्री सामने आ रही है। इसके अतिरिक्त ज्ञान की सभी विधाओं के क्षेत्र में आज अनुवाद की बहुत आवश्यकता होती है। हर क्षेत्र में विषय के अनुरूप अनुवाद की अपनी समस्याएं और अपेक्षाएं हैं। इस क्षेत्र में भी अनवाद पर विचार किए जाने की प्रायः आवश्यकता होती है। सत्ता, शासन, प्रशासन आदि के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद के माध्यम से ही आज का अधिकांश कार्य किया जाता है। इस दृष्टि से भी अनुवाद पर विचार अपेक्षित हो सकता है।

अनुवाद : ज्ञान की एक विकासोन्मुखी विधा

भाषा के अस्तित्व के जितने आयाम हैं उदाहरण के लिए ध्वनि, रूप-रचना, वाक्य-संरचना, अर्थ, भाव, अनुभूति अथवा संवेदना आदि अनुवाद पर विचार करते समय इन सभी आयामों पर विचार किए जाने की आवश्यकता होती है। अलग-अलग भाषाओं की प्रवृत्ति और लक्षण चूंकि एक दूसरे से भिन्न होते हैं और अनुवाद में दो भाषाएं सदैव एक दूसरे के सामने रहती हैं इसलिए भाषाओं के पारस्परिक अध्ययन का अनुवाद में बहुत महत्व होता है। यही वजह है कि अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत अनुवाद विधा पर दो भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में विचार किया जाता है। भाषायी स्वरूप और अर्थ की पारस्परिकता, भाषा और समाज की एक दूसरे पर आश्रयता तथा भाषा का देश विशेष की सांस्कृतिक परम्परा और उसके इतिहास आदि से गहरा संबंध होने के कारण अनुवाद प्रक्रिया के दौरान ये सभी तत्व उभर कर सामने आते हैं। भाषा मात्र, तथ्य, कथ्य, भाव की वाहक ही नहीं होती उसमें व्यक्ति की भावनाएं और उसके मानसिक रूझान भी कहीं गहरे में अंतर्निहित रहते हैं, अनुवाद के दौरान इन तत्वों की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस कारण भी अनुवाद भाषा से हटकर मनुष्य की मानसिकता से भी जुड़ जाता है।

हमें यहां यह समझा लेना होगा कि भाषा का अपना शरीर होता है जिसे देखा जा सकता है। उसमें ध्वनि होती है, जिसे सुना जा सकता है, परन्तु भाषा के माध्यम से जिस अर्थ का वहन किया जाता है, न उसका शरीर होता है, न उसमें ध्वनि होती है। अर्थ अशरीरी होता है, उसे मात्र ग्रहण किया जा सकता है मन के स्तर पर। मन स्वयं सूक्ष्म है, वह चित्त से अलग है, मस्तिष्क से भी अलग है। मन के स्वरूप के विषय में विज्ञान आज तक पूरी तरह से अनभिज्ञ है। मस्तिष्क क्या है, इसे विज्ञान जानता है, मगर मन क्या है इसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि "Mind has history but not Geography" इसका सही अर्थ है कि मन का विकास कैसे हुआ, इस इतिहास को हम जानते हैं लेकिन स्वयं मन क्या है, इसे कोई नहीं जानता। सीधी-सी बात यहहै कि मन द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है—मन सूक्ष्म है, अर्थ अशरीरी है और ध्वनि से रहित है। अर्थात् अर्थ का ग्रहण किया जाना मन और अर्थ के स्तर की एक पारस्परिक क्रिया है जिसे मात्र मन ही जानता है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह यह जान सके कि जो कुछ कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, सामने वाले व्यक्ति का मन उसे किस सीमा तक ग्रहण कर पा रहा है। अनुवाद इस स्तर पर भाषा का व्यापार नहीं, मन का व्यापार बन जाता है।

जैसा मैंने पहले ऊपर कहा है कि भाषा का जन्म और विकास शून्य में नहीं होता है। भाषा मानव समाज के इतिहास से जुड़ी हुई होती है और उसके समांतर चलती है, बढ़ती है और विकसित होती है। अलग-अलग भाषा-भाषी समाजों की परंपराएं, संस्कृति-इतिहास एक दूसरे से काफी अलग हैं। यह अलगाव भाषाओं में भी परिलक्षित होती है। अनुवाद के दौरान यह वैभिन्य अथवा वैविध्य अनुवादक के सामने एक विकट समस्या के रूप में प्रकट होता है।

अर्थ और भाषा का संबंध उतना सहज नहीं है जितना कि साधारण आदमी समझता है। किसी भी शब्द का कोई अर्थ नैसर्गिक नहीं होता, किसी न किसी समय यह अर्थ व्यक्ति अथवा समाज

द्वारा उसे प्रदान किया जाता है। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानविद् प्रोफेसर डब्ल्यू० हास का यह स्पष्ट मत है कि अर्थ भाषा से स्वतंत्र होता है। आशय बहुत स्पष्ट है—अर्थ का जन्म पहले होता है, भाषा का विकास बाद में। ऐसा संभव नहीं है कि पहले शब्द का जन्म हो और बाद में उसके अर्थ का। शब्द और अर्थ का संबंध अपने आप में अनेक प्रश्न चिन्ह लिए हुए रहता है। इन प्रश्नों का उत्तर और समाधान अच्छे और आदर्श अनुवाद की पहली शर्त है। अनुवादक की अपनी सीमाएं होती हैं, उसे सर्वज्ञ नहीं माना जा सकता, उसे भाषा का ज्ञान हो सकता है लेकिन उससे यह अपेक्षा रखना कि उसे भाषा विशेष और उससे जुड़े समाज की परम्पराएं, इतिहास, संस्कृति, इन सब का पूर्ण ज्ञान हो, यह संभवतः तर्कसंगत नहीं होता।

यदि अर्थ के स्तर से जरा हटकर भाषाओं की अपनी-अपनी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर अनुवाद के संदर्भ में विचार करें तो भी कई प्रकार की कठिनाइयों सहज रूप से सामने आती हैं। हर भाषा की सूचना शक्ति अलग होती है। उदाहरण के लिए "He has gone to his house" का अनुवाद हिन्दी में किया जाए तो दो अनुवाद संभव हैं —"वह अपने घर गया है", "वह उसके घर गया है"। अनुवादक को जब तक यह स्पष्ट न हो कि व्यक्ति स्वयं अपने घर गया है या किसी दूसरे व्यक्ति के, तब तक हिन्दी की व्याख्या संरचना पद्धति के अनुसार इसका सही अनुवाद संभव नहीं है। अंग्रेजी में "his" सर्वनाम प्रथम व्यक्ति और तृतीय व्यक्ति दोनों के लिए प्रयोग होता है परन्तु हिन्दी में इसकी अभिव्यक्ति अलग अलग शब्दों द्वारा की जाती है। इसके विपरीत यही हिन्दी में यह कहा जाए कि उसने रोटी खाई और इसका अंग्रेजी अनुवाद करने को कहा जाए तो अनुवादक के सामने सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वह उसका अनुवाद "He ate the bread" और "She ate the bread" दोनों में से क्या करें क्यों कि हिन्दी के इन वाक्य में लिंग का भेद नहीं है, अंग्रेजी अभिव्यक्ति यहां लिंग भेद की अपेक्षा रखती है। ये बहुत छोटे-छोटे साधारण से उदाहरण हैं। समस्या इतनी सरल नहीं है। अलग-अलग भाषाओं की सूचना शक्ति ही कभी-कभी एक दूसरे से इतनी भिन्न हो सकती है कि अनुवाद के लिए कुछ भी कर सक पाना कठिन हो जाता है। यह कठिनाई अनुवादक की नहीं, संदर्भ अथवा विषय की नहीं, भाषा की अपनी विशिष्ट प्रवृत्ति के कारण है। इस समस्या का उपचार-समाधान किसी के पास नहीं है। हमें भाषा की प्रवृत्तियों के इस अलगाव को स्वीकार करना ही होगा।

इसी संदर्भ में अलग-अलग भाषाओं की अलग-अलग रचना पद्धति पर भी विचार किया जा सकता है। अनुवाद कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के सामने इस प्रकार की समस्याएं आए दिन सामने आती रहती हैं। उदाहरण के लिए यदि "He is painfully weak" का हिन्दी अनुवाद अंग्रेजी वाक्य रचना के वजन पर यह कर दिया जाए कि "वह दुख से दुर्बल है" तो यह अनुवाद के प्रति अन्याय होगा। इस प्रकार की भूलें प्रायः इस लिए होती हैं कि अनुवादक स्रोत भाषा की वाक्य रचना की लय पर ही लक्ष्य भाषा में भी वाक्य रचना कर देता है। बात सीधी-सी यह है कि "painfully" जैसे क्रिया विशेषणों का प्रयोग हिन्दी की वाक्य रचना में होता ही नहीं है। अब यदि उपर्युक्त वाक्य का हमें ठीक हिन्दी अनुवाद करना है तो हमें इसकी अभिव्यक्ति हिन्दी की वाक्य रचना के अनुरूप ही करनी होगी और कुछ इस प्रकार इसका अनुवाद करना होगा कि वह "वह इतना दुर्बल है कि उसे देख कर दुख होता है"। अंग्रेजी के क्रिया विशेषण को हिन्दी में क्रिया विशेषण के रूप में नहीं रखा जा सकता, वाक्य का विस्तार करके ही इसे अभिव्यक्त करना होगा।

मैं यहां अनुवाद के सैद्धांतिक एवं शैक्षणिक पक्ष पर कोई विस्तृत व्याख्या करने नहीं जा रहा हूं, मात्र कुछ उदाहरण देकर मैं यह बात कहने का प्रयास करना चाहता हूं कि अनुवाद प्रक्रिया में कुछ जन्म-जात कठिनाइयां अंतर्निहित होती हैं और जिनके कारण होते हैं—अलग-अलग भाषाओं के अलग-अलग संस्कार और स्वरूप।

अनुवाद पर चर्चा अपने संपूर्ण परिवेश में की जा सके और वह अधूरी न लगे ऐसा मेरा प्रयास यहां अवश्य रहेगा। हां, यहां तो निश्चित ही है कि अनुवाद प्रक्रिया में रत कोई भी अनुवादक अनुवाद का भाषा पक्ष अन्तर्निहित विषय, संदर्भ, प्रसंग और समाज अथवा सरकार की भाषा प्रणाली अथवा भाषा नीति को ध्यान में रखे बिना अपने कार्य के प्रति न्याय नहीं कर सकेगा। इनमें से किसी भी पक्ष को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। अनुवाद की प्रक्रिया अपने आप में काफी जटिल है। संसार के अनेक भाषा वैज्ञानिक इस बात में अपने को एकमत नहीं पाते कि अनुवाद में भाषायी परिवर्तन का स्वरूप अंततः है क्या? उदाहरण के लिए डॉ० सैम्युअल जॉनसन अनुवाद की व्याख्या अपने शब्द कोष में इस प्रकार करते हैं, "अनुवाद अर्थ को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए, एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन को कहते हैं"। एक अन्य विख्यात भाषा वैज्ञानिक कैटफोर्ड का कहना है कि अनुवाद भाषा का परिवर्तन नहीं, वह स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री का, लक्ष्य भाषागत समान सामग्री द्वारा प्रतिस्थापना है"। प्रोफेसर नाइडा अनुवाद को सृजन मानते हुए कहते हैं कि "इसमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में मात्र अर्थ की तुल्यता से काम नहीं चल सकता, शैली को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है"। फोरेस्टन नाम के भाषा वैज्ञानिक अनुवाद को स्थानान्तरण मानते हैं और साथ-साथ यह घोषणा भी करते हैं कि भाषा के स्वरूप को तथ्य को प्रवृत्ति से अलग किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक स्वतंत्र विधा के रूप में अनुवाद का विकास तीव्रतर गति से होते हुए भी उसके संबंध में उलझने कम नहीं अपितु और गहरी होती जा रही हैं। जब ज्ञान का विस्तार होता है तो समस्याएं भी अपना मुंह फैलाती ही हैं, यही प्रकृति का नियम है।

अनुवाद की प्रविधि अथवा तकनीक के विषय में भी अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग दृष्टिकोण से विचार किया है। अधिकांश अधिकारी विद्वानों का यह मानना है कि अनुवाद प्रक्रिया का पहला चरण स्रोत भाषा में दी गई सामग्री का पठन और विश्लेषण है। इस चरण में स्रोत भाषा का ज्ञान और अनुवादक का उस पर अधिकार अपेक्षित माना जाता है। अनुवाद के दूसरे चरण में अर्थ की खोज करनी होती है। यह चरण आम तौर पर दुरूह और दुष्कर

होता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि मात्र भाषा ज्ञान के सहारे ठीक अर्थ का बोध नहीं हो पाता। तब हमें भाषेतर संदर्भों की तलाश और एक खोज यात्रा करनी पड़ती है। ये भाषेतर संदर्भ अंतर्निहित विषय, सांस्कृतिक परंपरा, इतिहास और ना जाने कहां-कहां तक अनुवादक को भरमाने के लिए मजबूर कर देती है। अनुवादक की सारी योग्यता की कसौटी अर्थ की खोज में उसकी सफलता पर ही निर्भर होती है। कुछ विद्वान इस चरण को सीमेंटीक एसपेक्ट अर्थात् "अनुवाद का अर्थ-वैज्ञानिक पक्ष" कहते हैं।

अनुवाद के तीसरे चरण का संबंध लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति से होता है। इस चरण की प्रमुख अपेक्षा यह होती है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की वाक्य संरचनाओं में जो अंतर विद्यमान है उसे निरंतर ध्यान में रखा जाए। ऐसा न होने पर अनुवादक स्रोत भाषा की संरचना को हू-बहू लक्ष्य भाषा में उतार देता है। इससे अनुवाद की भाषा कृत्रिम और मनगढ़ी-सी हो जाती है। इसी पक्ष को लेकर अनूदित सामग्री के विषय में प्रायः आलोचनाएं सुनने सुनाने में आती हैं। भाषा विज्ञान में अनुवाद के इस चरण को सिंटेक्टीकल एसपेक्ट अथवा "वाक्य -संरचनापरक पक्ष" कहा जाता है।

हर भाषा की वाक्य रचना की अपनी मूलभूत प्रवृत्तियां होती हैं और अनुवाद के दौरान इन दोनों प्रवृत्तियों में किसी प्रकार का टकराव न आने दिया जाए, यह अच्छे अनुवाद की सबसे पहली आवश्यकता समझी जाती है। इसके लिए अनुवादक से ये अपेक्षा किया जाना स्वाभाविक है कि वह अपने उत्तरदायित्व से पूर्ण परिचित हो और अनुवाद प्रक्रिया के दौरान उस पर निष्ठापूर्वक अमल करे।

अनुवादक : गुणधर्म एवं अपेक्षाएं

अनुवादक मूल लेखक से भिन्न होता है। उसके पास मूल लेखक जैसी स्वतंत्रता नहीं होती। अनुवादक का काम मूलतः मूल लेखक का अनुकरण है। अनुवादक में आत्मप्रदर्शन का होना दुर्गुण माना जाता है। जॉनसन के अनुसार "अनुवादक ठीक मूल लेखक के अनुरूप होता है। उसका काम अपने आपको लेखक की तुलना में अधिक योग्य दर्शाना कदापि नहीं है"। जितना अधिक वह मूल कृति तथा मूल लेखक के साथ तादात्म्य स्थापित करने में सफल हो सकेगा, उतना ही अच्छा अनुवाद वह कर सकेगा। अनुवादक के गुणों पर विचार करते समय हिन्दी के एक वरिष्ट पत्रकार ने एक बार कहा था कि "अच्छा अनुवादक अच्छा तबलावादक जैसा होता है" बात बहुत सही कही गई है। अच्छा तबलावादक मूल संगीतकार को संगत देता है, उसकी सारी क्षमता और शक्ति मूल संगीतकार के स्वर में अपने यंत्र की ध्वनि को डुबो देना होता है। जब तबला-वादक अपनी कला को प्रदर्शित करने के लोभ का संवरण नहीं कर पाता तब वह अपने आपको हास्यास्पद बना लेता है। भारत के विख्यात तबलावादक अल्ला राखा ने एक बार कहा था "तबला-वादक का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता, वह तो संगीतकार का मात्र साथ देता है"। एक अन्य लेखक ने इस संदर्भ में अपने विचार इन शब्दों में प्रकट किए हैं—"अनुवादक का धर्म ठीक वैसा ही होता है जैसा पतिव्रता पत्नी का"। पतिव्रता पत्नी अपने सारे जीवन को, उसकी सारी गति को अपने पति के जीवन और गति में समा देती है। वह सब कुछ समर्पित कर देती है अपने पतिदेव के चरणों में। उसकी हर इच्छा, आकांक्षा पति के इशारे पर नाचती है। कहने की आवश्यकता नहीं, यहां मूल लेखक को पति और अनुवादक को पतिव्रता पत्नी की संज्ञा दी गई है।

उमाशंकर भाई जोशी देश के जाने माने चिंतक, विचारक और चोटी के लेखक रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित यह साहित्य-मनीषी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, गुजरात विश्व-विद्यालय के कुलपति एवं विश्वभारती शांति निकेतन के कुलपति रह चुके हैं। भारत का सारा साहित्य जगत उनके परिचित है। कुछ समय पूर्व उन्होंने राजभाषा विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के एक सत्र के समापन समारोह में "अनुवादक के विविध आयाम" विषय पर बोलते हुए कहा था "अच्छा अनुवादक पूर्ण अहिंसक होता है"। सुनते समय एक बारगी तो ऐसा लगा कि बात को संदर्भ से कहीं बहुत दूर ले जाया जा रहा है, परन्तु जब उमाशंकर भाई जोशी ने स्वयं विषय को आगे बढ़ाते हुए अपने पूर्वकथन की व्याख्या की तो रहस्य की बात पल्ले पड़ सकी। वैचारिक स्तर पर अहिंसा के अनेक आयाम और स्तर हो सकते हैं। गाँधी जी की अहिंसा मात्र हिंसा का अभाव नहीं है। वह मानव के अस्तित्व के हर धरातल पर उठने वाली हर विचार-तरंगिका से जुड़ा हुआ एक भाव है। एक घटना द्वारा बात को स्पष्ट करना चाहूंगा।

बात उस समय की है जब चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य पश्चिम बंगाल के पहले गवर्नर थे। गाँधी जी उनसे मिलने राजभवन गए हुए थे। वहां एक अल्हड़-सी युवती बैठी-बैठी मटर छील रही थी। जब वह उठकर चलने लगी तो अनजाने में कुछ मटर के दाने उसके पांव-तले कुचल गए। गांधी जी ने जब यह देखा तो राजा जी की तरफ मुखातिब हुए और बोले—देखा आपने ! ये लड़की कितनी जबरदस्त हिंसक है। राजा जी ने हँसते हुए कहा—बापू ! क्या आपकी निगाह में दो-चार मटर के दानों का कुचला जाना सचमुच हिंसा है। गांधी जी गंभीर हो गए और चेहरे पर दुःख के भाव समेटते हुए धीरे से बोले;—"आखिर मटर के दानों का भी तो अस्तित्व है। बिना किसी प्रयोजन के किसी के अस्तित्व को मटियामेट कर देना हिंसा नहीं तो और क्या है ?" घटना बहुत मामूली-सी है, मगर अहिंसा के आराधक एवं उद्घोषक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मन-मस्तिष्क में हिंसा-अहिंसा की कितनी सूक्ष्म और बारीक लहरें विचरती रहती थीं, इसका आभास इससे जरूर मिल जाता है। हां, बात तो मैं उमा शंकरभाई जोशी की कर रहा था। आखिर अनुवाद में अहिंसा कहां से आ गई। शायद एक साधारण आदमी अनुवाद के गुणों पर चर्चा करते हुए यह बात यों कह डालता —"अनुवाद में मूल कृति का कोई अंग भंग न होने पाए और ना ही उसका कोई अंश छूटने पाए"। बात ठीक है इसमें दुलखने की कोई गुंजाइश कहीं नहीं हैं। मगर जब एक संवेदनशील साहित्यकार, जो भाषा को जीवंत तंत्र मानता है, वह भाषा को ओढ़ता नहीं, जीता है और वह इसी बात को कहना चाहता है तो यह स्वाभाविक है कि यह बात उन्हीं शब्दों में कही गाए जिनमें उमाशंकर भाई

ने कही थी। भाषा के साथ अनाचार वैसा ही है जैसा किसी जीव के साथ अत्याचार। और यदि भाषा जीवंत है, प्राणवान है तो उसके साथ किया जाने वाला अनाचार, हिंसा नहीं तो और क्या है? बात को फिर मैं यहां समेटना चाहूंगा। अनुवादक मूल लेखक का चाहे संगतकार हो, चाहे उसकी पतिव्रता पत्नी, चाहे अहिंसक-तत्व की बात एक ही है और वह यह है कि अनुवादक का सारा प्रयास मूल कृति की सीमा और मूल लेखक की गति से बंधा होना चाहिए। शासन, ज्ञान-विज्ञान, विधि आदि जैसे विषयों में तो अनुवादक की सीमाएं और भी अधिक जटिल एवं संकीर्ण होती हैं, चाहे साहित्य और कला के अनुवाद में थोड़ी-बहुत छूट क्षम्य मान भी ली जाए। इसीलिए एक अनुवादक के उत्तरदायित्व पर विचार करते समय यदि यह कहा जाए कि उसे अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहने के लिए अपने अस्तित्व को भूल जाना होगा, तो शायद बहुत गलत न हो। □

—निदेशक
केन्द्रीय हिन्दी अनुवाद ब्यूरो, सी० जी० ओ० कम्पलैक्स
नई दिल्ली

[पृष्ठ 11 का शेष]

पिछले सौ वर्षों में अंग्रेजी के शब्द भंडार में हुई वृद्धि में लगभग 90—95% अंश तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दों का ही रहा है। प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी के 10—15 हजार शब्द प्रचलन से बाहर हो जाते हैं और 20—25 हजार नए शब्द जुड़ जाते हैं। यह जोड़ घटाव भी मुख्यत: पारिभाषिक शब्दों का होता है।

अत: हमें अपना पिछला कार्य अर्थात् कम से कम 15 लाख हिन्दी शब्दों का निर्माण तो करना है ही, साथ ही अंग्रेजी के नवागत शब्दों के हिन्दी समानक भी साथ-साथ तैयार करते जाना है अन्यथा हम इस क्षेत्र में फिर और अधिक पिछड़ते जाएंगे।

पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में एक अत्यंत प्राथमिक बात भी नहीं भूली जाती चाहिए कि पारिभाषिक शब्दावली के रचाव, कसाव एवं परिष्कार के लिए निर्मित शब्दावली का प्रयोग विद्यार्थियों, अध्येताओं, शोधार्थियों, अध्यापकों एवं विशेषज्ञों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रक्रिया में निर्मित शब्द कसौटी पर कसे जाएंगे और प्रयोक्ताओं के बीच से ही नए-नए प्रयोग सुलभ शब्द भी आएंगे।

हिन्दी और बंगला - एक भ्रम निवारण

-- डॉ० सत्येन्द्र नाथ बोस

भारतवर्ष की पूर्वांचलीय भाषाओं में से बंगला भाषा (बोलचाल की नहीं, साहित्यिक) शुद्ध खड़ी हिन्दी बोली के जितना करीब है, ओडिया, असमी मणिपुरी आदि भाषाएं शायद उतना नहीं। बंगला भाषा में मूल स्रोत संस्कृत से आए तत्सम, तद्भव एवम् अपभ्रंश शब्दों की भरमार है। व्याकरणगत दृष्टिकोण से बंगला भाषा के समस्त शब्दों में कोई परिवर्तन न लाकर बंगला भाषा केवल हिंदी की "का, के, की, को, के लिए ने, से, में" इन आठ विभक्तियों के यथा आवश्यक प्रयोग के साथ यदि हिन्दी क्रियाएं लगा दी जाएं तो कोई यह नहीं कह सकेगा कि यह हिन्दी से अलग कोई भाषा है।

ऊपर मैंने मात्र आठ विभक्तियों का उल्लेख किया है। शेष सभी विभक्तियां एवं उपसर्ग बंगला के समान हैं। हाँ, इतना कहना उचित होगा कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके पद हिन्दी और बंगला में अलग-अलग हैं। उदाहरणार्थ हिन्दी में यदि कोई शब्द संज्ञा हो तो बंगला में वही शब्द विशेषण के रूप में व्यवहार में आता है जैसे "चमत्कार" शब्द को ही लीजिए। हिन्दी में यह संज्ञा है, "रेडिओ, टेलीविजन, कम्प्यूटर, आदि चीजें विज्ञान के चमत्कार है।" बंगला "में देखिए —"रंगीन टी० वी० से आमरा चमत्कार दृश्य देखते पाइ।" यहां "चमत्कार" शब्द, संज्ञा "दृश्य" का विशेषण है। इसके विपरित "झक्की" शब्द हिन्दी में विशेषण है लेकिन बंगला में संज्ञा। जैसे "झक्की मनुष्य को संभालना कठिन कार्य है।" बंगला में—"वाच्चार झक्की सामलाते केवल माँ ई पारेन।"

लेकिन एसे शब्द कम हैं जितने कि अन्यान्य असंख्य तत्सम, तद्भव शब्द ह-ब-ह एक से हैं। किन्हीं हिन्दी शब्द कोश में इस प्रकार के शब्द ही अधिक मिलेंगे। हिन्दी के एसे कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं जो कि रोजमर्रे की बातचीत में या बंगला साहित्य में प्रायः व्यवहार में आते हैं —

अवाक, अवगत, अटल, अतिरिक्त, अभ्यास, अत्यन्त, आपत्ति, आभास, आद्योपान्त, आतंक, उदास, उत्पाद, उपद्रव, उपेक्षा, उदयः उपस्थित, उचित, उग्र, एकता, ऐश्वर्य, कल्पना, कर्कश, खेत, खाली. गम्भीर, गोपनीय, घोषणा, घटना, चेष्टा, चेतना, चतुर, चिन्ह, छलना, छाप, अघन्य, जटिल, जनप्रिय, जिज्ञासा, जीवित, ज्ञानी ज्वर, झंकार, (टालना), टिकना, ताकना, आदि क्रियाओं से बने धातु रूप) तथ्य, तुच्छ, तसर, तात्पर्य, दुष्ट, दण्ड, दम्भ, धृष्टता, नियम, नितान्त, नेत्र निश्छल, नीति, नरम, निर्मेष, प्रसंग, प्रवेश, प्रतीक्षा, प्रश्न, परिणाम, प्रेरणा, प्रसन्न, पर्याप्त, भूमिका, भूल, भयावह, भ्रष्ट, भूरि-भूरि प्रशंसा, शिक्षा, भूतपूर्व, मंच, मत, मोड़, ममता, प्रथायथ, यश, योग्य, यातना, राय, रक्त, रक्षा, रहस्य, लेशमात्र, लक्ष्य, लेखा-जोखा, लीन, लागू, लांछन, लड़ाई, लोप, वन, वर्षा, वानर, विचित्र, व्यस्त, व्यंग, विश्वास, व्यवस्था विरोध, विपरीत, विनय, विभिन्न, विविध, व्यय, विलम्ब, व्यवहार, व्याकुल, वुद्धि, शीतल, शांत, शासक, शिष्ट शरीर, शुभ, श्रद्धा, षडयंत्र, स्पर्श, साँप संकेत, समाप्त, सिहारण, सामर्थ्य, स्वास्थ्य, समस्या, हाथ, हानि, हँसी आदि आदि प्रायः समस्त तत्सम शब्द हिन्दी एवं बंगला में व्यवहार होते हैं।

उपर्युक्त सभी शब्द रवीन्द्र युग के पूर्व बंगला साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृतियों में पाये जाते हैं। रवि बाबू की कृतियों में बोलचाल के शब्द अधिक है।

जैसा कि पहले बताया गया है कि पद की पृथकता बंगला में अल्प मात्रा में आ गई है, हिज्जो वर्तनी में भी इन दो भाषाओं में थोड़ा सा अन्तर परिलक्षित होता है।

यह अन्तर बंगला भाषा में अपनाये गये विदेशी शब्दों में अधिक है, जिस पर आगे चर्चा की जा रही है। ऊपर रेखांकित कुछ शब्दों की वर्तनी पर ध्यान दीजिए, एश्वर्य का हिज्जा बंगला में ऐश्वर्य, खाली बंगला में खालि, खड़ा बंगला में खाड़ा, लांछन बंगला में लांछना अर्थात् कई-एक शब्दों में अनावश्यक "आ" की ध्वनि आ गई है। और भी देखिए, व्यंग शब्द बंगला में व्यंग, साँप से साप, सिहरण-शिहरण, सामर्थ्य- सामर्थ, हाथ-हात, लात-लाथि, हँसी-हाँसि आदि आदि। लेकिन ऐसा अन्तर नगण्य है।

तीसरी भिन्नता (और यह भी बहुतही कम है) कुछ बंगला शब्दों के कलेवर में आ गई है। बंगला शब्द "उपयोगिता" हिन्दी में उपयोग, विश्वास घातकता—हिन्दी में विश्वासघात न लिखने या बोलने से शुद्ध हिन्दी नहीं होगी। खैर, विरले हैं ऐसे भी शब्द।

अब हम आ रह हैं कुछ विदेशी शब्दों पर चर्चा करने। ऊपर हिन्दी से मिलते-जुलते तत्सम और तदभव शब्दों में से चने गए मात्र एक सौ तीस शब्द दिए गए हैं। एसे सभी शब्द देने से तो शब्द कोश बन आएगा। लेकिन बंगला भाषा में अपनाए गये जो तीन सौ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है वह अपने आप में सीमित है। अर्थात् इनके अतिरिक्त और कोई भी शब्द, बंगाली रोजमर्रा की बातचीत में व्यवहार्य नहीं करते जैसे कि कोई भी बंगाली ऐसा नहीं करेगा—"आपनि तो शरीफ आदमी आछेन, अपनार शरीफान देखे बड़ो खुश होलाम।" इस वाक्य में रेखांकित कोई भी विदेशी शब्द बंगला भाषा में नहीं है। लेकिन नीचे के कुल तीन सौ शब्द या तो ज्यों के त्यों, या विकृत या अपभ्रंश के रूप में बंगाली रोज ही इस्तेमाल करते हैं।

वस्तुतः मुसलमानी शासनकाल के दौरान एवं बाद में भी अभी तक पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा की जल-धारा की तरह अनेक विदेशी शब्द बंगला भाषा में प्रविष्ट होते चले गए हैं और इनका व्यवहार करते-करते बंगाली रुचि के साथ आदि हो गए हैं। दर-असल हर बंगाली इन विदेशी शब्दों पर, खासकर उर्दू शब्दों पर लट्टू है। दूसरी ओर हिन्दी (खड़ी बोली) में भी इन्हें बड़े आदर का स्थान मिला है। फलस्वरूप बंगालियों के लिए तो पौ-बारह। अतएव सही उच्चारण एवम् हिज्जे के साथ सभी बंगाली यही हिन्दी बोली में इन शब्दों का प्रयोग करें तो भाषा-सौन्दर्य में चार चाँद लग जाए। इन तीन सौ शब्दों के बंगला में अशुद्ध और शुद्ध रूप नीचे दिए जा रहे हैं। कुछ शब्द अपरिवर्तित रह गए हैं— (कोष्ठक में लिंग का उल्लेख है।)

बंगला अशुद्ध	शुद्ध
आमीर	अमीर (पु०)
आक्केल	अकल (स्त्री०)
आदाब	अदब (पु०)
आफशोष	अफसोस (पु०)
आहाम्मक	अहमक (पु०)
आदालत	अदालत (स्त्री)
आन्दाज	अन्दाज (पु०)
आकसार	अकसर (पु०)
आलमारी	अलमारी (पु०)
आस्तिन	आस्तीन (स्त्री०)
एक्तियार	अख्तियार (पु०)
आवाज	आवाज (स्त्री०)
आदत	वही (स्त्री०)
आजाद	वही (पु०)
आसमान	वही (पु०)
आस्ते-आस्ते	अहिस्ता-अहिस्ता (स्त्री०)
आयना	आईना (पु०)
आशे-पाशे	आस-पास (पु०)
एलाका	इलाका (पु०)
इज्जत	इज्जत (स्त्री०)
इमारत	वही (स्त्री०)
इशारा	वही (पु०)
एकट्ठा	इकट्ठा (पु०)
एकलौता	इकलौता (पु०)
इमान	ईमान (पु०)
ओस्ताद	उस्ताद (पु०)
उस्कानि	उकसान
ओरफे	ऊर्फ
आयासी	ऐयासी ((स्त्री०)
औरत	वही (स्त्री०)
कामरा	कमरा (पु०)
कसुर	वही (पु०)

बंगला अशुद्ध	शुद्ध
केच्छा	किस्सा (पु०)
कोमर	कमर (स्त्री)
कुर्निस	कोर्निश
कौशिश	कोशिश (स्त्री०)
कैप्टेन	कप्तान (पु०)
किमती	कीमती
कोतल	कत्ल (पु०)
किस्मत	वही (स्त्री०)
किसिम	किस्म (स्त्री०)
काफी	वही
कवोर	कब्र (स्त्री०)
केल्ला	किला (पु०)
कदर	कद्र (स्त्री०)
कर्ज	कर्ज (स्त्री०)
काबु	काबू (पु०)
काविल	काबिल (स्त्री०)
कम, कमी	वही
कफिन	कफन (पु०)
कसम	वही (स्त्री०)
कामाल	कमाल (पु०)
कांगाल	कंगाल
किस्ति	किश्त (स्त्री०)
काछारि	कचहरी (स्त्री०)
कयेद	कैद (स्त्री०)
खामोखा	खामोख्वाह
खत	वही (पु०)
खबर	वही (स्त्री०)
खतम	वही
खामखेयाली	खाम खयाली
खाराप	खराब
खालि	खाली
खालासी	खलासी (पु०)
खिलाफ	(शद्ध) (पु०)
खामोश	वही
खतरनाक	वही
खानपान	वही (पु०)
खास	वही
खुशबु	खुशबू (स्त्री०)
खोसामोद	खुशामद (पु०)
खुब	खूब
खप्पर	वही (पु०)
खुन	खून (पु०)
खुशी	वही (स्त्री०)

बंगलाअशुद्ध	शुद्ध
खप्पा	खफा
खोलसा	खुलासा (पु०)
खिजमत	खिदमत (स्त्री०)
काशि	खाँसि (पु०)
खोराक	खुराक (पु०)
खयरात	खैरात
खलिफा	खलिफा (पु०)
गायेप	गायब
ग्रफ्तार	गिरफ्तार
गैर सरकारी	(शुद्ध)
गैर हाजिर	वही
गरीब	वही
गोलाप	गुलाब (पु०)
गाफिलति	गफ़लत (पु०)
गैरो	गिरह (स्त्री)
गोमस्ता	गुमश्ता (पु०)
गोदाम	गोदाम (पु०)
गल्प-शल्प	गप्-शप् (स्त्री'
चीज	(शुद्ध) (स्त्री०)
चौस्त	चुस्त
चापड़ासी	चपरासी (पु०)
चावि	चाभी (स्त्री०)
जायगा	जगह (स्त्री०)
यादुकर	जादूगर (पु०)
जरुरि	जरुरी (पु०)
जुलुम	जुल्म (स्त्री०)
जहर	(शुद्ध) (पु०)
जबाब	जवाब (पु०)
जायगिरदार	जागीरदार (पु०)
जायदा	ज्यादा (पु)
जबरदस्ति	जबरदस्ती (स्त्री०)
जहान्नम	जहन्नुम (पु०)
जैनाना	जनाना
जाहाज	जहाज (पु०)
जानोवार	जानवर (पु०)
जित	जीत (स्त्री०)
जलुम	जुल्म (पु०)
जरिमाना	जुर्माना (पु०)
जोहुरि	जौहरी (पु०)
झामेला	झमेला
टकशाल	टकसाल (स्त्री०)
टाट्का	टट्का (पु०)
ठिक	ठीक

बंगला अशुद्ध	शुद्ध
ढड़ा	ढिढोरा (पू०)
तामाशा	तमाशा (पु०)
ताजा	(शुद्ध)
तलाश	वही (स्त्री०)
तावा	तवा
तामिल	तामील (स्त्री०)
तारिफ	तारीफ (स्त्री०)
तारिख	तारीख (स्त्री०)
तमाम	शुद्ध
तैरी	तैयारी (स्त्री०)
ताज्जब	ताज्जूब (पु)०
ताकत	(शुद्ध) (स्त्री०)
तलाश	वही (स्त्री०)
तसवीर	तस्वीर (स्त्री०)
तख्ता	वही (पु०)
ताँबु	तम्बू (पु०)
तरक्कि	तरक्की (स्त्री०)
तागड़ा	तगड़ा (पु०)
तामाक	तमाखू (पु०)
तफात	तफावत
थाप्पड़	थप्पड़ (पु०)
दस्तखत	(शुद्ध) (पु०)
दफा	वही (स्त्री०)
दुश्मन	वही (पु०)
दवा	वही (स्त्री०)
दोहाइ	दुहाई (स्त्री०)
डजन	दर्जन
दरोजा	दरवाजा (पु०)
दाबीदार	दावेदार
देवान	दीवान (पु०)
दोकान	दुकान (पु०)
नजर	(शुद्ध) (स्त्री)०
नाराज	वही (पु०)
नेशा	नशा (पु०)
नमुना	नमूना (पु०)
नास्ता–नाबुद	नेस्त–नाबूद
नतिजा	नतीजा (पु०)
नागाड़ा	नगाड़ा (पु०)
नाबालिक	नाबालिग
लोकसान	नुकसान (पु०)
नालि	नली (स्त्री०)
नबाब	नवाब (पु०)
नामाज	नमाज (स्त्री०)

बंगला अशुद्ध	शुद्ध
नाएब	नायब (पु०)
नास्ता	नाश्ता (पु०)
नसिब	नसीब (पु०)
पेशा	(शुद्ध) (पु०)
पोषोक	पोशाक (स्त्री०)
पिस्तल	पिस्तौल (स्त्री०)
पड़शी	पड़ोसी (पु०)
पाड़ा	पड़ाव (पु०)
पैदा	(शुद्ध)
पाहारादार	पहरेदार (पु०)
पालोआन	पहलवान (पु०)
पांजा	पंजा (पु०)
पातला	पतला (पु०)
पालंक	पलंग (पु०)
पाहाड़	पहाड़ (पु०)
पकेट	पाकिट (पु०)
पासान	पासंग (पु०)
पाँयताडा	पैंतरा (पु०)
परख	(शुद्ध) (स्त्री०)
फुर्सत	(शुद्ध) (स्त्री०)
फयसाला	फैसला (पु०)
फैंसाद	फसाद (पु०)
फिकिर	फिक्र (स्त्री०)
फेरेबबाज	फरेब (पु०)
फरमाश	फरमाइश (स्त्री०)
फेरार	फरार
फाराक	फर्क (पु०)
फायदा	फायदा (पु०)
बहुत	(शुद्ध)
बाबत	वही (स्त्री०)
बेइमान	बईमान
बही, बइ	बही (स्त्री०)
बआदपी	बेअदबी (स्त्री०)
बज्जात	बद्जात
बयाकुब	बेवकूफ
बयान	(शुद्ध) (पु०)
बारुद	बारूद (स्त्री०)
बादशाह	(शुद्ध) (पु०)
बद्सुरत	बदसूरत
खुबसुरत	खुबसूरत
बरकंदाज	(शुद्ध)
बेकसुर	बेकसूर
बदमाश	(शुद्ध)

बंगला अशुद्ध	शुद्ध
बिलकुल	वही
बेकार	वही
बारान्दा	बरामदा (पु०)
बासिन्दा	(शुद्ध) (पु०)
बाँटोयारा	बंटवारा (पु०)
बकेया	बकाया (पु०)
भूरिभूरि	(शुद्ध)
भरोसा	वही (पु०)
मोजुद	मौजुद
मोहल्ला	मुहल्ला (पु०)
मरशुम	मौसम (पु०)
मओका	मौका (पु०)
मुश्किल	(शुद्ध) (स्त्री०)
माफ, माफी	वही (स्त्री०)
मालिश	वही (स्त्री०)
मामला	वही (पु०)
मेजाज	मिजाज (पु०)
मरद	मर्द (पु०)
मेहनत, मिहनत	(शुद्ध) (स्त्री०)
मोकाबेला–मुकाबला	मुकाबला (पु०)
माहुत	महावत (पु०)
मामुली	मामूली
मोलाएम	मुलायम
मशगुल	मशगूल
मादुर	मांदिर (पु०)
मेरामत	मरम्मत (स्त्री०)
मशारि	मसहरी (स्त्री०)
माना	मना
मसकरा	मसखरी (स्त्री०)
मेयाद	मियाद (स्त्री०)
मलम	मरहम
मालिश	(शुद्ध) (स्त्री०)
मिहि	महीन
मोकद्दमा	मुकदमा (पु०)
रसिद	रसीद (स्त्री०)
रओना	रवाना
रद	रद्द
रद्दि	रद्दी (स्त्री०)
*रकम	(अर्थगत भिन्नता)
रोआब	रोब (पु०)
रेओयाज	रिवाज (पु०)
रेहाई	रिहा
रोजगार	(शुद्ध) (पु०)

बंगला अशुद्ध	शुद्ध
लाबारिश	वही
लाश	वही (स्त्री०)
लाथि	लात (स्त्री०)
लेप	लिहाफ (पु०)
लागातार	लगातार
नोंगर	लंगर (पु०)
ऊर्दि	वर्दी (पु०)
बरदास्त	बर्दाश्त
बिलकुल	(शुद्ध)
बाबुर्चि	बावर्ची (पु०)
बोरखा	बुरका (पु)
सामिल	शामिल
सख	शौक (पु०)
सौखीन	शौकीन
शयतान	शैतान (पु०)
शरिक	शरीक
सनाक्त	शिनाख्त (स्त्री०)
सागरेद	शागिर्द (पु०)
शर्त	(शुद्ध) (स्त्री०)
शर्बत	शरबत (पु०)
शानाइ	शहनाई (स्त्री०)
सादि	शादी (स्त्री)
सफर	(शुद्ध) (पु०)
सुपुर्द	वही
सड़क	वही (स्त्री०)
शाबाश	वही
साफ	वही

बंगला अशुद्ध	शुद्ध
साजा	सजा (स्त्री०)
शला-परामर्श	सलाह परामर्श
सिडि	सीढी (स्त्री०)
सरासरि	सरासर
सेलाम	सलाम (पु०)
सबुर	सब्र (पु०)
श्वास	साँस (स्त्री०)
शाक	साग (पु०)
सावेक	साविक
हु-ब-हु	हू-ब-हू
हामेशा	हमेशा
हालत	(शुद्ध) (स्त्री०)
हाराम	हराम
हेफाजत	हिफाजत (स्त्री०)
हिम्मत	(शुद्ध) (स्त्री०)
हांगामा	हंगामा (पु०)
हामला	हमला (पु०)
हुकुम	हुक्म (पु०)
हजम	(शुद्ध)
हेस्तत-नेस्त	हेस-नेस
हुँशियार	होशियार
हक	(शुद्ध) (पु०)
हयरान	हैरान
हरदम	(शुद्ध)
हाजिर	वही
हाजामत	हजामत (स्त्री०)
हाल्का	हल्का
हुँश	होइश (पु०)

हिन्दी के कार्य-साधक ज्ञान का स्तर बढ़ाने के संबंध में सुझाव

—डॉ० धर्मवीर

संविधान के अनुसार हिन्दी संघ राज्य की राजभाषा है, किन्तु अभी पूरे देश में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था न होने के कारण संघ सरकार की भाषा नीति लचीली है। अभी संघ सरकार के लिए जो अधिकारी/कर्मचारी परीक्षाएं देकर नौकरी में आते हैं उन भर्ती किए गए सभी तरह के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए दो तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं।

पहली व्यवस्था के अधीन सभी मंत्रालय/विभाग आदि अपने कर्मचारियों को अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। दूसरी व्यवस्था हिन्दी भाषा के प्रशिक्षण की है। हालांकि, हिन्दी शिक्षण योजना की पुस्तक कार्यालयीन हिन्दी को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, फिर भी जो प्रशासनिक एवं कार्यालयीन प्रशिक्षण अन्य प्रशासनिक संस्थानों और अकादमियों द्वारा प्रदान किया जाता है, वह हिन्दी के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है।

भाषा की शिक्षा प्राप्त कर लेने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी काम जिसे उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से सीखा है, भविष्य में अपने आप हिन्दी माध्यम से करने लगेंगे। लेकिन, इस प्रणाली में विसंगतियां हैं। होना यह चाहिए कि नौकरी में आते ही उन्हें हिन्दी भाषा के ज्ञान के साथ-साथ सभी तरह का प्रशिक्षण जो उनके काम के लिए जरूरी हो, हिन्दी माध्यम से दें।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि हिन्दी सिखाने की अभी जो व्यवस्था है, वह केवल भाषा सिखाने की है जो जाहिर है—प्रधान मंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप इस तरह से प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मचारी अपना सरकारी कामकाज पूरी कुशलता के साथ निपटाने में समर्थ नहीं है। अतः सुझाव है कि नौकरी में आने के पश्चात् आजकल जितने तरह के सरकारी प्रशिक्षण दिए जा रह है, उनमें भाग लेने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिन्दी भाषा के प्रशिक्षण के दौरान ही सरकारी कामकाज का सभी तरह का प्रशिक्षण भी हिन्दी के माध्यम से ही दिया जाए। हिन्दी जानने वाले हिन्दी भाषियों को भी यह प्रशिक्षण सामान्यतः अंग्रेजी माध्यम से दिया जाता है।

चूंकि सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में इस तरह से प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है, अतः यह जरूरी है कि ऐसा एक आदर्श संस्थान खोला जाए, जहाँ अधिकारियों/कर्मचारियों के ठहरने आदि की हर तरह की व्यवस्था रहे और तरह-तरह के पाठ्यक्रम समेकित रूप से चलाए जाएं। इससे आपसी तालमेल की सुविधा के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों को हर तरह के काम से थोड़ा-बहुत वाकिफ होने और अपने सरकारी कामकाज को निपटाने के ज्ञान को और उन्नत बनाने का अवसर मिल सकता है।

दिल्ली में नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी का ज्ञान कराने के लिए 21 अगस्त, 1985 से केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है और सोचा यह गया है कि हिन्दी शिक्षण योजना को इसमें समाहित करते हुए देश में इसकी 15 और उप शाखाएं खोली जाएं। किन्तु यदि इसी संस्थान को एक वृहत आकार देकर इसका अपना एक भवन बनवाकर विकसित किया जाए, जिसमें प्रशिक्षण की हर तरह की सामग्री उपलब्ध हो, जिसका अपना एक ग्रंथागर हो, जिसमें हर विषय के प्रतिष्ठित प्रवक्ताओं को और प्रतिभागियों को ठहरने आदि की सुविधा हो तो हिन्दी माध्यम से प्रशासनिक कामकाज का जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, वह अवश्य ही आज के देश की आवश्यकता के अनुरूप होगा।

यहाँ यह कह देना भी जरूरी प्रतीत होता है कि राजभाषा विभाग द्वारा बार-बार पूछे जाने पर भी भारत सरकार के अन्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान अपने यहां हिन्दी का प्रशिक्षण दे पाने में अपने को समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। यहां तक कि सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान भी अपने यहां हिन्दी भाषा के वर्तमान पाठ्यक्रमों को लागू करने में अपने को असमर्थ पाता हुआ दिखाई पड़ा है, जबकि उसके यहां दिया जाने वाला सारा प्रशिक्षण कार्य हिन्दी माध्यम से ही होना चाहिए।

फिलहाल, हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा दी जा रही शिक्षा में जो निरन्तरता नहीं हो पा रही है, उसे दूर करने के लिए केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान 65 दिनों के गहन भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रयास कर रहा है, ताकि एक साथ उन्हें हिन्दी भाषा का ज्ञान करा कर दफ्तरों में भेजा जाए, जिससे हिन्दी शिक्षण योजना के एकान्तर दिवसों पर एक अथवा 2 घण्टे में सीखे गए ज्ञान के स्थान पर एकमुश्त में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके। संस्थान हिन्दी भाषा के पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को 25, 20, 15 और 5 दिनों में बांटकर प्रयोग कर रहा है और इसमें उसे सफलता मिल रही है। हालांकि, 65 दिन के अभी कोई पाठ्यक्रम नहीं चलाए गए हैं। अनुभवों का लाभ उठा कर भविष्य में ऐसे पाठ्यक्रमों को चलाए जाने की योजना है।

हिन्दी भाषा के प्रशिक्षण में एक कठिनाई यह है कि मंत्रालय/विभाग अपने-अपने यहाँ हिन्दी सीखने वाले कर्मचारियों का रोस्टर नहीं रखते हैं और न कोई ऐसी योजना बनाते हैं, जिससे एक

कालावधि में अपने रोस्टर को अद्यतन रखे तथा उसकी एक प्रति राजभाषा विभाग को भेजते रहे, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियोजित करने में सुविधा हो अन्यथा होता यह है कि कक्षाओं में कभी कम और कभी ज्यादा कर्मचारी होते हैं, जिससे कक्षाएं प्रभावहीन हो जाती है और प्राध्यापक की सेवा का समुचित लाभ उठाने में दिक्कत पैदा होती है। यही नहीं, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कुछ दफ्तर खाना पूर्ति के लिए अपने यहां से कुछ कर्मचारी हिन्दी कक्षाओं के लिए अन्यमनस्क रूप में भेज देते हैं और जब चाहते हैं, बीच में बुला लेते हैं, जिससे हिन्दी शिक्षण का कार्यक्रम विफल हो जाता है।

राजभाषा विभाग रोस्टर का कम्प्यूटीकरण करके सभी मंत्रालयों/विभागों को एक सुनियोजित योजना प्रस्तुत करे, जिसक अनुसार यह जरूरी हो जाए कि लोग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु अवश्य भेजें। इस समय जो हिन्दी शिक्षण योजना का कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए 76 पूर्णकालिक और 79 अंशकालिक केन्द्र है, उसका नियंत्रण और निरीक्षण वर्तमान प्रशासनीक ढाँचे के अनुसार संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर हिन्दी शिक्षण योजना के अपने अधिकारी नहीं है, उस नगर का किसी दफ्तर का कोई प्रशासनिक अधिकारी 100–50 रुपए मान देय पर हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था करता है। यदि शिक्षण योजना के अधिकारी हर बड़े नगर में मौजूद हों, और उनका एक निश्चित क्षेत्र हो तो वे वहां जाकर इस काम को गति प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा 5 क्षेत्रों के वर्तमान 5 अधिकारियों के द्वारा यह संभव नहीं है कि एक वर्ष में एक-दो बार भी दूर दराज फैले केन्दों पर व्यक्तिगत रूप से जाकर काम का जायजा लिया जा सके। विशेषकर, अंश-कालिक केन्द्रों में हिन्दी प्रशिक्षण की स्थिति बहुत ही शोचनीय होती है। स्वय उस केन्द्र का निर्धारण इस बात को लेकर किया जाता है कि वहां परीक्षार्थियों की संख्या इतनी नहीं होगी कि स्थायी रुप से एक प्राध्यापक नियुक्त किया जाए। ऐसे केन्द्रों के लिए किसी एक स्थान पर कर्मचारियों को बुलाकर प्रशिक्षित किए जाने की दिशा में विचार किया जा सकता है। इन पर आने वाला खर्च उस व्यर्थ के प्रशिक्षण पर आने वाला व्यय से अन्त में जाकर कही बहुत कम पड़ेगा, जिसके द्वारा प्रशिक्षण लेने के बाद भी वे इस स्थिति में नहीं होते कि हिन्दी में अपना थोड़ा बहुत काम कर सकें। प्रस्तावित संस्थान ऐसे केन्द्रों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करा सकता है।

अभी तक हिन्दी प्रशिक्षण को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। यह अच्छा नहीं लगता है कि लोगों के प्रति हिंन्दी न सीखने के लिए कठोर कदम उठाया जाए। इसलिए और कोई कारगर उपाय सुझाना होगा, जैसा कि ऊपर एक स्थान पर बुलाकर प्रशिक्षित करने की बात कही गई है।

जिस प्रकार से हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वह दूसरे विभागों की मनमर्जी पर रहता है। प्राध्यापकों का प्रशिक्षणार्थीयों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रशिक्षण केन्द्र तक के स्थान के लिए वे दूसरे पर निर्भर होते हैं। वास्तव में, हिन्दी प्राध्यापक शहर में केवल हिन्दी साक्षरता के लिए कक्षाएं चलाने वाला व्यक्ति रह गया है।

हिन्दी भाषा का ज्ञान तथा सचिवालयीन कार्य का ज्ञान एक साथ एक ही संस्थान के माध्यम से दिया जाना चाहिए। वास्तव में इन दोनों में बहुत ही तालमेल की आवश्यकता है। सचिवालयीन कार्य का ज्ञान अंग्रेजी माध्यम से देकर, हम लोगों को कितनी भी हिन्दी पढ़ाए वह एक अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण पत्र बनकर रह जाती है।

—निदेशक
केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण
संस्थान सातवां सत्र,
ब्लाक 'बी' 3 पेज-2,
सी० जी० ओ० कमलैवस लोधी
रोड, नई दिल्ली

राजभाषा-सरलीकरण की समस्या

—डा० सुरेन्द्र गुप्त

किसी भी राज्य की प्रशासनिक भाषा को राजभाषा कहा गया है। अर्थात् एक ऐसी भाषा जिसमें सरकारी कामकाज सम्पन्न किया जाए तथा जनता से पत्र व्यवहार भी उसी भाषा में किया जाए। भारत में स्वतन्त्रता पूर्व प्रशासन की भाषा बदलती रही है। प्राचीन-काल में संस्कृत, प्राकृत, पालि राजकाज की भाषाएं रहीं। भारतवर्ष में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने के फलस्वरूप राजकाज की भाषा फारसी-अरबी रखी गई। फिर अंग्रेजों का राज आया उन्होंने अपनी भाषा अर्थात् अंग्रजी को राजभाषा का दर्जा दिया। स्वतंत्रता पूर्व देश के बड़े-बड़े नेताओं ने जिनमें अहिन्दी भाषी राज्यों के नेता भी शामिल थे हिन्दी को राष्ट्रीय एकता का आधार मानते हुए उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। महात्मा गांधी जी ने हिन्दी में उन सभी गुणों को मौजूद पाया जो एक राष्ट्रभाषा में होने चाहिए। इसलिए हिन्दी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया।

हिन्दी को सरकारी कामकाज में कार्यान्वित करने के लिए आरंभ में प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि शब्दावली का निर्माण टाइपराइटरों की पर्याप्त व्यवस्था जैसी कुछ कठिनाइयां अवश्य पेश आई परन्तु 35 वर्ष पश्चात् इस प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं देती। अब एक ही बात को लेकर घसीटा-घसीटी चल रही है वह है कि हिन्दी वाले राजकाज की भाषा में कठिन से-कठिन हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं।

राजकाज की भाषा में सरलतम हिन्दी का प्रयोग किया जाए। सरकारी समारोह में अक्सर कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए जाते हैं जिनके आधार पर हिन्दी को कठिन-से-कठिन भाषा की संज्ञा दे दी जाती है। उनके अनुसार ऐसी संस्कृत निष्ठ हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे रेल–लोहपथगामीनी–धुम्र चालक शटकयान, स्कूटर (तीन पहियों वाला) तिपहिया–त्रिचक्र, टाई के लिए कंठ लंगोट, सिगनल–लोहपथगामिनी आवाजावा यह सूचिका आदि, बस अड्डा-बस विश्राम स्थल प्रतीक्षालय–यात्री विश्राम स्थल आदि। इस प्रकार की रट कुछ ही लोग लगा रहे हैं, वे या तो हिन्दी विरोधी हैं या राजनीति से प्रेरित हैं। ऐसे शब्दों का कहीं भी तो प्रयोग नहीं हो रहा है।

अतः राजभाषा के सरलीकरण का सवाल कई वर्षों से चला आ रहा है। राजकाज की भाषा के लिए कैसी हिन्दी लिखी जाए इस पर अक्सर एक ही बात की जाती है, आसान हिन्दी लिखें, अटपटी हिन्दी का प्रयोग न किया जाए। देखना यह है कि ऐसी बातें सहज राजनीति से प्रेरित है या इनका वाकई कोई महत्व है।

एक और सवाल कई बार मन में आता है कि क्या कभी यह बात भी किसी ने उठाई है कि सरल अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए। ऐसे लोग जो नए नए सर्विस में आते हैं, सीधे अंग्रेजी में कार्य करना आरम्भ कर देते हैं। और आरम्भ में कितनी ही अशुद्धियां करते हैं, नए शब्दों को लिखना सीखते हैं, ऐसा तो नहीं कि वह घर से ही सीख कर आए हों। यही बात हिन्दी के बारे में क्यों लागू नहीं होती। आरम्भ में यदि कोई भी कर्मचारी/अधिकारी गल्त लिखता है, तो उसे ठीक किया जा सकता है। हर विभाग में हिन्दी कक्ष खुले हैं, वे किसी भी शंका के समय सम्पर्क कर सकते हैं तथा शब्द का सही रूप पूछ सकते हैं।

कई बार एक और बात कई जगह सुनने को मिलती है, कि जो भाषा अनायास आपकी जुबान पर आ जाए उसका ही प्रयोग किया जाए। पर यह बात सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को देखते हुए कतई व्यावहारिक नहीं लगती हैं। एक ज्ञापन की कुछ पंक्तियां नीचे दी जा रही है।

The Seniority of the Official will be determined as per instructions contained in Para-3 of Appendix 18 of P & T Man., Vol. IV

एक और उदाहरण है :—

It is enjoined upon all the above mentioned official that they should reach in Copy Branch

पहले वाक्य में यदि आप सिनोयरटी, डिटरमनड इन्स्ट्रक्शन, अपेन्डिक्स कन्टेन्ड तथा दूसरे वाक्य में एनज्वाइनड आपान एसे शब्द है यदि आपकी जबान पर अंग्रेजी में थिरकते हैं, तो आपको इतनी कठिनाई उनमें हिन्दी रूपान्तर लिखने में नहीं होगी जितनी उन्हें ज्यों के त्यों हिन्दी में लिप्यान्तरित करने में होगी। यदि यह आधार मान भी लिया जाए कि जो भाषा जबान पर थिरक जाए उसे ही प्रयोग में लाया जाए तो ठीक नहीं लगता। हिन्दी वालों को छोड़कर अक्सर लोग अंग्रेजी हिन्दी मिश्रित रूप से बोलते हैं तथा उसी प्रकार सोचते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि उसी खिचड़ी को सरकारी कामकाज की भाषा में प्रयोग किया जाए। निश्चय ही कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, यदि ऐसा कोई चाहता है तो उससे बड़ा भाषा का अहित नहीं होगा। अस्तु यह बात न तो तथ्यपूर्ण ही है और न व्यावहारिक ही।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिना किसी विवाद के यह बात कही जा सकती है, हिन्दी के सरलीकरण की कोई समस्या नहीं है। हां जब हम सरलीकरण की समस्या पर विचार कर ही रहे हैं तो हमें उससे सम्बन्धित सवालों पर भी विचार करना बेहतर होगा।

हिन्दी अनुवाद तथा भाषा के सरलीकरण की समस्या

यह बात अनेक बार दोहराई जाती रही है कि हमें अनुवाद का दुरूह, बोझिल भाषा से बचना चाहिए। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार कुछ कागजात ऐसे हैं जो अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाने चाहिए। अतः उन निर्धारित कागजात का अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का रूपान्तर भी अनिवार्य रूप से भेजा जाना होता है। रूपांतर कठिन, नीरस दुष्कर, या अटपटा लगता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी अनुवादक की है। और यह बात की अनुवाद की भाषा 90% से अधिक मामला म बाझिल होती है कुछ तथ्य भी है। हिन्दी अनुवादक जब मूलपाठ का हुबहु रूपान्तर हिन्दी में प्रस्तुत करते हैं तो उसमें अटपटा पन आना स्वाभाविक है। अंग्रेजी के मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद ही उसे बोझिल बनाता है। अनुवादक की यही कोशिश रहे कि वह भावानुवाद ही प्रस्तुत करे।भावानुवाद करते समय उसको निगाह सतत इस बात पर बनी रहे कि मूल भाव छूटने न पाए। भावानुवाद हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुकूल होगा उसमें अटपटापन नहीं होगा।

अनुवाद करते समय व्यावहारिक रूप से कई बार एक कठिनाई अवश्य पेश आती है, जब अंग्रेजी के किसी शब्द का पर्याय नहीं मिलता। आप कर तो भावानुवाद ही रह हैं परन्तु कोई शब्द ऐसा ही जिसका परित्याग नहीं कर सकते, न ही उसका हिन्दी पर्याय ही उपलब्ध होता है, यदि उपलब्ध होता है तो वह बहुत अप्रचलित होता है। उस स्थिति में मजबूरन ऐसे शब्द का प्रयोग करना ही पड़ता है, उसका कुछ भी समाधान नहीं। उसका एक ही विकल्प है कि यदि उस शब्द के बिना मकसद पूरा हो जाता है तो उस शब्द को त्याग दिया जाए। यदि नहीं होता तो सही शब्द चुनकर ही प्रयोग में लाया जाए। शुरू में अवश्य अखरेगा, फिर प्रचलित हो जाने पर आपको ठीक लगने लगेगा। यह उसी प्रकार है जब आपके सामने कोई अंग्रजी का कठिन शब्द आए और आपको शब्द कोष देखना पड़े। परन्तु एक दो बार प्रयोग में आने के बाद आपको स्मरण हो जाता है।

अतः राजकाज में प्रशासन की भाषा का सरल और आसान रूप ही प्रयोग में लाया जाए। जहां सीधा पत्र-व्यवहार करना हो, नोटिंग करनी हो तो अनुवाद का सहारा न लिया जाए।

अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्द अपनाना।

जिस प्रकार यह दुहाई दी जाती है कि राजकाज की भाषा सरल होनी चाहिए उसी प्रकार इस सन्दर्भ में एक और बात बार-बार कही जा रही है कि इसे अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्द ले लेने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तो विरोध नहीं। शायद ही कोई होगा जो इस बात से सहमत नहीं होगा। अरबी, फारसी, लैटिन, अंग्रेजी या अन्य प्रान्तीय भाषाओं के प्रचलित शब्द जिन्हे हिन्दी ने अपने में आत्मसात कर लिया है उन्हे त्यागने का प्रश्न ही नहीं है। फिर यह बात बार-बार क्यों दोहराई जाती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बार-बार सरल हिन्दी के प्रयोग का मुद्दा उठाकर उसके कार्यान्वयन से टला जाता है। रेलवे, प्लेटफार्म, मासौदा, मंजूरी, मुल्क, अकादमी, तकनीकी, अंतरीम करारनामा सम्मन आदि कितने ही शब्द जो बराबर प्रयोग में आ रहे हैं।

संक्षेपतः हमें इस बात का अनुरोध करना चाहिए कि अब 35 वर्षों पश्चात भी भाषा के सरलीकरण का प्रश्न बार-बार उठा कर हिन्दी के कार्यान्वयन में रोड़े न अटकाए। भाषा कोई भी कठिन नहीं होती सवाल शब्दों के प्रचलित और अप्रचलित होने का होता है। दूसरी भाषाओं के शब्द जो प्रचलित हो चुके हैं उन्हे आत्मसात किया जा चुका है। वह बराबर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अनुवाद के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखे कि जहां तक हो सके मूलपाठ का भावानुवाद ही करे और जो भी हिन्दी रूपान्तर तैयार कर उसमें सरलता अवश्य रहे। जो भी अनुवाद किया जाए वह भाषा की प्रकृति के अनुकूल ही हो। परन्तु वह भाषा गूढ़ साहित्यिक भी नहीं होनी चाहिए। राजकाज की भाषा तथा साहित्यिक भाषा में अन्तर है।

जब यह कहा जाता है कि जो हिन्दी बोली जा रही है उसी का प्रयोग करें, तो इसका यह अर्थ न लिया जाए कि हिन्दी-अंग्रेजी का मिश्रण लिख दिया जाए। हिन्दी के प्रयोग में शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। क्यों न हम अपना स्तर उठाने की बात करें क्यों न बराबर इस बात की रट लगाएं कि हिन्दी को सरकारी कामकाज में प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए।

हिन्दी अनुवादक
कार्यालय डाक महाध्यक्ष
उप० परिमण्डल अम्बाला

संविधान की दृष्टि में मातृभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा

—प्रो० जी० सुंदर रेड्डी

संसार के सभी देशों में कई प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं। फिर भी हर एक देश की अपनी एक राजभाषा होती है। उस राजभाषा के माध्यम से ही उस देश की सरकार के कामकाज संपन्न होते हैं। जाति की सभ्यता व संस्कृति, रीति-रिवाज, तथा आत्माभिव्यक्ति उस देश की राजभाषा में अधिकतर प्रतिबिम्बित होती है। ब्रिटेन के लिए अंग्रेजी, फ्रांस के लिए फ्रेंच, जर्मनी के लिए जर्मन, चीन के लिए चानी, रूस के लिए रूसी भाषाएँ राजभाषाएँ हैं। यद्यपि चीन और रूस देशों में और भी कई अन्य भाषाएँ प्रचलित हैं, फिर भी अंतरप्रांतीय क्षेत्र में पत्र-व्यवहार उन देशों की राज भाषाओं में ही किया जाता है। अंग्रेजों के साम्राज्य-विस्तार के साथ साथ अंग्रेजी भी सभी देशों में फैल गई। संसार के ज्ञान-विज्ञान संबंधी विषयों के प्रचार व प्रसार के लिए भी यह एक माध्यम बनी।

पुराने जगाने में हमारा भारत अंग, वंग, कलिंग, काश्मीर, कांभोज, चोल, चेर आदि कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तब उत्तर भारत में क्रमशः संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाएँ बोली जाती थी और दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएँ। यद्यपि संस्कृत द्राविड़ भाषा परिवार की न थी फिर भी दक्षिण के कई विद्वानों, प्रवर्तकों तथा दार्शनिकों ने सिर्फ उसका अध्ययन ही नहीं किया अपितु उस भाषा के वाल्मीकि रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत् आदि कई महान ग्रंथों का गद्य एवं पद्यात्मक अनुवाद अपनी भाषाओं में किया। इतना ही नहीं कालिदास, भवभूति, भारवी श्रीहर्ष, दण्डी, माघ, मास आदि संस्कृत के महाकवियों के मनोहर काव्य एवं नाटकों के अनुवादों से भी विभिन्न भारतीय भाषाएँ समृद्ध हुई। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य आदि ने संस्कृत के द्वारा ही अपने सिद्धांतों का प्रचार समूचे भारत में किया। साहित्य के माध्यम के रूप में ही नहीं, व्यावहारिक क्षेत्र में भी इसका खूब प्रचलन था। संस्कृत उस समय की राजभाषा थी।

ग्यारहवीं शती के आरंभ में तुर्क एवं मुसलमानों ने हमारे देश पर हमला किया। उनके शासन के फलस्वरूप हमारी जनता एवं साहित्यों पर अरबी, फारसी भाषाओं का प्रभाव पड़ा। सरकारी कार्यालयों तथा न्यायालयों में फारसी भाषा का बोल बाला था। इसलिए अपनी जीविका के लिए भारतीयों को अरबी, फारसी भाषाओं का अध्ययन करना पड़ा। कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। इस परिवर्तन के अनुरूप भारतीय अपनी जीविका चलाने के लिए अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर हो गये। तीन सौ साल तक अंग्रेजी-शासन में जकड़े रहने के कारण भारतीयों पर अंग्रेजों का गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी का प्रचलन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीयों पर उस भाषा की कितनी छाप है।

गांधी जी का निःस्वार्थ नेतृत्व तथा भारतीय नेताओं की दीक्षा, लगन एवं कुर्बानी के कारण करीब हजार सालों की गुलामी से भारत सन् 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ। भारत के इतिहास में यह एक अविस्मरणीय घटना है। कई भाषाएँ, प्रांत, जातियाँ एवं धर्मों से युक्त तथा आबादी की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर स्थित भारत जैसा एक विशाल देश जनतंत्रीय-शासन में प्रविष्ट हुआ। भारत के न्यायशास्त्र निष्णातों ने गणतंत्रीय विधान पर देश का शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक संविधान की रचना की। यह संविधान सन् 1950 ई० जनवरी 26 को अमल में लाया गया। भारतीय संविधान के 8वें अधिकरण में 1, असमी 2. बंगाली, 3. गुजराती, 4. हिन्दी, 5. कन्नड़, 6. कश्मीरी, 7. मलयालम, 8. मराठी, 9. उड़िया, 10. पंजाबी, 11. संस्कृत, 12. तमिल, 13. तेलुगु, 14. उर्दू भाषाओं को मान्यता मिली। सन् 1976 ई० के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा भी स्वीकृत की गई। संविधान में उल्लिखित उपर्युक्त सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ हैं और अपना अपना समृद्ध साहित्य भी। संविधान के 343 अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि से युक्त हिन्दी भारत की राजभाषा घोषित की गई।

भारतीय संविधान के 351 अनुच्छेद के अनुसार खासकर संस्कृत भाषा से तथा संविधान के 8वें अधिकरण में स्वीकृत सभी भारतीय भाषाओं से आवश्यक शब्द भंडार का चयन कर हिन्दी को एक समृद्ध एवं समग्र राष्ट्र भाषा बनाने का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का है। यही नहीं, स्वरूप, स्वभाव तथा शैली में बिना किसी परिवर्तन के हिन्दी को विभिन्न प्रांतीय संस्कृतियों को प्रतिबिम्बित करनेवाली एक पूर्ण संपर्क भाषा के रूप में रूपायित करने की जिम्मेदारी भी उसी पर है।

अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा के प्रचार के लिए आवश्यक 15 सालों की अवधि में हिन्दी का उतना प्रचार नहीं हुआ जितना वांछित था। फलतः कुछ लोगों ने राजभाषा हिन्दी का विरोध किया। इससे स्पष्ट होता है कि सभी राज्यों से राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकृति के लिए और समय लगेगा। हिन्दी को सर्वमान्य बनाने के लिए सरकार को और भी ठोस कदम उठाने होंगे।

अनुच्छेद 345 के अनुसार कोई भी प्रांत अपनी प्रादेशिक भाषा में या हिन्दी में वहाँ की कार्रवाई जारी रखने का अधिनियम बना सकता है। तब तक अंग्रेजी ही उस राज्य की राजभाषा रहेगी। इस अनुच्छेद के द्वारा हर एक प्रांत को अपनी प्रांतीय भाषा या हिन्दी में सरकारी कामकाज चलाने का मौका मिला। यह आवश्यक भी है कि गणतंत्रीय शासन में सरकारी कामकाज चलाने का मौका मिला। यह आवश्यक भी है कि गणतंत्रीय शासन में सरकारी कामकाज जन भाषा के माध्यम से ही हों।

संविधान के 346 अनुच्छेद के अनुसार यदि भारत के कोई दो या उससे अधिक राज्य अपने आपसी पत्र-व्यवहार के लिए अंग्रेजी के बदले, हिन्दी का प्रयोग करना चाहें, तो कर सकते हैं।

संविधान के उपर्युक्त 343, 345, 346 और 351 अनुच्छेदों के अनुसार हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। संविधान के सभी विषयों का हम सिर-आँखों पर लेते हैं। इसी तरह राज भाषा-संबंधी निर्णयों का भी आदर करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है।

यह तो सर्वमान्य है कि हर एक स्वतंत्र देश के लिए एक राजभाषा की जरूरत है। यद्यपि हमें आजाद होकर 40 साल हो गए, फिर भी सरकारी कामकाज के लिए उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में आज भी अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है। किन्तु यह खुशी की बात है कि हालहीं में उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि कुछ राज्यों ने शासकीय पत्र-व्यवहार का श्रीगणेश हिन्दी में किया है। अन्य सभी राज्य भी अनुच्छेद 346 के अनुसार सरकारी कामकाज अपनी प्रांतीय भाषाओं में ही संपन्न करने का निर्णय ले रहे हैं। इस विषय में भी सभी लोग सहमत हैं कि शिक्षा का प्रचार भी मातृभाषा के द्वारा ही हो क्योंकि किसी भी विषय को आसानी से समझने या अभिव्यक्त करने की क्षमता मातृभाषा में जितनी अधिक रहती है उतनी अन्य भाषा में नहीं।

उपर्युक्त कारणों से अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य बनाना, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही बनाए रखना तथा सरकारी कामकाज के लिए उसी का प्रयोग करना कदापि उचित नहीं।

अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का महत्वपूर्ण स्थान है। जो इस दृष्टि से अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहते हैं, उनको सरकार की ओर से सुविधाएँ दी जानी चाहिएं। पर, मात्र इससे वह हमारी राजभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि—

1. अंग्रेजी भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। एक विदेशी भाषा होने के अलावा भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने में वह अक्षम है।
2. अंग्रेजी सीखना कठिन है और उसमें अपने भावों को प्रकट करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए कई साल तक मेहनत करनी पड़ती है।
3. भारत की आबादी में केवल 35 प्रतिशत ही पढ़े लिखे हैं। उनमें भी अंग्रेजी जाननेवालों की संख्या बहुत कम है और वे भी उस भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्त नहीं कर पाते।

राजभाषा बनने के लिए किसी भी भाषा में तीन विशेषताएँ होनी चाहिएं :

1. उसे जानने तथा बोलनेवालों की संख्या, देश के अन्य भाषा-भाषियों से अधिक हों।
2. वह सरल तथा कम समय में सीखने के लिए उपयुक्त हो।
3. देश की सभ्यता तथा संस्कृति से उसका घनिष्ठ संबंध हो।

राजभाषा की उपर्युक्त विशेषताओं की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सभी गुण केवल हिन्दी में विद्यमान हैं।

हमारे देश की जन संख्या 70 करोड़ से अधिक है। इसमें 35 करोड़ हिन्दी को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। अहिन्दी प्रांतों के करीब 2 करोड़ जो मुसलमान हैं वे भी हिन्दी को आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार हिन्दी के समझने तथा बोलनेवालों की संख्या हमारे देश में आधे से ज्यादा है।

अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिन्दी अधिक आसानी से सीखी जा सकती है। इसका एक कारण सिर्फ तमिल छोड़कर बाकी भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्दों के 70 प्रतिशत तत्सम तथा सद्भाव रूपों का प्रचलन है। एक दृष्टि से हिन्दी भारतीय भाषाओं का मिश्र रूप है। इसके 50 प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं और बाकी 50 प्रतिशत उर्दू, व्रज, अवधी, मथिली, राजस्थानी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं तथा उपभाषाओं के शब्दों से भरपूर है। इससे हिन्दी के शब्द-भंडार को समुचित पुष्टि मिली है। उपर्युक्त कारणों से सभी प्रांतों के लोग हिन्दी का अध्ययन अत्यंत सरलता के साथ कर सकते हैं। हिन्दी में भारतीयों की राजभाषा बनने की योग्यता पूर्ण रूप से मौजूद है।

सूर, तुलसी जैसे अद्वितीय भक्त-महा कवियों ने, संत कबीर, गुरूनानक, दादू रेदास रहीम जैसे महान निर्गुणोपासक संतों ने, भारतेन्दु प्रेमचंद, प्रसाद, दिनकर, पंत, महादेवी वर्मा, मथिलीशरण गुप्त जैसे महाकवियों तथा लेखकों ने अपनी अनुपम साहित्य-सेवा के द्वारा हिन्दी में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को साकार बनाया है। इस दृष्टि से भी हिन्दी भारत की राजभाषा बनने योग्य है।

जिस प्रकार प्राचीन काल में संस्कृत, उत्तर तथा दक्षिण भारतीयों के बीच एक कुल बनी, विविधता में एकता की साधना की, उसी प्रकार आज उसी संस्कृत की दुलारी बेटी हिन्दी भारत की राजभाषा बन जाति की एकता एवं भावों की समता को सुदृढ़ बनाने की सामर्थ्य से अभिभूषित है। इस तथ्य को भारत के सभी लोग स्वीकार करते हैं।

भारतीय संविधान के 351 अनुच्छेद के अनुसार अहिन्दी प्रांतों में प्रचार-संस्थाओं, विद्यालयों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के द्वारा हिन्दी भाषा के प्रचार में केन्द्र सरकार को सहयोग देना है और आवश्यक अनुदान भी उदारता के साथ प्रदान करना है। सभी हिन्दी के प्रति जो कुछ विरोधी भावनाएँ हैं कम हो जाएँगी और सौहार्द्र बढ़ेगा।

[शेष पृष्ठ 30 पर]

देवनागरी वर्ण व्यवस्था में वैज्ञानिकता

—प्रफुल्ल कुमार सिन्हा

स्वतंत्र भारत के वर्तमान संविधान (अनुच्छेद-343) में यह व्यवस्था की गई है कि संघ की सरकारी भाषा "देवनागरी" लिपि में "हिन्दी" होगी। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने हिन्दी स्वनों की शुद्धता की रक्षा के लिए देवनागरी में लिखे इसके स्वरूप को मानक माना है, यद्यपि कैथी, महाजनी और रोमन में भी हिन्दी लिखी जाती रही है किन्तु देवनागरी के वर्ण हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप हैं।

"देवनागरी" की उत्पत्ति के विषय में मतैक्य का अभाव ही है फिर भी "इण्डियन एन्टीक्वेरी" (भाग-5) में श्री आर० शामशास्त्री के लेख के अनुसार देवनागरी लिपि की उत्पत्ति सांकेतिक चिह्नों से हुई है। इनके अनुसार देवताओं की मूर्तियां बनने से पूर्व सांकेतिक चिह्नों द्वारा उनकी पूजा होती थी, जो कई त्रिकोण तथा चक्रों आदि से बने यंत्र, जो देवनागर कहलाता था, के मध्य में लिखे जाते थे। देवनगर के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिह्न कालान्तर में उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और देवनगर के मध्य उनका स्थान होने से उनका नाम देवनागरी हुआ।

"देवनागरी" लिपि विश्व की प्राचीन लिपियों में से एक है। इस लिपि में लिखे सातवीं और आठवीं शताब्दी के लेख प्राप्त हो चुके हैं, ग्यारहवीं शताब्दी तक इस लिपि का पूर्ण विकास हो चुका था। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं।

भाषा के स्वनों को प्रगट करने के लिए जो चिह्न स्वीकृत हैं उन्हें "वर्ण" कहते हैं, और जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें "लिपि" कहते हैं। हिन्दी भाषा "वर्ण-मूलक" है और इसकी लिपि बायें हाथ की ओर से दायें हाथ की तरफ लिखी जाती हैं। वर्णों के लेखन – "शिरोरेखा" व "खड़ीपाई" की सहायता प्रमुख रहती है। कुछ वर्णों में खड़ी पाई पूरी होती है, कुछ में उसका अंश मात्र प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार कुछ वर्णों में शिरोरेखा पूरी रहती है कुछ में उसे खण्डित करके उपयोग में लेते हैं। इन वर्णों का उपयोग उनके स्वतंत्र रूप, उनके संयुक्त रूप एवं कहीं कहीं उसके अंश मात्र का भी उपयोग लेते हुए भाषा की वांछित ध्वनियां प्राप्त की जाती हैं। भाषा की आवश्यकता के अनुसार वर्णों के साथ अन्य वर्णों की मात्राओं और ध्वनि चिह्नों को भी काम में लेते हैं।

उच्चारण में स्वाधीनता की दृष्टि से देवनागरी वर्णमाला "स्वर" और "व्यंजन" समूहों में वर्गीकृत हैं। "वर्णमाला" के स्वनों का क्रम उनके उच्चारण स्थल के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ण का अपना नाम है जो उसके साथ "कार" शब्द जोड़ कर बनता है। मोटे तौर से "स्वर" उन वर्णों को कहा गया है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक सरलता से किया जा सके और जो निम्नानुसार है :—

स्वरवर्ण : अ (अ) आ (आ) इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ (ओ) औ (औ) अं (अं) अः (अः)

शब्द के आरम्भ तथा अंत में ही स्वर वर्णों का प्रयोग किया जाता है अन्यथा इनके स्थान पर मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नानुसार होती है :

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः

ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ ं ः

देवनागरी लिपि में स्वर की सहायता से उच्चरित होने वाले अन्य वर्णों को "व्यंजन" कहा गया है। मुखगुहा के स्थान विशेष से उच्चरित होने वाले स्थानों के क्रम से ही व्यंजनों का स्थान निर्धारण हुआ है और इसमें वैज्ञानिकता का निर्वाह किया गया है। कंठ, तालु, मूर्धा, दन्त एवं ओष्ठ की सहायता से उच्चरित व्यंजनों को क्रमशः कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। व्यंजनों के इस वैज्ञानिक क्रम में सजाने से उनके शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डा० सुनीति कुमार चटर्जी का कथन प्रासंगिक होगा कि संसार की लिपियों में भारतीय लिपियों की यह विशेषता उल्लेखनीय है कि उनके वर्णों के क्रम नितान्त वैज्ञानिक हैं (स्वरों के अतिरिक्त इनके व्यंजन वर्ण कंठ, ताल, मूर्धा, दन्त और ओष्ठ से उच्चरित होने वाले कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग में विभक्त हैं) जिन लोगों ने वर्णों को इस क्रम में सजाया था अथवा जिन लोगों ने यह वर्णमाला तैयार की थी वे वास्तव में उत्कृष्ट ध्वनिशास्त्री थे।

व्यंजनवर्ण

क ख ग घ ङ	कवर्ग
च छ ज झ ञ	चवर्ग
ट ठ ड ढ ण	टवर्ग
त थ द ध न	तवर्ग
प फ ब भ म	पवर्ग
य र ल व	अंतस्थ
श ष स	ऊष्म
ह	महाप्राण ग्रसन्य
क्ष त्र ज्ञ	संयुक्त व्यंजन

हिन्दी भाषा में व्यंजनों के अतिरिक्त निम्नलिखित सहायक व्यंजनों और ध्वनिचिह्नों का प्रयोग भी प्रचलित है :

सहायक व्यंजन वर्ण :

क ख ग ज फ	अलाक्षणिक स्वनिम
ड़ ढ़	मूर्धन्य उडिक्षप्त

अन्य सहायक ध्वनि चिह्न :

अनुस्वार
चन्द्रबिन्दु
हलन्त
विसर्ग
नुक्ता—काकल्य-ध्वनि के लिए वर्ण के नीचे लगने वला चिह्न

"र" के लिए प्रयुक्त चिह्न

इनके अलावा विदेशी ध्वनियों को उच्चरित करने के निम्नलिखित दो चिह्न ऐसे है जिनका नामकरण अपेक्षित है :

ऽ	अर्थात् अ
ॅ	अर्थात् आं

इन दोनों ध्वनियों के उच्चारण स्थानों के अनुसार इन्हें भाषा वैज्ञानिकों ने निम्नानुसार विश्लेषित किया है :

अ= ऽ=	अवृतमुखी, शिथिल, अग्र, ववृत
ऑ= ॅ=	स्वल्प वृतमुखी (आ से कुछ अधिक) शिथिल, पश्च, अर्धविवृत

वर्णमाला में ऐसी सुव्यवस्था विश्व की वर्तमान ज्ञात भाषाओं में से किसी में भी नहीं प्राप्त होती है। देवनागरी लिपि के वर्तमान स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, सहायक व्यंजन, ध्वनि-चिह्न एवं मात्राओं के विधिवत ज्ञान और शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के बाद विश्व की किसी भी भाषा को सौटके की शुद्धता के साथ लिपिबद्ध और उच्चरित किया जा सकता है।

देवनागरी लिपि की इसी वैज्ञानिकता से अभिभूत होकर रायल एशिआटिक सोसायटी, बंगाल के प्रथम अध्यक्ष श्री विलियम जोन्स के उद्‌गार ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, उनका कहना है कि जितने कम अक्षरों में नागरी लिखी जा सकती है उतने में रोमन भी नहीं, नागरी में किसी भी भाषा को लिखा जा सकता है।

देवनागरी और हिन्दी के कुछ आलोचकों का मत है कि हिन्दी के विभिन्न वर्णों मात्राओं और ध्वनि चिन्हों की अत्यधिक संख्याएं "टाइप" होने और उनके काफी टूटफूट से हिन्दी मुद्रण खर्चीला हो जाता है।

किन्तु यह अतीत का एक आक्षेप है जो अब प्रौद्योगिक उन्नति के साथ-साथ सिमटता जा रहा है और आज हिन्दी-मुद्रण भी विश्व की किसी भी भाषा के मुद्रण के समकक्ष है।

देवनागरी लिपि में "बलाघात" के चिह्न के न होने और लिखित शब्द के उच्चरित रूप में भेद को लेकर भी कुछ आलोचनाएं होती रहती हैं, जैसे "हनुमान" के स्थान पर "हनुमॉन" साहित्य के स्थान पर "साहित्य" इत्यादि अथवा "उपन्यास" के स्थान पर "उपन्यास" तथा "चिह्नों" के स्थान पर "चिन्हों" के लिए विचारविमर्श होता रहता है। इसी प्रकार उदाहरण और भी हैं।

किन्तु यह भ्रामक स्थितियां हिन्दी वर्ण के उच्चारण और लेखक के अपूर्ण अध्ययन के कारण ही पैदा होती है। भाषा के अध्ययन में श्रवणेन्द्रियों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता यदि शुद्धतापूर्वक तुलनात्मक उच्चारण की दीक्षा प्राप्त हो तो ऐसी भ्रामक स्थितियां पैदा ही नहीं होती हैं।

किसी भी लिपि की वैज्ञानिकता परखने की मूल कसोटी यह है कि उसमें भाषा की ध्वनियों को शुद्धतापूर्वक लिखा जा सके। इसे "तद्रूपलेखन" कहा गया है और देवनागरी लिपि अथवा नागरी लिपि की यह "तद्रूपलेखन-क्षमता" अत्यन्त विस्मयकारी है। पर्याप्त मार्गदर्शन के पश्चात् अभ्यासजन्य पटुता लेकर नागरी में लिख किसी भी अंश का "ध्वनि-विश्लेषण" भी अत्यन्त शुद्धतापूर्वक किया जा सकता है।

आधुनिक युग में ध्वनि-शास्त्री और भाषा वैज्ञानिक जिस लिपि का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर करने के प्रयास में लगे हैं उसकी वर्णव्यवस्था और ध्वनि चिह्न अभी भी प्रायोगिक अवस्था में है और उसमें एक मत नहीं हो पा रहा है। उन ध्वनिचिह्नों के स्थाननिर्धारण में अभी भी वैज्ञानिक पूर्णता की अपेक्षाएं हैं। उन चिह्नों के उपयोग में उलझाव का अधिक अनुभव हो रहा है। उस लिपि के लेखन में सहजता नहीं आ पा रही है तथा उस लिपि में "ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन 'वैज्ञानिकता की कसौटी पर पूरी खरी नहीं उतरती है। मुद्रण के लिए ऐसी वर्णमाला की सर्वत्र सुलभता संदिग्ध होती है और इनका मुद्रण सामान्य से कहीं अधिक खर्चीला पाया गया है।

देवनागरी की वर्ण व्यवस्थाओं की तुलना जब इस अति आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्णमाला के साथ करते हैं तो देवनागरी "पूर्णता" के अधिक निकट ठहरती है।

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हिन्दुस्तान में व्याप्त संकीर्णता से यह लिपि केवल जालि, प्राकृत, अपभ्रंश, नेपाली, गुजराती, हिन्दी, संस्कृत तथा सिन्धी में (कुछ आधुनिक सिंधी अब नागरी लिपि का प्रयोग सिंधी भाषा के लिए भी करते देखे गये हैं) ही उलझी पड़ी है जबकि इसे तो अन्तर्राष्ट्रीय गरिमा प्राप्त हो जानी चाहिए थी।

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक,
डब्ल्यू० एस०-1 बी, नेहरू पार्क,
जोधपुर (342001)

राजभाषा हिन्दी को अपनाने में कठिनाई क्यों ?

—डॉ० उषागोपाल

व्यक्ति, समाज और परिवार के त्रिकोणीय संबंधों को नकारा नहीं जा सकता । व्यक्ति समाज से जुड़ा और समाज व व्यक्ति का बड़ा दायरा है उसका है । जिस देश में हम रहते हैं वह हमारा अपना है और हमारे सुख-दुख का अंग है । हमें मिले अधिकारों के साथ-साथ हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं ।

इन्हीं कर्तव्यों में भाषा का भी प्रमुख महत्व है । मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा विभिन्न सोपान हैं इसके । घर में मां-परिवार के साये में बचपन से जिस तुतलाहट को हम ग्रहण करते हैं वह हमारी मातृभाषा है और राष्ट्र व राजकाज जिस भाषा में किया जाए वह राजभाषा है । जहां तक हिन्दुस्तान का सवाल है यहां की अधिकांश जनता बहुभाषी, बहुधर्मी और बहुरंगी होने पर भी प्रायः हिन्दी का ही प्रयोग करती है इसलिए हिन्दी हिन्दुस्तान की "राजभाषा", "संपर्कभाषा" और बहुतायत लोगों की भाषा है । यही कारण है कि 1950 में जब देश का संविधान बना तो हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया गया ।

यह बड़ी सुखद घटना है कि हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने वाली समिति के अनेक सदस्य अहिन्दी भाषी थे जिनकी धारणा शायद राष्ट्रीय एकता, भाषाई-एकरूपता व जनसंपर्क की सुविधा रही होगी जिससे उनकी दूरदर्शिता झलकती है ।

गांधीजी ने कहा था कि "राष्ट्रभाषा" के बिना "राष्ट्र गूंगा है ।" भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री अयंगार का मत था कि हिंदी भारत की अन्य भाषाओं की प्रतियोगी व बाधक नहीं सहायक है । गुरू रवीन्द्रनाथ टैगोर ने प्रांतीय बोलियों को घर-घर (प्रांत-प्रांत) की रानी तथा हिन्दी को आधुनिक भाषाओं के हार की "मध्यमणि" कहा है । यहां तक कि विज्ञान के क्षेत्र में भी डॉ० जयन्त नार्लीकर जैसे विद्वानों का कथन है कि "थोड़े से अभ्यास से विज्ञान पर एक सीमा तक हिन्दी में अच्छी तरह लिखा और बोला जा सकता है । क्योंकि जनता से सम्पर्क स्थापित करने के लिए जनभाषा का सहारा लेना बहुत जरूरी है ।"

भारत के संविधान में अनुच्छेद 341 से 353 तक राजभाषा अधिनियम का वर्णन है जिसके अन्तर्गत "उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी और ये अधिनियम राजभाषा अधिनियम कहलाएंगे । इसके अन्तर्गत स्पष्ट है कि "हिन्दी" से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है ।"

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है ।"

यद्यपि भारत सरकार ने राजभाषा के प्रयोग, प्रचार-प्रसार का सम्पूर्ण दायित्व राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को सौंपा है परन्तु राजभाषा के विभिन्न पक्षों, पहलुओं और सोपानों से अनेक सरकारी-गैरसरकारी संस्थाएं, विभाग, अकादमियां व परिषदें इसके लिए प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सतत प्रयत्नशील व संलग्न हैं । जिनमें केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, लोक विज्ञान परिषद्, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली, इंडियन नेशनल साइंस अकादमी, नई दिल्ली, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (आगरा-दिल्ली-हैदराबाद), राजभाषा विभाग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, केन्द्रीय हिंदी सचिवालय, हिन्दी प्रचार-प्रसार समितियां, हिन्दी-अकादमियां, हिन्दी-परिषदें आदि जुड़ी हुई हैं ।

इस क्षेत्र में अनेक शब्दावलियां, शब्दकोश, द्विभाषा व त्रिभाषा फार्मूला पद्धति, साहित्य, प्रकाशन, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, पुरस्कार, नकद व शील्ड, वेतन-वृद्धि, नए-नए पद, विभाग-अनुभागों की स्थापना से जुड़े अनेक कार्यक्रम जैसे—प्रशिक्षण, अनुवाद, टंकण, आशुलिपि, निबंध, वाद-विवाद, सेमिनार, संगोष्ठियां, चर्चाएं, क्षेत्रीय निरीक्षण, रिपोर्टें, वार्षिक-अर्ध-वार्षिक कार्यक्रम, कार्यशालाएं, कार्यान्वयन समितियां आदि सभी प्रयत्नशील हैं ।

एक कदम और आगे बढ़ें तो हिन्दी कार्य के लिए यांत्रिक सुविधाओं में भी दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है जिसमें देवनागरी टाइपराइटर, देवनागरी पोर्टेबल टाइपराइटर, देवनागरी पिन प्वाइंट टाइपराइटर, देवनागरी बूलेटिन टाइपराइटर, देवनागरी इलैक्ट्रिक टाईपराइटर, पतालेखी मशीन, पुलिस बेतार, "सिद्धार्थ" द्विभाषी कम्प्यूटर, "सुलेख" द्विभाषी (देवनागरी-रोमन) कम्प्यूटर बहुलिपीय रंगीन कम्प्यूटर, द्विभाषी कम्प्यूटर टर्मिनल, "लिपि" बहुभाषी शब्द संसाधक (वर्ड प्रोसेसर), द्विभाषी इलेक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर्स ।

प्रश्न घूम फिर कर फिर उसी बिन्दु पर केन्द्रित हो जाता है कि ये सभी प्रोत्साहन, आकर्षण, सुविधाएं अभी तक लोगों को आकृष्ट क्यों नहीं कर पायीं ? भारत को स्वतंत्र हुए 39 वर्ष बीत गए और भारतीय स्वतंत्रता ने 40वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है । 40 वर्ष की अवधि तक आते-आते यौवन की लाली सिकुड़ने लगती है और उसका रंग भी धीमा पड़ने लगता है । जहां तक अनुभव का प्रश्न

है 40 वर्ष की अवधि बहुत होती है। इस विषय में विद्वान डॉ० पणिक्कर के बाद शब्द बार-बार मन को सालते हुए उन लोगों के मुंह पर कीचड़ उछालते हैं जिनकी दिलोदिमाग में अंग्रेजी परतंत्रता की नसें अभी भी ढीली नहीं हुई। उन्होंने लिखा है "मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि भारत की राजभाषा हिन्दी न होकर अंग्रेजी होनी चाहिए। 150 वर्ष तक राज्य का संरक्षण और प्रोत्साहन पाने पर भी केवल 2 प्रतिशत आदमी अंग्रेजी सीख सके। देश के इतने कम आदमियों के हाथ में सत्ता के केन्द्रित हो जाने के कारण इस देश में जनतंत्र नहीं पनप सकता।"

इस संदर्भ में विशेष दयनीय स्थिति लोगों की उस मनोवृत्ति की है जिसकी कैंसर रूपी जड़ें वटवृक्ष सी इतनी गहरी हैं कि उनका निदान इतना सरलता से करना एक टेढ़ी खीर है यह उपचार वह होम्योपथी औषधि से होगा जिसमें धैर्य रूपी मनोवृत्ति ही असर कर पाएगी।

"रूचे सो पचे" के अनुरूप यह रूचि अथवा मनोवृत्ति या भावना अपने मन की है। यदि आपमें लगन, श्रद्धा, आस्था और भावना है तो बारूद की ताकत भी आपको रोक नहीं पाएगी परन्तु लोगों की अधिकांश वृत्ति "बाल में खाल निकालने" की है वे जिस थाली में खाते हैं उसी को छेदते हैं। इस स्वार्थवृत्ति को लेकर स्थायी दीप्ति की आशा निराधार है। आज हिन्दी के पदों पर निष्ठापूर्वक काम करने वाले को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है वह पीड़ा गूंगे का गुड़ है। योग्य-निष्ठावान हिन्दी सेवा कब आदर पा सका है जब तक उसने या तो तामझाक का झोला न ओढ़ा हो अथवा अंग्रेजी की गिटपिट न की हो। हिन्दी के विषय में जो लोग आस्थावान नहीं हैं वे राजनेताओं, सचिवों, सरकार और अन्य लोगों के सिर की जुएं ही देखते रहते हैं। काम को पूजा न मानने वाले ये राह से भटके नाच नहीं जानते और आंगन टेढ़ा बताते हैं। खून बल्लियों उछल पड़ता है इस प्रकार के दृश्यों, व्यवहारों और अवसरों को देख-सुनकर। अपनी गलती को स्वीकारने से आबरू नहीं जाती और न ही व्यक्ति छोटा हो जाता है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान् व्यक्ति ने स्वीकारा था कि "...मैं जहां अंग्रजी का इसलिए विरोधी हूं कि अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति अपने को दूसरों से बड़ा समझने लगता है, और उसकी एक अलग क्लास सी बनती चली जा रही है वहां मैं अपने बारे में भी यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैं खुद अंग्रेजी इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ी हुई है लेकिन यह भी मैं महसूस करता हूं कि सही बात यह होगी जो मैं उसी भाषा में बोलूं, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग समझते हैं।"

यदि हमारे सभी युवा सरकारी कर्मचारी इस बात की मन में धारणा बना लें कि वे भी अंग्रेजों की तरह अंग्रजों की गुलामियत का बोझ अपनी गर्दन से उतार फेकेंगे तो देश की भाषाई स्वतंत्रता, एकता विकीर्ण किरणें और चमकेंगी। हम क्यों भूल जाते हैं कि यदि एक कुएं में गिर रहा है तो हम भी गिरें। यह भावना हमारे भीतर घर क्यों नहीं कर पाती कि हम पहले हम हिन्दुस्तानी हैं पीछे कुछ और जब तक अंग्रेजी के दिखावे की झूठी गिट-पीट और बूढ़ी हो जाए क्यों न हम अपने ही घर में अपनी ही भाषा को आदर दें और श्रीमती इन्दिरा गांधी की घोषणा "हिन्दी एक समृद्ध विश्व भाषा है" और सरकार की योजना "विश्व हिन्दी विद्यापीठ" की है जिसका सभी मिलकर स्वागत करें। जब हम अपने ही परिवार के लोग इसका स्वागत करेंगे तो विदेशों में से और ऊंचा स्थान प्राप्त होगा।

मगर काश! विश्व के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में समुंदर पार तैरती हिन्दी की हालत देश में वही है "घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। सारांश में फिर कहूंगी कि सरकार, मशीनरी, विज्ञान, यांत्रिकी सभी कुछ हिन्दी राजभाषा की साथी है केवल विरोधी बवंडर है लोगों की मनोवृत्तियां चाहे उसका कारण व रूप कुछ भी हो धरातल में एकता का प्रश्न है जो राष्ट्र अपनी बपौती है धरोहर नहीं। आओ अपनी मनोवृत्ति को बदलकर इस अंग्रेजियत की गुलाम जंजीरों रूपी नागिन को जितना शीघ्र हो सके मार डालें वरना इसका विष इतना ज़हरीला है कि मांगे पानी नहीं मिलेगा।

12/166 रामकृष्णपुरम्,
नई दिल्ली-110022

[पृष्ठ 26 का शेष]

इतना ही नहीं भाषा की समस्या जीविका की समस्या से जुड़ी हुई है। भारतीयों ने चाहे फारसी का अध्ययन किया हो चाहे अंग्रेजी का, केवल जीविका की दृष्टि से ही किया है। इसलिए अहिन्दी प्रांतों के हिन्दी सीखनेवालों को भी यदि नौकरियों की विशेष सुविधा दी जाए तो उसका प्रचार दिन-दुगुना और रात चौगुना होगा। पर ध्यान देने की बात यह है कि हिन्दी-भाषियों की टक्कर में अहिन्दी-भाषियों की जो प्रतियोगिता होगी उसका परिष्कार करने में सरकार को सजगता के साथ बरतना होगा।

शिक्षा का माध्यम क्या हो---यह आज की प्रधान समस्या है। चूंकि प्रांतीय स्तर पर सरकारी कामकाज का निर्वेध्न प्रांतीय भाषाओं में ही करना है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर कालेज शिक्षा तक का माध्यम मातृभाषा ही समीचीन लगता है। विश्वविद्यालयों में अभी तक हिंदी तर प्रदेशों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनी हुई हैं। जब हिन्दी इस स्थान पर अधिष्ठित होगी तब वह एक समग्र तथा सशक्त राजभाषा बनेगी। हिन्दी को राजभाषा बनाने से कुछ अहिन्दी भाषियों को ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रभाषा की समस्या का हल ढूंढते समय उन्हें देश की समग्रता की दृष्टि में रखकर अपनी सहृदयता का परिचय देना होगा। तभी राजभाषा हिन्दी के प्रति विरोध के भाव मिट जाएंगे। राजभाषा के रूप में हिन्दी जन-मन की चेतना एवं देश की एकता का प्रतीक बनकर विराजमान होगी।

प्रो० जी० सुंदर रेड्डी

Prof. G. Sunder Reddi

Vidhyanagar. Vishakhapattanam-3, Andhra

हिन्दी चली समुंदर पार

पश्चिमी जर्मनी में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की स्थिति

—डा० मोनिका थियल होस्टमन

(भारतीय दूतावास बोन के सौजन्य से प्राप्त)

हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय पदवी पर ध्यान देते समय यह दृश्य आंखों के सामने आ रहा है : अक्तूबर 1983 की बात है। तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर हजारों प्रतिनिधि और दर्शक दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ-स्टेडियम में सम्मिलित हुए हैं। प्रतिनिधियों में से कुछ एक शतक विदेश के हैं। लो, भले ही भिन्न-भिन्न अभारतीय मातृभाषा-भाषी हों, सब आपस में हिन्दी में बात-चीत कर रहे हैं। फ्रान्सीसी और अंग्रेजी, रूसी और जापानी, जर्मन और स्वीडन के लोग—उन जैसे तमाम विदेशी हिन्दी-प्रेमी लोग हिन्दी-भाषा की अन्तर्राष्ट्रीयता के जीवित साक्षी बने हैं। वे लोग अपने-अपने देशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार आगे बढ़ाना अपना धंधा मानते हैं। भली भांति जानते हैं कि उनका कर्त्तव्य बड़े पैमाने पर न पूरा हो सकेगा, क्योंकि हिन्दी के अलावा और हिन्दी के साथ-साथ भारत में अनेक दूसरी भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है और क्योंकि उन अहिन्दी भाषाओं में से अंग्रेजी विदेशियों का हमेशा सबसे सुगम माध्यम बनता रहेगा। फिर भी, विदेश के हिन्दी-प्रेरक धैर्य से हिन्दी के प्रचार-प्रसार के प्रति प्रयत्न करते हैं। उनको विश्वास है कि हिन्दी न केवल पुराने जमाने से चलती आ रही साहित्यिक भाषा के रूप में ही, बल्कि भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अगर पश्चिमी जर्मनी की ओर देखें, तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या पश्चिम जर्मनी ने हिन्दी की नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाविता का यथार्थ मूल्यांकन किया है। यथार्थ मूल्यांकन का एक पहलू यह है कि जर्मन विश्वविद्यालयों में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन के प्रबन्ध विद्यमान हो। अतः हिन्दी की पढ़ाई की स्थिति हमारे देश में क्या है ?

भारत और जर्मनी का भारतीय विद्या के क्षेत्र में पारस्परिक सम्पर्क लगभग डेढ़ सौ साल से चलता आ रहा है। उस सम्पर्क के इतिहास की केवल एक ही युगप्रवर्तक घटना का उल्लेखन करना काफ़ी होगा। 1845 से 1874 तक मक्स मुलर ने ऋग्वेद-संहिता प्रकाशित करवाई थी। यह घटना इस दृष्टिकोण से भी प्रतिनिधिक है कि सारी उन्नीसवीं शताब्दी में जर्मन भारतीय विद्या की मूल्य-धारा कमोबेश प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर लगाई थी। जर्मन विद्वानों की समकालीन भारत में रुचि प्रायः स्वतंत्रता-लब्धि से जागने लगी। कारण स्पष्ट है : अतीत में जितना दृढ़ नैतिक और व्यापारिक संपर्क भारत से अंग्रेज का था, उतना जर्मनी का न था। अतीत में यानि स्वतंत्रता से पहले बहुत कम जर्मन लोगों के लिए यह आवश्यकता उठी कि वे भारत की एक जीवित भाषा सीखें। परन्तु जबसे स्वतंत्रता-लब्धि के बाद हिन्दी ने राष्ट्रभाषा की पदवी पाई तब से जो जर्मन लोग हिन्दी सीखना लाभ समझने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी।

आजकल पश्चिमी जर्मनी में 15 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। उनमें लगभग 6 हैं जिनमें एम० ए० (हमारे देश में सबसे प्रथम उपाधि) के पार पी० एच० डी० के प्रति शोध-काम करने का प्रबन्ध मिलता है।

कितने लोग औसत में हिन्दी की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय में नाम लिखाते हैं और हिन्दी के अध्यापन का पाठ्य-क्रम कौन-सा है ? मैं बॉन विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका हूं, अतएव अपने विश्व-विद्यालय का उदाहरण पेश कर रही हूँ। हमारे भारतीय विद्या विभाग में सब मिलकर 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें से 20 हिन्दी भी पढ़ते हैं। इस सम्बन्ध में हमारी शिक्षा की एक विशेषता उल्लेखनीय है। विद्यार्थी को एक मुख्य और दो गौण विषय पढ़ने चाहिएं, उदाहरण के लिए : भारतीय विद्या मुख्य विषय होते हुए, इतिहास, पुरातत्व विज्ञान, कोई दूसरी भाषा आदि-आदि जो और विषय हों, उनमें से दो गौण विषयों के लिए नाम लिखा जाना चाहिए। भारतीय विद्या मुख्य विषय हो, तो विद्यार्थी को हिन्दी के अलावा संस्कृत और या पालि/प्राकृत या वैदिक भाषा पढ़नी चाहिए। उस नियम का नतीजा यह है कि गौण विषयों पर काफी समय व्यस्त करना अनिवार्य है। एम० ए० की उपाधि तक विद्यार्थी लगभग 4-5 साल पढ़ता है। उनमें से औसत में तीन साल हिन्दी पढ़ता है। संक्षिप्त रूप में पाठ्यक्रम यह है : प्रथम वर्ष—व्याकरण, सरल बात-चीत का अभ्यास; द्वितीय वर्ष—सुगम-सरल कहानियों और अखबारों/साप्ताहिकों का पाठ; तृतीय वर्ष—उपन्यास, पदसाहित्य का पाठ ; 19 वीं शताब्दी की पूर्व बोलियों की भाषा और उनका साहित्य।

हमारे देश की भारतीय विद्या की संस्थाओं में से दो संस्थाएं उत्कृष्ट भूमिका निभाती हैं। एक है हाइडलबर्ग जिसका हिन्दी विभाग प० जर्मनी का सब से विकसित है। दूसरी है कील विश्वविद्यालय का भारतीय विद्या विभाग जहाँ हर साल हिन्दी गहन पाठ्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया जाता है। वह कोर्स सब हिन्दी विद्यार्थियों के लिए खुला है।

हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन को और बढ़ाने के लक्ष्य से भारतीय—प० जर्मन सांस्कृतिक समझौते में यह भी निर्धारित है

[शेष पृष्ठ 58 पर]

समिति समाचार

मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

1. वित्त मंत्रालय

हिन्दी सलाहकार समिति, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग और बीमा सहित) की बैठक 18-6-1986 को वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली में हुई।

बैठक की कार्यवाही शुरू करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चूंकि 16 अप्रैल, 1986 को हुई समिति की बैठक में कार्यसूची की सभी मदों पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी अत: यह बैठक बुलाई गई है। पहली बैठक के कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तो उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। अन्यथा बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए। सदस्यों की सहमति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

2. बैंकों, बीमा निगमों सहित आर्थिक कार्य विभाग में राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने सुझाव दिया कि मूल पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए आर्थिक कार्य विभाग तथा बैंकों और बीमा निगमों द्वारा अलग-अलग समय-बद्ध कार्यक्रम बनाए जाएं ताकि वार्षिक कार्यक्रम 1986-87 के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। अध्यक्ष महोदय ने विचार व्यक्त किया कि बैंकिंग प्रभाग का काम विशेषकर "क" क्षेत्र में पत्राचार अधिक से अधिक हिन्दी में होना चाहिए और इस संबंध में उन्हें यदि कोई कठिनाई हो तो उसे उनके ध्यान में लाया जाए। कुछ सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में शतप्रतिशत काम हिन्दी में शुरू किया जाए। बैंकों में हिन्दी में काम को बढ़ाने के लिए सदस्यों ने सुझाव दिया कि बैंकों में पर्याप्त संख्या में यांत्रिक उपकरणों, हिन्दी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो बैंकों में हिन्दी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की भर्ती के लिए अर्हताओं में छूट दी जाए और भर्ती के बाद उन्हें नियमित टाईपिंग टेस्ट पास करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। हिन्दी में उपलब्ध यांत्रिक सुविधाओं का जिक्र करते हुए श्री अमर नाथ शारदा ने यह सुझाव दिया कि इस विभाग के कार्यालय/प्रतिष्ठान जो "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित हैं उन्हें निदेश दिया जाए कि वे देवनागरी तथा द्विभाषी कम्प्यूटर खरीदें।

3. कुछ सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण के लिए किए गए प्रबन्ध अपर्याप्त हैं अत: सभी बैंकों को मिलकर एक हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करना चाहिए ताकि बैंकों में कार्यरत हिन्दी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों को प्रशिक्षण की पूरी सुविधा रहे। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि "क" क्षेत्र में सभी बैंक मिलकर साझे तौरपर प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की व्यवस्था करें।

4. चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी में उत्तर देने की छूट होनी चाहिए तथा पदोन्नति परीक्षाओं में भी हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने की छूट दी जाए। बाद में उन्हीं लोगों को हिन्दी में काम करने के लिए लगाया जाए। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि का यह सुझाव था कि संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर बैंकों में भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया जाए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस सुझाव पर विचार किया जाए।

5. श्री प्रभात शास्त्री ने यह सुझाव दिया कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में बैंकों को अपने ग्राहकों को पास बुक हिन्दी में दिया जाए और जमा कराई गई पास बुक की रसीद दी जाए। बैंकों द्वारा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में ग्राहकों को पास बुक, चैक बुक और फार्म हिन्दी में दिए जाने के लिए बैठक में प्राप्त सुझावों के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया कि ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी प्रकार बीमा निगमों द्वारा भी सभी फार्म आदि हिन्दी में मुद्रित करवा लिए जाएं। दी गई सूचना से यह स्पष्ट नहीं होता कि फार्मों आदि को हिन्दी में मुद्रित करवाने का कितना काम हो चुका है। इसलिए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बैंकों और बीमा निगमों से इस संबंध में सूचना एकत्र कर ली जाए ताकि यह स्पष्ट हो कि बैंकों और बीमा निगमों में फार्मों के अनुवाद और मुद्रण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी आदेश दिया कि फार्म, मैनुअल, कोड आदि के अनुवाद और मुद्रण के संबंध में बैंकों में जो प्रगति अब तक हुई है उसकी समीक्षा तिमाही आधार पर की जाए। चर्चा के दौरान यह भी कहा गया कि राजभाषा के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जाए और जो अधिकारी निरीक्षण पर जाएं वे यह देखें कि बैंकों में कितना प्रतिशत काम हिन्दी में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि राजभाषा अधिनियम के उपवन्धों के अनुपालन के संबंध में अलग-अलग बैंकों के बारे में सूचना एकत्रित की जाए।

6. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (संसद् सदस्य) ने सुझाव दिया कि वार्षिक कार्यक्रम 1986-87 में निर्धारित लक्ष्यों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में एक गैर-सरकारी सदस्य को प्रेक्षक के रूप में रखा जाए। मंत्रालय/विभागों में राजभाषा कार्य का जिम्मेदार एक निदेशक रतर का अधिकारी हो। प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह और हिन्दी पखवाड़े मनाए जाएं।

7. बैठक में हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. भविष्य की बैठक की सामग्री से संबंधित कागजात केवल हिन्दी में तैयार किए जाएं।
2. बैंकिंग प्रभाग द्वारा क्षेत्र "क" में स्थित बैंकों, कार्यालयों के साथ पत्राचार में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग किया जाए और इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जाए।
3. महानगरों को छोड़कर "क" क्षेत्र में स्थित निगमों/बैंकों के कार्यालयों में अधिकतर कार्य हिन्दी में किया जाए।
4. "क" क्षेत्र में बैंकों के ग्राहकों को पास बुक हिन्दी में उपलब्ध करायी जाएं। पास बुक जमा करने वालों को रसीद दी जाए।
5. सभी बैंकों और निगमों में प्रयुक्त फार्मों, कोड, मैनुअलों की समीक्षा बैंकिंग और बीमा प्रभाग द्वारा की जाए और जो फार्म, मैनुअल अभी द्विभाषी न हों उन्हें तत्काल हिन्दी में अनूदित करवा कर मुद्रित किया जाए।
6. सभी बैंकों, निगमों और कार्यालयों में यांत्रिक सुविधाओं, टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की अपेक्षित व्यवस्था की जाए।
7. बैंकिंग सर्विस भर्ती बोर्ड द्वारा सभी वर्गों की भर्ती और पदोन्नती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम के विकल्प की छूट देने पर विचार किया जाए।
8. बैंकिंग प्रभाग सभी बैंकों की एक अलग बैठक बुलाए और उसमें 1986–87 के वार्षिक कार्यक्रम पर विचार करें तथा बैंकों की समस्याओं का अन्दाजा लगाएं।
9. "क" क्षेत्र में स्थित बैंकों के कार्यालयों/शाखाओं के लिए हिन्दी टाईपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाए।

अध्यक्ष को धन्यवाद देकर सभा समाप्त हुई।

2. इस्पात और खान मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दि० 23 जून, 86 को माननीय मंत्री श्री कृष्णचन्द्र पन्त की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई, इस अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा—

"इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बठक में आप सबका स्वागत है।

पूर्व इसके कि हम बैठक की कार्यवाही आरम्भ करें, मैं, बड़े दुख के साथ समिति के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारी समिति के सदस्य सांसद श्री वी. वी. देसाई का 4 मई, 1986 को निधन हो गया है। श्री देसाई संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति के संयोजक भी थे और हिन्दी के प्रबल समर्थक थे। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उनकी याद में खडे होकर एक मिनट के लिए मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

14 फरवरी, 1986 की पिछली बैठक के बाद इस मंत्रालय को राजभाषा के प्रयोग में नई प्रशस्तियां मिली हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने 4 मार्च, 1986 को मंत्रालय के खान विभाग को वर्ष 1984-85 के दौरान हिन्दी में अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन स्वरुप ट्राफी और उसके तीन अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है।

आपको याद होगा कि पिछली बैठक में माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि "मंत्रालय के सभी कार्यालयों में मूल-पत्राचार में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाय, फाइलों में हिन्दी में नोटिंग बढ़ाई जाय और उच्च अधिकारियों द्वारा हिन्दी में काम करने में पहल की जाय" इस सुझाव को अमल में लाने के लिए मैंने अभी हाल में एक अपील जारी की है। मुझे आशा है कि इस अपील के परिणामस्वरुप सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा। कार्यालय के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में कुछ कदम उठाए भी गए हैं जैसे स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड में हिन्दी को मूल पत्राचार में बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। लोहा और इस्पात नियंत्रक के नई दिल्ली और बम्बई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिन्दी में मूल पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य का शत-प्रतिशत पालन किया गया है जो एक बड़ी उपलब्धि है। भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के अमरकंटक खान काम्प्लेक्स कार्यालय और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के मटून राक फास्फेट खान कार्यालय में करीब 70 प्रतिशत नोट और मसौदा लेखन हिन्दी में हो रहा है। दिसम्बर, 85 को समाप्त तिमाही हिन्दी भाषी क्षेत्र की राज्य सरकारों और व्यक्तियों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पश्चिम क्षेत्र कार्यालय, जयपुर तथा भिलाई इस्पात कारखाने से करीब 70 प्रतिशत और भारतीय खान ब्यूरो के अजमेर, उदयपुर तथा जबलपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से क्रमशः 68 प्रतिशत, 81 प्रतिशत और 94 प्रतिशत मूल-पत्र हिन्दी में लिखे गए। बाल्को मुख्यालय, नई दिल्ली और खनिज गवेषण निगम, नागपुर ने मूल-पत्राचार के प्रसंग में निर्धारित लक्ष्यों का क्रमशः 49 और 92 प्रतिशत पालन किया। इसी प्रकार "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों तथा हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड मुख्यालय, नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी मुख्यालय द्वारा कार्यक्रम में निर्धारित 10 प्रतिशत लक्ष्य का शत-प्रतिशत पालन किया गया। इस्को के उज्जैन कार्यालय से करीब 48 प्रतिशत, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के बैलाडिला और हिरा खनन परियोजना कार्यालयों से 70 से 85 प्रतिशत तक मूल-पत्र और भारत रिफ्रक्ट्रीज मुख्यालय एवं "इफ्को" रांची और भिलाई प्लाण्ट स्थित यूनिट कार्यालयों से 60 से 75 प्रतिशत के बीच मूल पत्र हिन्दी में लिखे गये। "ग" क्षेत्र स्थित कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी द्वारा हिन्दी भाषी क्षेत्र को सभी 76 मूल पत्र केवल हिन्दी में जारी किए गए। ये आंकड़े दिशा-बोधक तो हैं, आखिरी मंजिल नहीं। इस दिशा में हमें अभी और प्रयत्न करने हैं।

जहां तक सरकार की नीति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित कागजात द्विभाषी जारी करने की

बात है तो सेल निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में इस धारा के अन्तर्गत आने वाले कागजात शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में जारी हो रहे हैं। अन्य उपक्रमों और कार्यालयों में भी ये कागजात द्विभाषी रूप में जारी होते हैं। इस धारा का पूरी तरह से अनुपालन करने के लिए मंत्रालयमें विशेष बल दिया जाता है।

आशा है कि आप सब इस बात से सहमत होंगे कि राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करके और स्वैच्छिक आधार पर ही बढ़ाया जा सकता है। यही भारत सरकार की नीति है। इसके लिए मेरे मंत्रालय के प्रायः सभी कार्यालयों/उपक्रमों द्वारा समय-समय पर हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। कुछ उपक्रम हिन्दी अधिकारियों के सम्मेलन भी आयोजित करते हैं। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड 1 जुलाई, 1986 को कलकत्ता में एक राजभाषा सेमिनार का आयोजन कर रहा है, इस सेमिनार में सभी विभागीय कार्यालयों/उपक्रमों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशा है।

इस्पात और खान मंत्रालय मूलतः धातु उद्योग, इस्पात उत्पादन, खनिजों की खोज, खनन आदि से सम्बन्धित है। ये सभी पूर्णतया तकनीकी विषय हैं। फिर भी, इन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी जटिलताओं के बीच हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इस्पात शब्दावली तैयार हो चुकी है और अब, खनन एवं अलौहधातु उद्योग से सम्बन्धित पारिभाषिक-शब्दावली तैयार करने का काम शुरु कर दिया गया है। इन शब्दावलियों के बाद तकनीकी एवं प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में हिन्दी में काम करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही इस समिति की बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श और आप सभी विद्वान साथियों के सार्थक सुझावों से समस्याओं को दूर करने में मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिससे इस मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी का और अधिक प्रयोग हो सकेगा।"

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि करते हुए अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस्पात उद्योग से सम्बन्धित शब्दावली तैयार हो गई है परन्तु अभी इसको अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है। जब यह अन्तिम रूप से तैयार हो जायेगी तो इसकी प्रति सभी माननीय सदस्यों को भेज दी जाएगी।

श्री विश्वनाथ अय्यर ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त के पृष्ठ-4 का उल्लेख करते हुए कहा कि कार्यवृत्त के इस वाक्य में "इन पदों की भर्ती करते समय इस्पात आदि से सम्बन्धित विषयों के अनुवाद हेतु तकनीकी योग्यता (विज्ञान व इंजीनियरी) वाले व्यक्ति और दक्षिण क्षेत्र में स्थित उपक्रमों आदि में हिन्दीतर प्रदेश के व्यक्ति रखे जाएं" कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य की बात स्वीकार करते हुए कहा कि इस वाक्य में आवश्यक संशोधन कर दिया जाए। कार्यवत्त के पृष्ठ-4 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :—

तकनीकी योग्यता (विज्ञान व इंजीनियरी) वाले व्यक्ति के बाद "तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाए और उपक्रमों आदि में हिन्दीतर प्रदेश के व्यक्तियों को विशेष प्राथमिकता दी जाए" जोड़ा जाए।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल ने कहा कि पिछली बैठक में यह बात तय हुई थी कि "सेल" में हिन्दी के 11 पद अगले दो महीनों में भर दिए जायेंगे। परन्तु अभी तक ये पद नहीं भरे गए हैं। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अनुवादक का एक पद भर लिया गया है और शेष 5 पदों के लिए 22-6-86 को लिखित परीक्षा ली गई है और आशा है कि रिक्त पद शीघ्र ही भर लिए जाएंगे।

इसके बाद बैठक की कार्यसूची पर चर्चा हुई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

सेलम इस्पात कारखाने में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

डा० बाल सुब्रहमण्यम ने कहा कि सेलम इस्पात संयंत्र में कुल 1204 कर्मचारी कार्य करते हैं लेकिन एजेंडा में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कितने कर्मचारी हिन्दी में काम करते हैं तथा कितने कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिलाया गया है। उनका कहना था कि सेलम में हिन्दी शिक्षण योजना का लाभ नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि वहां प्रशासन की ओरसे कुछ कठीनाइया आ रही है। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी हिन्दी पढने के इच्छुक है कमसे कम उनको पढ़ने की सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि वहां कर्मचारियों को कहा गया है कि वे कार्यालय के बाद जाकर पढ़ें अथवा कहीं और जाकर पढ़ें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार सभी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि किसी विशेष अधिकारी को सेलम में भेज कर स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्हें अभी सूचना मिली है कि वहां 42 कर्मचारी हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का उल्लेख करते हुए डा० बालसुब्रहमण्यम् ने कहा कि यह बात उचित नहीं लगती है कि इस कार्यालय में अनुवादक की नियुक्ति के पश्चात् ही कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय में हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों से काम लिया जाना चाहिए।

2. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में देवनागरी टाइपराइटरों की कमी तथा राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

श्री विट्ठल भाई एम० पटेल ने कहा कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में अंग्रेजी के 638 टाइपराइटर हैं जबकि देवनागरी के केवल छः टाइपराइटर हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मंत्रालय के प्रत्येक कार्यालय/उपक्रम में आवश्यकतानुसार देवनागरी के टाइपराइटर खरीदे गए हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में उन्होंने कहा कि दुर्गापुर में स्थिति का जायजा लिया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो देवनागरी के और टाइपराइटर खरीदने की व्यवस्था की जाएगी।

श्री जनकराज गुप्त ने कहा कि एजेन्डा में दिए गए आंकडों में प्रतीत होता है कि दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों में जितने प्रतिशत हिन्दी में काम होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है।

श्री पटेल ने कहा कि दुर्गापुर तथा राउरकेला को थोड़ा दबाव दिया जाना चाहिए ताकि वहां देवनागरी की टाइपराइटरों की संख्या बढ़े और हिन्दी में अधिकाधिक कार्य होने लग । उन्होंने कहा कि मानदेय देकर काम कराने से हिन्दी के कार्य में प्रगति नहीं होगी । श्री जनकराज गुप्त ने कहा कि गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार हिन्दी में काम होना चाहिए । "सेल" के प्रतिनिधि श्री जैन ने बताया कि यह बात सच है कि टाइपराइटरों की संख्या कम है । उन्होंने कहा कि वे अगले दो महीनों में यह देखेंगे कि देवनागरी की छः टाइपराइटरों का किस प्रकार से अधिकाधिक प्रयोग किया जा सकता है और हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए यथा-सम्भव प्रयास करेंगे ।

3. गृह पत्रिकाओं का हिन्दी में प्रकाशन जो मैगजीन केवल अंग्रेजी में हैं उन्हें द्विभाषी करवाया जाए

श्री जनकराज गुप्त ने कहा कि गृह-पत्रिकाएं हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करवायी जानी चाहिएं । श्री विठठल भाई एम० पटेल ने कहा कि "सेल" द्वारा प्रकाशित पत्रिका में केवल 3 पृष्ठ हिन्दी के हैं और शेष सब अंग्रेजी के हैं । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं । उन्होंने बताया कि मिश्र इस्पात संयंत्र की गृह-पत्रिका हिन्दी, अंग्रेजी और बंगला तीनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है तथा "इस्को" में हिन्दी तथा बंगला दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन पत्रिकाओं का पूरा सेट सभी माननीय सदस्यों को भेज दिया जाएगा ।

सेल के प्रतिनिधि ने बताया कि यह पत्रिका अभी द्विभाषी शुरू की है । इसमें वे बराबर पन्ने रख रहे हैं । श्री पटेल ने कहा कि गृह-पत्रिकाओं में वार्षिक कार्यक्रम का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिससे कर्मचारियों को पता चले कि उन्हें क्या करना है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम को पत्रिका में प्रकाशित करवाया जाए अथवा न करवाया जाए परन्तु वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन अवश्य होना चाहिए । श्री पटेल जानना चाहते थे कि क्या मंत्रालय में वर्ष 1986-87 का वार्षिक कार्यक्रम पहुंच गया है अथवा नहीं । राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि अभी तक मंत्रालयों में इसकी प्रतियां नहीं भेजी गई हैं, परन्तु शीघ्र ही भेज दी जाएंगी ।

4. मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति

श्री उमानाथ जानना चाहते थे कि क्या इस्पात और खान मंत्री द्वारा जारी की गई अपील का प्रभाव पड़ा है । अध्यक्ष महोदय ने कहा, इसका प्रभाव धीरे-धीरे पड़ेगा और हिन्दी के कार्य में प्रगति होगी । अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि मंत्रालय तथा इसके अधीन सभी कार्यालयों/उपक्रमों में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए आदेशों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को हिन्दी में प्रशिक्षित किया जाना है । श्री पटेल ने कहा कि इस बारे में गृह मंत्रालय के पहले से आदेश हैं कि जो व्यक्ति प्रशिक्षण लेने से इंकार करता है उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है । इस पर इस्पात विभाग के सहायक निदेशक ने कहा कि गृह मंत्रालय से ऐसे कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं । इस पर राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष) ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी प्रशिक्षण पर जाने से इन्कार करे तो उसी हालत में उसके विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है, परन्तु इस मन्त्रालय में ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है । श्री पटेल ने कहा कि राउरकेला आदि में कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिलाया जा रहा है । श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल ने बताया कि भिलाई में भी स्थिति इसी प्रकार है । श्री खण्डेलवाल ने कहा कि भिलाई में 74 कर्मिक मानदेय के आधार पर कार्य कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि यदि हिन्दी-भाषी क्षेत्र की स्थिति इसी प्रकार की है तो दूसरे क्षेत्रों का क्या होगा । श्री गुप्त जानना चाहते थे कि इस्पात विभाग में कितने लोगों को एक शब्द प्रतिदिन सीखने या प्रतिदिन एक वाक्य सीखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है । इस्पात सचिव ने बताया कि इस्पात विभाग में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो हिन्दी नहीं जानते । उस स्टेज से आगे निकल चुके हैं जो एक शब्द हर रोज सीखने की जरूरत पड़ेगी ।

5. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन

श्री पटेल ने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत पालन होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह समिति की दूसरी बैठक हो रही है, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पिछली बैठक की तुलना में अब सुधार हुआ है । जैसे-जैसे आगे बैठकें होती जाएंगी और माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव मिलते रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि स्थिति में निरन्तर सुधार होता रहेगा । इस पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि वे राउरकेला इस्पात संयंत्र के बारे में एक बात अवश्य कहना चाहेंगे । राउरकेला इस्पात संयंत्र ने कुल 19,400 कागजात जारी किये जिनमें से 19,368 अंग्रेजी में और मात्र 32 कागजात द्विभाषिक रूप में जारी किए गए । इस प्रकार धारा 3(3) का खुला उल्लंघन किया गया है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये आंकड़े गलत प्रतीत होते हैं, अतः इनकी जांच करवानी होगी । दूसरे कार्यालयों की तुलना में ये आंकड़े बहुत अधिक लगते हैं ।

6. हिन्दी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग

श्री एस० एल० जैन ने फाइलों में अधिकाधिक नोटिंग के बारे में हुई उन्नति के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए सुझाव दिया कि इस प्रगति को बनाये रखा जाना चाहिए । उन्होंने सेल का उदाहरण देते हुए कहा कि इस कार्यालय में एक दिन में कम से कम 3 नोट और पत्र आदि हिन्दी में लिखने पर प्रोत्साहन स्वरूप एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि दी जाएगी । परन्तु उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि यह वेतन-वृद्धि तब तक दी जाती रहेगी जब तक वह हिन्दी में काम करेगा । इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे उपाय किये जाएं जिससे दो-तीन वेतन-वृद्धियां मिलने के बाद काम रूके नहीं ।

7. हिन्दी का प्रचार-प्रसार, स्वागत कक्षों में हिन्दी का प्रयोग

श्री उमानाथ ने कहा कि एजेण्डा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यद्यपि स्वागत अधिकारियों को हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग के लिए पहले से ही आदेश जारी किए जा चुके हैं तथापि सख्ती से अनुपालन के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को पुनः आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं । वे चाहते थे कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र की एक प्रति उन्हें भेज दी जाए ताकि वे उसके आधार पर कुछ कार्रवाई कर सकें ।

8. हिन्दी के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाना

श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल ने कहा कि सेल के विभिन्न संयंत्रों तथा अन्य उपक्रमों में हिन्दी के रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी के टाइपिस्टों की नियुक्ति की जाए। मानदेय के आधार पर कार्य करवाने से हिन्दी को प्रोत्साहन नहीं मिल सकेगा। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कुछ उपक्रमों में तो हिन्दी के पूरे पद भर लिए गए हैं परन्तु "बाल्को" जैसे कुछ उपक्रमों में अभी तक पद भरे जाने हैं। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र में हिन्दी का मात्र एक पद खाली पड़ा है, जो अभी हाल ही में सृजित किया गया है, इसे अगले दो महीनों में भर लिये जाने की सम्भावना है।

9. गृह-पत्रिकाओं में तकनीकी लेख

डा० विश्वनाथ अय्यर ने इस बात की प्रशंसा की कि मंत्रालय के अधीन कुछ उपक्रमों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में तकनीकी लेख भी लिखे जाते हैं। डा० अय्यर ने कहा कि आई० आई० टी०, कानपुर में तकनीकी विषयों पर अच्छे लेख लिखे जाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि हिन्दी में तकनीकी लेख के लिए ऐसी संस्था की सेवाएं ली जा सकती हैं। किसी एक संयंत्र में जहां सुविधा हो वहां एक कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है। उन्होंने कहा वैसे तो ये विभागीय बातें हैं। लेकिन अगर कुछ किया जाए तो हिन्दी के प्रयोग को काफी बढ़ावा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह एक बुनियादी तथा महत्वपूर्ण बात है और यह सुझाव विचारणीय है और यदि आवश्यक हुआ तो इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाएगी

10. हिन्दी में अधिकाधिक काम करने वाले अधिकारियों को नकद पुरस्कार

श्री पी० एन० सिंह ने कहा कि राजभाषा विभाग की ओर से खान विभाग को ट्राफी मिली है तथा अधिकारीयों को मैडल भी मिले हैं। वें जानना चाहते कि क्या इन अधिकारियों को नकद पुरस्कार नहीं दिए जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस बारे में यह देखना होगा कि क्या स्कीम में ऐसा करने की व्यवस्था है।

11. संगोष्ठियों का आयोजन

डा० पि० के० बालसुब्रहमण्यम का सुझाव था कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की भांति मंत्रालय के अधीन अन्य उपक्रमों में भी संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे हिन्दी के कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन संगोष्ठियों में हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।

यह फैसला किया गया कि अगली बैठक की तारीख बाद में तय कर ली जाय।

अन्त में खान विभाग में राज्य मंत्री ने अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने तथा बैठक की कार्रवाई में भाग लेने के लिए उनको धन्यवाद दिया। इसके साथ ही बैठक का समापन हुआ।

बलजीत सिंह लाली
निदेशक

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक 13 जून, 1986 को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई।

आरम्भ में राज्य मंत्री जी ने बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और सदस्यों को समिति की नई सदस्य कुमारी मीरा सेठ, अपर सचिव से परिचय कराया। सदस्यों ने भी राज्यमंत्री जी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार सम्भालने पर बधाई दी। राज्यमंत्री जी ने सदस्यों की बधाई के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्रालय इस बात की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक बढ़े। उन्होंने सदस्यों से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए और आश्वासन दिया कि मंत्रालय उनके सुझावों को कार्यरूप देने का भरसक प्रयास करेगा।

इसके बाद बैठक की कार्यसूची पर विचार किया गया।

1. पैरा मेडिकल शिक्षा के माध्यम के बारे में समिति के गठन पर विचार

सचिव राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार ने पैरा मेडिकल शिक्षा के माध्यम पर विचार करने के लिए समिति गठित करने के पहले लिए गए निर्णय पर हुई कार्रवाई जाननी चाही। श्री शंकरराव लोंढे और केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि का मत था कि माध्यम बदलने की यदि सरकार की इच्छा हो और वह इसकी घोषणा कर दे तो हिन्दी की पुस्तकें शीघ्र उपलब्ध हो सकती हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बैठक को सूचित किया कि इस विषय पर एक बैठक 28 मई, 1986 को मेरी अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें पैरा मेडिकल से सम्बन्धित विभिन्न परिषदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक में सभी परिषदों से अनरोध किया गया है कि वे पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षा का माध्यम बनाने की सम्भावनाओं पर विचार करें।

व्यापक विचार-विमर्श के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे और जल्दी ही इस बारे में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

2. बनारस विश्व विद्यालय में आयुर्वेद में प्रवेश के लिए प्रश्न-पत्र

प्रो० प्रियव्रत शर्मा ने कहा कि बनारस हिन्दी विश्व विद्यालय में आयुर्वेद में प्रवेश के प्रश्न पर केवल अंग्रेजी में ही होते हैं। जो छात्र हिन्दी मिडियम से पढ़कर निकले हैं वे इसमें प्रवेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सदस्य का सुझाव था कि प्रवेश-परीक्षा में प्रश्न पत्र हिन्दी में भी होने चाहिएं।

इस विषय पर मंत्रालय के सलाहकार (आयुर्वेद) ने बताया कि हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अन्य राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है। जहां तक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश-परीक्षा के प्रश्न-पत्रों की भाषा का सवाल है, वहां प्रवेश परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर होती है। फिर भी हम उन्हें लिखेंगे कि प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार होने चाहिए।

3. सिगरेट के पैकेटों पर सांविधिक चेतावनी/प्रतीक चिह्न देना

अपर सचिव (स्वास्थ्य) ने सूचित किया कि इस सम्बन्ध में विभिन्न पहलूओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है ।

सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि यह विषय काफी समय से विचाराधीन है । अब इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाना चाहिए । राज्य मंत्री जी ने इस पर शीघ्र निर्णय किए जाने का आश्वासन दिया ।

4. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी परिषदों में हिन्दी का प्रयोग

सदस्यों ने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेद सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी संस्थाओं में हिन्दी में बहुत कम कार्य हो रहा है । यहां तक कि हिन्दी भाषी कार्यालयों में भी काम का प्रतिशत बहुत कम है । श्री मुकलचंद्र पांडेय का कहना था कि ये संस्थाएं हिन्दी में काम करना ही नहीं चाहती । उन्होंने इन परिषदों द्वारा उनके साथ पत्र व्यवहार अंग्रेजी में करने का प्रमाण भी प्रस्तुत किया । उन्होंने खेद व्यक्त किया कि हिन्दी-भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले पत्रों और लिफाफों में अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जा रहा है । प्रो० प्रियव्रत शर्मा ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद में हिन्दी के काम के कम प्रतिशत पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि परिषद को कम से कम 50 प्रतिशत काम हिन्दी में करना चाहिए । श्री गंगाशरण सिंह ने हिन्दी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में भेजे जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की ।

सदस्यों ने आयुर्वेद आदि चिकित्सा पद्धतियों के हिन्दी शब्दों को रोमन में लिखे जाने पर होने वाली गलतियों की ओर भी अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट किया । उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए । इस काम में असावधानी होने से अर्थ का अनर्थ होने पर सदस्य आशंकित थे ।

श्री मुकुल चन्द्र पांडेय ने लखनऊ स्थित यनानी यनिट के कार्यालय के अन्दर लगे हुए बोर्डों, नामपटटों आदि के बारे में बतलाया कि ये हिन्दी में नहीं हैं । इन्हें हिन्दी में भी होना चाहिए ।

5. समिति के गैर सरकारी-सदस्यों को विभागीय पहचान पत्र दिया जाना

समिति के गैर सरकारी सदस्यों को विभागीय पहचान पत्र न दिए जाने के मंत्रालय के निर्णय के बारे में कुछ सदस्य सहमत नहीं थे । उनकी राय थी कि पहचान पत्र के न होनेसे उन्हें असुविधा होती है । उनका कहना था कि पहचान पत्र के होने से वे स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यालयों में जाकर देख सकेंगे कि उनमें हिन्दी का कितना प्रयोग हो रहा है और उसकी जानकारी अध्यक्ष को देंगे ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे ।

6. कलकत्ता स्थित मौरम विज्ञानी कार्यालय तथा वहां के अन्य कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग

प्रो० प्रियव्रत शर्मा ने कहा कि कलकत्ता स्थित मंत्रालय के कार्यालयों में सारा काम अंग्रेजी में हो रहा है । राजभाषा संबंधी बैठकों की सूचना भी केवल अंग्रेजी में ही दी जाती है । इन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

राज्यमंत्री जी ने समिति को आश्वासन दिया की अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी ।

मौरम विज्ञानी कार्यालय में हिन्दी का स्टाफ न होने के कारण उस कार्यालय में हिन्दी में कार्य नहीं हो रहा है । सदस्यों का कहना था कि वहां पर हिन्दी स्टाफ दिया जाए ।

7. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में गैर सरकारी सदस्यों को प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाना

मंत्रालय के 6 नवम्बर, 1985 के पत्र के सन्दर्भ में कुछ सदस्यों का कहना था कि "ग" क्षेत्र के कुछ कार्यालयों ने अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में स्थानीय गैर सरकारी सदस्यों को प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है लेकिन हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस बारे में कार्यालयों को फिर सुझाव दिया जाएगा ।

8. मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा) का पद बनाया जाना

सदस्यों ने मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा) का पद बनाए जाने पर जहां प्रसन्नता व्यक्त की, वहां उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि मंत्रालय में उपनिदेशक (राजभाषा) का पद समाप्त कर दिया गया है । उनका सुझाव था कि मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने के लिए यह पद भी जरूरी है ।

9. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी. जी. एच. एस.) में हिन्दी पदों की कमी

श्री विठठल भाई पटेल संसद सदस्य का कहना था कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में हिन्दी में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है । वहां पर केवल दो कनिष्ठ अनुवादक हैं । यह स्टाफ वहां के कर्मचारियों को देखते हुए काफी कम है । योजना के दिल्ली तथा अन्य स्थानों में काफी कार्यालय हैं और राजभाषा नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय में न्यूनतम पदों का होना जरूरी है । इस कार्यालय का संसदीय राजभाषा समिति ने भी निरीक्षण किया था और स्थिति संतोषजनक नहीं पाई थी । इस कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने और निर्धारित मानदन्डों के अनुसार हिन्दी अधिकारी और वरिष्ठ अनुवादकों आदि के पद बनाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए ।

10. मेडिकल रिसर्च में हिन्दी पेपर स्वीकार किया जाना

सदस्यों का सुझाव था कि विज्ञान का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यह जरूरी होगा कि चिकित्सा अनुसंदान के क्षेत्र में हिन्दी में अनुसंधान लेखो को बढावा दिया जाए और स्वीकार किए जाएं । मंत्रालय के इस मत से कि जब तक चिकित्सा शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं हो जाती तब तक ऐसा करना समीचिन नहीं होगा, सदस्य सहमत नहीं थे । उनका कहना थी कि ऐसी प्रतिभाओं

को जिन्हें हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान है, हिन्दी में शोध-पत्र प्रस्तुत करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। श्री वेंकटकृष्णन ने कहा कि किसी भी चीज को पूर्ण रूप से शुरू करने में समय लगता है। अगर हम उस कार्य को अधिक तेजी से करें तो उसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। इसलिए हमें हिन्दी को पूर्णरूप से लाने के लिए धिरे-धीरे प्रयास करने चाहिए और उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदया ने भी श्री वेंकट कृष्णन की बात से सहमति व्यक्त करते हुए कहा की हमें किसी वस्तु को बढ़ावा देने के लिए धीरे-धीरे प्रयत्न करने चाहिए। जिससे उस कार्य को सफल बनाया जा सके।

11. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में हिन्दी का प्रयोग और हिन्दी पद

अपर सचिव (प० क०) ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में कर्मचारियों और हिन्दी पदों की स्थिति पर प्रकाश डाला।

श्री एम० के० वेलायुधन नायर का कहना था कि हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदन्डों के अनुसार हिन्दी अधिकारी और अनुवादकों के पद होने आवश्यक हैं क्योंकि वहां पर 100 से अधिक कर्मचारी हैं। वहां पर कोई अनुवादक और हिन्दी अधिकारी नहीं होने से हिन्दी में काम होने की अपेक्षा करना बेकार है। केवल टाइपिस्टों का होना काफी नहीं है। राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अनुवादक और हिन्दी अधिकारी के पदों के लिए आदेश दे दिए जाने चाहिए।

राज्यमंत्री जी ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया।

12. एम० बी० बी० एस० परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रश्न पत्र

सदस्य चाहते थे कि एम०बी०बी०एस० प्रवेश परीक्षा के प्रश्न-पत्रों को हिन्दी-अंग्रेजी में तैयार किया जाना चाहिए और छात्रों को प्रश्नों का उत्तर हिन्दी/क्षेत्रीय भाषा में भी देने की छूट दी जाए।

राजभाषा विभाग के सचिव ने कहा कि उन्होंने यू० पी० एस० सी० को सुझाव दिया था कि वह सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों विकल्प रखे जिससे उम्मीदवार अपनी इच्छानुसार अपने प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में दे सकें

अध्यक्ष महोदया ने कहा कि यदि यू० पी० एस० बी० ऐसा मान्य कर दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

13. मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव का कहना था मंत्रालय के कुछ अनुभागों में काफी काम हो रहा है। उनका आग्रह था कि ऐसे कुछ अनुभाग नामित कर दिए जाएं जहाँ शत-प्रतिशत काम हिन्दी में ही हो सदस्यों ने कार्यशालाएं चलाने पर भी बल दिया। श्री शंकरराव लोंढे का कहना था हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों के साथ दो तिहाई पत्र-व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए। श्री वलायुधन नायर का कहना था कि "ग" क्षेत्र के कार्यालयों के साथ 10 प्रतिशत पत्र-व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए।

राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी अधिकारी तिदिन फाइलों पर कम से कम दो पंक्तियां हिन्दी में लिखेंगे।

14. अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के पद

सदस्यों ने विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के पदों की स्वीकृति न दिए जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए आग्रह किया कि राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यालयों में हिन्दी वहां के लिए शीघ्र मंजूरी प्रदान की जाए :—

1. मद्रास स्थित अन्ना अस्पताल के श्रीनिवास मूर्ति आयुर्वेदिक अनुसंधान विभाग में हिन्दी अधिकारी और अनुवादक का पद
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली में हिन्दी अधिकारी का पद।
3. गवर्नमेंट मेडिकल स्टोअर डिपो, मद्रास में हिन्दी के पदों की स्वीकृति।
4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हिन्दी अधिकारी का पद।

15. अस्पतालों में हिन्दी का प्रयोग

अस्पतालों और औषधालयों में रोगियों की पर्चियों पर रोगी का नाम, दवाई लेने की विधि तथा पत्रों के नामपट्टों में हिन्दी/या भाषाओं के प्रयोग से सदस्य संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था मंत्रालय के आदेशों का पालन ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदया ने आश्वासन दिया कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा।

16. आयुर्वेदीय औषधियों की निर्माता फर्मों को यह परामर्श देने की आवश्यकता कि वे औषधियों की शीशियों, पैकेटों पर औषधि के घटकों के नाम देवनागरी लिपि में लिखें और उनमें रोमन लिपि का प्रयोग न करें जिससे जड़ी-बूटियों के नाम सही-सही पढ़े जा सकें

सदस्यों का विचार था कि आयुर्वेदिक औषधियों की शिशियों पैकेटों, पैंकिंगों आदि पर औषधि के घटकों का नाम देवनागरी लिपि में अवश्य दिए जाएं।

17. हिन्दी-भाषी प्रदेशों, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, और चंडीगढ़ आदि में मेडिकल कालेजों में चौथे या अन्तिम वर्ष हिन्दी भाषा का अच्छे स्तर का ज्ञान कराने की व्यवस्था करना।

बैठक को सूचित किया गया कि यह विषय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की कार्यकारिणी के विचाराधीन है। इसके बारे में प्रथा समय सूचित किया जाएगा।

18. मंत्रालय द्वारा राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालयों में कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करना।

मंत्रालय द्वारा इस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया।

19. मेडिकल कालेजों में अध्ययन के लिए हिन्दी पुस्तकों का उपलब्ध कराया जाना

मेडिकल कालेजों में पाठ्यक्रम के लिए हिन्दी की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए सदस्यों का सुझाव था कि जिन विषयों की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, अथवा जिस प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता होती है वे पुस्तकें सम्बन्धित विषयों के विद्वानों से लिखवाई जानी चाहिए। इसके लिए विद्वानों को प्रोत्साहन दिया जाए तो पुस्तकों की कमी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय ने इस सुझाव पर ध्यान देने का आश्वासन दिया।

अन्य मदों पर दी गई विभागीय टिप्पणी से सदस्य संतुष्ट थे।

बैठक के अन्त में श्री काशीनाथ उपाध्याय ने राज्यमंत्री जी के द्वारा बैठक के कुशल संचालन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राज्यमंत्री जी ने हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने का अपना निश्चय दोहराया। स्वास्थ्य सचिव ने भी राज्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा आश्वासन दिया कि अगली बैठक होने तक मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति में सुधार होगा।

अध्यक्ष महोदया का धन्यवाद करते हुए बैठक विसर्जित हुई।

4. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 25 जुलाई, 1986 को खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक में सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति की पिछली बैठक 4 दिसम्बर, 1985 की हुई थी। यद्यपि मेरे मंत्रालय ने हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक बुलाने के लिए मार्च, 1986 में ही कार्रवाई शुरु कर दी थी और सदस्यों से बैठक के लिए विचारार्थ विषय और सुझाव भेजने के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन सुझाव प्राप्त न होने पर उनसे अप्रैल और मई, 86 में पुनः अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में सदस्यों से चाहे सुझाव आएं या न आएं, तीन मास के बाद बैठक होनी चाहिए। साथ-साथ उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे बैठक के लिए अधिक से अधिक सुझाव भेज कर इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में दिलचस्पी लें। अध्यक्ष महोदय ने समिति को बताया कि राजभाषा विभाग केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और कार्यालयों के लिए हिन्दी का प्रयोग बढाने के लिए हर साल एक वार्षिक कार्यक्रम तयार करता है और भारत सरकार के मंत्रालयों और कार्यालयों को अनुपालन के लिए भेजता है। वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने सन्देश में यह कहा था कि "किसी भाषा का विकास तब होता है जब वह जनसाधारण के हृदय में स्थान पाती है। हमने अपने संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है इसलिए हमें देखना है कि सरकारी काम काज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो"। मेरा मंत्रालय वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों के प्रति अपना आधार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि माननीय सदस्य भविष्य में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में अधिक दिलचस्पी लेंगे।

2. संयुक्त सचिव (प्र०), खाद्य विभाग ने समिति को बताया कि यद्यपि खाद्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन में पिछली छमाही की तुलना में इस छमाही में थोड़ी गिरावट आई है लेकिन हिन्दी पत्राचार में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ कार्यालयों से राजभाषा अधिनियम की कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जोर दिया जाएगा। जहां तक खाद्य विभाग का सम्बन्ध है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरा अनुपालन हो रहा है और पत्राचार में पिछली छमाही की तुलना में इस छमाही में सुधार हुआ है। उन्हों ने कहा कि विभाग में 636 अधिकारियों और कर्मचारियों में से केवल 35 कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण दिलाया जाना है जिनमें से 16 कर्मचारियों को इस सत्र में हिन्दी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है। शेष अधिकारियों और कर्मचारियों को आने वाले सत्रों में हिन्दी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। विभाग में पुस्तकालय की सुविधा भी है जिसमें हिन्दी की 3469 पुस्तकें उपलब्ध हैं। 1985-86 के दौरान हिन्दी की पुस्तकों की खरीद पर 44.92 प्रतिशत राशि खर्च की गई थी। उन्होंने समिति को बताया कि 1985–86 में कुल 19 टाइपराइटर खरीदे गए थे जिनमें से 10 टाइपराइटर देवनागरी के थे। अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के लिए सभी संभव सुविधाएं सुलभ की गई हैं। वर्ष 1985 के लिए तीन कर्मचारियों को टिप्पण और आलेखन के लिए नकद पुरस्कार भी दिए गए हैं।

3. संयुक्त सचिव (प्र०), नागरिक पूर्ति विभाग ने समिति को बताया कि जहां तक नागरिक पूर्ति विभाग का संबंध है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरा अनुपालन हो रहा है। यद्यपि पत्राचार में इस छमाही में पिछली छमाही की तुलना में गिरावट है लेकिन इस में सुधार लाने के लिए सभी उपाय किए जा रहे है। विभाग में इस समय देवनागरी के 23 टाइपराइटर उपलब्ध हैं। उन्होंने समिति को बताया कि इस वर्ष टाइपराइटर नहीं खरीदे गए हैं। विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध है। बिहार में रांची में स्थित विभाग का एक कार्यालय शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में कर रहा है।

4. डा० वीरेन्द्र कुमार दुबे ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने सितम्बर, 1985 से मार्च, 1986 तक की अवधि के दौरान न तो किसी संगोष्ठी का आयोजन किया है और नही कोई कार्य-

शाला चलाई है। निगम द्वारा हिन्दी का कोई टाइपराइटर भी नहीं खरीदा गया है। भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि निसन्देह इस अवधि में कोइ कार्यशाला नहीं चलाई गई है लेकिन सितम्बर, 1986 में कार्यशाला चलाने का विचार है। वर्ष 1985 में टाइपराइटर इसलिए नहीं खरीदे गए क्योंकि निगम में पहले ही पर्याप्त संख्या में हिन्दी के टाइपराइटर उपलब्ध हैं।

5. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली में दो वायदा बाजार आयोग, बबई में एक, सुपर बाजार नई दिल्ली में एक और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली में हिन्दी का एक पद खाली पड़ा है। इस पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इन खाली पदों के भरने की दिशा में तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

6. श्री सूरज सिंह माला का सुझाव था कि अहिन्दी भाषी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। संयुक्त सचिव (प्र०), खाद्य विभाग ने समिति को बताया कि सरकारी काम काज में मूल टिप्पण और आलेखन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में एक नकद पुरस्कार योजना चलाई जा रही है और इस योजना के अन्तर्गत खाद्य विभाग में 1984 के लिए एक कर्मचारी को 500 रुपये का प्रथम पुरस्कार और 1985 के लिए तीन कर्मचारियों को 300 रुपये का द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा, अहिन्दी भाषी कर्मचारियों जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला, उड़िया या असमिया है, उन्हें 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाता है। सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए एक चल शील्ड योजना भी चलाई गई है। यह शील्ड वर्ष के दौरान सबसे अधिक कार्य हिन्दी में करने वाले अनुभाग को दी जाती है। इस पर राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव ने समिति को बताया कि यह पुरस्कार विभाग के सभी अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा भी दिया जा सकता है और प्रत्येक कार्यालय को इसके लिए प्रतियोगिता अलग अलग करानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि "ग" क्षेत्र के कर्मचारियों को विशेष छूट देने के सुझाव पर राजभाषा विभाग विचार करके इस विभाग को अपने निर्णय की सूचना भेजे।

7. सचिव राजभाषा विभाग ने कहा कि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में, जहां ऐसी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त अन्य सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने की छूट हो और ऐसे प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराए जाएं। अध्यक्ष महोदय ने इस सुझाव पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश दिया।

8. श्री मन्नुलाल यदु का सुझाव था कि मंत्रालय में "हिन्दी दिवस" मनाने के लिए विशेष तैयारी की जानी चाहिए। उनका सुझाव था कि इस अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है और हिन्दी सलाहकार समिति की गैरसरकारी सदस्यों को भी "हिन्दी दिवस" के लिए बुलाया जाना चाहिए। यदि सम्भव हो तो उस दिन ही मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक होनी चाहिए। सदस्यों से लेख और अन्य सामग्री लेकर परिचालित की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस सुझाव पर विचार किया जाए।

9. अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय के विभागों में भी क्या अधिकारियों की बैठकें होती हैं। संयुक्त सचिव (प्र०), खाद्य विभाग ने बताया कि हर तीन महीने में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होती है। इस समिति में प्रभागों के अध्यक्ष सदस्य हैं। इन बैठकों में सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि दोनों विभागों के सम्बन्धित संयुक्त सचिवों द्वारा इस बैठक में की गई समीक्षा के निष्कर्ष राज्य मंत्री अथवा उन्हें प्रस्तुत किए जाएं।

10. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने समिति को बताया कि भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए जाने वाले मानक दोनों भाषाओं जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में समिति की पूर्व बैठकों में निर्णय लिया गया था। अपर महा निदेशक, भारतीय मानक संस्था ने समिति को बताया कि हम हर वर्ष हिन्दी अनुवाद के लिए ऐसे 100 मानक छांट लेते हैं जो आम जनता के उपयोग में आने वाली वस्तुओं आदि से सम्बन्धित होते हैं। कई मानकों का अनुवाद हो चुका है और कुछ का अनुवाद होना बाकी है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि भारतीय मानक संस्था से मानकों के बारे में स्थिति प्राप्त कर सदस्यों में परिचालित की जाए।

11. अध्यक्ष को धन्यवाद के बाद समिति की बैठक समाप्त हो गयी।

कृष्ण कुमार
उप निदेशक

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग

18 जून, 1986 को माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री शिवराज वी. पाटिल की अध्यक्षता में 'विज्ञान भवन' नई दिल्ली में आयोजित चौथी बैठक का कार्यवृत्त

1. सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया, इसके पश्चात् कार्य-सूची की मदवार चर्चा शुरु हुई।

2. हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

3. इसके बाद तीसरी बैठक के दौरान दिए गए सुझावों और उन पर की गई कार्रवाई पर विचार-विमर्श शुरु हुआ।

4. श्री पी० डी० शुक्ला ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा खरीदे गए "लिपि" वर्ड प्रोसेसर की उपयोगिता जाननी चाही। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जो "एजेंडा" आदि के कागजात सदस्यों के सामने रखे हैं ये "लिपि" वर्ड प्रोसेसर पर ही निकाले गए हैं। इस मशीन के कारण ही इतनी अच्छी और सुन्दर सामग्री निकालना संभव हो सका है, अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि हिन्दी के कार्य हेतु वर्ड प्रोसेसर आसानी से उपलब्ध है और सी० एम० सी० का "लिपि" आसानी से सरकारी कार्यालय खरीद सकते हैं।

5. श्री पन्नालाल शर्मा ने वैज्ञानिक शैक्षणिक संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग की संभावना के बारे में जानना चाहा। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह विषय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। यह विषय वास्तव में शिक्षा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में उठाया जाना चाहिए। इस बारे में हम शिक्षा मंत्रालय को लिखते अवश्य रहते हैं, परन्तु हमारी ओर से उन पर अधिक दबाव डालना उचित न होगा। शिक्षा मंत्रालय भी अपनी ओर से इस विषय पर विचार कर रहा है। इस समिति का उद्देश्य हमारे कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है।

6. कार्य-सूची की अगली मद "तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा" पर चर्चा शुरु करते हुए महासागर विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री माथुर ने बताया कि उनके विभाग में "हिन्दी-सप्ताह" मनाया गया। "वर्ड प्रोसेसर" खरीदने का भी उनका प्रस्ताव है। विभाग ने 27 जनवरी को एक कार्यशाला आयोजित की थी। इससे कर्मचारियों में हिन्दी में काम करने में जो हिचकिचाहट है वह दूर होती है। साथ ही सामान्य अनुभाग को नियम 8(4) के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है।

7. डा० पी० डी० शुक्ला ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में हिन्दी में हुई प्रगति की प्रशंसा करते हुए सुझाव दिया कि वेतन के चैक भी हिन्दी में दिए जाने चाहिए। श्री पन्नालाल शर्मा ने पदोन्नति आदेश भी हिन्दी में जारी किए जाने का सुझाव दिया। श्री शर्मा ने सुझाव दिया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट में हिन्दी में किए गए कार्य के साथ-साथ अंग्रेजी में किए गए कार्य के आंकड़े भी दिए जाने चाहिए। आवश्यकतानुसार हिन्दी अनुभाग में पदों की संख्या बढाई जानी चाहिए, ताकि काम का स्तर ऊंचा हो। हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी आंकड़े दिए जाने के बारे में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसा ही किया जाएगा। कर्मचारियों की संख्या के बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बजट-सत्र के दौरान अस्थायी नियुक्तियां की जा सकती है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग में महासर्वेक्षक मेजर जनरल गिरीशचन्द्र अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने भी वर्ड-प्रोसेसर खरीदने की कार्रवाई शुरु कर दी है, सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय पूरे देश में फैले हुए हैं। हमारे यहां हिन्दी में काफी अधिक कार्य किया जा रहा है और भविष्य में उसके आंकड़े और भी अच्छे होंगे।

8. राजभाषा विभाग की सचिव श्री कुसुमलता मित्तल ने सुझाव दिया कि वर्ष में कम-से-कम चार कार्यशालाएं आयोजित की जाए, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों को राजभाषा में संबंधित नियमों की जानकारी मिलेगी। अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में आदेश दिया कि वर्ष में कम-से-कम दो कार्य शालाएं आयोजित की जानी चाहिए, जिनमें से, एक, अच्छा हो, आगामी बैठक से पूर्व आयोजित हो, जिसके बारे में सदस्यों को बताया जाए कि इसमें क्या हुआ और उसके क्या परिणाम निकले, शब्दावलियों के बारे में अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि सभी वैज्ञानिक शब्दावलियों की एक-एक प्रति सदस्यों को दी जाए। उन्हों ने कहा कि मात्र संस्कृत निष्ठ भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन केवल बोल-चाल की भाषा से भी काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक दृष्टिकोण यही होगा कि पहले शब्दावली तैयार हो जाए, बाद में उनमें संशोधन किया जा सकता है।

9. डा० बिशनोई ने कहा कि यद्यपि कुल मिलाकर विभाग की रिपोर्ट का अनुवाद काफी अच्छा है, परन्तु कई जगह अंग्रेजी शब्द जैसे —"अलट्रास्ट्रक्चर" और "मिलियन" का इस्तेमाल खटकता है। इस बारे में उन्होंने यह जानना चाहा कि क्या इस रिपोर्ट का अनुवाद एक स्थान पर किया जाता है या अलग-अलग कार्यालयों में होकर आता है। यदि इसका अनुवाद अलग-अलग कार्यालयों में होता हो तो शब्दावली की समरुपता और एकरुपता पर विशेष रुप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि रिपोर्ट में आकड़े "मिलियन" के बजाए "लाखों" और करोड़ों में दिए जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि रिपोर्ट का सारा अनुवाद विभाग में ही किया जाता है, और यह समबद्ध तरीके से होता है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि शब्दावली "एकरुपता" और आंकड़ों को "लाखों" और "करोड़ों" में देने के बारे में विशेष रुप से ध्यान रखा जाएगा।

श्री पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि हमने इस शब्दावली के आधार पर हिन्दी को अनुवाद की भाषा बनाकर रख दिया है। हम पहले सोचते "अंग्रेजी" में हैं और बाद में उसका अनुवाद "हिन्दी" में होता है। इससे "हिन्दी अनुवाद" कृत्रिम हो जाता है। इस बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम आपकी बात मानते हैं कि मूल से हिन्दी में सोचने की आवश्यकता है। परन्तु होता यह है कि हमारे यहाँ अलग-अलग रिपोर्ट विभिन्न प्रभागों/प्रयोगशालाओं से आती हैं, जहाँ पर अलग-अलग राज्यों के लोग कार्य करते हैं और वे अधिकांशतः अंग्रेजी में ही कार्य करते हैं उसके बाद हिन्दी—अनुवाद होता है इसलिए, अनुवाद थोड़ा कृत्रिम लगता है। असल में सोचने के साथ-साथ वाक्य का अर्थ समझकर ही अनुवाद किया जाना चाहिए।

10. श्रीमती कमल रत्नम् ने कहा कि शब्दावली के बारे में इस बैठक में बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है। अब विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग को एक लोकप्रिय "व्याख्यानमाला" का आयोजन करने के बारे में सोचना चाहिए। पुरस्कार योजना के बारे में उन्होंने कहा कि तकनीकी और सैद्धान्तिक पुस्तको के बारे में पुरस्कार देना ठीक है परन्तु, उपन्यास, नाटक और कहानी जैसी साहित्यक विधाओं के माध्यम से विज्ञान के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तकों के बारे में भी पुरस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए।

इस सुझाव के बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि "व्याख्यान-माला" के बारे में श्रीमती कमला रत्नम् का सुझाव मानने में दिक्कतें हैं कि वैज्ञानिक "व्याख्यानमाला" से संबंधित नहीं होना चाहते हैं। हाँ, कम-से-कम एक ऐसे सेमिनार का सभी विभागों द्वारा आयोजन किया जाएगा, जिसमें सारी चर्चा यथासंभव हिन्दी में की जाएगी।

11. श्री कमलेश्वर ने "सांइटिफिक टैंपर" और आकाशवाणी, दूरदर्शन और डाक्यूमेंटरी आदि जैसे जनसंपर्क के साधनों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आपका मंत्रालय इस बारे में छोटे-छोटे कार्यक्रम बनाकर बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे कार्यक्रम के लिए कुछ व्यावसायिक लोगों तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के कार्यक्रमों को रविवार को दी जाने वाली हिन्दी फिल्म के दौरान दस बारह मिनटों के लिए दिखाया जाना श्रेयस्कर होगा। साथ ही उन्होंने हिन्दी में विज्ञान लेखकों को पुरस्कृत करने और प्रोत्साहन देने के बारे में भी सुझाव दिया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वैज्ञानिक लेखों पर लेखकों को प्रोत्साहित करने के बारे में गौर किया जा सकता है। विभाग के संयुक्त सचिव को श्री कमलेश्वर द्वारा सूची प्रदान किए जाने के बाद योजना तैयार की जा सकती है। इसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डा० प्रभाकर माचवे ने कहा कि सभी वैज्ञानिक कार्यक्रम अंग्रेजी में आते हैं, हिन्दी में भी ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण, लघु उद्योग और गैर-पारंपारिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में हिन्दी में काफी सामग्री तैयार हुई है। परमाणु ऊर्जा, खगोल-विज्ञान और अंतरिक्ष पर भी हिन्दी में कार्य कम नहीं है, हम इन विषयों पर फिल्में बनवा रहे हैं, कुछ के "स्क्रिप्ट" तैयार किए गए हैं, जिनमें सुधार/संशोधन किया जा रहा है। कुछ फिल्में अंग्रेजी में तैयार करा के उनकी कमेंट्री हिन्दी में तैयार की जा रही है। ऐसे कार्यक्रमों के लिए हमें प्रधानमंत्री जी का पूरा समर्थन और योगदान मिलता रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी विभागों को टी० वी० कैमरा खरीदने के लिए कह दिया गया है। उसके द्वारा तैयार फिल्मों से "रिकार्ड लाइब्रेरी" बनाने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार से विभिन्न प्रयोगशालाओं के कार्यों को लोगों के सामने रखने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुणे स्थित "राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला" का बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में आम आदमी को जानकारी नहीं है। इन उपलब्धियों का उपयोग न केवल देश में बल्की बहुत से अन्य देशों में भी हो रहा है। कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में तो इसका उपयोग बहुत समय से हो रहा है, जिसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्हों ने आगे यह भी कहा कि विज्ञान और कला को अलग-अलग नहीं रखना चाहिए बल्कि इनके समन्वय की भी आवश्यकता है। इस बारे में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। धन की कोई समस्या नहीं है, बल्कि कई बार तो बजट की राशियां "लैप्स" हो जाती है।

12. अंत में अध्यक्ष महोदय ने इस सारी बैठक की कार्यवाही का संक्षेप में वर्णन करते हुए कहा कि :—

1. महासागर विकास विभाग में "वर्ड-प्रोसेसर" एक मास के अन्दर खरीदा जाना चाहिए। भारतीय सर्वेक्षण वि गि में भी एक "वर्ड-प्रोसेसर" जल्द मंगवाया जाए।
2. पदोन्नति के बारे में आदेश हिन्दी और उसके साथ-साथ अंग्रेजी में भी होने चाहिए।
3. वेतन टी०ए०/डी०ए० आदि के चैक हिन्दी में लिखे जाने चाहिए।
4. वर्ष में एक बार हिन्दी में सेमिनार आयोजित किया जाना चाहिए।
5. समस्त सदस्यों को सभी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों की एक-एक प्रति उपलब्ध करवाई जाए।
6. वर्ष में कम-से-कम दो कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।

इसके पश्चात्, अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

6. वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक वस्त्र मंत्री श्री खुरशीद आलम खां की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 10 जुलाई, 1986 को हुई।

सर्वप्रथम समिति ने दो दिवंगत नेताओं, श्री जगजीवन राम तथा श्री चन्द्रशेखर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक मिनट का मौन रखा।

अध्यक्ष महोदय ने मंत्रालय की नवगठित हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने यह आशा व्यक्त की कि माननीय सदस्यों के अनुभव और सुझावों से मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

श्री चरन दास चीमा, संयुक्त सचिव एवं समिति के सदस्य सचिव ने वस्त्र मंत्रालय में सरकारी प्रयोजन के लिए हिन्दी के प्रयोग की गई प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी दस्तावेज मंत्रालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाते रहे हैं। मंत्रालय में, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय भी शामिल है, 65 हिन्दी टाइपराइटर हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंत्रालय में सभी टाइपिस्टों को हिन्दी टाईपिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाए, एक क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने समिति को बताया कि वस्त्र मंत्रालय को नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है और इस मंत्रालय के अन्य 37 कार्यालयों को भी अधिसूचित किया जा चुका है। हिन्दी के प्रयोग में प्रगति के सम्बन्ध में, विशेष रुप से राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में, मूल्यांकन करने की दृष्टि से वस्त्र मंत्रालय के कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है।

विचार विमर्श शुरु करते हुए माननीय सदस्य श्री राम रतन राम ने कहा कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर

प्रयोग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में मूल समस्या स्कूलों तथा कालिजों में शिक्षण का माध्यम है। उन्होंने कहा की जब तक हिन्दी को पूरे देश में सभी स्तरों पर शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जाएगा, तब तक सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना कठिन होगा। श्री राम रतन राम ने सुझाव दिया कि हिन्दी में कार्य करने के लिए एक व्यापक रुप से स्वीकार्य शब्दावली तैयार की जानी चाहिए। श्री इन्द्र देव ने कहा कि दुर्भाग्यवश, आजादी के बाद से अंग्रेजी भाषा के प्रति लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया है, इसके साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा को एक साधन के रुप में लिए जाने के बजाए, उसे अब एक आभूषण के रुप में महत्व दिया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि मनोवृत्ति में इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह है कि छोटे शहरों में भी अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी में मानक पुस्तकें इस समय भी उपलब्ध नहीं हैं। जिससे हिन्दी के प्रसार में बहुत अधिक बाधा आ रही है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हालांकि वे माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हैं, किन्तु यह बैठक ऐसे मसलों को उठाने के लिए समुचित मंच नहीं है क्योंकि वस्त्र मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित है। तथापि; अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग के सचिव से माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव के सम्बन्ध में सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया।

श्री गुरुदास गुप्त ने कहा कि हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सभी कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने के लिए प्रबन्ध किए जाने चाहिए और ऐसे कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस विषय पर विचार करने के लिए एक समिति स्थापित की जा सकती है। उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि इस बैठक में उपलब्ध कराए गए कुछ कागजात केवल हिन्दी में है। चूंकि वे हिन्दी नहीं जानते हैं इसलिए वे उन्हे पढ़ने में असमर्थ हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में कागजात हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।

श्री गुरु कमलाकर "कमल" ने कहा कि वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय तथा मिल पूरे देश में हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि हिन्दी देश के आम आदमी की भाषा है, इसलिए हिन्दी के प्रयोग को सभी की सुविधा के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

श्री घनश्याम सिंह ने कहा कि जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते है, उनकी सुविधा के लिए कपड़े पर कीमत हिन्दी में भी दी जानी चाहिए। श्री घनश्याम सिंह ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय का उल्लेख किया और कहा कि उस कार्यालय में हिन्दी के केवल तीन टाइपराइटर है जबकि हिन्दी टाइपिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे यह पता चलता है कि हिन्दी जानने वाले टाइपिस्टों का समुचित रुप से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

श्री घनश्याम सिंह ने यह भी कहा कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में सदस्यों को दी गई जानकारी में सही स्थिति नहीं दर्शाई गई है। श्री सिंह ने कहा कि राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुपालन के सम्बन्ध में जानकारी विस्तार में दी जानी चाहिए।

चौधरी राम प्रकाश ने कहा कि जब तक हिन्दी में सरल शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक उसका प्रयोग बढ़ाना संभव नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि चूंकि वस्त्र मंत्रालय कामगारों से सम्बन्ध रखता है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाए जिससे कि गांवों से आए कामगार तथा जन साधारण उसे समझ सकें।

श्री गिरीश गांधी ने श्री घनश्याम सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन किया और कहा कि एन टी सी मिलों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए वहां सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

श्री गिरीश गांधी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक अन्य स्थानों पर भी होनी चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जहां तक हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों का सम्बन्ध है, यह बेहतर होगा कि उन्हें दिल्ली में ही किया जाए। तथापि उन्होंने कहा कि सेमिनार तथा अन्य कार्यक्रमों को विभिन्न स्थानों की स्थिति मंत्रालय को मिलों में समय समय पर आयोजित किया जाए और माननीय सदस्यों को भी ऐसे अवसरों पर आमंत्रित किया जा सकता है।

कुमारी कुसुम लता मित्तल, सचिव, राजभाषा विभाग ने समिति की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न परीक्षा पास करने पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की जानकारी दी जिसमें अग्रिम वेतन वृद्धियां एवं नकद प्रोसाहन भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसे कर्मचारी और अधिकारी, जिन्हे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, सेवा में आते ही हिन्दी में प्रशिक्षण ले ले तो यह काम के हित में होगा।

कुमारी मित्तल ने कहा कि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से यह पता चलता है कि बहुत से कर्मचारियों को अभी भी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है। इस सम्बन्ध में उन्होंने पटसन आयुक्त तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालयों का उल्लेख किया। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जिन्ह हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, जल्दी से जल्दी हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का पालन किया जा सके।

कुमारी मित्तल ने कहा कि पटसन आयुक्त का कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि० राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों को यह देखना चाहिए कि आवश्यक जांच बिन्दु बनाए जाए जिससे कि राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जा सके।

हिन्दी स्टाफ के प्रावधान के संबंध में, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हिन्दी पदों के सृजन पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन कार्यालयों म पर्याप्त हिन्दी स्टाफ नहीं है, वहां इसकी व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

कुमारी मित्तल ने कहा कि भर्ती के लिए विभागीय परीक्षाओं में प्रत्याशी को अपने उत्तर हिन्दी में भी देने का विकल्प दिया जाए और प्रश्न पत्र भी हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाने चाहिए।

इस उद्देश्य से कि बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों के भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष 1986–87 के वार्षिक कार्यक्रम की जानकारी हो कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बात संक्षेप में बताई गई और अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने अपने कार्यालयों में वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध म तिमाही प्रगति रिपोर्टों को पूरी जानकारी देते हुए मंत्रालय के समय पर भेज दिया जाए जिससे कि हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के संबंध में समुचित रुप से मूल्यांकन किया जा सके।

सदस्यों द्वारा विभिन्न प्वाइंटों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, अध्यक्ष महोदय ने निम्नोक्त आश्वाशन दिए ;

1. इसके लिए सभी प्रयास किए जाएंगे कि सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसे समझ सके और अपने दैनंदिन प्रतिदिन के कार्य में उसका प्रयोग भी कर सके।
2. भविष्य में, मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति के संबंध में जानकारी और अधिक ब्यौरेवार दी जानी चाहिए जैसा कि माननीय सदस्यों ने चाहा है।
3. मंत्रयलय के सभी कार्यालयों और मिलों में, समय समय पर सेमिनार तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे कि हिन्दी में कार्य करने के लिए समुचित वातावरण तैयार हो सके और ऐसे सेमिनारों में इस समिति के एक–दो सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।
4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 1986–87 का वार्षिक कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित जांच बिन्दु बनाए जाएं।
5. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि वस्त्र मिलों द्वारा तैयार किए जाने वाले कपड़े पर प्रत्येक मीटर पर बारी–बारी से हिन्दी तथा अंग्रेजी में कीमत दी जाए।

चर्चा समाप्त करते हुए, अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को उनके मूल्यवान सुझावों के लिए धन्यवाद दिया तथा उन्हें फिर यह आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए सभी प्वाइंटों तथा सुझावों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बैठक समाप्त हुई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों तथा राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक

1. कलकत्ता

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, पश्चिम बंगाल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 30–6–86 को श्री जे० एन० छाबड़ा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता मे हुई।

श्री पी० के०, सेन सहायक आयुक्त एवं श्री वीरेन मुखर्जी, केयर–टेकर ने आमंत्रित सदस्य के रुप में बैठक में भाग लिया।

डॉ० जगदीशनारायण, हिन्दी अधिकारी ने बैठक में सदस्य–सचिव के रुप में भाग लिया।

अध्यक्ष महोदय के स्वागत भाषण के उपरान्त कार्यसूची पर विचार–विमर्श हुआ।

1. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2. बैठक में निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श हुए:—

हिंदी शिक्षण योजना :

सदस्य–सचिव ने समिति को सूचित किया कि जुलाई'86 से प्रारम्भ होने वाले हिन्दी प्रशिक्षण के सत्र के लिए प्रवीन एवं प्राज्ञ के लिए क्रमशः 50 एवं 30 प्रशिक्षार्थियों को नामित किया गया है। लिण्ड्से स्ट्रीट कार्यालय से प्रशिक्षार्थियों का नाम न मिल सकने के कारण वहां का सूची हिन्दी शिक्षण–योजना के कार्यालय को नहीं भेजी जा सकी।

इस विषय पर हिन्दी अनुवादक श्री सीताराम झा ने प्रस्ताव रखा कि दोनों स्थानीय कार्यालय हावड़ा और टीटागढ़ में भी यदि हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाय तो ठीक रहेगा। इस प्रस्ताव को समिति ने सहर्ष स्वीकार किया और इस सम्बन्ध में हिन्दी शिक्षन योजना के कार्यालय से पत्र व्यवहार करने को कहा।

धारा 3(3) का अनुपालन :

समिति में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत्–प्रतिशत पालन नहीं होने पर विचार–विमर्श हुआ जिसके अन्तर्गत कार्यालय के समस्त आदेश, परिपत्र निविदाएं हिन्दी और अंग्रेजी में साथ–साथ जारी करना आवश्यक है। इसपर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम धीरे-धीरे प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक सफल भी हैं। कुछ कठिनाईयां जो है

वह हिन्दी स्टाफ की कमी की है। अध्यक्ष महोदय ने प्रभारी अधिकारी प्रशासन से कहा कि शीघ्र हिन्दी सम्बन्धी पदों को भरने हेतु केन्द्रीय कार्यालय को लिखा जाय।

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर :

सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जा रहा है। इसी सन्दर्भ में सदस्य-सचिव ने एक प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक स्थानीय कार्यालय के लिए भी एक-एक हिन्दी टाइपिस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने प्रशासन अनुभाग से इस सम्बन्ध में केन्द्रीय कार्यालय को पत्र लिखने को कहा।

मार्च, 86 की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा :

समिति द्वारा तिमाही के दौरान हिन्दी में किए गए कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई।

मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट की सामयिक प्रेषण :

सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि वांछित सूचनाएं सम्बन्धित अनुभागों द्वारा समय के अन्दर न मिल पाने के कारण उक्त रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालय को भेजने में विलम्ब हो जाता है। पोर्ट ब्लेयर एवं सिलीगुड़ी उपक्षेत्रीय कार्यालय से भी रिपोर्ट समय से नहीं प्राप्त होता फलस्वरूप सभी रिपोर्टों को समेकित करके केन्द्रीय कार्यालय को भेजने में और भी विलम्ब होता है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुख्यालय में समय पर सूचना देने के लिए एक ज्ञापन दे दिया जाय तथा पोर्ट ब्लेयर एवं सिलीगुड़ी को आवश्यक कार्यवाही के लिए मेरे हस्ताक्षर से एक अर्धशासकीय पत्र भेजा जाय।

आगम एवं निर्गम पंजिकाओं का बनाया जाना :

समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि डाक-अनुभाग द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के लिए अलग से आगम एवं निर्गम पंजिका बनाई जाय। सदस्य-सचिव ने एकबार फिर से अनुरोध किया कि डाक अनुभाग में एक हिन्दी जानकार कर्मचारी को तैनाती की जाय। इस पर अध्यक्ष महोदय ने प्रशासन अनुभाग से तत्काल कार्यवाही करने को कहा।

हिन्दी पुस्तकालय, स्थान एवं रख-रखाव :

सदस्य-सचिव ने समिति के समक्ष, प्रस्ताव रखा कि ऐसे स्थान की व्यवस्था की जाय जहां हिन्दी अनुभाग, हिन्दी अधिकारी एवं पुस्तकालय के रख-रखाव की व्यवस्था एक साथ हो सके। सपर अध्यक्ष महोदय ने कार्यालय में स्थान की कमी की चर्चा करते हुए स्थापना-I से कहा कि हिन्दी अनुभाग के लिए एक आलमारी यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाय जो कि हिन्दी सहायक के पास रहे।

हिन्दी कार्यशाला का आयोजन :

सदस्य-सचिव ने समिति के समक्ष, कार्यालय में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने की झिझक दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन करने का प्रताव रखा। इस पर सभी सदस्यों ने सहर्ष अपना अनुमोदन किया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने अगस्त के अन्तिम सप्ताह में कार्यशाला करने को कहा तथा कार्यशाला सम्बन्धी कामकाज एवं व्यय की देखरेख हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की—

1. श्री मु० अन्सारी—अध्यक्ष
2. श्री एस० के० चटर्जी—सदस्य
3. श्री सुधेन्दु भद्र—सदस्य
4. डॉ० जगदीशनारायन—सचिव

अन्त में, अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

डॉ० जगदीश नारायण
हिन्दी अधिकारी

2. मंगलूर

मंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक दिनांक 21-8-1986 को कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूर के सभागृह में आयोजित की गई। इसमें केंद्रीय कार्यालय तथा सरकारी उपक्रम के करीब 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की शुरूआत सरस्वती वंदना से हुई। तत्पश्चात्, कार्पोरेशन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा इस समिति के अध्यक्ष श्री वाय० एस० हेगडे ने सहभागियों का स्वागत किया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की स्थापना के उद्देश्य के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के संवैधानिक उपबंधों की विशेष चर्चा करते हुए उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इन अनुदेशों का उचित रूप से अनुपालन करें।

तत्पश्चात् श्री वाय० एस० हेगडे ने आज की बैठक के मुख्य अतिथि तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के उप सचिव श्री गोविन्द दास बेलिया का पुष्पहार से स्वागत किया और उनसे अनुरोध किया कि वे मंगल दीप प्रज्वलित कर बैठक का विधिवत् उद्घाटन करें। उद्घाटन के बाद मुख्य अतिथि की आसंना से बोलते श्री बैलिया ने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर विस्तृत प्रकाश डाला और उपस्थित सहभागियों से अनुरोध किया कि वे सरकार की राजभाषा नीति की अपेक्षानुसार राजभाषा हिंदी को बढ़ावा दें। उन्होंने सदस्यों से आपस में विचार विमर्श कर कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान करने का सुझाव दिया। हिंदी प्रशिक्षण में अधिक तेजी लाने की दृष्टि से उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने कर्मचारियों को विभिन्न हिंदी प्रशिक्षण केंद्रों में प्रतिनियुक्त करें। श्री बेलिया ने संयोजक बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री वाय० एस० हेगडे के उत्साह तथा बैठक की उतकृष्ट व्यवस्था के लिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।

कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं महा प्रबंधक (प्रशासन) श्री के० आर० शने ने इस अवसर पर राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 1976 के नियम 7 और नियम 12 की

सांविधिक अपेक्षाओं का विशेष उल्लेख किया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्पोरेशन बैंक को संयोजक के रूप में नियुक्त करने के लिए श्री के० आर० शेने ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की तथा मुख्य अतिथि सहित सभी सदस्यों को आश्वासन दिया कि वे संयोजक के रूप में अपनी बेहतरीन भूमिका निभायेंगे।

समिति के सदस्य सचिव श्री नरसिंह प्रसाद यादव ने विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों की समीक्षा करते हुए प्रस्तुत विवरणियों में पाई गई कमियों की ओर इशारा किया और सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे भविष्य में पूर्ण एवं सही जानकारी प्रस्तुत करें।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री रामचंद्र मिश्र, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर, इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उचित हल सुझाया और उन्हें आश्वस्त किया कि हिंदी के कार्यान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों का सरकार हर संभव हल निकालेगी। केनरा बैंक, मंडल कार्यालय के उप महा प्रबंधक श्री एस० आर० शर्मा तथा उनके राजभाषा अनुभाग के प्रबंध श्रीमती शांता किणि ने अपने बैंक में हुई हिंदी की प्रगति की एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। सिंडिकेट बैंक, अंचल कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री ई० ईश्वर राव ने भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उनके बैंक द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक ने गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे मंगलूर में संयुक्त हिंदी कार्यशाला आयोजित करने की आवश्यक व्यवस्था करें।

डाक घर के वरिष्ठ अधीक्षक तथा हिंदी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारी श्री नेडुंगडी ने मंगलूर में उपलब्ध हिंदी शिक्षण सुविधाओं को विस्तार पूर्वक बताया। हिंदी शिक्षण योजना के हिंदी प्राध्यापक श्री वच्चन प्रसाद द्वारा आयोजित की जा रही कक्षाओं तथा पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। हिंदी शिक्षण से संबंधित प्रगति रिपोर्ट समिति के समक्ष की गई। श्री नेडुंगडी ने प्रायोजक कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे हिंदी कक्षाओं के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की 100% उपस्थिति को सुनिश्चित करें।

समिति के अध्यक्ष के सुझावानुसार सात सदस्यों की एक उप-समिति गठित की गई। इस समिति के लिए नामित सदस्यों का विवरन इस प्रकार है—

सदस्य का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम
1. श्री के० बी० कामत	निदेशक (दूरसंचार)	निदेशक दूरसंचार कार्यालय
2. श्री के० दामोदरन	स्टेशन अधीक्षक	दक्षिण मध्य रेल्वे
3. श्री एन० एल० आचार	सचिव	न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट
4. श्री एम० गणेश राव	स्टेशन प्रबंधक	इंडियन एयर लाइंस
5. श्रीमती शांता किणि	प्रबंधक	केनरा बैंक
6. श्री वच्चन प्रसाद	हिंदी प्राध्यापक	हिंदी शिक्षण योजना
7. नरसिंह प्रसाद यादव।	प्रभारी अधिकारी	कार्पोरेशन बैंक

ये सदस्यों के स्थानीय कार्यालयों का दौरा करेंगे तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देंगे।

कार्पोरेशन बैंक के उप महा प्रबंधक श्री यू० वी० नायक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

3. गोवा

एम.एम० टी० सी० क्षेत्रीय कार्यालय गोवा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक दि० 30-9-86 को प्रभागीय प्रबंधक श्री चमनलाल की अध्यक्षता में उन्हीं के कमरे में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

श्री चमनलाल	प्रभागीय प्रबंधक	अध्यक्ष
श्री पी० पोन्नंम्बलम	संयुक्त प्रभागीय प्रबंधक	सदस्य
श्री पी० रामलिंग मूर्ति	वित्त व लेखा प्रबंधक	सदस्य
श्री जे० एन० शर्मा	उप प्रभागीय प्रबंधक	सदस्य
श्री जे० जे० पीटर्स	कार्यालय प्रबंधक (हिन्दी)	सदस्य-सचिव

श्री जे० पी० माथुर, उप प्रभागीय प्रबंधक कार्य व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके तथा उन्हें अनुपस्थित रहने की छूट दी गई।

कार्यसूची के अनुसार सर्व प्रथम सनदस्य सचिव ने पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया तथा निम्न मुद्दों पर विचार करके उसकी पुष्टि की गई।

दि० 6-6-86 को आयोजित पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि हिन्दी कक्ष के अलावा अन्य अनुभागों से भी कुछ पत्र हिन्दी में जारी किए जाएं। सदस्य सचिव ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यालय को हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या बहुत ही कम है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों को सूचित किया कि मुख्यालय को भेजे जाने वाले अधिकतर पत्र हिन्दी में ही भेजे जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा एक परिपत्र जारी किया जाएगा तथा सभी अधिकारियों को हिन्दी के कार्य में बढ़ावा देने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

कार्यसूची के अनुसार हिन्दी की पुस्तकें खरीदने के बारे में यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी की ऐसी पुस्तके खरीदीं जाएं जो अहिन्दी भाषियों द्वारा आसानी से पढ़ी जा सके। वर्ष 86-87 के लिए हिन्दी पुस्तकों के खरीदी हेतु समिति ने 4,000/- रु० की राशि की स्वीकृति की।

कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण देने के संबंध में सदस्य सचिव ने सदस्यों को बताया कि कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण देने हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्को शहर के टाइपिंग प्रशिक्षण संस्थाओं में हिन्दी टाइपिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है तथापि कार्यालय में हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण देने के लिए एक अतिरिक्त हिन्दी टाइपराइटर की आवश्यकता है। इस सुझाव को स्वीकार करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जल्द ही एक अतिरिक्त हिन्दी टाइपराइटर खरीदा जाएगा।

वर्ष 86-87 के दौरान "हिन्दी दिवस" के आयोजन के बारे में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि नवंबर/दिसंबर 1986 में "हिन्दी दिवस" मनाया जाएगा तथा इस के पूर्व कार्यालय में हिन्दी निबंध लेखन तथा हिन्दी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा।

चमन लाल
अध्यक्ष

4. नाशिक

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के आदेशानुसार नाशिक (महाराष्ट्र) में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का का गठन किया गया है समिति के अध्यक्ष श्री पा० सु० शिवराम, महाप्रबन्धक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड और सदस्य सचिव श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, मुख्य लेखा एवं प्रशासन अधिकारी, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय हैं। नाशिक नगर के कुल 44 सरकारी कार्यालय, बैंक, निगम इसके सदस्य हैं। समिति की बैठकें नियमित रूप से होती हैं और उसमें प्रत्येक कार्यालय की हिन्दी में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है।

समिति ने वर्ष 1985 में "हिन्दी दिवस" नगर स्तर पर मनाया और अनेक हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। इस अवसर पर एक छोटी पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था जिसमें सरकार द्वारा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों एवं संगठनों की जानकारी के साथ साथ केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद् द्वारा प्रकाशित हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन में सहायक पुस्तकों को भी रखा गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सदस्य कार्यालयों से अच्छा सहयोग मिला।

समिति की प्रत्येक बैठक में हिन्दी के प्रयोग के लिए उपयोगी साहित्य सदस्य कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। बैठक के कार्यवृत्त के साथ राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण आदेशों की प्रतियां भी भेजी जाती हैं तथा केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की भी जानकारी सदस्य कार्यालयों को समय समय पर दी जाती हैं। सदस्य कार्यालय समिति से सभी पत्राचार हिन्दी में ही करते हैं। अधिकांश सदस्य कार्यालयों में हिन्दी के पद सृजित नहीं हुए हैं परन्तु फिर भी सभी कार्यालय हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। हिन्दी पदों के सृजन और उनके भरने के लिए समिति, सदस्य कार्यालयों का समुचित मार्गदर्शन कर रही है।

लक्ष्मीनाराण गुप्त
सदस्य सचिव
[एवं
मुख्य लेखा एवं प्रशासन
अधिकारी,
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय
नाशिक रोड

5. नई दिल्ली

इंडियन आयल कार्पोरेशन के पाइपलाइन मुख्यालय, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीसरी बैठक 29-9-1986 को महाप्रबन्धक (पाइपलाइन मुख्यालय) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

उपस्थित सदस्यों व अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हुए सचिव महोदया ने राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह कुशवाहा, उप-निदेशक, का अध्यक्ष महोदय व सदस्यों से परिचय करवाया। अध्यक्ष महोदय ने श्री कुशवाहा का स्वागत किया। बैठक पिछली त्रैमासिक बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा से आरम्भ हुई।

1. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा के दौरान सचिव ने समिति को सूचना दी कि पिछली बैठक में किए गए निर्णयानुसार राजभाषा अधिनियम व वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धी पैम्फलेट सभी विभागों/यूनिटों में बंटवा दिए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचना दी कि 16–17 सितम्बर, 1986 को मुख्यालय में ग्रेड "ए" व "बी" के अधिकारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया और प्रतिभागी अधिकारियों ने अपना दैनिक काम हिन्दी में निपटाना शुरू कर दिया है। श्री कुशवाहा ने कहा कि यह एक अच्छी उपलब्धि है। सचिव ने यह भी सूचना दी कि वर्ष 1986-87 में मुख्यालय में दो और तथा बीकेपीएल में एक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

2. सचिव ने सूचना दी कि हाल ही में 6 अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी की विभिन्न परीक्षाएं पास की हैं। महाप्रबन्धक महोदय ने बैठक में ही उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नकद पुरस्कार दिए।

3. कार्पोरेशन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए कार्यों का विवरण देते हुए सूचना दी गई कि स्थानीय सवारी खर्चों का रजिस्टर व फाइल, कार्मिक विभाग का मासिक उपस्थिति विवरण, वित्त प्रभाग में भुगतान के ब्यौरे दर्ज करने का काम केवल हिन्दी में ही निपटाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 15 प्रकार के नेमी कार्यालय आदेश जैसे वाहन पेशगी की मंजूरी का आदेश, कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए निजी कार के प्रयोग सम्बन्धी कार्यालय आदेश, स्थानान्तरण आदेश, वाहन मरम्मत मंजूरी

आदेश, ओरिएंटेशन प्रोग्राम पूरा करने का आदेश, परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरा करने पर पुष्टि आदेश, जीईटी को दिए जाने वाले कार्यालय आदेश, पदोन्नति सम्बन्धी आदेश, वेतन नियतन आदेश आदि का हिन्दी अनुवाद मुहैया कर दिया गया है और इस बात की भी व्यवस्था कर दी गई है कि इस तरह के नेमी कार्यालय आदेश द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं।

4. सचिव ने उपस्थित सदस्यों को सूचना दी कि हिन्दी प्रतियोगिताओं का व्यापक वार्षिक कार्यक्रम बना लिया गया है और हिन्दी सप्ताह के दौरान एक हिन्दी कार्यशाला के अलावा हिन्दी सुलेख व श्रुतलेख प्रतियोगिता, हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता, हिन्दी निबन्ध व कविता लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिन्दी निबन्ध व कविता लेखन प्रतियोगिता में मुख्यालय के साथ-साथ यूनिटों को भी शामिल किया गया ताकि पाइपलाइन के अधिक से अधिक कर्मचारी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता में एमजेपीएल के भी 4 कर्मचारियों ने भाग लिया।

5. उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के अलावा स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। साथ ही हिन्दी सप्ताह के दौरान बैनर आदि लगाए गए और इस अवसर पर हिन्दी प्रचार-प्रसार के विशेष प्रयास के रूप में महाप्रबन्धक का संदेश कार्डों पर छपवा कर वितरित किया गया। हिन्दी में मूल पत्राचार बढाने के संबंध में चर्चा के दौरान सचिव ने सदस्यों को सूचना दी कि रिफाइनरी व पाइपलाइन प्रभाग ने मानक पत्रों का द्विभाषी सार-संग्रह मुद्रित करा लिया है जैसे ही इसकी प्रतियां प्राप्त होंगी इन्हें यूनिटों व मुख्यालय के कर्मचारियों में वितरित करा दिया जाएगा जिससे मूल हिन्दी पत्राचार में वृद्धि करने में अवश्य सहायता मिलेगी।

6. पिछली तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट पर समीक्षा के दौरान श्री कृशवाहा ने इस बात की जानकारी चाही कि राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की दिशा में क्या जांच बिन्दु बनाए गए हैं? सचिव ने सूचना दी कि विविध स्तरों/स्थानों पर कई जांच बिन्दु पहले ही बनाए जा चुके हैं। श्री कृशवाहा ने कहा कि पाइपलाइन यूनिटों में भी हिन्दी सम्बन्धी निरीक्षण किया जाना चाहिए। संक्षिप्त चर्चा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि नियमित रूप से यूनिटों में हिन्दी की प्रगति की वास्तविक स्थिति की समीक्षा के लिए निरीक्षण किया जाना चाहिए।

7. महाप्रबन्धक ने सुझाव दिया कि एक वरिष्ठ अधिकारी व हिन्दी अधिकारी यूनिटों में हिन्दी की स्थिति का जायजा लेने के लिए थोडे-थोडे समय बाद वहां का दौरा करें और जब तक अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती, यूनिटों का हिन्दी कार्य मुख्यालय से ही विनियमित किया जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी यूनिटों में कार्मिक व प्रशासन विभाग के एक अधिकारी को हिन्दी का कार्य देखने के लिए नामित किया जाए और यूनिट में हिन्दी प्रचार-प्रसार, मुख्यालय हिन्दी अनुभाग द्वारा मांगे जाने वाले विवरण भेजने, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में भेजे जाने वाले आदेशों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाए।

8. इस बात पर भी चर्चा की गई कि हिन्दी में प्रशिक्षित टाइपिस्ट/स्टेनोग्राफर अभ्यास न होने के कारण हिन्दी टाइपिंग करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। संक्षिप्त चर्चा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि टाइपिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन और जल्दी-जल्दी कराया जाए।

9. सचिव ने उपस्थित सदस्यों को सूचना दी कि हिन्दी अनुभाग के वर्तमान पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकों की वृद्धि करके उसे और समृद्ध बनाया गया है। इन पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के शब्दकोश, उपन्यास, कहानियों की पुस्तकें और अन्य रुचिपूर्ण साहित्य शामिल किया गया है। यह निर्णय लिया गया कि कार्पोरेशन में हिन्दी का वातावरण बनाने के लिए इस पुस्तकालय के सदस्यों के लिए यह लाजमी होगा कि वे अपने रोजमर्रा के फार्म आदि केवल हिन्दी में ही भरें।

10. श्री राजेन्द्र सिंह कुशवाहा, उप-निदेशक राजभाषा विभाग ने सुझाव दिया कि हिन्दी अधिकारी को चाहिए कि वे हिन्दी कार्यशाला के प्रतिभागियों को उत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें समय-समय पर अपना रोजमर्रा का काम हिन्दी में करने के लिए सचेत व प्रोत्साहित करे जो कि एक प्रकार से कार्यशाला की अनुवर्ती कार्रवाई होगी।

6. पटना

पटना नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीसरी बैठक शनिवार, दिनांक 9-8-1986 को बैंक आफ इंडिया के संयोजन में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संयोजक बैंक–बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक एवं समिति के अध्यक्ष श्री प्रितपाल सिंह जनेजा ने की।

बैठक में पटना नगर स्थित 13 बैंकों के वरिष्ठतम/प्रभारी अधिकारी तथा 5 बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री नूरूल्लाह ने कहा कि बैंकों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंकों की हिन्दी शाखाओं की संख्या में और अधिक वृद्धि होने की आवश्यकता है। ऐसी शाखाओं में हिन्दी में काम करने के मुद्दे पर ग्राहकों एवं कर्मचारियों का सहयोग रहता है, जिससे कारोबार में वृद्धि होने की संभावनाएं बढती हैं। द्विभाषीकरण की स्थिति में अब हिंदी को अपनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और अब गैर हिन्दी भाषी भी रुचिपूर्वक इस भाषा को सीख रहे हैं। यह हिंदी में काम करने के लिए एक आदर्श स्थिति है और सभी बैंकों को इसका लाभ उठाते हुए अपनी अधिकाधिक शाखाओं में हिंदी में कामकाज प्रारंभ कर देना चाहिए।

अध्यक्ष श्री जनेजा ने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि "क" क्षेत्र में स्थित बिहार राज्य में हिन्दी प्रगति के संबंध में रबर मुहरों आदि पर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा को व्यवहार में लाने के लिए 37-38 वर्षों की अवधि कोई कम नहीं होती और अब तो हमें सारा कामकाज हिंदी में करना नितान्त जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी भाषा को लागू

करने के लिए 5 वर्ष का समय दिया था और टोडरमल ने सिर्फ 3 वर्षों में उर्दू भाषा को प्रचलित कर दिया था। अतः हिंदी के लिए ऐसी कोई बात नहीं कि इस भाषा में काम न हो। आवश्यकता सिर्फ काम शुरू करने की है।

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का स्वागत बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक श्री पी० एल० पंकज ने किया। सचिवीय रिपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के राजभाषा अधिकारी तथा समिति के सदस्य सचिव श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात बैंकों की हिंदी प्रगति पर विशद चर्चा की गई तथा उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। धन्यवाद ज्ञापन बैंक ऑफ इंडिया के उप आंचलिक प्रबंधक श्री यशपाल महाजन ने किया।

बैठक में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्र एवं अंतर शाखा राजभाषा पुरस्कार तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित किए गए। पुरस्कार विजेताओं के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. अंतर क्षेत्र राजभाषा पुरस्कार 1985—हजारीबाग क्षेत्र
2. अंतर शाखा राजभाषा पुरस्कार 1985—करबिगहिया शाखा
3. अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता—हिंदी भाषी समूह में प्रथम पुरस्कार—श्री पी० के० पाण्डेय (जमशेदपुर शाखा)
4. बिहार अंचल स्तर—पंजाबी, गुजराती, मराठी भाषी समूह—श्री एन० के० झा (गिरिडीह क्षेत्रीय कार्यालय)

अन्य भाषा-भाषी समूह—श्री एस० दत्ता (जमशेदपुर क्षेत्रीय कार्यालय)।

आंचलिक प्रबन्धक

7. मेरठ

तारीख 25-8-86 को हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मेरठ की नवीं बैठक का कार्यवृत्त

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मेरठ की नवीं बैठक आयकर आयुक्त मेरठ, श्री ओंकार नाथ मेहरोत्रा जी की अध्यक्षता में तारीख 25-8-86 को साँय 3 बजे आयकर भवन, मेरठ के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई; जिसमें राजभाषा विभाग, नई दिल्ली की ओर से श्री महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक ने भाग लिया। बैठक का प्रारम्भ श्री गुप्त द्वारा सरस्वती को माल्यार्पण, दीप प्रज्जवलन एवं सरस्वती वंदना द्वारा हुआ। मुख्य अतिथि अध्यक्ष आदि का स्वागत हो जाने के बाद सदस्य-सचिव, श्री वी० पी० सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया, और सभी से अपना-अपना परिचय देने के लिए कहा।

इसके बाद कार्यसूची के विषयों पर मदवार चर्चा हुई। सर्वप्रथम पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी जिसका आयोजन तारीख 13-12-1985 को हुआ था।

आयकर आयुक्त, मेरठ एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मेरठ, श्री ओंकारनाथ मेहरोत्रा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमने 10 दिन पूर्व भी 39वां स्वाधीनता दिवस मनाया था और राष्ट्र ध्वज फहराया था। स्वाधीन राष्ट्र में जिस प्रकार एक एक राष्ट्रीय ध्वज होना आवश्यक है उसी प्रकार राष्ट्र की अपनी एक भाषा होना आवश्यक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र भाषा हिन्दी को बनाया परन्तु संविधान को लागू हुए 35 वर्ष पूरे हो चुके हैं परन्तु आज तक हम हिन्दी को सच्चे अर्थों में राष्ट्रभाषा के पद पर पदस्थापित नहीं कर पायें हैं। हमारी सरकार की यह कोशिश रही है कि कोई भी यह न कहे कि हिन्दी हम पर थोपी जा रही है स्वेच्छा से हिन्दी की प्रगति निरन्तर हो रही है। सरकारी कामकाज में प्रयोग की भाषा अर्थात राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी को बनाया है। राजभाषा विभाग की ओर से प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है, उसमें क्षेत्रवार स्थित कार्यालयों के लिए निर्धारित मदों के अनुसार हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना है। इसमें बहुत कुछ योगदान हमारी मनोवृत्ति का होता है। उन्होंने बताया कि मानसिक अवरोध के कारण ही हम हिन्दी का प्रयोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमें अपना मनोबल ऊपर उठाना है और संकोच को दूर करना है। संकल्प, निष्ठा एवं चेष्टा में त्रिबल है जिनके अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। निष्ठा की तो हममें कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सभी बचपन से ही हिन्दी के शब्द बोले हैं। संकल्प और चेष्टा की भी कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और सरकार की ओर से इसके लिए अधिनियम संकल्प एवं राजभाषा नियम भी बनाये जा चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के संदेश को पढ़कर सुनाया जो कि "वार्षिक कार्यक्रम" नामक पुस्तिका में छपा है। संदेश में हिन्दी के प्रचार व प्रसार के लिए प्रेम सौहार्द को अपनाने पर जोर दिया गया है इसके साथ हिन्दी को राजभाषा इस लिए बनाया गया है कि यह भाषा देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, इसमें भी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है, यह भाषा ही पूरे भारत वर्ष को एकता के सूत्र में बांध सकती है। इसके पश्चात् श्री मेहरोत्रा जी ने मुख्य अतिथि श्री महेश चन्द्र गुप्त का तथा बैठक में उपस्थित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों सहित सभी सदस्यों का स्वागत किया और उन्होंने श्री महेश चन्द्र गुप्त जी से अनुरोध किया कि वे समिति को राजभाषा नीति एवं वार्षिक कार्यक्रम आदि के संबंध में बताएं।

अध्यक्षीय भाषण सुनने के पश्चात सदस्य सचिव ने श्री महेश चन्द्र गुप्त जी से अनुरोध किया कि वे अपने विचार समिति के सामने रखें। श्री गुप्त जी ने बताया कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरठ के आसपास बोली जाने वाली भाषा ही राजभाषा बनी है। हिन्दी हमारे देश की राजभाषा ही नहीं बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी बनने वाली है। इस दिशा में अब तक 3 विश्वहिन्दी सम्मेलन हो चुके हैं और यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार की है कि विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिन्दी का तीसरा स्थान है। उन्होंने बताया कि मेरठ के कुछ कार्यालयों का उन्होंने निरीक्षण किया तो उन्हें उनकी आशा से कम कार्य हिन्दी में होता दिखाई दिया। जब कि मेरठ क्षेत्र की भाषा राजभाषा बनी है, फिर यहां के कार्यालयों में हो रहे हिन्दी के प्रयोग की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे सभी अपने-अपने विभागों/कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाएं। इसके

मार्ग में आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का निराकरण किया जाये। उन्होंने राजभाषा नीति के बारे में बताया कि मेरठ "क" क्षेत्र में स्थित है इस लिए केन्द्र सरकार "के" कार्यालयों से क क्षेत्र के केन्द्रीय कार्यालयों तथा "क" क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा व्यक्तियों को भेजे जाने वाले मूल पत्र शत-प्रतिशत हिन्दी के होने चाहिए। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाने चाहिए। इसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं। आशुलिपिकों एवं टाइपिस्टों को बाजार में उपलब्ध संस्थानों से हिन्दी टाइप एवं हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रशिक्षण के बाद हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षा पास करने पर आशुलिपिकों को 500/- रुपये तथा टाइपिस्टों को 200/- रुपये एक मुश्त पुरस्कार एवं साथ में एक वेतन वृद्धि भी दिये जाने का प्रावधान है। हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या में अनुपातिक आधार पर दिन प्रतिदिन वृद्धि की जानी चाहिए। प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक हिन्दी का टाइपराइटर होना आवश्यक है। राजभाषा नियमों के नियम-12 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की यह जिम्मेवारी है कि वह हिन्दी के प्रयोग के लिए राजभाषा संबंधी नियमों, आदेशों, अनुदेशों का पालन किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अनुरोध किया कि सभी सदस्य कार्यालय अपने यहां कुछ अनुभागों जैसे—स्थापना प्रशासन एवं लेखा संबंधी अनुभाग आदि को केवल हिन्दी में ही कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकते हैं तथा कुछ फाइलों को चुन सकते हैं जिनका सारा कार्य हिन्दी में किया जाये। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में स्थित विभिन्न कार्यालयों में केवल हिन्दी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट किये गये अनुभागों/कार्यों का उदाहरण समिति के सामने रखा। जिनमें बैंकों, मंत्रालयों, विभागों आदि के नामों का उल्लेख किया। नियम 8(4) के अंतर्गत अनुभाग, कार्यालय विनिर्दिष्ट करके उनका पूरा कार्य हिन्दी में कराया जा सकता है। राजभाषा के प्रयोग करने के लिए जो समस्याएं मार्ग में आती हैं, उनको दूर करने की हम सभी की जिम्मेदारी है।

इसके बाद सदस्य सचिव ने बताया कि बैठक के प्रारंभ होने से पहले केवल 20 सदस्य कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें दिये आंकड़ों के अनुसार जो भी आपत्तिजनक आंकड़ें हैं, उन पर विचार किया जाना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ की रिपोर्ट के अनुसार उनके यहां 1,113 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए जिनमें से 722 पत्रों के उत्तर हिन्दी में तथा 391 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिये गये। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देना राजभाषा नियमों का उल्लंघन है। संलग्न समेकित रिपोर्ट के अनुसार एक-एक करके सभी कार्यालयों की प्रगति रिपोर्टों पर विचारविमर्श और बठक में भाग लेने आए विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों से राजभाषा नियमों के उल्लंघन की स्थिति पर चर्चा हुई और उनके ऐसा करने के कारणों/कठिनाइयों आदि के निराकरण के उपाय भी सुझाए गये। अनुवाद की समस्या को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव की सहायता से दूर किया जा सकता है अथवा अपने ही कार्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा मानदेय (ओनोरेरियम) देकर अनुवाद किया जा सकता है। हिन्दी टाइप एवं हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को नगर में स्थित प्राइवेट संस्थानों में भेजा जा सकता है। टाइपराइटरों की संख्या में अनुपातिक तौर पर वृद्धि की जा सकती है या अंग्रेजी के टाइपराइटरों को हिन्दी टाइपराइटरों में परिवर्तित कराया जा सकता है। हिन्दी में कार्य करने की झिझक को दूर करने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं को आयोजन किए जा सकते हैं।

अंत में निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, मेरठ, श्री जी० आर० जोशी ने मुख्य अतिथि श्री गुप्त, निदेश, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को तथा बैठक में आए विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि उन सभी की ओर से आगे भी इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा।

(वी० पी० सिंह)
सहायक निदेशक (रा०भा०)
आयकर आयुक्त कार्यालय, मेरठ
एवं सदस्य सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
मेरठ।

8. फूलपुर

फूलपुर, 31 जुलाई, 1986 : इफको फूलपुर में इलाहाबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सातवीं बैठक आयकर आयुक्त श्री केदार नाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लगभग 65 केन्द्रीय कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयासों, वर्ष 1986-87 के वार्षिक कार्यक्रम पर विचार किया गया। राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक के मुख्य अतिथि थे भारत सरकार, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए श्री मिश्र ने उपस्थित प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलावें। उन्होंने कहा कि हिन्दी शासन और नागरिकों के बीच सम्पर्क की भाषा है, व्यवहार की भाषा है और उसे उसका उचित स्थान दिलाना हम सब का नैतिक दायित्व है। श्री मिश्र ने कहा कि जो सार्वजनिक उपक्रम अपने कार्यचालन में श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें हिन्दी का प्रयोग भी उसी गति से बढ़ता जा रहा है। इफको का उदाहरण देते हुए श्री मिश्र ने बताया कि सहकारी क्षेत्र का यह संस्थान दिनों दिन कार्य निष्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और यहां हिन्दी का प्रयोग भी द्रुतगति से बढ़ रहा है। हिन्दी का राष्ट्रीय महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि जो उपक्रम जनता की भाषा को अपनाते हैं उनकी उन्नति भी तेजी से होती है।

इसके पूर्व इफको के संयुक्त महाप्रबन्धक श्री इन्दर जीत ओहरी ने सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया और इफको में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति पर प्रकाश डाला। अध्यक्षीय पद से बोलते हुए आयकर आयुक्त श्री केदार नाथ ने कहा कि राजभाषा का स्थान साहित्यिक भाषा से अलग है, यह सम्पर्क भाषा है। उन्होंने बताया

कि हिन्दी को हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है और सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग बढ़ाना हम सबका दायित्व है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह समिति इसलिए गठित की गई है कि हम सब मिल कर यह देख सकें कि पिछले छमाही में हमारे कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग में कितनी प्रगति हुई, हमारे सामने क्या-क्या बाधाएं, कठिनाई आई। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने "यहां हिन्दी सप्ताह"/"हिन्दी दिवस" का आयोजन करके हिन्दी के लिए एक वातावरण बनाएं, पुरस्कार योजनाएं आरम्भ करें ताकि अधिक से अधिक लोग हिन्दी का प्रयोग करने लगें।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक श्री भैरव नाथ सिंह ने बताया कि ब्यूरो इलाहाबाद में अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने पर विचार कर रहा है जिसमें विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अनुवादकों और अन्य कर्मचारियों को एक सप्ताह तक अनुवाद का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। श्री सिंह ने सरल और सुबोध हिन्दी की आवश्यकता पर भी बल दिया।

अन्त में इफको द्वारा आयोजित दो हिन्दी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार पाने वाले 57 व्यक्तियों को आयकर आयुक्त महोदय ने पुरस्कृत किया। श्री राम प्रकाश सिंहल, अधीक्षक (यांत्रिकी) ने इन प्रतियोगिताओं का विवरण दिया। मंच संचालन श्री राम चन्द्र लाल श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, राजभाषा ने किया।

ब० सिंह, सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) द्वारा प्रसारित।
दूरभाष संख्या : 51935, 52201—(कार्यालय)

वाराणसी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छःमाही बैठक दिनांक 25-8-86 को निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त श्री कृष्ण कान्त राय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। भारत सरकार, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री वीर अभिमन्यु कोहली, उपसचिव एवं श्री मनोहर लाल मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी ने इसमें भाग लिया।

मुख्य अतिथि श्री कोहली ने अपने उद्बोधन में इस बात पर बल दिया कि हिन्दी को प्रेमाग्रह के द्वारा ही प्रोत्साहित किया जाय। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा संबंधी आंकड़ें वास्तविक कामकाज के आधार पर ही भेजें जाय। जब तक ऐसा नहीं होगा कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की वास्तविक कमी को दूर नहीं किया जा सकता। जब तक कमियों का मूल्यांकन नहीं होगा आगे की कठिनाइयों का निराकरण नहीं किया जा सकता। वाराणसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सक्रियता उन्होंने कहीं नहीं देखी है।

अनुसंधान अधिकारी श्री मैत्रेय ने राजभाषा हिन्दी के वार्षिक कार्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की विभिन्न कठिनाइयों के निराकरण पर काफी वृहद् रूप चर्चा की। उन्होंने बताया कि राजभाषा के अखिल भारतीय सम्मेलनों में भारत के राष्ट्रपति जी एवं प्रधान मंत्री जी ने यह बात बार-बार कही है कि जब कार्यालयों में 90 प्रतिशत कर्मचारी हिन्दी जानते हैं तो हिन्दी में कार्य क्यों नहीं होता है। श्री मैत्रेय ने कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध किया कि कार्यालयों को राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करने में तेजी ले आएँ। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी देश की एकता की कड़ी है और सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। काशी नगरी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सारे देश की इस साहित्यिक एवं सांस्कृतिक राजधानी में, हिन्दी में कार्य न हो, यह खेद की बात है।

इसके पूर्व अपने अध्यक्षीय प्रतिवेदन में श्री कृष्णकान्त राय ने कहा कि अभी भी कुछ कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख राजभाषा आदेशों को न तो ठीक प्रकार से क्रियान्वित करते हैं और न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि हमारे सम्पर्क दल के सदस्यों के व्यक्तिगत सम्पर्क के बावजूद कुछ कार्यालय प्रमुख बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं। उन्होंने भारत-सरकार के राजभाषा आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि कार्यालय प्रमुखों अथवा वरिष्ठ अधिकारियों का बैठक में भाग लेना अनिवार्य है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि केवल प्रगति आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि हिन्दी में किए जा रहे वास्तविक काम-काज को ही उस कार्यालय में हिन्दी की प्रगति मानी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि जो कार्यालय या कार्यालय-प्रमुख समिति की पिछली तीन बैठकों में उपस्थित नहीं हुए हैं उनके नाम उनके मंत्रालय/मुख्यालय तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित किए जाएंगे। बैठक में इस प्रकार की व्यवथा की गई थी कि उपस्थित प्रत्येक सदस्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख/वरिष्ठ अधिकारी/प्रतिनिधि ने अपने कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग के बारे में जानकारी दी और आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

इस अवसर पर एक राजभाषा प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था जिसमें पूर्वोत्तर रेल, डीजल रेल कारखाना, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक तथा भारतीय खाद्य निगम ने अपने यहाँ हिन्दी में किये जा रहे काम-काज की फाइलें तथा अन्य साहित्य प्रदर्शित किए थे।

इस अवसर पर सम्पर्क दल के सदस्यों को उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

इस बैठक में नगर के केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन निगमों, कम्पनियों, बैंकों आदि के 58 कार्यालयों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन सदस्य सचिव श्री जगदीश नारायण राय ने किया।

(कृष्ण कान्त राय)
अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
वाराणसी एवं
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त,
वाराणसी रेंज,

5—282 एम०आफ एच०ए०/ए त०डी०/86

राजभाषा सम्मेलनों/गोष्ठीयों का आयोजन

सेन्ट्रल बैंक में शाखा प्रबंधकों के लिए राजभाषा सेमीनार आयोजन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा दिनांक 27-9-86 को स्थानीय होटल मेरू पैलेस में अपने शाखा प्रबंधकों के लिए एक दिवसीय राजभाषा सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमीनार में शाखा प्रबंधकों के अलावा केन्द्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारियों ने भाग लिया। श्री ए० वी० यू० मेनन, क्षेत्रीय प्रबंधक ने मुख्य अतिथि अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथियों एवम् सेमीनार में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों का स्वागत किया तथा श्री पी०, बी० माथुर, मुख्य अधिकारी द्वारा जयपुर क्षेत्र में हिन्दी की प्रगति से अवगत कराया गया।

मुख्य अतिथि श्री एस० सुब्रमण्यम, महाप्रबंधक ने दीपक प्रज्वलित करके सेमीनार का उद्घाटन किया। उद्घाटन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "राजस्थान "क" क्षेत्र में आता है इसलिए पत्राचार एवम् लेजर प्रविष्टियों में हिन्दी का और अधिक प्रयोग करें। ग्रामीण क्षेत्र में तो सभी कार्य हिन्दी में हों क्योंकि ग्रामीण जनता हिन्दी ही समझती है। इसके अलावा देश की एकता एवम् गौरव के लिए भी हिन्दी का अपना महत्व है।"

13. सेण्ट्रल बैंक द्वारा आयोजित राजभाषा सेमिनार में पोस्टर का अनावरण करते हुए मुख्य अतिथि श्री एस० सुब्रमण्यम, महा प्रबंधक।

सेमीनार का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि श्री एस० सुब्रमण्यम, महाप्रबंधक के कर कमलों द्वारा एक हिन्दी पोस्टर का अनावरण भी किया गया। यह आशा प्रकट की गई कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार में यह पोस्टर निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री एस० के० गाबा, उप महाप्रबंधक ने कहा कि "मैंने 1974–75 में जयपुर में ही सबसे पहले हिन्दी में दस्तखत करने सीखे थे और आज मैं आत्मविश्वास के साथ हिन्दी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। भाषा को सीखने, प्रचलित करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। परन्तु इसके लिए थोड़े अभ्यास की जरूरत है।"

श्री रा० वि० तिवारी, मुख्य अधिकारी एवं प्रभारी राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई द्वारा सेमीनार का संचालन किया गया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि "हिन्दी को अपनी राजभाषा बनाकर राजस्थान में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि राजस्थान ने अपनी सभी बोलियों एवम् उप बोलियों को व्यवहार की भाषा बनाकर केवल हिन्दी को ही राजभाषा के रूप में अपनाया है।"

सेमीनार में राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यक्रम, पत्राचार, आंतरिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग एवम् तिमाही रिपोर्ट के विषय में श्री रा० वि० तिवारी, मुख्य अधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई तथा इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

सेमीनार के अन्त में श्री कृष्ण मोहन मिश्र, उप मुख्य अधिकारी द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया।

2. बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्वावधान में भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा सम्मेलन

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक ऐसा मंच है जो बैंकिंग उद्योग में राजभाषा नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम एवं योजनाएं बनाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और वित्तीय संस्थान इसके सदस्य हैं। इस समिति के तत्वाधान में वर्ष में एक बार राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है जिसमें बैंकिंग जगत में राजभाषा कार्यान्वन से जुड़े वरिष्ठ कार्यपालक, राजभाषा अधिकारी तथा अन्य सम्बद्ध सदस्य भाग लेते हैं।

इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के 7वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन दिनांक 19 सितम्बर, 1986 को बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से पुणे में किया गया। दूसरे दिन, अर्थात् 20 सितम्बर को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक भी सम्पन्न हुई।

सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के अपर मुख्य अधिकारी, श्री प्रेमदयाल गुप्ता ने की।

14. चित्र में दाँए से बाँए—
श्री जे० एन० दौलतजादा, महाप्रबन्धक, (रा एवं सं० ऋण) (बैंक ऑफ बड़ौदा), डा० दामले, कार्यकारी निदेशक (यु० का० ऑफ इण्डिया), श्री प्रेमदयाल गुप्त, अपर मुख्य अधिकारी (इण्डिया भा० रि० बैंक), डा० ए० सी० शाह, कार्यकारी निदेशक, (बैंक ऑफ बड़ौदा), श्री आर० एल० वाधवा, कार्यकारी निदेशक, (इलाहाबाद बैंक), डॉ० विश्वदेव शर्मा, उप प्रबंधक, (भा० रि० बैंक), श्री ना० प्र० पाण्डेय, उप मुख्य अधिकारी (भा० रि० बैंक)

सम्मेलन में बड़ी संख्या में बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालक एवं राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे। मेजबान बैंक से कार्यकारी निदेशक, डॉ० ए० सी० शाह महाप्रबंधक (रा० एवं स० ऋण), श्री ज० एन० दौलतजादा, महाराष्ट्र अंचल के सहायक महाप्रबंधक, श्री एस० कृष्णमूर्ति तथा डॉ० सोहन शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) प्रमुख प्रतिनिधि थे।

सम्मेलन की शुरुआत में बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक ने आमंत्रितों का स्वागत किया। अपने स्वागत वक्तव्य में कार्यकारी निदेशक ने महाराष्ट्र के सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय गौरव का उल्लेख करते हुए इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि ऐसी सांस्कृतिक परंपरा को भूमिका में इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, उन्होंने ऐसे सम्मेलनों को इस दृष्टि से सार्थक बताया कि यह मंच चिंतन को विकसित करने में उपयोगी होता है, जिससे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को बल मिलता है। बौद्धिक विचार विमर्श से जो निष्कर्ष बनता है वो किसी भी क्षेत्र में निर्धारित नीति को लागू करने में उपयोगी होता है। आमंत्रितों का अभिनन्दन करते हुए डॉ० शाह ने इस बात पर बल दिया कि वरिष्ठ बैंकरों और राजभाषा विशेषज्ञों के बीच एक समन्वय की स्थापना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समन्वयन के आधार पर व्यावहारिक हिन्दी का वो रूप बनेगा जो हिन्दी को सक्षम, सम्पन्न भाषा और जनभाषा के रूप में विकसित करने में सहायक होगा।

सम्मेलन के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रेमदयाल गुप्ता ने हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास पर बल दिया और यह स्पष्ट किया कि हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं के समुचित विकास से ही बैंकों के ग्राहकसेवा में गुणात्मक सुधार होगा। उन्होंने इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से तैयार किए गए हिन्दी में बैंकिंग प्रशिक्षण से सम्बद्ध विशेष प्रकाशनों का विमोचन भी किया।

सम्मेलन में राजभाषा से सम्बद्ध विभिन्न विषयों पर तीन आलेख प्रस्तुत किए गए। आलेख प्रस्तुतकर्ता थे—बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), डॉ० सोहन शर्मा (बैंकिंग की आयोजना पद्धति और हिन्दी), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक (राजभाषा), श्री जगजीवन सिंह पवार (हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान: सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष) और सिंडिकेट बैंक के प्रभारी (राजभाषा), श्री ए० लक्ष्मीनारायण (बैंकों में हिन्दी का अंत-सेवाकालीन प्रशिक्षण)। इन तीन आलेखों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श हुआ और कई महत्वपूर्ण सुझाव आये। राजभाषा प्रभारियों के अलावा चर्चा में शिरकत वाले वरिष्ठ बैंकों में थे—श्री बधवा, कार्यकारी निदेशक, इलाहाबाद बैंक तथा श्री दामले, कार्यकारी निदेशक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया।

आलेखों पर हुए विचार-विमर्श के सत्राध्यक्ष थे—डॉ० परिख, महाप्रबंधक, यूको बैंक तथा श्री सिंघवी, उप महाप्रबंधक।

इस अवसर पर मेजबान बैंक की ओर से एक राजभाषा प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया जिसमें बैंक की ओर से तैयार किए गए द्विभाषिक प्रकाशनों, पत्राचार सामग्री आदि का समावेश था। आमंत्रित प्रतिनिधियों ने उत्सुकता व रुचि से प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सराहना की। बैंक ऑफ बड़ौदा के "बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंश" के द्विभाषिक रूप में छपे चार खण्ड प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण बने रहे।

समारोह का संचालन-संयोजन श्री नारायण प्रसाद पाण्डेय, उप मुख्य अधिकारी (हिन्दी), डी बी ओडी तथा डॉ० विश्व देव शर्मा, उप प्रबंधक (हिन्दी), भा० रि० बैंक ने संयुक्त रूप से किया।

आमंत्रितों के प्रति आभार व्यक्त किया पुणे क्षेत्र के मुख्य प्रबंधक श्री एम० जी० सारंगपाणी ने।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

दूसरे दिन अर्थात् 20 सितम्बर, 1986 को भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 30वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य अधिकारी, श्री प्रेमदयाल गुप्ता ने की। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक (वा० एवं सं० ऋण), श्री जे० एन० दौलतजादा ने आमंत्रितों का स्वागत किया और अपने बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति से सम्बद्ध एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के वैचारिक आधार का उल्लेख करते हुए महाप्रबंधक ने राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति अपने बैंक की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया और बैंकिंग उद्योग में राजभाषा नीति को लागू करने के प्रसंग में भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के योगदान को महत्वपूर्ण बताया।

बैठक में बैंकिंग उद्योग में राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई उपयोगी सुझाव सामने आए। बैठक के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के उप मुख्य अधिकारी (हिन्दी), श्री नारायण प्रसाद पाण्डेय ने बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

(डॉ० सोहन शर्मा)
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

3. इलाहाबाद बैंक द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन का आयोजन

इलाहाबाद बैंक द्वारा विगत 27–28 सितम्बर, 1986 को नई दिल्ली में 7वां अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया। दिनांक 27–9–86 को सम्मेलन का उद्घाटन संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री सीताराम केसरी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ तथा भारत सरकार राजभाषा विभाग की सचिव कु० कुसुमलता मित्तल, समारोह में मुख्य अतिथि थीं।

आरम्भ में बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री आर० एल० वाधवा ने मंत्री महोदय तथा मुख्य अतिथि एवं आमंत्रित अधिकारियों का स्वागत करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में बैंक द्वारा अर्जित उपलब्धियों तथा भावी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक सरकार की राजभाषा नीति के पूर्ण अनुपालन के लिए कृत संकल्प है और इस हेतु बैंक में प्रत्येक स्तर पर सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री सीताराम केसरी ने बताया कि बोलचाल की भाषा के अधिकतम इस्तेमाल से ही बैंक जनसाधारण तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बेहतर ग्राहक सेवा के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कु० कुसुमलता मित्तल ने कहा, कि हिंदी में कामकाज करने के लिए अब पर्याप्त संदर्भ साहित्य तथा शब्दावलियां तैयार हो चुकी हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी में काम करने के लिए प्रत्येक स्तर पर

अनुकूल वातावरण व मानसिकता का विकास किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि उन शब्दों का अधिकतम प्रयोग किया जाए जो समाज में रच-पच गए हों, भले ही वे अंग्रेजी या हिंदीतर भाषाओं के शब्द ही क्यों न हों। इससे हम अपनी बात दूसरों को आसानी से समझा सकेंगे और भाषा सहज एवं सुबोध बनेगी।

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर० श्रीनिवासन् ने मंत्री महोदय एवं मुख्य अतिथि के प्रति आभार प्रकट करते हुए आश्वासन दिया कि बैंक के काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तमिलनाडु जैसे अहिंदी भाषी राज्य में भी बैंक को राजभाषा नीति के अनुपालन में पूर्ण सफलता मिली है और बैंक के मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय से "इला संगम" नामक राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन सफलतापूर्वक आरम्भ किया जा चुका है।

उद्घाटन के पश्चात् बैंक की राजभाषा शील्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984 के दौरान हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर को राजभाषा शील्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर व गोरखपुर को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए कु० कुसुमलता मित्तल, सचिव, राजभाषा विभाग, के कर कमलों द्वारा राजभाषा शील्ड व कप प्रदान किए गए। प्रशंसा-पत्र मंडलीय कार्यालय, पटना को प्रदान किया गया।

इस अवसर पर बैंक द्वारा राजभाषा प्रयोग के लिए किए गए कार्यों/उपलब्धियों की एक "राजभाषा प्रदर्शनी" भी लगाई गई।

दो दिवसीय इस सम्मेलन में बैंक के कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

4. भारतीय जीवन बीमा निगम दिल्ली मंडल कार्यालय द्वारा राजभाषा सम्मेलन का आयोजन

दिनांक 13-9-86 को दिल्ली में प्रथम राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन दीप जला कर क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एन० के० सिनकर ने किया। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना श्री के० के० प्रभाकर (कार्मिक) के संयोजन में नोंएडा की बालिकाओं द्वारा वाद्य संगीत, नृत्य एवं गायन के साथ की गई। विशिष्ट अतिथितियों को माल्यार्पण करने के उपरान्त वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री डी० शंकर नारायण ने विद्वानों, साहित्यकारों, अधिकारियों, हिन्दी समिति के पदाधिकारियों का स्वागत किया, दिल्ली मंडल की अपूर्व क्षमताओं, श्री हरिश्चन्द्र तिवारी द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम की चर्चा करते हुए उन्होंने सभी से हिन्दी को अपनाने का आग्रह किया। प्रादेशिक प्रबन्धक श्री हरिश्चन्द्र तिवारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में मंडल की प्रगति का प्रतिवेदन राजभाषा कार्यान्वयन अधिकारी श्री मदनलाल खन्ना ने प्रस्तुत किया जिसमें वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निरन्तर प्रगति की झलक दिखाई गई। मंडल कार्यालय की संस्था पत्रिका "राजभाषा आलोक" के प्रथम अंक का विमोचन सुप्रसिद्ध भाषा विद्वान एवं राजभाषा संसदीय समिति के प्रमुख प्रवक्ता सांसद डॉ० लोकेश चन्द्र द्वारा हुआ, सम्मेलन के समक्ष डॉ० लोकेश चन्द्र ने हिन्दी के इतिहास उसकी प्राचीनता के प्रमाण, राष्ट्रीय एकता में उसका महत्वपूर्ण योगदान हिन्दी की साहित्यिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हिन्दी की विशाल क्षमता तथा हिन्दी प्रयोग की उपयोगिता के बारे में बड़ा ही विस्तृत, मननयोग्य प्रभावी व शोधपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया, पी० टी० आई०—"भाषा" के सम्पादन डा० वेद प्रताप वैदिक ने हिन्दी के बारे में विभिन्न भ्रांतियों, हिन्दी प्रयोग में बाधक मानसिकता, अंग्रेजी के विषय में फैलाई गई कई भ्रामक बातों का तथ्यपरक निराकरण विश्वस्तर पर हिन्दी प्रयोग की संभावनाओं एवं इस दिशा में जीवन बीमा के योगदान के बारे में बड़ा ही विचारोत्तेजक भाषण दिया, दैनिक हिन्दुस्तान के सम्पादक श्री विनोद कुमार मिश्र ने पत्रकारिता तथा अन्य क्षेत्रों में हिन्दी की प्रगति तथा हिन्दी के सरल व सुबोध प्रयोग की आवश्यकता के बारे में विचार व्यक्त किए।

सम्मेलन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री एन० के० सिनकर, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने उत्तर क्षेत्र की प्रगति की समेकित प्रविवरण भी प्रस्तुत किया तथा सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को अधिकाधिक हिन्दी अपनाने का आह्वान किया। प्रबन्धक (विपणन) श्री सुशान्त कुमार मुखर्जी ने हिन्दी कक्ष द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों, सम्मेलन के आयोजन तथा पत्रिका प्रकाशन की प्रशंसा करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक का आभार व्यक्त किया। सभी को हिन्दी प्रयोग में सहयोग देने का आग्रह करते हुए उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। डा० बरसानेलाल चतुर्वेदी, डा० शेरजंग गर्ग एवं डा० सरोजिनी प्रीतम जैसे राष्ट्रीय ख्याति के कवियों के कविता पाठ का श्रोताओं ने भरपूर आनन्द उठाया।

इस अवसर पर मंडल कार्यालय की ओर से हिन्दी प्रयोग सम्बन्धी एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिसका संचालन कुमारी पद्मजा भास्करन कुमारी वन्दना एवं श्रीमती कुसुम भारद्वाज (सभी कार्मिक विभाग) ने किया जिसमें श्री एम० के० सेखड़ी, जन सम्पर्क एवं प्रचार अधिकारी ने भरपूर सहयोग प्रदान किया। सम्मेलन में देश के सुप्रतिष्ठित विद्वानों, विभिन्न हिन्दी समितियों के पदाधिकारियों, पत्रकारों, क्षेत्रीय व मंडल कार्यालय के अधिकारियों वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धकों तथा अनेक कर्मचारियों ने भाग लिया। मंडल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों सम्मेलन के लिए विभिन्न उप-समितियों तथा राजभाषा आलोक के प्रकाशन के लिए गठित प्रकाशन समिति के संयोजकों तथा सदस्यों ने पूर्ण सहयोग दिया जिसके परिणामस्वरूप सम्मेलन को व्यापक सफलता मिली।

मंच संचालन श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा भाषा सहायक द्वारा किया गया अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि हिन्दी कक्ष के इस प्रथम प्रयास की व्यापक प्रशंसा न केवल शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा की गई।

5. मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में संगोष्ठी

मौसम विज्ञान विभाग में हिन्दी अनुभाग द्वारा मौसम विज्ञान की विभिन्न विषय शाखाओं पर हिन्दी में संगोष्ठियां (सेमिनार) आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम संगोष्ठी मौसम भवन लोदी रोड में दिनांक 12-8-86 को हुई। इस संगोष्ठी का उद्घाटन मौसम विज्ञान के

महानिदेशक डा० आर० पी० सरकार ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में महानिदेशक ने कहा कि मौसम विज्ञान एक ऐसा व्यापक विषय है जिसके विभिन्न पहलू बहुत ही लोकप्रिय हैं। आम आदमी भी मौसम व जलवायु के विषय में जानना चाहता है। मौसम कैसे बदलता है? मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार लगाया जाता है? उपग्रह से मौसम का पता कैसे चलता है? आदि कुछ ऐसे रोचक विषय हैं जिन पर हिन्दी में सामग्री जुटाई जा सकती है और जन साधारण को भाषणों द्वारा या लेखों द्वारा जानकारी दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा—

भारत संघ की राजभाषा व राष्ट्रभाषा हिन्दी है और हिन्दी भारत के एक बड़े भू-भाग में बोली व समझी जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों की जानकारी जनसाधारण को भी हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से भी दी जाए। इस सेमिनार का उद्देश्य मौसम संबंधी विभिन्न विषयों की जानकारी हिन्दी माध्यम से देकर मौसम विभाग में हिन्दी का प्रचार व प्रसार करना भी है।

इस सेमिनार का विषय था—"भारत की जलवायु तथा मौसम-विज्ञान के नये आयाम"। विभाग के अपर महानिदेशक डा० शशि मोहन कुलश्रेष्ठ ने विषय प्रवर्तन किया और उन्होंने भारत की स्थिति की विशेषता, उसकी जलवायु तथा मौसम की विशेषताओं के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। इस संगोष्ठी के प्रथम भाषण में डा० कुलश्रेष्ठ ने मौसम तथा जलवायु का अन्तर स्पष्ट किया और उदाहरण देकर समझाया कि जलवायु मौसम का औसत है।

डा० कुलश्रेष्ठ ने सरल, सुबोध तथा परिमार्जित हिन्दी में भारत का ऋतु चक्र समझाया और इन चारों ऋतुओं में होने वाले मौसम परिवर्तनों पर भी प्रकाश डाला। दिल्ली के संबंध में मौसम वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बहुत ही तथ्यपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की।

डा० कुलश्रेष्ठ ने श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

उनके भाषण के बाद डा० आर० के० दत्ता, निदेशक का भाषण हुआ। उन्होंने मौसम विज्ञान के नये आयाम विषय पर बोलते हुए आज के युग में मौसम विज्ञान के लिए सुपर कम्प्यूटर की आवश्यकता तथा महत्व पर प्रकाश डाला। सुपर कम्प्यूटर के विकास का इतिहास बताते हुए उन्होंने अपने रोचक भाषण में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में कम्प्यूटर के योगदान की चर्चा की। बाद में श्रोताओं ने उनसे इस विषय पर हिन्दी में ही अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे और उन्होंने उनका हिन्दी में बहुत ही सुन्दर ढंग से उत्तर दिया।

मौसम विभाग में इस प्रकार के सेमिनार (संगोष्ठी) का आयोजन प्रथम प्रयास था जो बहुत ही सफल हुआ। इसकी सभी ने सराहना की।

इस सेमीनार में दोनों भाषणों की यह विशेषता रही कि वक्ताओं ने वैज्ञानिक विषयों को बड़ी ही सरल हिन्दी में धारा प्रवाह से प्रस्तुत किया जिससे बहुत से लोगों की यह भ्रांत धारणा दूर हो गई कि वैज्ञानिक विषय को बिना अंग्रेजी शब्दावली के समझाना कठिन है।

6 राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जन्म शताब्दी पर साहित्य संगोष्ठी—कलकत्ता में

कलकत्ता 6 अगस्त—कलकत्ता के बिड़ला तारा मंडल सभाकक्ष में इलाहाबाद बैंक द्वारा आयोजित राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त की जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर एक साहित्य संगोष्ठी का आयोजन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर० श्रीनिवासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री आर० एल० वाधवा ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने राष्ट्रकवि को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कवि की कई कृतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गुप्त जी की रचनाएं साहित्य एवं राष्ट्र की धरोहर है।

15. संगोष्ठी में माइक पर बोलते हुए—श्री स्वदेश भारती, बठे हुए बाँए से—सर्वश्री आर० श्रीनिवासन, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (इलाहाबाद बैंक) प्रोफैसर कल्याणमल लोढ़ा, डा० पृथ्वीनाथ शास्त्री, श्री आर० एल० वाधवा, कार्यकारी निदेशक।

प्रधान अतिथि के पद से अपने अभिभाषण में प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा ने कहा कि मैथिली शरण गुप्त ने अपने कृतित्व द्वारा राष्ट्र, साहित्य, संस्कृति और मनुष्य के गरिमा की पहचान कराई। उनका साहित्य, अतीत और वर्तमान भारत की सांस्कृतिक चेतना के अवदान के रूप में मान्य है। डा० पृथ्वीनाथ शास्त्री ने कहा कि वाल्मिकी और तुलसीदास ने "रामायण" में कई तरह के पात्रों का वर्णन किया परन्तु उर्मिला जैसी त्यागमयी और निष्ठावान पात्री को भुला दिया। मैथिली शरण गुप्त ने "साकेत" में उर्मिला के चरित्र-चित्रण के माध्यम से समस्त नारी जाति को गौरवान्वित किया है। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा की बैंक को राष्ट्रकवि की समस्त रचनाओं को रचनावली के रूप में प्रकाशित करने के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन देना चाहिए।

डा० सुकीर्ति गुप्ता ने कवि की महान कृति "यशोधरा" को आधुनिक नारी की जीवन-प्रक्रिया के साथ तुलना करते हुए कहा कि आज की नारी की भावनाओं का तादात्म्य यशोधरा के प्रति अधिक होता है। मोहम्मद इसरायल अनसारी ने राष्ट्रकवि की "काबा और कर्बला" कृति का जिक्र करते हुए कहा कि मैथिलीशरण गुप्त को "वैष्णव" राम के इर्द गिर्द रखकर ही नहीं देखना चाहिए। वेपक्के मानवतावादी थे। वे राष्ट्रीयता के कवि थे। श्री बुद्धिनाथ मिश्र ने कवि को श्रद्धांजलि अर्पित की अपने सुन्दर गीत द्वारा—

तुम बदले, संबोधन बदले लेकिन मन की बात वही है
जाने कितने मौसम बीते दिन के पीछे रात वही है।

सभा के अध्यक्ष श्री आर० श्रीनिवासन ने कहा कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जन्म शताब्दी मनाने की पहल इलाहाबाद बैंक ने की, यह कलकत्ते में केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि सभी बैंकों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए क्योंकि हम सभी एक हैं। उन्होंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि राष्ट्रकवि को अर्पित करते हुए कहा कि—"अगले जीवन में ईश्वर मुझे उत्तर प्रदेश में जन्म दें और फिर जब देश मैथिलीशरण गुप्त की 150वीं जयंती मानएगा तब मैं शुद्ध हिन्दी में महाकवि पर बहुत अच्छे से बोल सकूंगा" आगे उन्होंने कहा कि — "हमारा काम है बैंक में लेखा जोखा करना, उधार देना-लेना, परन्तु इसके साथ-साथ देश, साहित्य और संस्कृति के उत्थान के लिए भी यथा संभव हमें योगदान देना चाहिए। हमारा बैंक हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कभी भी पीछे नहीं रहेगा।"

श्री स्वदेश भारती ने सभा का संचालन किया। उन्होंने बैंक के राजभाषा विभाग की ओर से आगत अतिथियों, नगर के विशिष्ट साहित्यकारों, पत्रकारों, लेखकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रकवि की कविताओं में पौराणिक पात्रों एवं रीतिकालीन काव्य परंपरा का तत्व होते हुए भी वे देश एवं समाज को जागृत करने में महत्वपूर्ण रही हैं। वे जनपद-कल्याणी कविता के सर्जक थे।

7. उद्योग का आधुनिकीकरण पर राजभाषा सेमिनार

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा 9 जुलाई, 1986 को कलकत्ता में "खनन उद्योग का आधुनिकीकरण" विषय पर एक-दिवसीय राजभाषा सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें लोहा और कोयला सहित खनन-कार्य से जुड़ी अनेक संस्थाओं के खनन-विशेषज्ञों ने भाग लिया।

सेमिनार का उद्घाटन करते हुए इस्पात एवं खान मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने कहा कि देश की एकमात्र ताम्र उत्पादक संस्था हिन्दुस्तान कॉपर द्वारा आयोजित इस राजभाषा सेमिनार में उपस्थित होकर मुझे दोहरी खुशी हो रही है। पहली खुशी इस बात की कि यह सेमिनार एक ऐसे विषय पर हो रहा है जो आज न केवल हमारे लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी देश सभी पूरी तरह विकसित हो सकता है जब उसकी खनिज सम्पदा का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग हो। दूसरी खुशी इस बात की है कि पहली बार इस सेमिनार में देश के वरिष्ठ खनन विशेषज्ञ देश की आम जनता की भाषा में विचार-विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में और खासकर हिन्दी में अब इतनी शक्ति हो गयी है कि इसमें विज्ञान और तकनीकी के विषयों पर विचार-विमर्श किया जा सके। हिन्दुस्तान कॉपर की यह पहल हिन्दी के सामर्थ्य को उजागर करने का सराहनीय प्रयास है। भाषा का विकास उसके व्यवहार से होता है। हिन्दी का जो विकास इस प्रकार के सेमिनारों से होगा वह हजारों पन्ने अनुवाद करने से नहीं होगा।

श्रीमती सिन्हा ने सेमिनार में भाग लेनेवाले खनन विशेषज्ञों से अपील की कि वे खनन उद्योग के समक्ष आए संकट को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण के ऐसे उपाय सुझाएँ और अपनाएँ जिनसे भारतीय खानें लाभ की स्थिति में आ सके। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिन्दुस्तान कॉपर की तरह अन्य सरकारी प्रतिष्ठान भी राजभाषा हिन्दी के माध्यम से सोचने और कामकाज करने की दिशा में पहल करेंगे।

सभा की अध्यक्षता करते हुए संसद सदस्य श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल ने खनन तकनीकी पर हिन्दी में सेमिनार आयोजित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे देश में विज्ञान और तकनीकी उस समय भी अपेक्षाकृत पूर्ण विकसित थी, जिस समय देश की आम भाषा संस्कृत, प्राकृत या पाली थी और जिस समय अंग्रेजी का जन्म भी नहीं हुआ था। बाद में सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमारी उस वैज्ञानिक धाती को नष्ट कर दिया और आज हमारी मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि अंग्रेजी के बिना हम आधुनिकता और वैज्ञानिकता की बात सोच ही नहीं पाते। हमें इस भ्रम को तोड़ना होगा और अपने वैज्ञानिकों को इस देश की भाषा में सोचने तथा काम करने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि देश में वैज्ञानिक प्रगति की रोशनी आम आदमी तक सीधी पहुँच सके।

प्रारम्भ में हिन्दुस्तान कॉपर के अध्यक्ष श्री रामशंकर मिश्र ने अतिथियों तथा खनन विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय खनन उद्योग इस समय राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण की ओर अग्रेसर है। खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए नये-नये यंत्र लगाए जा रहे हैं। सुरक्षित ढंग से अधिक से अधिक खनन के लिए नयी-नयी विधियाँ अपनाई जा

रही हैं। दूसरी ओर प्रबंधक वर्ग और खनिकों के बीच दूरियाँ घट रही हैं। खनन-प्रबंध को आज की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए कामगार वर्ग सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार सम्पूर्ण भारतीय खनन उद्योग नयी करवट ले रहा है। ऐसे दौर में यह आवश्यक है कि नए वैज्ञानिक चिन्तन और उपलब्धियों की जानकारी कामगारों तथा आम लोगों तक पहुँचे। यह सेमिनार उसी दिशा में एक पहल है।

तीन सत्रों में विभक्त इस सेमिनार का प्रारम्भ वेस्टर्न कोल फील्डस के अध्यक्ष श्री महीप सिंह के मूल भाषण से हुआ। तदनंतर सर्वश्री एम० ए० खान, डी० पी० डोंदियाल, जी० डी० सिंह, अशोक कुमार, वी० आर० के० शर्मा, एल० के० लेहान, वी० एन० झा, बी० एल० गुप्ता, बलवीर सिंह, टी० बी० भट्टाचार्य आदि विभिन्न संस्थाओं के खनन विशेषज्ञों ने हिन्दी में निबंध प्रस्तुत किए, जिन पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया।

संसद सदस्य श्री रामचंद्र भारद्वाज ने इस्पात एवं खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों की ओर से उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी की प्रगति के आंकड़ों पर बहस करते-करते मैं बूढ़ा हो चला पर सरकारी कार्यालयों में हिन्दी उचित स्थान नहीं ले सकी। यदि इसी तरह अन्य संस्थाएँ भी दृढ़ संकल्प, साहस और मनोयोग से काम करें, तो सही माने में राजभाषा हिन्दी का विकास हो सकेगा। इस अवसर पर सर्वश्री उमानाथ, योगेन्द्र रीगावाल, ऋषि मामचंद कौशिक, डा० एन० ई० विश्वनाथ अय्यर, डॉ० पी० के० बालसुब्रह्मण्यम, पी० एन० सिंह, एस० एल० जैन आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किये। सेमिनार में लगभग 60 खनन विशेषज्ञों ने भाग लिया।

निदेशक (कार्मिक) श्री वेदलोखा ने अतिथियों तथा प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सेमिनार के आयोजन में सभी खनन संस्थाओं से हमें भरपूर सहयोग मिला, जो एक ओर हिन्दुस्तान कॉपर के प्रति उनके सहज स्नेह का द्योतक है तो दूसरी ओर राजभाषा के प्रति उनकी आंतरिक निष्ठा का प्रतीक भी। इस प्रथम प्रयास में हमें जो सहयोग मिला है, उससे हमारा मनोबल बढ़ा है।

अंत में, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी डॉ० बुद्धिनाथ मिश्र ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि पिछले चार दशकों में हिन्दी पर काफी बातें की जा चुकी हैं, अब हिन्दी में बात करने की जरूरत है।

इस अवसर पर हिन्दुस्तान कॉपर के हिन्दी प्रकाशनों की एक सुरुचिपूर्ण प्रदर्शनी भी लगाई गई।

[पृष्ठ 31 का शेष]

कि भारतीय सरकार हर एक साल में दो हिन्दी-छात्रों को एक साल की छात्रवृत्ति प्रदान करे। हम उस प्रबन्ध के लिए अत्यधिक आभारी हैं, क्योंकि उससे छात्रों को न हिन्दी सीखने बल्कि भारतीय परिवेश में रहने और भारतीय संस्कृति से परिचय करने का भी मौका मिलता है।

प० जर्मनी में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन और प्रचार-प्रसार के बारे में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वह इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि जितने छात्र चीनी, जापानी और अरबी पढ़ते हैं उतने ही हिन्दी नहीं। मुझे लगता है कि इस स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत में अनेक क्षेत्रों में—जैसे व्यापार, प्राकृतिक और तकनीकी विज्ञान में—अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहता है। अधिक लोग मिलते हैं जिन्होंने हिन्दी भाषा बिल्कुल नहीं अपनाई है। लगता है कि जब तक हिन्दी अपने देश में पूर्ण रूपसे न अपनाई जाए, तब तक भारत के बाहर भी हिन्दी की स्थिति संदिग्ध रहेगी हिन्दी भूमिका की सफलता या असफलता इस पर भी निर्भर है कि हिन्दी का उचित सम्मान भारत के अन्दर भी किया जाए।

Dr. Monika Thill Horstmann
Professor of Indian Studies
Bonn University, West Germany

चित्र-समाचार

1. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के रजत जयंती समारोह के अवसर पर (दाएं से) मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पी० वी० नरसिंहराव, श्री सुधाकर पाण्डेय तथा श्री राजमणि तिवारी, निदेशक

2. केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक (21 नवम्बर 86) के अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री चिंतामणि पाणिग्रही, द्विभाषी इलैक्ट्रिक उपकरणों की प्रदर्शनी दीप जला कर उद्घाटन करते हुए। उनकी दांयी ओर हैं राजभाषा सचिव, कु० कुसुमलता मित्तल एवं श्री शम्भुदयाल, सं० स० रा० भा०।

3. गैस अथारिटी आफ इंडिया में हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन एवं निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह में राजभाषा विभाग की सचिव कु० कुसुमलता मित्तल, मुख्य अतिथि थी। चित्र में उनकी दांई ओर हैं निदेशक (कार्मिक श्री रमेश चन्द्र गुप्त एवं बांई ओर हैं निदेशक, परियोजना श्री धर्मदेव ग्रोवर, हिन्दी परामर्शदाता श्री पी० एल० कन्नौजिया कार्य संचालन करते हुए)।

4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, वाराणसी की बैठक में अध्यक्ष श्री कृष्णकांत राय, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त बैठक को सम्बोधित करते हुए। मंच पर बांए से क्रमश: श्री एम० एल० मैत्रेय, राजभाषा विभाग, श्री वीर अभिमन्यु कोहली, उप सचिव, राजभाषा विभाग एवं सचिव श्री जगदीश नारायण राय।

6. सीमेंट कार्पोरेशन के निदेशक (कार्मिक) डॉ० के० दे० गुप्ता, राजभाषा विभाग की सचिव कुमारी कुसुमलता मित्तल।

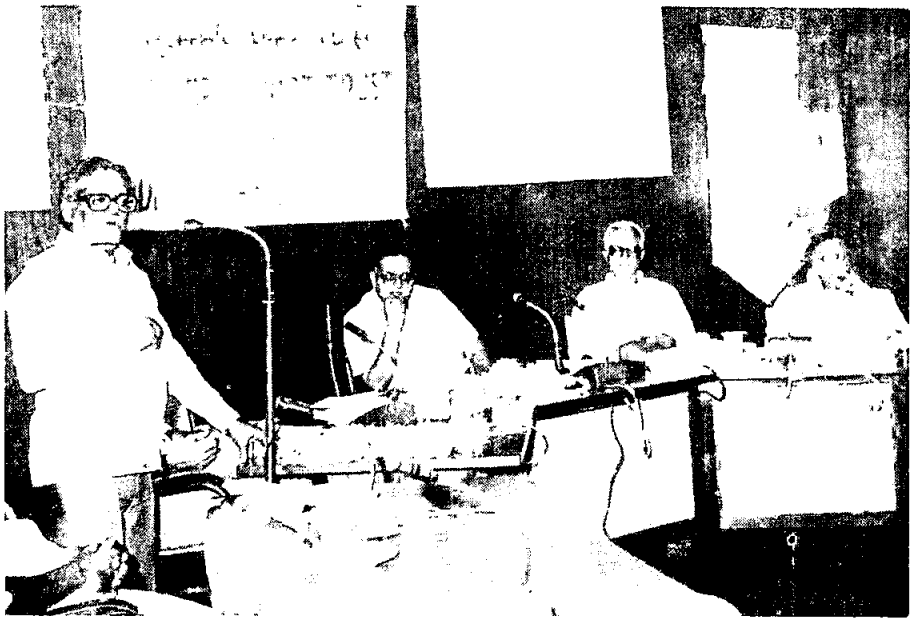

8. तूलुक्कुडि पत्तन न्यास में हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर भाषण देते हुए मदुरा कालेज, मदुरई के तमिल (भाषा के) प्रोफेसर डा० एस० स्वामीनारायनन।

5. दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद द्वारा आयोजित कार्यशाला के समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री वे० राधाकृष्णमूर्ति जी को निदेशक श्री एस० सुब्रमणि माला पहनाते हुए। साथ में कार्यशाला के अंतिम सत्र के व्याख्याता श्री पी० आर० घनाते हैं।

7. मंगलूर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कार्पोरेशन बैंक, मंगलूर के तत्वावधान में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए, राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री जी० डी० बेलिया। बांए से श्री नरसिंह प्रसाद यादव, सदस्य सचिव, श्री रामचन्द्र मिश्र, उप निदेशक (कार्यान्वयन) बेंगलूर, श्री के० आर० शेणे, महा प्रबंधक (प्रशासन), श्री वाय० एस० हेगडे, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा श्री के० आर० राममूर्ति महा प्रबंधक (साख)।

9. विजया बैंक, अहमदाबाद द्वारा आयोजित हिन्दी दिवस समारोह में गुजराती के मूर्धन्य साहित्यकार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार (1985) से सम्मानित श्री पन्नालाल पटेल, मुख्य अतिथि को शाल भेंट करके सम्मानित करने वाले प्रभागीय प्रबंधक श्री के० यतिराज हेगड़े।

10. नासिक, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 86 की प्रथम वेणू भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड का चित्र।

11. यूनियन बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा हिन्दी सप्ताह के समापन अवसर पर दिनांक 22-9-1986 को आयोजित काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आनन्द प्रकाश अग्रवाल, क्षेत्रीय प्रबंधक (बीच में) और उनके दायें बैठे हुए श्री आलिम हुसैन, अग्रणी जिला प्रबंधक एवं बायें श्री आर० पट्टाभिरामन, प्रबंधक।

12. जयपुर क्षेत्र की हिन्दी शाखाओं के प्रबंधकों की राजभाषा सेमिनार में प्रबंधकों को सम्बोधित करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री अनन्त आराध्ये। बीच में हैं मुख्य अतिथि श्री कलानाथ शास्त्री, निदेशक, राजभाषा राजस्थान, जयपुर।

हिन्दी के बढ़ते चरण

1. सी० सी० आई० में हिन्दी

सीमेंट कार्पोरेशन के मुख्यालय, यूनिटों, क्षेत्रीय तथा जोनल कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक कार्यक्रम (1985-86) पर आधारित निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

1. कार्पोरेशन में कार्यरत सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करवाना, उनमें हिन्दी भाषा के प्रति आकर्षण पैदा करना तथा हिन्दी पत्रिकाओं, समाचार पत्र आदि पढ़ने की रूचि जागृत करना।
2. कार्पोरेशन के सभी मिनिस्टीरियल स्टाफ को नियमानुसार हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलाना।
3. कार्पोरेशन का प्रक्रिया साहित्य, फार्म, रजिस्टर तथा रूटीन ड्राफ्ट, यथा संभव शीघ्र द्विभाषी अथवा हिन्दी में उपलब्ध करवाना।
4. हिन्दी भाषा में प्रवीणता अथवा कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले स्टाफ के लिए उनको दफ्तर का काम हिन्दी में करने का अभ्यास कराने के लिये हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित करना।
5. कर्मचारियों/अधिकारियों में हिन्दी का विस्तृत प्रचार-प्रसार करने के लिए हिन्दी गोष्ठियां/सप्ताह आयोजित करना आदि।

कार्पोरेशन में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

मुख्यालय में कार्यरत सभी मिनिस्टीरियल स्टाफ को दफ्तर का काम हिन्दी में करने का अभ्यास कराने के लिए 4–8–86 को एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन गृह-मंत्रालय, राजभाषा विभाग की सचिव तथा भारत सरकार का हिन्दी सलाहकार, कु० कुसुम लता मित्तल के द्वारा किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कार्पोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री कोमल चंद सोधिया ने कहा कि यहां पर कर्मचारियों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने, उनमें अपनी भाषा के प्रति अनुराग पैदा करने तथा उन्हें अपना दफ्तर का यथा संभव काम हिन्दी में करने का अभ्यास कराने के लिए इस वर्ष का यह पहला प्रयत्न है। आगे भी इसी प्रकार हम एक से अधिक दिनों की हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देने की कार्यशालाएं आयोजित कर यहां पर राजभाषा कार्यान्वयन के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सभी प्रयत्न करेंगे। यह हमारी पहली कोशिश होगी कि हम अपने हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों/यूनिटों में परस्पर पत्राचार अधिकाधिक रूप में हिन्दी में करें।

उन्होंने इस अवसर पर नेहरू प्लेस में स्थित विभिन्न कार्पोरेशनों के कर्मचारियों को हिन्दी/हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए यहीं पर एक पूर्णकालीक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की नितांत आवश्यकता बताई।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि कु० कुसुम लता जी ने कहा कि आज के वातावरण में हिन्दी का प्रयोग न केवल दफ्तर के कार्य के लिए आवश्यक है अपितु राष्ट्रीय एकता के लिए भी उतना ही आवश्यक है इस चीज की आवश्यकता भारत की अखंडता तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने भी अनुभव की। इसीलिए उन्होंने भारत के चारों कोनों में चार धामों की स्थापना कर सभी भारतीयों को राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई एकता के सूत्र में बांध रखने का श्लाघनीय प्रयत्न किया। उन्होंने बताया कि हमें कार्यालयों में सरल हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचलित शब्दों का खुलकर प्रयोग करना चाहिये।

मुख्य अतिथि ने इस बात की अत्यंत आवश्यकता बताई कि तकनीकी क्षेत्रों के उद्यमों जैसे सीमेंट तथा अन्य उद्योगों में कार्यरत प्रतिभावान वैज्ञानिकों को चाहिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित तकनीकी साहित्य का हिन्दी भाषा में सृजन करें। आज सरकार इसके लिये अच्छे प्रोत्साहन भी दे रही है। ऐसा साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने पर न केवल हिन्दी भाषा समृद्ध होगी अपितु हिन्दी भाषा के माध्यम के विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। पुस्तकालयों में भी पर्याप्त मात्रा में हिन्दी भाषा में तकनीकी विषयों के संदर्भ ग्रंथ मिल सकेंगे।

अंत में उन्होंने कार्पोरेशन में हिन्दी कार्यान्वयन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करना हिन्दी के प्रचार-प्रसार का एक अच्छा माध्यम है। परंतु कार्यशालाएं एक से अधिक दिनों की आयोजित की जानी चाहिएं। इसके लिए राजभाषा विभाग का सहयोग लिया जाएं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कार्पोरेशनों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के लिये एक इंदिरा गांधी पुरस्कार योजना चालू की जा रही है तथा राजभाषा आदेशों का अध्ययन संकलन भी शीघ्र ही उपलब्ध कराया जा रहा है अतः इनका लाभ भी उठाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि राजभाषा विभाग ने देश के विभिन्न भागों में तथा दिल्ली में हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत अनेक प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं, उसका भी लाभ उठाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मुख्य अतिथि ने अपना भाषण समाप्त किया तथा कार्यशाला निर्धारित रूप से प्रारंभ हुई।

कार्पोरेशन में हिन्दी-सप्ताह

सीमेंट कार्पोरेशन में कर्मचारियों/अधिकारियों में हिन्दी भाषा के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिये 8 से 12 सितम्बर, 1986 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। 8 सितम्बर को हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन करते हुए कम्पनी के निदेशक (परियोजना) श्री ए० यू० रिज़सिंहानी ने उपस्थित सभी प्रतियोगियों तथा कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी का प्रयोग केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये ही सीमित न रखें अपितु अपना दफ्तर का अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने की कोशिश करते हुए निम्नलिखित कार्य हिन्दी में करना प्रारंभ करें :—

(1) कहीं से भी प्राप्त हिन्दी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दें।

(2) छुट्टी के आवेदन पत्र हिन्दी में ही दें।

(3) उपस्थिति रजिस्टरों तथा अन्य जगहों पर हस्ताक्षर हिन्दी में करें।

(4) सामान्य प्रकृति के फार्मों पर हिन्दी में कार्रवाई करें।

(5) छोटी-छोटी टिप्पणियां हिन्दी में लिखें।

इसके पश्चात निर्धारित कार्यक्रमानुसार हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें चौदह कर्मचारियों ने भाग लिया। यह एक उत्साहवर्द्धक प्रतियोगिता थी।

9-9-86 को हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजत की गई। इस प्रतियोगिता में दस (10) कर्मचारियों ने भाग लेकर हिन्दी भाषा के प्रति अपना अच्छा लगाव दिखाया।

10 9-86कोवाद-विवाद प्रतियोगिता में नौ (9) कर्मचारियों ने भाग लेते हुए "क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में कम्प्यूटीकरण सार्थक है" विषय पर पक्ष और विपक्ष में प्रभावशाली वक्तव्य दिए।

11-9-86 को स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन कवि सम्मेलन के रूप में किया गया। सभी प्रतियोगिताओं के लिये तीन-तीन सदस्यों के निर्णायक मंडल गठित किए गए थे। उन्हीं की देखरेख में सभी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

कवि सम्मेलन का संचालन स्वयं कविता पाठ प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष श्री पी० दयाल, संयुक्त वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक) द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में नौ (9) प्रतियोगियों ने भाग लिया। उन्होंने जहां देश की राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषयों का लक्ष्य करते हुए काव्य पाठ किया वहां राष्ट्र निर्माण में लगे शिल्पी का भी मार्मिक चित्रण श्री बी० एल० वर्मा, संयुक्त वरिष्ठ प्रबंधक (परियोजना) ने अपनी 'श्रमिक' कविता को पढ़ कर किया। इसमें श्री अनूप शर्मा की "इण्टरव्यू" हास्य रस की कविता बड़ी गुदगुदाने वाली थी। श्री पी० एल० भार्गव की "कहां जा रहा समाजवाद" तथा स्वयं अध्यक्ष महोदय श्री पी० दयाल ने अपनी "शपथ" नामक कविता पढ़ कर सभी कामगारों को सी०सी०आई० की गरिमा को बनाए रखने के लिए ललकार दी।

हिन्दी सप्ताह के अंतिम दिन श्री पी० के० टिक्कू, निदेशक (प्रचालन) की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर चारों प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगिओं को क्रमश: 200 रुपये तथा 50 रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा 4-8-86 को आयोजित की गई कार्यशाला में सफलता-पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।

अंत में कार्पोरेशन के हिन्दी अधिकारी ने सभी उपस्थित प्रतियोगियों को उनके हिन्दी प्रेम तथा उत्साह के लिये बधाई दी। उन्होंने अध्यक्ष महोदय, उपस्थित हिन्दी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों, को आर्डिनेटरों, निर्णायक मंडल के सदस्यों तथा सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा दिये गए अमूल्य योगदान के लिये हार्दिक धन्यवाद अदा किया।

सीमेंट कार्पोरेशन में हिन्दी की गतिविधियां बढ़ाने के लिये सहयोगी समितियां :

1. पुस्तक चयन समिति :

कार्पोरेशन के पुस्तकालय में हिन्दी की पुस्तकों को खरीद करने के लिये चार सदस्यों की एक पुस्तक चयन समिति गठित की गई है। समिति ने पहली बैठक में यह सिफारिश की कि पुस्तकालय निधी की 25 प्रतिशत धनराशि हिन्दी उपन्यास साहित्य, पत्र-पत्रिकाएं तथा सहायक साहित्य खरीदने पर व्यय की जाएगी।

2. हिन्दी सलाहकार समिति :

कार्पोरेशन के मुख्यालय में हिन्दी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्वैच्छिक रूप से सहयोग प्रदान करने वाले आठ सदस्यों की एक हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

3. हिन्दी कोआर्डिनेटर समिति :

हिन्दी सलाहकार समिति के ही समानान्तर मुख्यालय में चारों निदेशालयों से दो-दो आदमी नामित कर आठ सदस्यों की एक "कोआर्डिनेटर-समिति" भी गठित की गई है। उपरोक्त समितियां वास्तव में मुख्यालय के सभी निदेशालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोगों संबंधी निर्धारित रिपोर्टों तथा सूचनाएँ प्राप्त करने में सहयोग तो देती ही हैं इसके अलावा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम अर्थात हिन्दी सप्ताह, हिन्दी कार्यशालाएँ एवं गोष्ठियां आदि भी सफलता-पूर्वक आयोजित करने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करती है।

सी०सी०आई० में विभागीय हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण

सीमेंट कार्पोरेशन के मुख्यालय में हिन्दी पत्राचार में प्रगति लाने के दृष्टिकोण से 1-9-86 से 7 मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को विभागीय हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में हिंदी

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं। बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति का अनुश्रवण बैंक के निदेशक मण्डल की कार्यकारिणी समिति द्वारा छमाही अंतरालों पर किया जाता है। बैंक के उच्च अधिकारी भी निश्चित अंतरालों पर प्रगति का जायजा लेते हैं। 30 जून, 1986 को समाप्त छमाही के दौरान इस विषय में हुई प्रगति का अनुश्रवण करने तथा बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए विभिन्न पद्धतियां सुझाने हेतु बैंक के प्रधान कार्यालय की

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें दिनांक 10-3-1986 एवं 28-6-1986 को हुई। बैंक द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी अनुदेशों की अनुपालना को गतिशील बनाने के लिए बैंक पर जारी अनुदेशों की अनुपालना को गतिशील बनाने के लिए बक के पाँचों अंचल कार्यालयों में गठित अंचल स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की भी त्रैमासिक अंतरालों पर बैठकें हुई।

2. बैंक के विभिन्न कार्यालयों में आपस में हिन्दी के प्रयोग के प्रति प्रतिस्पर्धा जागृत करने की दृष्टि से राजभाषा ट्राफी योजना लागू की गई ।

3. बैंक द्वारा दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए स्टाफ के सुझाव आमन्त्रित करने और विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने हेतु बीकानेर, जयपुर एवं गंगानगर जिलों की समस्त शाखाओं के मानसेवी हिन्दी प्रतिनिधियों के क्रमशः दिनांक 18-1-1986, 28-3-1986 एवं 21-6-1986 को उनके जिला केन्द्रों पर सम्मेलन आयोजित किए गए। भारत सरकार की राजभाषा नीति के सम्बन्ध में स्टाफ में हिन्दी के प्रयोग के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने में इन सम्मेलनों का अच्छा प्रभाव पड़ा है।

4. हिन्दी को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित करने के लिए हमारे बैंक द्वारा दो वर्षों के लिए बनाई गई मध्यावधि कार्य योजना के बारे में हमारी उपलब्धियां निम्न प्रकार रही :—

1. निम्नलिखित विभिन्न मामलों में पहले से अर्जित की गई स्थिति में गिरावट नहीं आने को सुनिश्चित करने हेतु स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण करना

(अ) हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना।

(ब) सभी संकल्पों, सामान्य आदेशों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदनों, संविदाओं और करारों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग इस सम्बन्ध में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन मामलों में किसी भी परिस्थिति में शिथिलता न आने पाएं। स्थिति का अनुश्रवण त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। इस बारे में कोई भी चूक हमारी जानकारी में आने पर उसे महाप्रबन्धक (योजना एवं विकास) को उसके ध्यान में लाने तथा आवश्यक निर्देश पारित करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। परिणामतः इन दोनों विषयों में पहले हे से प्राप्त शत प्रतिशत के लक्ष्य में कोई शिथिलता नहीं आई।

2. 498 अधिसूचित शाखाओं में बैंक व्यवसाय संचालित करने में केवल हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करना

"क" क्षेत्र स्थित बैंक की कुल 580 शाखाओं में से 498 शाखाएं राजभाषा नियमों के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित की गई है। इन अधिसूचित शाखाओं में से 277 शाखाओं से इस आशय की पुष्टि प्राप्त हो चुकी है कि "ग" क्षेत्र अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों से व्यवहार छोड़कर इन शाखाओं में समस्त कार्य हिन्दी में किया जाता है। हालांकि हमें विश्वास है कि शेष 221 शाखाएं भी अपना समस्त कार्य हिन्दी में कर रही हैं, लेकिन फिर भी शाखा प्रबन्धकों से विशिष्ट लिखित पुष्टि प्राप्त करने हेतु गहन अनुवर्तन कार्रवाई की जा रही है। नियन्त्रक प्राधिकारियों को भी राय दी गई है कि इन शाखाओं के निरीक्षण के दौरान अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. स्टाफ को अपने नियमित कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए ऑन-द-डैस्क प्रशिक्षण देना :

अंचल कार्यालयों स्थित राजभाषा कक्ष के प्रभारी अधिकारी द्वारा शाखाओं में नियमित कार्य हिन्दी में करने अर्थात् हिन्दी में वाउचर बनाने, डे-बुक और काउन्टरों पर प्रयोग किए जाने वाले अन्य रजिस्टरों में प्रविष्टि करने के लिए डैस्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधान कार्यालय के विभागों में भी राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

4. बैंक के ग्राहकों को यह अवगत कराने हेतु कि बैंक में हिन्दी स्वीकार्य है, ग्राहक कार्यक्रमों का आयोजन करना

नियन्त्रक प्राधिकारियों को नियमित रूप से ग्राहक कार्यक्रमों का आयोजन करने और इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों में ग्राहकों को यह अवगत कराने हेतु सूचित किया गया है कि बैंक में हिन्दी स्वीकार्य है।

5. हिन्दी में बढ़ते हुए पत्राचार के लिए देवनागरी टंकण यन्त्रों और हिन्दी टंककों की संख्या बढ़ाना

नियन्त्रक प्राधिकारियों से, उनके सचिवालयों से भेजे जाने वाले मूल पत्रों के आधार पर हिन्दी टंकण यन्त्रों की उनकी आवश्यकता निर्धारित करने हेतु कहा गया है। हमारे उन सभी कार्यालयों में, जहाँ हिन्दी टंकक उपलब्ध हैं, हिन्दी टंकण यन्त्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। अंग्रेजी टंककों को भी हिन्दी टंकण सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

6. "ख" एवं "ग" क्षेत्र में मूल पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना

इन क्षेत्रों में स्थित हमारे सभी कार्यालयों को अपने मूल पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु उचित अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। इन सभी कार्यालयों को हिन्दी जानने वाला स्टाफ उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरुप उनके दिन प्रतिदिन के कार्य और पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है।

7. बैंक के स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में कम से कम लिपिकीय स्तर तक हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देना

लिपिक वर्ग तक सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम हिन्दी में आयोजित किए जाते हैं।

भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

(क) पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग

(i) यथा निर्धारित, हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है ।

(ii) यथा निर्धारित, हिन्दी में लिखे या हस्ताक्षरित सभी आवेदन पत्रों; अपीलों एवं अभिवेदनों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है ।

(iii) हिन्दी में मूल पत्राचार एवं द्विभाषिक फार्मों के हिन्दी भाग को भरने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मूल पत्राचार का प्रतिशत क्रमशः "क" क्षेत्र में 70 प्रतिशत, "ख" क्षेत्र में 30 प्रतिशत एवं "ग" क्षेत्र में 8 प्रतिशत है ।

(ख) निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग,

(अ) अखिल भारतीय प्रसारण के लिए उद्दिष्ट विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाते हैं ।

(आ) प्रशासनिक रिपोर्ट और अधिसूचनाएं द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं ।

(इ) प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों और शाखाओं से सभी परिपत्र और कार्यालय आदेश द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं ।

(ई) निविदा सूचनाएं, संविदा और करार द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं ।

(उ) बैंक अनुदेशावली के हिन्दी अनुवाद की जांच पूरी की जा चुकी है । तथा इसे द्विभाषिक रूप में छपने के लिए भेज दिया गया है ।

(ग) जनसम्पर्क के स्थलों पर हिन्दी का प्रयोग

(अ) क्षेत्र "क" के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित शाखाओं को खाता बहियों और पास बुकों में प्रविष्टियां हिन्दी में करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं ।

(आ) ग्राहकों द्वारा हिन्दी में हस्ताक्षरित चैक बिना किसी हिचक के निरपवाद रुप से सहर्ष स्वीकार किए जाते हैं बशर्ते कि बैंक रिकार्ड में उन्होंने अपने नमूना हस्ताक्षर हिन्दी अर्थात देवनागरी लिपि में दिये हों ।

(इ) क्षेत्र "क", "ख" अथवा "ग" का विचार किए बिना हमारी सभी शाखाओं में जनता के प्रयोग के लिए खाता खोलने के फार्म, जमा पर्चियाँ, चेक आदि द्विभाषिक रुप में उपलब्ध है ।

(घ) तारों का हिन्दी में भेजना

क्षेत्र "क" में स्थित हमारे सभी कार्यालयों का उन सभी तारों जिनमें कूट शब्दों का प्रयोग नहीं होता हो, केवल हिन्दी में भेजने के अनुदेश दिए गए हैं। 30-6-86 को समाप्त तिमाही के दौरान हिन्दी में भेजे गए ऐसे तारों का प्रतिशत कुल भेजे गए तारों का 82% था ।

(च) हिन्दी में प्रशिक्षण देना

(अ) हमारे प्रशिक्षण केन्द्रों में लिपिकीय स्टाफ के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हिन्दी में आयोजित किए जाते हैं जबकि अधिकारियों के पाठ्यक्रमों में हिन्दी और अंग्रेजी के मिले जुले माध्यम का प्रयोग किया जाता है ।

(आ) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिन्दी को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है ।

(छ) विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का वकल्पिक प्रयोग

विभागीय परीक्षा के प्रश्नपत्रों का उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प बहुत पहले ही दिया जा चुका है ।

(ज) टिप्पण और प्रारूप में हिन्दी का प्रयोग

प्रधान कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों के लगभग सभी विभागों में टिप्पण और प्रारूप लेखन में हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ हो चुका है ।

(झ) अनुश्रवण प्रणाली

अनुदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित बातों को शामिल करने से अनुश्रवण प्रणाली को ओर अधिक बल प्राप्त हुआ है :—

(i) राजभाषा विभाग/कक्ष के अधिकारियों, नियन्त्रक प्राधिकारियों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शाखाओ के निरीक्षण में वृद्धि,

(ii) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के अनुश्रवणहेतु और अधिक शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन, एवं

(iii) विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और अधिक चैक-बिन्दुओं का निर्माण ।

3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हिन्दी

बैंक वर्ष 1975 से ही सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सजग प्रयास करता रहा है, इस समय, बैंक में केंद्रीय राजभाषा विभाग के अलावा, 52 राजभाषा कक्ष कार्यरत हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुचारू रूप देने के लिए केंद्रीय कार्यालय के अलावा सभी प्रशासनिक कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जो राजभाषा विभाग के प्रमुख भी हैं, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं। इन समितियों की बैठकें नियमित रुप से होती हैं।

बैंक ने सबसे पहले बहुत बड़ी संख्या में हिंदी की कक्षाएँ चलाकर अपने स्टाफ को प्रशिक्षित किया। केवल बंबई शहर में ही वर्ष 1980 से 1984 के दौरान 7 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए और 1984 के अंत तक बंबई में कार्यरत सभी स्टाफ को प्रशिक्षित कर दिया गया, बंबई के अलावा, अहमदाबाद, बडौदा, पुणे, बेंगलूर, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद में भी बैंक ने अपनी कक्षाए प्रारंभ कीं। फिलहाल, मद्रास, बेंगलूर, बेलगांव, भुवनेश्वर और विजयवाड़ा में हिंदी कक्षाएँ चलाई जा रही हैं।

वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को दृष्टि में रखकर, मूल हिंदी पत्राचार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस दिशा में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है। वर्तमान (मार्च, 1986) में बैंक में मूल हिंदी पत्राचार का प्रतिशत (क्षेत्र-वार) इस प्रकार रहा :—

क्षेत्र "क"	79.45
क्षेत्र "ख"	53.19
क्षेत्र "ग"	18.19

सभी क्षेत्रों में, हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्यतया हिंदी में ही दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत निर्धारित सभी कागज़ात सभी भाषा क्षेत्रों "क", "ख" तथा "ग" में द्विभाषिक रूप में ही जारी किए जा रहे है।

बैंक में मैन्युअल, प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्हें द्विभाषी मुद्रित कराने का काम चल रहा है। सभी फार्म एवं रजिस्टर द्विभाषी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। नाम-बोर्ड, पत्रशीर्ष, रबड़ की मोहरें द्विभाषिक हैं।

बैंक की आंतरिक पदोन्नति परीक्षाओं में हिंदी में उत्तर देने का विकल्प दिया गया है। इस दिशा में बैंक ने सर्वप्रथम यह निर्णय लिया था। बैंक के एक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा सभी 7 प्रशिक्षण केंद्रों में हर सत्र के लिए दो हिंदी के पीरियड निर्धारित कर दिए गए हैं। इन दो पीरियड़ों में हिंदी पत्राचार, राजभाषा अधिनियम एवं नियमों पर चर्चा की जाती है। वर्ष 1984 से, क्षेत्र "क" स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में लिए जानेवाले प्रवेश पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम में ही चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के क्षेत्र में हिंदी माध्यम को लागू करने की दिशा में और कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।

बैंक में हिंदी जाननेवाले कर्मचारियों को हिंदी में काम करने हेतु प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करने के लिए बैंक द्वारा लगातार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। सभी अंचलीय/क्षेत्रीय कार्यालयों में हर तिमाही में अनिवार्य रुप से एक हिंदी कार्यशाला आयोजित करने की व्यवस्था है। वर्ष 1985 में, 140 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई। मार्च, 1986 तक बैंक में कुल 387 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। क्षेत्र और प्रशिक्षार्थियों को ध्यान में रखकर कार्यशाला के विषय और सामग्री में परिवर्तन किया जाता है। हिंदी-भाषी क्षेत्रों के लिए एक दृश्य-श्रव्य कार्यशाला सामग्री भी तैयार की गई, जो काफी प्रभावी सिद्ध हुई है।

बैंक के वरिष्ठ अधिकारी/राजभाषा अधिकारी नियमित रुप से हिंदी की प्रगति की समीक्षा हेतु कार्यालयों/शाखाओं का निरीक्षण करते हैं। वर्ष 1985 के दौरान क्षेत्र "क" में 348, "ख" में 354 तथा "ग" में 194 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। बैंक की भारत में कुल 1619 शाखाएं हैं।

राजभाषा नियम 10(4) के अधीन कार्यालयों/शाखाओं को अधिसूचित करवाने की दिशा में भी बैंक ने उल्लेखनीय कार्य किया है। बैंक के "क" क्षेत्र में 667 शाखाओं/कार्यालयों में से 491 तथा "ख" क्षेत्र में 485 शाखाओं/कार्यालयों में से 405, इस नियम के तहत अधिसूचित करवाएं जा चुके हैं। हाल ही में, 7 कार्यालयों तथा 126 शाखाओं को अधिसूचित करवाने की शिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक की गई है. क्षेत्र "ग" के कुछ कार्यालयों तथा करीब 100 और शाखाओं को अधिसूचित करवाने का प्रस्ताव है।

अधिसूचित शाखाओं में से "क" क्षेत्र की 289 तथा "ख" क्षेत्र की 54 शाखाओं को अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करने के लिए "हिंदी शाखा" के रुप में चुना गया है। इन शाखाओं में आंतरिक कामकाज तथा मूल पत्राचार हिंदी में करने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, क्षेत्र "क" तथा "ख" की कुछ और शाखाओं को अधिकांश काम हिंदी में करने के लिए चुने जाने का प्रस्ताव है।

कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए व्यक्तिगत रूप से तो प्रोत्साहित किया ही जा रहा है, इसके अतिरिक्त उनके सामूहिक प्रयासों को रेखांकित करने तथा स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से प्रगति में तेजी लाने के लिए, बैंक में आंतरिक राजभाषा शील्ड योजना शुरू की गई है। प्रतियोगिता क्षेत्र "क", "ख" एवं "ग" स्थित बैंक से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए है। तीनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार रखे गए हैं। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना के अनुरूप बनाई गई हैं। इससे हिंदी का कामकाज बढ़ाने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है। फलस्वरूप, सभी क्षेत्रों में हिंदी का काम बढ़ा है। इसके अतिरिक्त शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा से संबंधित तथा अन्य आंतरिक कार्य अधिक हिंदी में करवाने तथा शाखाओं में आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करने की दृष्टि से वर्ष 1986 से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों की शाखाओं के लिए "अंतर शाखा शील्ड योजना" भी प्रारम्भ की गयी है।

केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जानेवाली बैंक की त्रैमासिक गृह-पत्रिका में हिंदी खण्ड का समावेश तो है ही, इसके अलावा, सभी अंचलीय/क्षेत्रीय कार्यालयों को अलग से हिंदी पत्रिका निकालने की अनुमति दी गई है। इस समय, बैंक की इन पत्रिकाओं की संख्या 30 है।

हिंदी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वर्ष में एक बार राजभाषा अधिकारियों की वार्षिक समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाती है. यही नहीं, बैंक की विभिन्न

स्तरों पर आयोजित की जानेवाली कारोबार बैठकों में भी हिंदी के प्रगामी प्रयोग की नियमित समीक्षा की जाती है तथा भावी कार्यक्रम बनाये जाते हैं। वर्ष 1985 में किए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से 13-14 फरवरी, 1986 को चंडीगढ़, में वार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के मुख्य अतिथि श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय थे।

राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ही बैंक पिछले तीन वर्षों से लगातार भारतीय रिज़र्व बैंक से पुरस्कार प्राप्त करता आ रहा है। वर्ष 1984 के लिए क्षेत्र "ख" में हमें लगातार तीसरी बार प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया तथा "ग" क्षेत्र में हम द्वितीय तथा "क" क्षेत्र में चतुर्थ स्थान पर हैं। पिछले वर्ष, "क" क्षेत्र में हमें प्रथम पुरस्कार मिला था। इतना ही नहीं, कुछ नगरों में सर्वोत्तम कार्य निष्पादन के लिए गृह मंत्रालय, ने भी हमारे बैंक को पुरस्कार प्रदान किये हैं, नासिक, बेंगलूर और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय/अंचलीय कार्यालयों को पुरस्कृत किया जा चुका है।

प्राप्त सफलताओं को बनाए रखने तथा काम की गति को और तेज करने के साथ-साथ बैंक में हिंदी को सही परिप्रेक्ष्य में प्रतिष्ठित करने के लिए बैंक पूरे मनोयोग से प्रयासरत है।

4. बैंक ऑफ इंडिया, (जयपुर) में हिन्दी

1. जयपुर क्षेत्र में हिन्दी पत्र व्यवहार प्रतियोगिता

बैंक ऑफ इंडिया के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के कक्ष ने राजस्थान में कार्यरत अपनी समस्त शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए हाल ही में हिन्दी पत्र व्यवहार प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता के समय ही प्रतियोगियों को बैंकिंग से सम्बन्धित चार पत्र हिन्दी में लिखने को दिए गए थे। प्रतियोगिता में 124 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। हिन्दी सप्ताह के दौरान प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। अजमेर शाखा के श्री केशव राज सिंघल सर्वप्रथम रहे। क्षेत्रीय कार्यालय के श्री विमल कुमार जैन ने द्वितीय एवं जयपुर मुख्य शाखा के श्री नरेन्द्र गर्ग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। क्षेत्रीय कार्यालय के श्री शिव चरण जोशी को क्षेत्रीय कार्यालय का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।

2. जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी प्रश्न पहेली प्रतियोगिता का आयोजन.

हिन्दी सप्ताह के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा कक्ष ने क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ के लिए 30 अगस्त को हिन्दी प्रश्न पहेली प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस रोचक प्रतियोगिता में कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगियों से इस प्रतियोगिता में बैंक में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित विविध प्रश्न छः दौरों में पूछे गए थे। मुख्य अतिथि के रूप में हिन्दी के जाने माने विद्वान् श्री कला नाथ शास्त्री, निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान सरकार को आमंत्रित किया गया था। प्रतियोगिता में क्षेत्रीय कार्यालय के श्री शिव चरण जोशी प्रथम, श्री सुनील शर्मा द्वितीय एवं श्री विश्वम्भर भाटिया तृतीय रहे।

3. जयपुर क्षेत्र की सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए चयनित शाखाओं की हिन्दी सेमिनार

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा कक्ष ने अपने क्षेत्र की सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए चयनित शाखाओं के प्रबन्धकों के लिए दिनांक 3 सितम्बर को हिन्दी सेमिनार का आयोजन किया। 11 शाखाओं के प्रबन्धकों की इस सेमिनार का उद्घाटन करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री अनन्त आराध्ये ने प्रबन्धकों से आग्रह किया कि वे सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने के अपने दायित्व को निभावें एवं हिन्दी संबंधी विवरणियां सही प्रकार से प्रस्तुत करें, ताकि हमें बैंक की हिन्दी शील्ड मिल सके। सेमिनार में क्षेत्र के राजभाषा अधिकारी श्री एस० पी० गर्ग "सुमन" ने हिन्दी सम्बन्धी आंकड़ों के रख रखाव एवं प्रस्तुतीकरण पर विस्तृत चर्चा की। सेमिनार में उत्तरांचल के राजभाषा अधिकारी श्री शुक्ल ने भी मार्गदर्शन दिया।

इस सेमिनार में विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित भाषा विभाग के निदेशक श्री कला नाथ शास्त्री ने "शब्दावली एवं पत्र लेखन में महसूस होने वाली तात्कालिक समस्याओं के तुरंत समाधान" पर शाखा प्रबन्धकों को विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

5. पश्चिम रेलवे के मण्डल कार्यालय—कोटा में हिन्दी

कोटा मण्डल पश्चिम रेलवे के आठ मण्डलों में से एक है, जो राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण नगर है। इस मण्डल की सीमाएं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। यह क्षेत्र राजभाषा के आधार पर बाँटे गए 'क' क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र हिन्दी भाषी क्षेत्र है इसलिए यहाँ हिन्दी का प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ के अधिकांश कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और वे अपना अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में करते हैं। राजभाषा नियम 1976 की धारा 10(4) के अन्तर्गत इस मण्डल के साथ सभी अधीनस्थ कार्यालयों को रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है। धारा 8(4) के अन्तर्गत आनेवाले 12 विनिर्दिष्ट मदों में भी हिन्दी का अपेक्षित प्रयोग हो रहा है।

टिप्पण और आलेखन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के विचार से 1 जनवरी 1985 से एक परिशोधित गृह मंत्रालय की नगद पुरस्कार योजना आरम्भ की गई है। पिछली बार इस मण्डल पर 9 कर्मचारियों ने पुरस्कार प्राप्त किए। इस बार पुरस्कारों से अधिक कर्मचारियों के भाग लेने की संभावना है।

कोटा मण्डल पर प्रति वर्ष कोई न कोई कर्मचारी निबन्ध प्रतियोगिता, वाक् प्रतियोगिता एवं टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता में प्रधान कार्यालय स्तर एवं रेलवे बोर्ड स्तर पर पुरस्कृत होता रहा है। इस बार भी हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में, प्रधान कार्यालय स्तर पर चतुर्थ स्थान पर रहा है और वाक प्रतियोगिता में एक अहिन्दी भाषी कर्मचारी कु० प्रगना देसाई लिपिक प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रथम रही हैं।

इस कार्यालय में कार्यरत 80 प्र० श० से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग का वातावरण बनाने और उसके प्रयोग में तेजी लाने के विचार से इस मण्डल पर प्रतिवर्ष हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें गोष्टी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है। यही नहीं कोटा मण्डल के के अधीनस्थ स्टेशनों पर भी हिन्दी सप्ताह समारोह/हिन्दी दिवस का आयोजन किया जाता है। हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में मण्डल कार्यालय से मण्डल रेल प्रबन्धक की ओर से सरकारी कार्य में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए एक अपील भी जारी की जाती है, इस बार भी जारी की गई। इस बार हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में कोटा नगर के समस्त केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों/कम्पनियों/राष्ट्रीकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए एक हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी कोटा की ओर से आयोजन किया गया जिसमें प्रथम तीन विजित कर्मचारियों को 51, 31 व 21 रुपए के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।

इस मण्डल में काम आनेवाले सभी फार्मों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है, कुछ मानक फार्म अनुवाद के लिए शेष हैं वे रेलवे बोर्ड स्तर से अनुवाद होकर शीघ्र आने की सम्भावना है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम् को क्रियान्वित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जा रहे हैं। इस मण्डल से 80% से अधिक मूल पत्र हिन्दी में ही जारी किए जाते हैं। इस मण्डल ने तारों को 25% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यहां की सभी रबड़ की मोहरें/साइन बोर्ड और नाम पट्ट आदि द्विभाषा में तैयार हो चुके हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा फाइलों पर टिप्पणी हिन्दी में लिखने का अभ्यास कराया जा रहा है। पिछले वर्ष हिन्दी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया जिससे कर्मचारियों की झिझक दूर हुई है। कर्मचारियों के लिए हिन्दी के प्रयोग को सुलभ बनाने के लिए सहायक साहित्य उपलब्ध कराए जाते हैं। हिन्दी संगठन के कर्मचारियों के सामने समस्या होने के बावजूद भी हिन्दी अनुभाग की यह एक भारी सफलता है जो कर्मचारियों और अधिकारियों से सम्पर्क कर उन्हें हिन्दी में लिखने को प्रेरित कर रहे हैं।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) को कार्यान्वित करने के लिए प्रयास जारी हैं। इस मण्डल पर प्रेषण शाखा साइक्लोस्टाइल, टाइपिंग आदि सेक्शनों में चैक पाइंट जारी हैं उन्हें हिन्दी में लिखने को प्रेरित किया जाता है। अधिकारी भी इसके प्रति सजग हैं। उन्हें भी यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे राजभाषा अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करें और उनसे समय समय पर अनुरोध भी किया जाता है कि ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले वे इस बात का सुनिश्चय करलें कि यह हिन्दी में अथवा द्विभाषा रूप में जारी किए जा रहे हैं।

इस मण्डल को पिछली दो बार राजभाषा शील्ड मिल रही है, जो उल्लेखनीय है। अभी हाल ही में कुछ माह पूर्व इस मण्डल ने एक हिन्दी मेगजीन "नक्षत्र" का प्रकाशन किया था। जिसका विमोचन मण्डल रेल प्रबन्धक श्री अवतारसिंह जी के करकमलों द्वारा किया गया। मण्डल रेल प्रबन्धक जी ने इसे एक सराहनीय कार्य बताया और सहायक हिन्दी अधिकारी श्री ताराचन्द जी का एक महत्वपूर्ण योगदान बताया। स्मारिका विमोचन के समारोह में बहुत से अधिकारी एवं दोनों ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के सचिव श्री एन० के० कौशिक ने कहा कि हिन्दी के कार्य में यह एक बहुत अच्छी प्रगति है, उन्होंने इस पत्रिका को मील का पत्थर बताया।

(ताराचन्द)
सहायक हिन्दी अधिकारी
पश्चिम रेलवे मण्डल,
कार्यालय-कोटा

हिन्दी दिवस सप्ताह

1 हिन्दी दिवस के अवसर पर श्री जगदम्बी प्रसाद, सांसद, का भाषण

जगदम्बी प्रसाद

लोक मानस का संस्कार ही भाषा की प्रागवत्ता का सक्षम और सबल सबूत है। भारतीय मानस की अभिव्यक्ति है हिन्दी और भारतीय मानस की स्मिता ही हिन्दी की विधा है। भारतीय लोक मानस के साथ निर्बंध संपर्क स्थापित करने की अकेली माध्यम है हिन्दी। इसलिए भारतीय संस्कृति की अंतरंग स्फूर्ति और स्मिता हुई हिन्दी। हिमालय से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक लोक चेतना और उसके संस्कार की संवाहिका होकर वह विराट भारतीय संस्कृति संगम की विधायिका है।

हिन्दी ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से हमारी अभिव्यक्ति का सार्थक माध्यम बनी। स्वतन्त्रता आन्दोलन में जन संघर्ष में तप विकसित हुई हिन्दी। विशिष्ट नैसर्गिक गुणों और संस्कृत की मानस पुत्री के कारण भारत के मनीषा ने इसे सजाया संवारा और हर प्रदेश की भाषा ने इसे समृद्ध किया तो संविधानकर्ता ने इसको राष्ट्रभाषा बनाया। त्यागमय जीवन और बन्धुत्वमय उन्मेष की मानवीय संवेदनाने इसे अभिनव रस दृष्टि दी।

भाषा की समस्या न उत्तर की न दक्षिण भारत की है—इसके मूल में राजनीति है। इस समस्या का दूसरा कारण है अंग्रेजी भाषा और संस्कृति में पनपे विशिष्ट वर्गों द्वारा जन साधारण के हित का अपने हित के लिए शोषण करना। अहिन्दी भाषी भाषी राज्य का साधारण व्यक्ति न तो हिन्दी जानता है और न अंग्रेजी। उनके लिए अंग्रेजी हो या हिन्दी, कोई अन्तर नहीं पड़ता है बल्कि तमिलनाडु के मद्रास शहर में 10 से 20 हजार छात्र अपना पैसा खर्च करके वे हिन्दी सीख रहे हैं। क्षेत्रीय सरकार के हिन्दी सिनेमा बन्द होने के बाद भी आज सब लोग मजे में टी०वी० देखते हैं और हिन्दी गाना गुनगुनाते हैं। साथ ही अगर गैर हिन्दी भाषा किसी संस्थान का प्रभारी होता है तो वहां वे बराबर हिन्दी के अधिनियम का शत प्रतिशत पालन करते हैं—वहां जो हिन्दी का आदमी प्रधान होता है वे स्वयं हिन्दी की हीन भावना से ग्रसित होने के कारण, राजभाषा का भट्ठा बैठा देता है।

आज भी हिन्दी विकसित हो रही है क्योंकि यह जनता द्वारा प्रयुक्त होती, यह न तो विद्वानों द्वारा दी गई और कोशों द्वारा सिखाई जाती है। यह गतिशीलता के कारण और बुद्धिशील प्रकृति के कारण विकसित होती रही है। इसने जड़ता को नहीं जनता को पकड़ा है।

आज हिन्दी विश्व की दूसरी भाषा है—तीसरी नहीं। आंकडा प्रमाणित करने में पूर्ण सक्षम है। अगर स्टेटमन इयर बुक के 119वें संस्करण को ले तो अंग्रेजी का मूल क्षेत्र पड़ता है।

अमरीका	(सन् 1980)	जनसंख्या	22.65 करोड़
ग्रेट ब्रिटेन	(सन् 1981)	,,	5.583 करोड़
कनाडा	(सन् 1981)	,,	2.42 करोड़
आस्ट्रेलिया	(सन् 1980)	,,	1.462 करोड़
आयरलैण्ड		,,	3.310 करोड़
न्यूजीलैण्ड	(सन् 1981)	,,	0.32 करोड़
	संयुक्त (कुल)	,,	32.182 करोड़

भारत की जनसंख्या 80 में 68.39 करोड़ थी। भारत के लगभग 70 प्रतिशत लोग राजकाज, जनसंचार, शिक्षा, व्यापार या घर के बाहर सम्पर्क के लिए हिन्दी का प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी का डेढ़ गुणा अगर आधा भी मान ले तो भी अंग्रेजी से अधिक हैं। 1980 के आंकड़े के अनुसार 1.10 करोड़ भारतीय 136 देशों में बिखरे पडे हैं।

नेपाल, लंका, मलेशिया, मारिशस, सुरीनाम, ट्रिनीडाड, ट्यूनीशिया आदि में तो इनका वर्चस्व है पाक और बंगला में जो उर्दू या बंगला बोलते हैं वे भी आमतौर पर वे हिन्दुस्तानी अवश्य समझते हैं।

अतः हिन्दी संसार की दूसरी बड़ी भाषा है तथा भाषा का सवाल भावना से जुड़ा है और आजादी के समय राष्ट्रीय भावना प्रबल थी राष्ट्र, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रध्वज, संविधान जो घोषित किया चल पड़ा। इजरायल ने 2000 वर्ष भूली बिसरी भाषा हिब्रू को अपनाया कि उसका स्वतंत्र पहचान बने और अंग्रेजी के देश में भी उनकी राजभाषा अंग्रेजी नहीं थी पर जैसे ही उन्हें यह भान हुआ कि स्वतंत्र देश को अपनी भाषा नहीं—उसी काल कानून बनाकर अंग्रेजी को चला दिया। 39 वर्ष में भावना को नौकरशाह ने—विशिष्ट वर्ग ने राजनीति में, सीमित स्वार्थ में बदलने का अंग्रेजों का हथकंडा अपनाया जो फलता-फूलता नजर आता है।

भारत को अगर गौरवशाली राष्ट्र बनना है तो विदेशी शासन के साथ विदेशी भाषा के प्रभाव से भी छुटकारा पाना होगा। हिन्दी के अतिरिक्त और कोई दूसरी भारतीय भाषा नहीं जिसके साहित्य संवर्धन में अन्य भाषा भाषियों का योग रहा हो। इसकी सार्वभौमिकता सार्वजनियता स्वयंसिद्ध है।

भारत में 1652 बोलियां बोली जाती हैं और 15 राष्ट्रीय भाषाएं हैं और विश्व की 16 भाषाएं जिन्हें पांच करोड़ से अधिक

लोग बोलते हैं उनमें पांच भारत की हैं तथा भारतीय भाषाएं 136 देशों में बोली जाती हैं। केन्द्र सरकार के कार्य और राज्यों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका निभाने का कार्य-राजभाषा हिन्दी को दिया गया क्योंकि हिन्दी संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की सशक्त कड़ी है। राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना के संवहन की शक्ति है। इसमें समस्त राष्ट्र के जन जीवन, आशाओं, आकांक्षाओं, भावनाओं को चित्रित करने की अद्भुत शक्ति है।

30 वर्ष केन्द्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिन्दी के अध्ययन, अनुसंधान और साहित्य के प्रकाशन के लिए अनेक संस्थाओं का गठन किया तथा स्वयं सेवी संस्थाएं भी इस क्षेत्र में काम करती हैं फिर भी काम का नियोजन और कार्यक्रम का विशेषकर निश्चित निदेशों और योजना के अनुसार नियोजित और स्थिर नहीं हो सका

हिन्दी का ज्ञान रखने वाले कार्यालय अधिसूचित किये जा रहे हैं--हिन्दी प्रशिक्षण कार्य भी गति पकड़ रहा है तथा सभी कार्यालय "क" क्षेत्र से अधिकतम कार्य हिन्दी में करने लगे हैं। विभागीय पत्र-पत्रिका में राजभाषा का स्थान आगे और अपना स्थान प्राप्त किया है—जैसे रिजर्व बैंक बुलेटिन में अब पहले हिन्दी और आधी पत्रिका में हिन्दी सामग्री दी जाने लगी है। प्रत्येक मंत्रालय विभागों में एक एक अनुभाग (हिन्दी अनुभाग को छोड़कर) शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में बहुतों में प्रारम्भ हो गए हैं कुछ बहाना बनाकर आगा पीछा कर रहे हैं पर करने के लिए बाध्य हैं। अभी विशेष कठिनाई है "क" क्षेत्र में जहां हिन्दी जानने वाले नियम का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इधर उनका ध्यान दिलाया गया है। नई यांत्रिक सुविधा राजभाषा में भी प्राप्त करने का प्रयास प्रारम्भ है—जैसे टेलेक्स, टेलोप्रिंटर, कंप्यूटर, विद्युत टंकण यंत्र, शब्द संसाधन, पता लेखी यंत्र आदि। इतने पर भी किसी भी मंत्रालय में आज तक पर्याप्त न तो देवनागरी टंकण यंत्र हैं और न टंकक और आशुलिपिक। सभी विभागों में हिन्दी कार्यशाला प्रारम्भ किए जा रहे हैं तथा हिन्दी दिवस अब हिन्दी सप्ताह का रूप ले रहा है। गृह पत्रिका राजभाषा में एक दो वर्ष में कई दर्जन प्रकाशित हो रहे हैं

प्रत्येक मंत्रालय ने अपने अपने यहां पुरस्कार योजना चलाई है कि उनके विषय में मौलिक एवं संदर्भ ग्रन्थ लिखे जाए। निबन्ध भी लिखने का आग्रह है।

कई जगह यह कह कर कि यह तकनीकी है, वैज्ञानिक है, अनुसन्धान का है, प्रौद्योगिकी भी है, राजभाषा के प्रयोग से बचने का बहाना भी बनाये जा रह हैं।

यह ठीक है कि अब बहाना का भी अन्त हो रहा है। ये लोग धीरे धीरे कुछ मन से कुछ अनमन से ही क्यों नहीं हो कार्य प्रारम्भ कर रह हैं।

कुछ कठिनाईयों का भी उल्लेख अनिवार्य है--राजभाषा के रूप में जो अनुवादी हिन्दी लिखी जा रही है क्योंकि मूल पाठ अंग्रेजी में होता है और जैसे तैसे हिन्दी रूपांतर कर दिया जाता है। इसमें हिन्दी की स्वाभाविकता और सहजता नष्ट हो जाती है। अतः मूल पाठ हिन्दी में हो। दुर्भाग्य है कि यह मूल पाठ हिन्दी राज्यों में भी अंग्रेजी में तैयार होते हैं।

इसके साथ दूसरी समस्या है कि अधिकारी जिनकी शिक्षा, प्रतियोगिता, परीक्षा और प्रशिक्षण का माध्यम अंग्रेजी हो और 15--20 वर्ष अंग्रेजी में कार्य करने का अभ्यस्त हो। इसका अर्थ है—सुबोध हिन्दी के साथ प्रश्न जुड़े हैं--हमारी शिक्षा, प्रतियोगिता, परीक्षा और अभ्यास का। अतः यहां अंग्रेजी का एकाधिकार समाप्त हो।

दूसरी कठिनाई है हिन्दी भाषी राज्यों की सरकार भी हिन्दी को पूर्ण सरकारी कामकाज की भाषा बनाने में शिथिलता।

एक बार यह चेतना जागृत करनी पड़ेगी कि हिन्दी हमारी सामाजिक, धार्मिक आन्दोलन की ही भाषा नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना और स्वतन्त्रता आंदोलन की अभिव्यक्ति की भाषा रही है। भारत का जन जन इसका प्रयोग करने में आत्मगौरव की अनुभात अनुभव करें

जगदम्बी प्रसाद यादव

7-282 एम. ऑफ एच. ए./एन. डी/86

बैंकिंग व्यवसाय में हिन्दी-स्थिति और सुझाव

हिन्दी दिवस के अवसर पर

प्रदीप कुमार अग्रवाल

बैंकिंग व्यवसाय जन-सेवा में लिप्त आर्थिक क्रियाकलापों का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के अर्थ-चक्र की धुरी बैंकिंग व्यवसाय ही तो हैं। किन्तु यह भी कितनी विचित्र बात है कि जिस राष्ट्र के अधिसंख्य नागरिक निरक्षर अथवा अल्प ज्ञान प्राप्त किए हों, ऐसे राष्ट्र के बैंकिंग व्यवसाय की कार्य-विधि की लगभग 5000 मील दूर बसे एक ऐसे उपनिवेश की भाषा द्वारा सरअंजाम दिया जाता है जिसका हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं परम्परा से कोई संबंध नहीं है। आश्चर्य यह है कि हम एक सर्वप्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य के नागरिक हैं, जिसके संविधान में देवनागरी लिपि विधिक हिन्दी भाषा को राजभाषा के सम्मान-जनक पद पर प्रतिष्ठित किया गया है, परन्तु आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 39 वर्ष पश्चात् भी सरकारी काम-काज में इस भाषा की जो स्थिति है, उससे कोई भी प्रबुद्ध नागरिक अपरिचित नहीं है। विश्व में इस राष्ट्र की प्रखर चेतना के अस्तित्व को चिन्हित करने के मार्ग में यह केवल अशोभनीय ही नहीं, लज्जाप्रद भी है।

हालांकि हिन्दी भाषा को लागू करने के मार्ग में किए गए प्रयासों को देखते हुए यह आलोचना एकपक्षीय लग सकती है किन्तु फिर भी निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी प्रयत्नों की क्षीणता से उद्वेलित होकर इस भाषा को अपेक्षित स्थान एवं स्तर दान करवाने में वैयक्तिक संस्थाओं द्वारा किए गए तथा वर्तमान में किए जा रहे प्रयास और उनका योगदान अधिक महत्व-पूर्ण है।

बैंकिंग व्यवसाय का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। राष्ट्र के कोने-कोने तक बैंको की शाखाओं का जाल फैला हुआ है, किन्तु यह दुखद है कि जन उपयोगी इस सेवा के अधिकतर कामकाज की भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका यहां के किसी प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि बैंकिंग सेवा का पूर्ण लाभ यहां के अल्पज्ञ नागरिकों को उपलब्ध है। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, अधिसूचनाएं, विवरण एवं परिपत्र इत्यादि केवल अंग्रेजी भाषा में जारी किए जाते रहे हैं। यद्यपि इस दिशा में मामूली सुधार हुआ है परन्तु वह यथेष्ठ नहीं कहा जा सकता। बैंकिंग व्यवसाय में हिन्दी भाषा की स्थिति को समझाने के लिए प्रथमत: इसके आंतरिक पहलू की चर्चा आवश्यक है, उसके पश्चात् ही इसकी बाह्य कार्य-विधि एवं व्यापकता का परीक्षण किया जा सकता है।

अधिकतर उच्च-अधिकारी अपना अंग्रेजी-मोह छोडना नही चाहते क्योंकि उनकी दृष्टि में यह 'सभ्य' व्यक्तियों की भाषा है और सरकारी कामकाज के लिए इससे उपयुक्त भाषा और कोई नहीं हो सकती। उनका ऐसा सोचना गुलाम मानसिकता का परिचायक है, और कुछ नही। यदि तर्क की कसौटी पर देखा जाय तो इसके पीछे तीन कारण है, पहला यह कि कई विकसित देशों में यह भाषा प्रचलन में है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर स्वीकारा गया है, दूसरे सरकारी काम-काज के लिए यह भाषा-शैली हमें विरासत में मिली है जिसके वशीभूत होकर वे अपनी राजभाषा को अपनाने के लिए मूल रूप से कोई स्वत: प्रयास का कष्ट नहीं करना चाहते तथा तीसरे और अन्तिम तर्क के रूप में राजनैतिक कारणों से प्रेरित हमारे राष्ट्र के अन्दरुनी भाषाई झगड़े हमारे सामने हैं जिनमें निहित तत्व राजभाषा को एक प्रादेशिक एवं सीमित दायरे वाली भाषा साबित करने पर तुले हुए हैं। और हिन्दी भाषा की व्यापकता को अन्य क्षेत्रों की मौलिकता के हनन करने का माध्यम समझे बैठे हैं।

वस्तुत: भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और विस्तृत भारतीय उप-महाद्वीप जिसमें विभिन्न आचार-विचार, खान-पान, रहन-सहन, धर्मों, भाषाओं और संस्कृति से सम्बद्ध लोग एकजूट होकर रहते हों, ऐसे राष्ट्र को एकसूत्र में पिरोने का कार्य केवल भाषा के माध्यम से ही संभव है। ऐसे में यह सोचना नितान्त भ्रामक है कि राजभाषा का प्रसार क्षेत्रीय स्वतंत्रता पर प्रहार है। राज-भाषा की क्षेत्रीय भाषाओं से कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, यहीं नहीं, प्रश्न यह है कि जो क्षेत्र अपने ही राष्ट्र की विधिसम्मत राजभाषा को अपेक्षित सम्मान नहीं दे सकते हैं, वह एक विदेशी भाषा को किस प्रेरणा से अपने सीने से लगाए हुए हैं। राजभाषा के समर्थन में इस तथ्य का उल्लेख संदर्भगत होगा कि यह हमारे राष्ट्र की सर्वाधिक प्रचलित और वृहद क्षेत्रीय भाषा हीं नहीं अपितु विश्व में इसका प्रचार-प्रसार तीसरे स्थान पर है। आज विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के 90 विश्वविद्यालयों में हिन्दी की नियमित कक्षाएं होती हैं, इसके अतिरिक्त यह शैली की दृष्टि से पूर्णतया वैज्ञानिक और शब्द-शक्ति के आधार पर अत्यंत सुविकसित, वृहद भाण्डारिक और यथेष्ट लचीली है जिसमें अल्प भाषाओं के प्रचलित शब्दों का उदारतापूर्वक समावेश किया गया है। जिससे इसे समझना भी बहुत आसान हो। केवल अप्रभावी नीति के कारण इसे अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा नहीं बनाया जा सका फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में इसे प्रयोग किया जा चका है। प्रसंगवश राजभाषा के महत्व को समझकर इसका प्रयोग करने का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष

यात्री ने जिसने अंतरिक्ष से राष्ट्रवासियों के साथ हिन्दी में बातचीत करके न केवल लोगों का दिल जीता अपितु विश्व में राष्ट्र के गौरव को भी चार चांद लगा दिए। इन तथ्यों से राजभाषा हिन्दी का महत्व स्पष्ट है जो संपर्क भाषा के रूप में भी उत्तरोत्तर प्रसार प्राप्त कर रही है।

ऐसे में यह सोचना स्वाभाविक नहीं है कि बैंकिंग व्यवसायों में हिन्दी के प्रयोग में क्या व्यवधान है जबकि विभिन्न सर्वेक्षणों से यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि अधिसंख्य बैंक कर्मचारी हिन्दी भाषी हैं तथा उन्हें हिन्दी लिखने, बोलने, पढ़ने, समझने का अपेक्षित स्तरीय ज्ञान है, इसके समर्थन में इस भाषा की क्लिष्टता को भी उत्तरदायी ठहराया गया है। किन्तु अपने भाव के प्रेषण में किसी उचित शब्द का प्रयोग क्लिष्टता का परिचायक नहीं अपितु नवीनता का द्योतक है। यह सर्वमान्य है कि जो हम नहीं जानते वह हमारे लिये कठिन या क्लिष्ट है किन्तु समझने के पश्चात् वही हमारे लिए आसान हो जाता है। ऐसे में पारिभाषिक शब्दों को समझना एक आवश्यकता है, क्लिष्ट कह कर पलायन करना अनुचित आरोप है। इसके लिए स्वयं प्रयास आवश्यक है। राजभाषा को सरकारी कामकाज की भाषा की अपेक्षा साहित्यिक रूप में परखना उचित नहीं है। यदि तुलना की जाय तो बैंक कर्मचारियों का अंग्रेजी-ज्ञान उनके हिन्दी ज्ञान की अपेक्षा निश्चित रूप से बहुत कम मिलेगा। स्पष्ट है कि क्लिष्टता का यह तर्क अपने सार्वाधिक उत्तरदायित्व को नकारने की एक थोथा उदाहरण ही नहीं अपितु इस दिशा में अपने प्रयासों को नकारने का भी एक नायाब तरीका है।

आज प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के पास राजभाषा को लागू करने में मदद देने के लिए राजभाषा अधिकारी उपलब्ध है जो कर्मचारियों को व्यावहारिक कामकाज में हिन्दी को प्रयोग समझाने के लिए विभिन्न प्रकार से कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और भारतीय संविधान की व्यवस्था एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकिंग प्रभाग की ओर से राजभाषा के सम्बन्ध में प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते है। बैंक में न केवल हिन्दी लिपिक टंकक, व आशुलिपिकों की नियुक्ति की जा रही है, बल्कि वहां कार्यरत अंग्रेजी टंककों एवं आशुलिपिकों को यह कला हिन्दी में सीखने के लिए विशेष व्यवस्था एवं प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी किया गया है। राजभाषा की दृष्टि से राष्ट्र के संपूर्ण सरकारी क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है जिनके लिए हिन्दी में दैनिक कामकाज, पत्र-व्यवहार आदि के लिए निश्चित लक्ष्य निर्धारित किये गए है। भारतीय बैंकिंग संस्थान द्वारा वर्ष में दो बार बैंक कर्मचारियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके उत्तीर्ण करने पर प्रमाण-पत्र एवं प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त कई बैंकों में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के तत्वाधीन में स्थानीय शाखाओं का गठन किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति विभिन्न बैंकों की हिन्दी प्रगति का समय-समय पर जायजा लेती है और उन्हें राजभाषा के अनुपालन के लिए उचित सुझाव भी देती है। बैंकों की समस्त शाखाओं को हिन्दी प्रयोग से सम्बन्धित अधिकाधिक आवधिक विवरणियां अपने उच्चतर कार्यालयों को प्रेषित करना आवश्यक किया गया है, जिनके आधार पर संपूर्ण क्षेत्र की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोगी परामर्श दिये जाते है। बैंकों के सभी नाम पट्ट, रबड़ की मोहरें, सील, प्रपत्र, परिपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का द्विभाषीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दैनिक प्रयोग में आने वाले तकनीकी शब्दों को समेकित कर बैंक का पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन किया है। तथा अन्य कई लघु प्रकाशन भी इस दिशा में किए गए है जिससे हिन्दी प्रयोग के लिए लगभग सभी आवश्यक शब्द, वाक्य, प्रारूप-पत्र इत्यादि सुविधापूर्वक सभी को सुलभ हो सके, और राजभाषा के प्रयोग में आने वाली प्रारंभिक कठिनाइयां को सुगमता से निपटाया जा सके। कई हिन्दी गृह-पत्रिकाओं का भी प्रकाशन आरम्भ किया गया है। विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रशस्ति-पत्र, राजभाषा-शील्ड, राजभाषा-पदक योजनाएं भी इसी उद्देश्य के अंग है, जो राजभाषा को सुकर बनाने में जुटे हुए है।

इतना सब होने के पश्चात भी बैंकों में राजभाषा की स्थिति दयनीय बना हुई है। अधिकांश ग्राहक-सेवा और आंतरिक पत्र-व्यवहार का माध्यम अभी भी अंग्रेजी है। जिन्हें कुछ करना चाहिए वे करना नहीं चाहते। कोई हिन्दी प्रेमी रोएं तो रोएं।

अतएव, समस्त स्थिति के आकलन के पश्चात् बैंकों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं में राजभाषा के अपेक्षित प्रयोग के लिए सर्वप्रथम और सर्वाधिक उपयोगी सुझाव यह है कि विभिन्न राजभाषा नियमों, आदेशों और सांविधानिक उपबन्धों के अनुरूप कार्य न करने पर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध समुचित दण्ड व्यवस्था की जाए, और इसे भी अन्य सेवा नियमों की भांति उल्लंघन होने की दशा में अनुशासनिक कार्यवाही का आधार माना जाए। जो कर्मचारी हिन्दी के प्रति रुचि रखते है, उन्हें इस दिशा में आगे आने का अवसर दिया जाए। विभिन्न कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किए बैंक कर्मचारियों की राजभाषा कार्य में प्रगति का विशेष निरीक्षण किया जाए अन्यथा इस खर्चीली पद्धति का कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान में कार्यरत हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों की सेवा का अधिकाधिक लाभ उठाया जाए तथा नव-नियुक्त हिन्दी लिपिकों/टंककों को विभिन्न कार्यालयों/विभागों में आवश्यकतानुसार तैनात किया जाए। यही नहीं जो कर्मचारी बैंक की ओर से हिन्दी टंकन/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उनकी सेवाओं का विशेषतः हिन्दी कार्य के लिए प्रयोग सुनिश्चित किया गया जाए। विभाग प्रमुखों का नियमित आवधिक बैठकों में हिन्दी प्रगति की समीक्षा की जाए तथा आगामी योजनाओं के प्रारूप तैयार किए जाएं। इसके अतिरिक्त, एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि बैंकों के विभिन्न संवर्गों में जो भी नई नियुक्तियां की जाए उनके सेवा नियमों में राजभाषा प्रयोग को सुनिश्चित किया जाए तथा उन्हें नियुक्ति के समय ही राजभाषा से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं/प्रशिक्षण देने आदि की व्यवस्था की जाए जिससे 'नई पीढ़ी' चाहे-अनचाहे भी अंग्रेजी-मोह से ग्रस्त न हो सके। प्रत्येक विभागाध्यक्ष को उसके विभाग की हिन्दी स्थिति के बारे में उत्तरदायी समझा जाए जो निःसंदेह इसका पात्र है। राज-

भाग में प्राप्त/भेजे गए सभी पत्रों/परिपत्रों/सूचनाओं आदि का उचित रिकार्ड रखने के साथ-साथ इसकी नियमित जांच की जाए। राजभाषा में तार-प्रणाली को अधिक प्रचलित किया जाए। सरकार को सभी आवश्यक विवरण राजभाषा में ही भेजे जाएं। मुख्यतया, यदि यही कुछ सुझाव अमल में आ सकें तो राजभाषा की वर्तमान स्थिति संतोषजनक हो सकती है तथा यदि एक बार इन अतीव प्रयासों से राजभाषा को अपेक्षित स्तर पर प्रयोग में लाया जाने लगेगा तो कोई कारण नहीं कि आगे इसके प्रयोग में किसी भी बाधा का सामना करना पड़े।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने में "अति प्रजातांत्रिक" होना लक्ष्य प्राप्ति की सर्व-प्रमुख बाधा सिद्ध हो सकता है। लक्ष्य वही प्राप्त होता है जहां दृढ़ निश्चय हो और बैंकों में राजभाषा के अनुपालन में यह दृढ़ता केवल परामर्श एवं अनुरोधों से नहीं अपितु रूचि-विकास एवं दण्ड-व्यवस्था के प्रयोग से ही ला पाना संभव है।

—मध्यांचल-एक, पुणे'

उत्तरान्चल दर्पण से साभार

3. मद्रास (दूरदर्शन)

मद्रास के दूरदशन केन्द्र में 13 अगस्त, 1986 को "हिन्दी दिवस" सम्पन्न हुआ। दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली के उप महानिदेशक श्री केशव पाण्डे तथा सहायक निदेशक (राज-भाषा) श्री सतीश चंद्र शुक्ल इस समारोह में भाग लेने विशेष रूप से आये हुए थे। मद्रास विश्वविद्यालय के हिन्दी प्रोफेसर डॉ० एस० एन० गणेशन मुख्य अतिथी थे। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के प्रधान सचिव श्री आर० अनन्तकृष्णन, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, मद्रास के प्रादेशिक अधिकारी डॉ० किशोर वासवानी और हिन्दी शिक्षण योजना, मद्रास के सहायक निदेशक श्री टी० आर० कश्यप अन्य आमंत्रितों में थे। दूरदर्शन केन्द्र के अनेक अधिकारी तथा कर्मचारियों ने इस समारोह में भाग लिया। श्रीमती सीता रत्नाकर और कुमारी एच० कल्पगम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-गीत के बाद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। श्री केशव पांडे ने कहा कि यह एक सुखप्रद अवसर तथा विशेष अभिमान की बात है कि सन् 1975 में इस केन्द्र की स्थापना के बाद पहली बार मनाएं जा रहे इस समारोह में भाग लेने का मुझे प्राप्त सुयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने श्री केशव पाण्डे द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए किए गए अनेक कार्यक्रमों का विवरण किया। मुख्य अतिथि डॉ० गणेशन का स्वागत करते हुए, उन्होंने कहा कि वे तमिल और हिन्दी दोनों भाषाओं के महान विद्वान हैं और साहित्य के लिए उनके योगदान का विशेष महत्व है।

दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास द्वारा की गई अमूल्य सेवा का ब्यौरा देते हुए श्रीमती अखिला शिवरामन ने कहा कि श्री अनन्तकृष्णन, हिन्दी प्रचार सभा के एक आधार स्तम्भ है। वे लगभग 40 वर्षों से हिन्दी की सेवा करते आ रहे हैं। उन्होंने डॉ० किशोर वासवानी तथा अन्य उपस्थित सज्जनों का स्वागत किया और मद्रास के दूरदर्शन केन्द्र में, हिन्दी में हो रहे कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। निदेशका ने कहा कि हिन्दी दिवस के सिलसिले में प्रबंध और वाक-स्पर्धाएं चलाई गई। विजेताओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र के कर्मचारियों के सहयोग से यह केन्द्र हिन्दी की प्रगति के लिए और भी कुछ कर सकता है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में, श्री केशव पांडे ने कहा कि इस केन्द्र में पहली बार आयोजित किए गए "हिन्दी दिवस" समारोह में भाग लेते हुए उन्हे हर्ष का बोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के ज्ञान से मनुष्य के व्यक्तित्व का विशेष रूप से विकास होता है।

किसी भी भाषा की जानकारी का तात्पर्य देश को समझने के समान होता है। यह सौभाग्य की बात है कि भारत वर्ष में विरासत संस्कृति और साहित्यिक दृष्टि से पूर्ण रूप से सम्पन्न और समृद्ध अनेक भाषाएँ हैं। परन्तु अन्य भाषाओं की जानकारी न होने के कारण वांछित मात्रा में साहित्यिक आदान प्रदान नहीं हो सका है, हालांकि साहित्य अकादमी तथा अन्य संस्थाएँ इस दिशा में यथा-शक्ति अपना योगदान दे रही हैं। हिन्दी के माध्यम से पारस्परिक आदान प्रदान की संभावना बढ़ती है। अपने भाषण में को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी की जानकारी हमारे सामने ज्ञान की खिड़की खोल देती है।

मुख्य अतिथि डॉ० गणेशन् ने अपने भाषण में कहा कि सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी अपना कार्य सफलतापूर्वक निभा रही है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, हिन्दी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत में हर कहीं हिन्दी जानने वाले रहते हैं। भाषण के अंत में प्रोफेसर ने कहा कि इस भाषा के विकास के लिए हाथ बटाना हमारा कर्तव्य है। श्री० पी० अनन्तकृष्णन् ने कहा कि दक्षिण भारत के चिन्तक हिन्दी के प्रचार की राष्ट्रीय आवश्यकता से भली-भांति परिचित थे। दक्षिण भारत के गांवों में हिन्दी के प्रसार/प्रचार करने का श्रेय हिन्दी प्रचार सभा को मिलता है। उन्होंने अंत में कहा कि इस भाषा के और अधिक प्रचार के लिए सरकार की अतिरिक्त सहायता से बडी मदद मिलेगी।

डॉ० वासवानी ने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति से हिन्दी के प्रचार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उससे राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बल मिलेगा।

श्री एस० सी० शुक्ल ने कहा कि इस हिन्दी दिवस समारोह में भाग लेते हुए उन्ह बहुत हर्ष हो रहा है। उन्होंने कुमारी कल्प-गम को बधाई दी जो हिन्दी शिक्षण योजना की नवम्बर, 1985 में हुई "प्राज्ञ" परीक्षा में 87 प्रतिशत अंक पाकर सारे मद्रास केन्द्र में सर्वप्रथम आयी थीं। उन्होंने आगे कहा कि इस अतिशय उप-लब्धि से न केवल मद्रास केन्द्र का बल्कि दूरदर्शन का गौरव बढ़ गया है। उन्होंने उन सभी कर्मचारियों को बधाई दी जिन्होंने अधिक अंक पाकर हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर नकद पुर-स्कार प्राप्त कर चुके थे। श्री शुक्ल ने कहा कि विशेष रूप से यह

प्रसन्नता की बात है कि अनेक प्रचालन कर्मचारी केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रम में भर्ती हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में उत्पन्न उत्साह को और बढ़ने देना चाहिए और अगले वर्ष का समारोह और भी धूमधाम से मनाया जाना चाहिए ।

स्वर्गीय श्री मैथिलीशरण गुप्त, जिनकी जन्म शताब्दी सारे देश में इस वर्ष में मनाई जा रही है को श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए उनकी "शुभकामना" नामक कविता का वाचन कुमारी कल्पगन ने किया। इसके पश्चात् श्री केशव पाण्डे ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न परीक्षाओं में पास हुए कर्मचारियों को पुरस्कार/प्रमाण-पत्र वितरित किया ।

हिन्दी अधिकारी श्री० एस० राममूर्ति ने धन्यवादार्पण किया।

राष्ट्रगीत के बाद समारोह समाप्त हुआ ।

सतोशचंद्र शुक्ल,
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली

4. मद्रास (टेलीफोन्स)

मद्रास टेलीफोन्स जिले का हिन्दी दिवस समारोह तारीख 17-9-86 को मद्रास टेलिफोन्स जिले के हिन्दी कक्ष में उत्साहपूर्वक वातावरण में संपन्न हुआ। श्री जे० सत्यनारायण, हिन्दी अधिकारी ने सभी आमंत्रितों का स्वागत किया। श्री आर० रंगराजन, महाप्रबन्धक ने अध्यक्षासन ग्रहण किया और हिन्दी-प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र वितरीत किए। महाप्रबंधक ने अपना भाषण हिन्दी में देकर सभी कर्मचारियों को धीरे धीरे हिन्दी में काम करने के लिए कहा। श्री के ० के० पिल्ले, भूतपूर्व प्रभारी उप महाप्रबन्धक (प्रशासन) उस समय समारोह में अतिथि के रूप में मौजूद थे। कुछ अधिकारियों को मिलाकर लगभग 200 कर्मचारियों ने समारोह में भाग लेकर उसे सफल बनाया। समारोह के अंत में श्रीमती बेबी रानी शंकरन्, हिन्दी टंकक ने धन्यवाद समर्पण किया ।

जे० सत्यनारायण
हिन्दी अधिकारी
मद्रास टेलीफोन

4. मंगलूर

दिनांक 16-9-1986 को कार्पोरेशन बैंक प्रधान कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री वाय० एस० हेग्डे ने की। श्री हेग्डे ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत् उद्घाटन किया और ईश वंदना के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। आरंभ में हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपनी अध्यक्षीय भाषण में हिंदी दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला और सभी उपस्थित कार्यपालकों एवं सदस्यों से राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने एवं राजभाषा हिंदी में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकरण के बाद हम देश की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। यदि हमें अपने क्षेत्र का अधिकाधिक विकास करना है तब हमें अपने कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करना होगा। इसलिए इस ओर हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए।

अध्यक्षीय भाषण के बाद प्रधान कार्यालय के राजभाषा अधिकारी नरसिंह प्रसाद यादव ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग के क्षेत्र में बैंक द्वारा की गयी प्रगति पर विस्तृत प्रकाश डाला।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित विभिन्न हिंदी परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र तथा हिंदी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए।

इस अवसर पर संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया। आर्केस्ट्रा के रंगारंग कार्यक्रम की दर्शकों ने मुक्त कंठ से सराहना की।

अंत में राजभाषा अधिकारी श्री चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह संपन्न हुआ ।

5. तिरुअनंतपुरम्

तिरुअनंतपुरम् में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में दिनांक 6-12-1986 को 4.00 बजे केनरा बैंक अंचल कार्यालय में हिन्दी दिवस गया। इस अवसर पर, केरल परिमंडल के पोस्ट मास्टर जनरल श्री सी०जे० मात्यु, मुख्य अतिथि थे। केनरा बैंक के उप महाप्रबंधक श्री वी० ए० प्रभु० ने जो इस समिति के अध्यक्ष भी हैं। समारोह की अध्यक्षता की ।

बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुअनंतपुरम के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री ई० ए० नायर ने सभा का स्वागत किया और यह आशा व्यक्त की ऐसे समारोहों से, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में राजभाषा के कार्यान्वयन में नया उत्साह पैदा होगा। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री मात्यु ने देश की राजभाषा के रुप में हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित व्यक्तियों से आह्वान किया कि सरकार की राजभाषा नीति का अनुसरण करते हुए, राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के सुसंगठित प्रयास करें। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री बी० ए० प्रभु ने बताया कि हिन्दी को अपनाना और आगे बढ़ाना देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने उपस्थित व्यक्तियों से अनुरोध किया कि अपने दैनंदिन कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने के अपने प्रण को फिर से नवीकृत करें ।

केनरा बैंक के मंडल प्रबंधक श्री यूपी कामत ने आभार प्रदर्शन किया ।

इसके पहले तिरूअनंतपुरम शहर में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंक में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हिन्दी में एक वाक्-पटुता प्रतियोगिता आयोजित की गयी जिसके विजेता निम्नांकित है।

1. श्रीमती मल्लिका जयकुमार	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	प्रथम पुरस्कार
2. श्री एम० वी० अशोक	नाबार्ड	द्वितीय पुरस्कार
3. श्रीमती आर० मल्लिकम	बैंक ऑफ बड़ौदा	तृतीय पुरस्कार

मुख्य अतिथि ने विजेताओं को पुरस्कार और प्रतिभागियों को उपहार प्रदान किए। राष्ट्रगीत के साथ शाम पांच बजे समारोह का समापन हुआ ।

7. बेंगलूर (आकाशवाणी)

आकाशवाणी केन्द्र बेंगलूर में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन दिनांक 22-9-1986 को केन्द्र निदेशक श्री एच्० वी० रामचंद्र-राव की अध्यक्षता में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मिस् वी० वाई० ललिताम्बा हिन्दी प्राध्यापिका, इस समारोह की मुख्य अतिथि एवं श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव, विशेष अतिथिगण था ।

पिछली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रमासिक बैठक (दिनांक 29-8-86 में) सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय में दिनांक 11-9-86 को हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा विजेताओं के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय अर्थात् रु० 100, रु० 75 एवं रू० 50 के नकद् पुरस्कार का वितरण किया गया ।

इस समारोह के मुख्य अतिथि मिस वी० वाई० ललिताम्बा ने राजभाषा हिन्दी के मुख्य 2 प्रावधानों का बड़ी सुन्दर और मार्मिक शब्दों में व्याख्या की ।

उन्होंने कहा कि हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है, इसके प्रयोग से हमारी गरिमा बढ़ेगी। हिन्दी, सदियों से इस देश की सम्पर्क भाषा रही है तथा अहिन्दी भाषा-भाषी मनीषियों एवं विद्वानों ने इसके विकास म अपना पूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय ज्ञानी जैलसिंह देश-विदेश में प्राय: अपने भाषण हिन्दी में ही देते है और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी ही एक हमारी एकमात्र भारतीय भाषा है जो राष्ट्रभाषा के रूप में गौरवशील हो सकती है। अत: उन्होंने उपस्थित महानुभावों से अनरोध किया कि वे माननीय राष्ट्रपति के पदचिन्हों पर चल कर हिन्दी का अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार करें ।

श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव ने अपने भाषण में बताया कि हिन्दी केवल भारत की ही नहीं अपितु "फाजी" देश की भी राजभाषा है और आज विश्व के 95 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई-सिखाई जाती है। अत: हम सबको मिल कर सरल एवं सरस हिन्दी का प्रयोग अपने सरकारी कामकाज में करना चाहिए ।

हिन्दी दिवस समारोह के सुअवसर पर श्री ए० वी० पाटील, कार्यक्रम निष्पादक, श्रीमती के० एस०, निर्मलादेवी, प्रस्तुतकर्ता एवं श्री आर० के० तनेजा, उपनिदेशक (अभियंता) ने हिन्दी दिवस के महत्व एवं राजभाषा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार पर अपने अपने विचार व्यक्त किये ।

अन्त में उपाध्यक्ष एवं केन्द्र निदेशक श्री एच० वी० रामचन्द्र राव ने अपने समापन भाषण में राजभाषा हिन्दी के विभिन्न रूपों एवं हिन्दी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा है। अपनी सरलता एवं सहजता से राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भमिका अदा करती आई है। अत: राजभाषा हिन्दी देश की एकता के सूत्र में बांधने की एक कड़ी के समान है। उन्होंने बताया कि आर्यवर्त की भाषा संस्कृत को जिस तरह सारे देश ने अपनाया था उसी तरह उसका गाथा हिन्दी को दक्षिण अहिन्दी राज्य बड़े गौरव एवं उत्साह के साथ अपनायेंगे। उन्होंने हिन्दी भाषा के इतिहास, विभिन्न रूप, विकास एवं उन्नति के बारे में बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से प्रकाश डालते हुये कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, जब हिन्दी सम्पूर्ण देश की राजभाषा गौरव के साथ स्वीकार की जायेगी। उन्होंने निकट भविष्य में हिन्दी प्रयोगशालाओं के आयोजन की आवश्यकता पर भी बल दिया ।

8. बेंगलूर (टेलीफोन्स)

बेंगलूर टेलीफोन्स द्वारा हिन्दी सप्ताह समारोह दिनांक 15-9-86 से 20-9-86 तक मनाया गया ।

इस समारोह के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम की व्यवस्था की गई ।

(1) दिनांक 17 व 18 सितम्बर 1986 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। बेंगलूर टेलीफोन्स के कुल 36 अधिकारीगण/कर्मचारी वर्ग ने इसमें भाग लिया था।

(2) हिन्दी सप्ताह के पूर्व हिन्दी निबंध लेखन/सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुल 21/18 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया था। पुरस्कार विजेताओं को दिनांक 19-9-1986 के हिन्दी दिवस समारोह पर पुरस्कार प्रदान किए गए ।

(3) कन्नड-हिन्दी विशेष सेवा 177 सेवा के अस्तित्व एवं विशेषता के बारे में व्यापक प्रचार सुप्रसिद्ध दैनिकी के माध्यम से दिया गया ।

दिनांक 17 व 18 सितम्बर 1986 को आयोजित हिन्दी कार्य-शाला के दौरान निम्नांकित प्राध्यापक हिन्दी शिक्षण योजना एवं अन्य कार्यालयों के हिन्दी अधिकारियों ने व्याख्यान दिए ।

(1) श्री सवदत्तो, प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना ने हिन्दी में आलेखन/टिप्पण, विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र, जैसे कि आकस्मिक छुट्टी, अर्जित छुट्टी तथा इन छुट्टियों को प्रदान करते वक्त संबंधितों द्वारा लेने वाले कार्यविधि के बारे में ।

(2) श्री राधाकृष्ण पिल्लै, हिन्दी अधिकारी, कर्नाटक सर्किल, दूरसंचार कार्यालय ने, दूरसंचार विभाग में हिन्दी में पत्राचार के बारे में,

(3) श्री अमजद अली खाँ, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी व सहायक प्रबंधक, बी० ई० एम० एफ० ने राजभाषा अधिनियम, नीति नियमावली के बारे में,

(4) श्री के० एस० ईश्वर, प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना ने कार्यालयीन पत्राचार में हिन्दी में वाक्य संरचना, लिंग, क्रिया के बारे में,

(5) श्री सवदत्ती, प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना ने हिन्दी कर्मचारी/अधिकारी पद सृजन में की जानेवाली कार्रवाई के बारे में,

(6) श्री माणिकचंद शुक्ल, हिन्दी अधिकारी, आई टी आई ने देवनागरी लिपि की वर्तनी में एकरूपता --- इत्यादि विषयों के बारे में व्याख्यान दिया ।

दिनांक 19-9-86 को श्री० जी० टी० नारायण, महाप्रबंधक व अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बंगलूर टेलीफोन्स की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस का समारोह मना गया ।

प्रोफेसर एन० नागप्पा डाकतार हिन्दी सलाहकार समिति के भूतपूर्व सदस्य व मैसूर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे ।

श्री के०एस० सूर्यनारायण, सहायक महाप्रबंधक (आर व जी) व सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलर टेलीफोन्स ने सम्मिलितों का स्वागत किया ।

श्रीमती जयानारायणजी, प्रेसीडेंट, डब्ल्यू सी ओ, बेंगलूर टेलीफोन्स ने पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार व हिन्दी कार्यशालाओं में भाग लेनेवालों को प्रमाण पत्र वितरित किए ।

प्रोफेसर नागप्पा ने हिन्दी कार्यशाला व राजभाषा कार्यान्वयन की महत्ता के बार में सुदीर्घ व्याख्यान दिया ।

श्री जी० टी० नारायण ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण द्वारा अपना यह अभिमत प्रकट किया कि बेंगलर टेलीफोन्स के कर्मचारीवर्ग द्वारा अधिकाधिक हिन्दी में पत्राचारादि जारी रखने के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

श्रीमती ई० बी० सरोजाजी, हिन्दी अधिकारी, टेलीफोन्स, बेंगलर ने धन्यवाद भाषण दिया ।

बेंगलूर टेलीफोन्स के कर्मचारीवर्ग द्वारा हिन्दी सुगम संगीत कार्यक्रम इस समारोह के दौरान संपन्न हुआ ।

9. अलीपुर टंकशाला, कलकत्ता

सरकार की राजभाषा नीति एवं वार्षिक कार्यक्रम के अनरूप सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रति जागरुकता और उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के लिए इस वर्ष कलकत्ता टकसाल द्वारा प्रथम बार टकसाल हिन्दी पुस्तकालय के साथ दिनांक 17 सितम्बर, 1986 को "हिन्दी-दिवस" मनाया गया ।

"हिन्दी दिवस" का उद्घाटन दिनांक 17-9-1986 को किया गया । इस अवसर पर साहित्यिक प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये गए जिसमें हिन्दी एवं अहिन्दी भाषा-भाषी कर्मचारियों एवं उनके बच्चों द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया गया और अच्छे अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कृत भी किया गया ।

इस उपलक्ष्य में एक छोटी स्मारिका भी निकाली गई ।

10. कटक आकाशवाणी केन्द्र

हिन्दी सप्ताह का आयोजन इस केन्द्र में दिनांक 14-9-86 से 20-9-86 किया गया । इस दौरान सभी कर्मचारियों ने यथा संभव हिन्दी में कार्य किया । राजभाषा के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए दि० 18-9-86 को हिन्दी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग एवं हिन्दी वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया / हिन्दी दिवस के उपलक्ष में हिन्दी अधिकारी द्वारा 'हिन्दी दिवस' पर एक वार्ता का प्रसारण किया गया ।

नोटिंग और ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमश: श्री जगन्नाथ आचार्य, अजित कुमार दे एवं श्री राधानाथ पंडा को प्रदान किया गया । हिन्दी वाक् प्रतियोगिता में क्रमश: श्री पी० के० त्रिपाठी, श्री एस० सोनायक एवं श्री आलेख चन्द्र दास प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे ।

हिन्दी सप्ताह के समापन के अवसर पर दि० 20-9-86 को केन्द्र निदेशक की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया ।

सभी पुरस्कार प्राप्तकर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ साहित्यिक पुस्तकें एवं नगद पुरस्कार वितरण केन्द्र अधीक्षक के कर कमलों द्वारा दिया गया । प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को सफल प्रयास के रूप में प्रशस्तिपत्र प्रदान किया गया ।

11. रांची स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के हिन्दी कक्ष द्वारा दिनांक 18 सितम्बर से 24 सितम्बर, 1986 तक राजभाषा सप्ताह उत्साहपूर्ण मनाया गया । इस सप्ताह के अन्तर्गत केन्द्र के हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए अलग अलग टंकण, टिप्पण एवं प्रारूप, निबंध तथा वाक् प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की गई थी । इन सभी प्रतियोगिताओं में केन्द्र के कर्मचारियों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया । वाक् प्रतियोगिता विशेष रूप से प्रशंसित रही जिसमें हिन्दी एवं अहिन्दी भाषी ग्रुपों के प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के पांच मिनट पूर्व वक्तव्य हेतु मनोरंजक विषय दिए गए थे । ध्यानीय है इसके पूर्व राजभाषा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के लिए केन्द्र द्वारा 9 एवं 10 सितम्बर, 1986 को नगर स्तर पर भी सफल नाटक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी ।

राजभाषा सप्ताह का समापन समारोह 14 अक्तूबर, 1986 को पुरस्कार वितरण के साथ सोल्लास सम्पन्न किया गया। अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के महाप्रबन्धक श्री सी० आर० श्रीनिवासन ने 48 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया (पुरस्कार सूची संलग्न की जा रही है) प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

महाप्रबन्धक श्री सी० आर० श्रीनिवासन ने पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किए जाने पर बधाई देते हुए उन सभी प्रतिभागियों को भी बधाई दी जिन्होंने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। उन्होंने कहा पुरस्कार पाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है वह सभी प्रतियोगी बधाई के पात्र हैं जिनके कारण यह प्रतियोगिताएं सफलता पा सकीं। उन्होंने केन्द्र में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए शुभ कामनाएं दीं।

श्री डी० के० अग्रवाल, अपर निदेशक सेट ने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के हिन्दी कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए भविष्य में और भी अधिक प्रगति के लिए प्रेरक वाक्य कहे।

12. सिकन्दराबाद

सिकन्दराबाद स्थित भारत सरकार के उपक्रम प्रागा टूल्स लिमिटेड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में अधिकारियों के लिए "हिन्दी टिप्पण व आलेखन" एवं "हिन्दी सीखिए" बोर्ड द्वारा सिखाए गए शब्दों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा उपक्रम के कर्मचारियों के बच्चों के लिए "हिन्दी निबन्ध" व "हिन्दी कविता पाठ" प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। शुक्रवार, 17 अक्टबर, 1986 को हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया।

अवसर के मुख्य अतिथि प्रो० डॉ० कोत्तापल्ली वीरभद्र राव, राजभाषा अयक्ष आयोग, आन्ध्र प्रदेश एवं अतिथि वक्ता के रूप में प्रो० डॉ० आनन्द प्रकाश दीक्षित, अतिथि आचार्य, हिन्दी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय थे। इस अवसर पर स्थानीय केन्द्रीय कार्यालयों व उपक्रमों के हिन्दी कार्य से सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी तथा हिन्दी के पत्रकार भी बहुत बड़ी संख्या में पधारे थे।

श्रीपती शान्ता रंजन एवं श्रीमती एस० लक्ष्मी कुमारी के सरस्वती वन्दना से समारोह आरम्भ हुआ। उपक्रम के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक श्री टी० वी० एस० शास्त्री ने मुख्य अतिथि एवं अतिथि वक्ता का पुष्प मालाओं से स्वागत किया। समारोह का सुचारु संचालन श्री गजानन्द गुप्त ने किया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं महा प्रबन्धक श्री राजेन्द्र कुमार महाजन ने स्वागत भाषण दिया। सदस्य-सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं उप कार्मिक प्रबन्धक श्री एस० सुरीन ने हिन्दी प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। श्रीमती एस० लक्ष्मी कुमारी ने मान्य अतिथि विद्वानों का परिचय दिया। मुख्य अतिथि प्रो० राव ने अपने व्याख्यान में राजभाषा और राष्ट्रभाषा की महत्ता को दर्शाते हुए केन्द्रीय कार्यालयों में इसकी उपादेयता पर प्रकाश डाला। उन्होंने दैनन्दिन कार्यों में राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया।

अतिथि वक्ता प्रो० दीक्षित ने आजादी के पूर्व हिन्दी की जो स्थिति थी उस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह जनता की भाषा है और इसके प्रचार-प्रसार में राज नेताओं का नहीं बल्कि सन्तों एवं जन नेताओं का ही अधिक योगदान रहा है। परिपत्रों, आदेशों, अनुदेशों के द्वारा हिन्दी कभी लाग नहीं हुई थी बल्कि स्वेच्छा से ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। उन्होंने पं० सन्दरलाल, लोकमान्य तिलक एवं पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे माँ भारती के अग्रणी पुत्रों द्वारा राष्ट्रभाषा के लिए किये गये कार्यों का उद्धरण देते हुए उन्होंने राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए हिन्दी सम्बन्धी सरकारी परिपत्रों को लेकर कुछ सिरे फिरे राजनेता जो बखेड़ा खडा कर रहे हैं उस पर उन्होंने खेद प्रकट किया और इसे सयानों को चतुर राजनीति कहा।

उपक्रम के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक श्री शास्त्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए। महा प्रबन्धक श्री महाजन ने चतुर्थ हिन्दी कार्यशाला के प्रतिभागी अधिकारियों को कार्यालयीन साहित्य एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए। श्री शास्त्री ने मुख्य अतिथि, अतिथि वक्ता, वन्दना करने के लिए पधारी श्रीमती शान्ता रंजन एवं श्रीमती एस० लक्ष्मी कुमारी को स्मृति-चिह्न प्रदान किए। श्री गजानन्द गुप्त ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए सभी सम्बन्धितों का आभार माना।

13. नागपुर (आकाशवाणी)

आकाशवाणी नागपुर में दिनांक 8 सितम्बर से 12 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन प्रसिद्ध चित्रकार व साहित्यकार श्री. "भाऊ समर्थ" ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि, हिन्दी भारत की सम्पर्क भाषा है और हिन्दी को अब भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना है।

आकाशवाणी नागपुर के केन्द्र निदेशक डा. महावीर सिंह ने कहा कि सरकार की नीति के अनुपालन में कर्मचारियों और अधिकारियों को उत्तरोत्तर हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना चाहिए।

श्री अनंत अड़ावदकर, कार्यक्रम अधिकारी ने मुख्य अतिथि और उपस्थित स्टाफ का स्वागत किया। श्री. पी० एम० नायडू, हिन्दी अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए हिन्दी सप्ताह के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी। श्री प्रताप सिंह केन्द्र इंजीनियर ने सभी को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर एक वादविवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसका विषय था "फिल्में चरित्र निर्माण में सहायक हैं" प्रतियोगिता के निर्णायक श्री हरीश कांबले, सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय और श्री रमेशचन्द्र शुक्ल, हिन्दी अधिकारी, दूरदर्शन केन्द्र नागपुर थे। इस प्रतियोगिता में श्रीमती सुरेखा ठक्कर वरिष्ठ उद्घोषिका प्रथम, श्री एम० टी० कुड़मेथे, उद्घोषक द्वितीय और श्री अनिल गर्दे लिपिक श्रेणी द्वितीय तृतीय पुरस्कार विजेता रहे। श्री एस० के० बर्वे, लेखापाल, श्री ए० एस० शेख, आशुलिपिक और वी० जी० गूजर, प्रचार कार्यकारी को सांत्वना पुरस्कार हेतु चयन किया गया।

हिन्दी सप्ताह के दौरान प्रशासनिक और कार्यक्रम विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अधिक से अधिक कामकाज हिन्दी में किया । इस सप्ताह के दौरान हिन्दी को अधिकाधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से अहिन्दी भाषी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया ।

हिन्दी सप्ताह का समापन भारतीय जीवन बीमा निगम के "मंडलप्रबंधक" श्री० के० बी० नातू के आतिथ्य में संपन्न हुआ । उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि, जिस तरह रेडियो प्रसारण को सुनने के लिए उचित "ट्यूनिंग" ज़रुरी है, उसी तरह हिन्दी को कार्यालय में अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए स्टाफ के साथ "ट्यूनिंग" करने की जरूरत है । मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर वादविवाद और निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांन्वना पुरस्कार प्रदान किये ।

केन्द्र निदेशक डा० महावीर सिंह ने हिन्दी सप्ताह के दौरान वादविवाद एवं निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को हार्दिक बधाई देते हुए, कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए और हिन्दी सप्ताह को सफलता दिलवाने में संपूर्ण स्टाफ के सहयोग की सराहना की ।

हिन्दी अधिकारी श्री पी० एम० नायडू और श्री राजीव श्रीवास्तव हिन्दी अनुवादक ने प्रतियोगिता, पुरस्कारों और हिन्दी सप्ताह के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए स्टाफ का हार्दिक आभार व्यक्त किया

केन्द्र इंजीनियर श्री प्रताप सिंह ने अंत में सभी को धन्यवाद दिया ।

समापन समारोह के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा निबंध प्रतियोगिता हेतु श्री सुरेश नगरधनकर को प्रथम, कु. ममता जाधव को द्वितीय और श्री नेताजी राजगड़कर को तृतीय पुरस्कार प्रदान किये । कुछ प्रोत्साहन पुरस्कार भी वितरित किये गये । श्री आर० एन० तिवारी, हिन्दी अधिकारी, सेन्ट्रल रेल्वे निबंध प्रतियोगिता के निर्णायक थे ।

हिन्दी सप्ताह के दौरान सर्वश्री मधुकर गुळवणी, कार्यक्रम अधिकारी, श्री दिगंबर पिंपलघरे, कार्यक्रम अधिकारी, अनिल देशमुख, फार्म रेडियो अधिकारी श्री. यशपाल रामावत, कार्यक्रम अधिकारी, श्रीमती पुष्पा काणे, प्रोड्यूसर ने अपना पूरा पूरा सहयोग दिया। साथ ही स्टाफ के सभी कर्मचारियों ने भी अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया ।

14. नागपुर (आयकर)

श्री टी० एस० श्रीनिवासन, आयकर आयुक्त, विदर्भ, नागपुर की प्रेरणा से इस वर्ष आयकर भवन, नागपुर में ता० 8-9-86 से 12-9-86 तक "हिन्दी सप्ताह" आयोजित किया गया । इस सप्ताह में प्रति दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और हिन्दी के विद्वान अतिथियों द्वारा राजभाषा की प्रगति के लिये सभी को उत्साहित किया गया ।

समापन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि डा० महावीर सिंह, केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, नागपुर का हार्दिक स्वागत श्री टी० एस० श्रीनिवासन, आयकर आयुक्त एवं श्री ए० के० जैन, राजभाषा अधिकारी व सहायक आयकर आयुक्त रेंज–II, नागपुर द्वारा किया गया ।

श्री रा० ना० निखर, सहायक निदेशक, राजभाषा ने समापन कार्यक्रम के अवसर पर बताया कि दि० 8-9-86 को 213 अधिकारियों/कर्मचारियों ने अधिक से अधिक हिन्दी में काम करने का संकल्प लिया । दि० 9-9-86 को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । दि० 10-9–86 को स्वयंस्फूर्त भाषण प्रतियोगिता हुई । दि० 11–9–86 को वाद-विवाद प्रतियोगिता के अवसर पर मानवीय श्री हरिरामजी चौरसे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । दि० 1 सितम्बर, 86 से 12 सितम्बर, 86 तक की अवधि में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक कार्य किया एवं उसका रिकार्ड रखा, उन्हें पुरस्कृत किया गया ।

दि० 12-9-86 को विविध मनोरंजन कार्यक्रम की प्रतियोगिताएं डॉ० घनश्याम व्यास, प्राध्यापक, नागपुर विद्यापीठ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

दि० 23-9-86 को समापन कार्यक्रम माननीय श्री टी० एस० श्रीनिवासन, आयकर आयुक्त जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर आकाशवाणी नागपुर के केन्द्र निदेशक डा० महावीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । आपके द्वारा सभी प्रतियोगियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए गए ।

श्री टी० एस० श्रीनिवासन्, आयकर आयुक्त ने बताया कि राजभाषा की प्रगति के लिये विदर्भ प्रभार में किस प्रकार कार्य किया जा रहा है । आयकर विभाग के ही प्रयासों से अमरावती और अकोला जिलों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है तथा निकट भविष्य में चन्द्रपुर में भी न० रा० भा० कार्यान्वयन समिति को गठित करने की योजना बनाई गई है ।

डा० महावीर सिंह जी ने राजभाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में देश की विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं का उल्लेख करते हुए बहुत ही आकर्षक ढंग से बताया कि हिन्दी का प्रयोग दुराग्रहपूर्वक नहीं बढ़ सकेगा । इसके लिये सभी भारतीय भाषाओं के प्रति हमारी सद्भावना होनी चाहिए । भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, अतः वह सरल, स्पष्ट और प्रवाहमयी होनी चाहिए ।

15. नाशिक (देना बैंक)

इस कार्यालय ने 11-9-86 से 19-9-86 के दौरान हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया है । कार्यक्रम की शुरूआत 11-9-86 को हिंदी निबंध प्रतियोगिता के आयोजन से हुई । इसमें नाशिक क्षेत्र के 32 कर्मचारियों ने भाग लिया । 12-9-86 एवं 13-9-86 को लिपिक-वर्ग के हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के क्षत्रीय

कार्यालय, बम्बई के उपनिदेशक श्री हरिओम् श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग और सरकार की राजभाषा नीति के बारे में व्यापक रूप से प्रकाश डाला। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जी० आर० नेवरेकर ने अपने क्षत्र में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि हिंदी एक मधुर भाषा हैं और इसमें कार्य करते हुए आनंद आता है। उन्होंने श्रीवास्तव को अपने क्षत्र में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने का आश्वासन दिया

देना बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नाशिक में हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि थे क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री हरिओम श्रीवास्तव। क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री जी० आर० नेवरेकर प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए।

16-9-86 को हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता का तथा 18-9-86 को अन्त: बैंक हिंदी सद्य: भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। **देना बैंक ने नाशिक शहर में स्थित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि जागृत करने और उन्हें हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**

अन्त: बैंक हिंदी सद्य: भाषण प्रतियोगिता में यूनियन बैंक आफ इण्डिया, केनरा बैंक, बैंक आफ इण्डिया, विजया बैंक, इण्डियन बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया तथा देना बैंक के कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिंदी सप्ताह कार्यक्रम का समापन 19-9-86 को पुरस्कार वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में किया गया। पुरस्कार वितरण बैंक आफ महाराष्ट्र के सहायक महाप्रबंधक श्री विजय देव ने किया और उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे अपने दैनिक कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें।

इसमें भी भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया, केनरा बैंक, बैंक आफ इण्डिया तथा देना बैंक के कर्मचारियो ने भाग लिया।

इस प्रकार हिंदी सप्ताह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

16. नाशिक (जीवन बीमा):

जीवन बिमा मंडल कार्यालय में हिंदी सप्ताह के अन्तर्गत 19 सितम्बर को इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल, नाशिक में श्री विनायक कुलकर्णी, मंडल प्रबन्धक, न्यू इण्डिया, की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे श्री किशनलाल जी सारडा।

समारोह के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री एस० एन० लक्ष्मेश्वर (नेशनल इन्श्योरेन्स), कन्व्हेनर, इन्होंने मुख्य अतिथि एवं विशेषज्ञ अतिथियों को पुष्प-गुच्छ प्रदान निम्न लिखित कर्मचारियों से करवाया :—

1. श्रीमती सुप्रिया देशपांडे, न्यू इन्डिया से श्री भारद्वाज,
2. श्रीमती तेली, युनाइटेड इन्डिया से श्री प्राध्यापक रत्नपारखी,
3. श्रीमती शिन्दे, ओरियन्टल इन्श्योरेन्स से श्री किशनलाल जी सारडा।

इसके बाद प्रमुख अतिथि श्री किसनलालजी सारडा ने दीप प्रज्वलित कर के समारोह का उद्घाटन किया और श्री वसंत दवे, शाखा प्रबंधक, न्यू इन्डिया इन्श्योरेन्स, नाशिक इन्होंने ने प्रमुख अतिथि का परिचय करवाया और उपस्थितों का स्वागत किया।

राजभाषा के विषय पर भाषण देते हुए श्री भारद्वाज ने कहा—राजभाषा को कार्यालयीन प्रयोग में लाना अनिवार्य है इस लिए बीमा निगम के सभी कर्मचारी तथा अधिकारीगण हिन्दी भाषा को अपनाए और कार्यालयीन बनाने के लिए एक ठोस कदम उठाये।

नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी के श्री प्रकाश सोमानी ने अपने भाषण में कहा कि नेशनल के पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय ने 26 और 27, जून 86 को बम्बई में एक कार्यशाला आयोजित किया था उस अवसर से लेकर अब तक उन के कार्यालय में 30 प्रतिशत काम-काज हिन्दी में हुआ है और आगामी समारोह तक शतप्रतिशत हिन्दी को कार्यालयीन बनाने की कोशिश रखते हैं।

नेशनल इन्श्योरेन्स, नासिक के कर्मचारी तथा "हिन्दी दिवस समारोह" के आयोजक श्री एस्० एन० लक्ष्मेश्वर ने राजभाषा हिन्दी का स्वागत करते हुये कहा कि हिन्दी एक विकासशील भाषा होने से इसके शब्दों में अनेक रूपता होना स्वाभाविक है और इसलिए इस भाषा को कठोर नियमों से तोला नहीं जा सकता, अहिन्दी भाषियों के लिए हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप में होने की वजह से व्याकरण के नियमों में गलतियां होना स्वाभाविक है, यह सब गलतियों को सुधारने के लिए अभ्यास और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है।

विशेष अतिथि और मुख्य अतिथियों ने हिन्दी भाषा की विमर्शा उदाहरण रूप से प्रस्तुत करते हुये कहा—अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हिन्दी का माध्यम आवश्यक है और हिन्दी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना जरूरी है। उन्होंने खेद प्रकट करते हुये कहा लेकिन हिन्दी भाषा को जितना प्रामुख्य मिलना चाहिए उतना अभी भी नहीं मिल रहा है।

श्री विनायक कुलकर्णी, मंडल प्रबंधक, न्यू इन्डिया, नासिक, तथा समारोह के अध्यक्ष ने कहा कि हिन्दी का विकास महाराष्ट्र से ही हुआ है जहां 90 प्रतिशत लोग हिन्दी अच्छी तरह जानते हैं और हिन्दी फिल्मों का बहुत बड़ा हिस्सा हिन्दी को बढ़ावा देने में है।

17. नासिक रोड (प्रतिभूति मुद्रणालय)

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय और चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नाशिक रोड ने संयुक्त रूप से शनिवार दिनांक 13 सितम्बर, 1986 को यू० एस० जिमखाना हॉल, नाशिक रोड में दोपहर तीन बजे "हिन्दी दिवस" मनाया। समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में नाशिक के प्रोफेसर डॉ० म० वि० गोविलकर, एम० ए० बी० टी०, पी० एच० डी० (हिन्दी) उपस्थित थे।

हिन्दी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था जिन्हें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। इन प्रतियोगिताओं में सफल कर्मचारियों के नाम इस प्रकार है।

1. **हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता—**
   सर्वश्री—संजय पवार, राजेन्द्र बी० कुमार, विनयकुमार सोनकर और सज्जन पुरोहित।
2. **हिन्दी टंकलेखन प्रतियोगिता—**
   सर्वश्री—सुनिल पाठक, बाबूराव राउत, राजेश भालेराव, शिवहरी लगडे और संजय मुळे।
3. **हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता—**
   सर्वश्री—शांताराम दुसाने, संजय पवार, नितिन बुधले, और ह० प० रायकिसानी।
4. **हिन्दी घोषणा प्रतियोगिता—**
   सर्वश्री—अशोकपाल सिंह, ह० पू० पवार, मधुकर पगारे और कुशल गुप्त।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रशासन और श्रम कार्यालयों को तथा चलार्थ पत्र मुद्रणालय के लेटर प्रेस विभाग को 1985-86 में हिन्दी में अच्छा कार्य करने के लिए संबोधित शील्ड पुरस्कार दिया गया।

मुख्य अतिथि श्री गोविलकरजी ने देश की एकता और प्रगति के लिए हिन्दी भाषा के महत्व को समझाया और बताया की हिन्दी यह अन्य सभी प्रान्तीय भाषाओं से मिलकर तथा उन्हें साथ में लेकर चलने वाली भाषा है। अतः जितने जल्द नागरिक इस भाषा को ग्रहण करेंगे उतने जल्द ही देश की एकता और प्रगति हो सकेगी। अध्यक्ष महोदय श्री शिवराम, महाप्रबंधक ने अपने भाषण में कहा की हमें अपनी राष्ट्रभाषा में बोलने का अभिमान जागृत करना चाहिये। राष्ट्रभाषा से राष्ट्रभक्ती जागृत होती है और राष्ट्रभक्ती से ही अपनी सभी समस्याएँ हल होंगी। श्री हरिओम श्रीवास्तव, उप निदेशक, राजभाषा विभाग, बम्बई ने . . . हिन्दी भाषा की आवश्यकता के संबंध में भाषण किया। समारोह में श्री ईडगुंजी, महाप्रबंधक, चलार्थ पत्र मुद्रणालय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सर्वश्री—गंगाप्रकाश, कामता प्रसाद, मणी और माळवे ने मार्गदर्शन पर भाषण दिये। श्री चितले ने आभार प्रदर्शन किया।

समारोह को सफल बनाने के लिए श्रीमती जयश्री साठ्ये तथा सर्वश्री लोखंडे, खारे और राउत ने बहुत परिश्रम किए।

18. चान्दा

आर्डनेन्स फैक्टरी, चांदा में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 14-9-1986 से 20-9-1986 तक राजभाषा सप्ताह बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। अनेक आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है :—

दिनांक 16-9-1986 को हिन्दी विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त केन्द्रीय विद्यालय, फैक्टरी हाईस्कूल एवं जिला परिषद हाईस्कूल के विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण एवं काव्य-पाठ प्रतियोगिता।

दिनांक 18-9-1986 को वाद-विवाद प्रतियोगिता।

दिनांक 19-9-1986 को निबंध लेखन प्रतियोगिता।

एवं दिनांक 20-9-1986 को हिन्दी टंकण प्रतियोगिता।

दिनांक 16-9-1986 को हिन्दी काव्य-पाठ प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में डॉ० श्रीमती बानो सरताज काज़ी, उप-प्राचार्या

जनता शिक्षण महाविद्यालय, चन्द्रपुर, श्रीमती मीना खिलनानी, व्याख्याता, जनता महाविद्यालय, चन्द्रपूर एवं श्री रंजीत सिंह, हिन्दी प्राध्यापक, केन्द्रीय विद्यालय, आर्डनेन्स फैक्टरी, चांदा को आमंत्रित किया गया था तथा दिनांक 18-9-1986 को वाद-विवाद प्रतियोगिता में निर्णायकों की भूमिका निभाने के लिए डॉ० श्रीमती बानो सरताज काज़ी, श्रीमती सुशीला दीक्षित, व्याख्याता, सरदार पटेल महाविद्यालय, चन्द्रपुर और श्री० पी० एन० जोशी, हिन्दी प्राध्यापक, फैक्टरी हाईस्कूल को आमंत्रित किया गया था ।

समारोह का उद्घाटन और पुरस्कार वितरण श्रद्धेय एस० के० शिवलिहा, आर्डनेन्स फैक्टरी चांदा, के प्रभारी अधिकारी ने किया तथा सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें । रा० भा० का० समिति के अध्यक्ष श्रीमान देवप्रकाश गोयल, संयुक्त महाप्रबंधक ने समारोह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा और उपयोगिता पर प्रकाश डाला इस अवसर पर फैक्टरी के महाप्रबंधक श्री एस०आर० सभापति की उपस्थिति विशेष उल्लेखनीय रही । प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा तथा आभार प्रदर्शन राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव एवं राजभाषा अधिकारी श्री अशोक कुमार ने किया । निर्णायकों का परिचय केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद् की स्थानीय शाखा के सचिव श्री अ०व० हनफी द्वारा प्रस्तुत किया गया । राजभाषा हिन्दी की प्रगति संबंधी नारों के उद्घोष तथा भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी जानकारी प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रमों का सफल संचालन राजभाषा अनुभाग प्रमुख श्री रमाकान्त चतुर्वेदी ने किया । संपूर्ण कार्यक्रमों को सफल बनाने में सर्वश्री विजय कुमार नामदेव, एन. शंकरा, एस. एन. मंडल, एम० डी० पिंगले, एस० शकुर, पी० एस० वैरागड़े, देवेन्द्र प्रसाद सेवकराम, आर० के० सिंह, मोहम्मद इस्माइल और श्री डी० के० राउत का योगदान विशेष सराहनीय रहा ।

19. भुज (गुजरात)

आकाशवाणी भुज द्वारा दिनांक 20-9-86 को "हिन्दी दिवस" का आयोजन किया गया । इस संदर्भ में इस कार्यालय के समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण को परामर्श दिया गया कि वे कार्यालय का कार्य हिन्दी में करें और जहां तक संभव हो बोलचाल में भी हिन्दी का प्रयोग करें । जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी लिखना पढ़ना नहीं आता वे सरकारी कामकाज में अपना दस्तखत हिन्दी में करें ।

इसके अलावा दिनांक 20-9-86 को सायं 4-30 बजे से हिन्दी में एक "वाक् प्रतियोगिता" का भी आयोजन किया गया । प्रतियोगिता के विषय थें :—

(1) राजकाज में हिन्दी का प्रयोग तथा प्रगति,

(2) नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम,

(3) राष्ट्रीय एकता एवं हिन्दी,

(4) हमारे त्यौहार,

इस प्रतियोगिता में वे अधिकारी व कर्मचारी को भाग लेने की अनुमति दी गई थी जो कि अहिन्दी भाषी हो तथा हिन्दी का सामान्य ज्ञान रखते हों चूंकि इस प्रतियोगिता के आयोजन का मूल उद्देश्य राजभाषा हिन्दी की उत्तरोत्तर प्रगति था ।

कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति उत्साह जागृत करने हेतु प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों को **पुरस्कार व प्रमाणपत्र** प्रदान करने का विचार किया गया ।

कर्मचारियों में से श्री रमेश जानी, श्री प्रविणचन्द्र मारू एवं श्री देवेन महेश्वरी, क्रमानुसार प्रथम, विद्तीय और तृतीय रहें जिन्हें पुरस्कार दिया गया । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी श्री आर० सी० सोनी ने "राष्ट्रीय एकता एवं हिन्दी-प्रगति" विषय पर अपने विचार व्यक्त किये । महौल कुछ ऐसा बना कि इस केन्द्र के उद्घोषक श्री कमल निहालाणी ने प्रथम पुरस्कार विजेता को अपनी ओर से रु० 11—00 नकद पुरस्कार देने की घोषणा की—परन्तु विजेता श्री जानी के अनुरोध पर नकद पुरस्कार श्री चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री सोनी को दिया गया ।

विजेताओं को केन्द्र निदेशिका के हाथों पारितोषिक व प्रमाण-पत्र वितरण किया गया ।

20. अन्दमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पश्चिम बंगाल, अन्दमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के मुख्यालय में दिनांक 14 से 20 सितम्बर, 1986 तक "हिन्दी सप्ताह" का भव्य आयोजन किया गया ।

दिनांक 16 सितम्बर, 1986 को हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन श्री डी० एस० ठुकराल, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कर कमलों द्वारा हुआ तथा उसी दिन "हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन" प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

दिनांक 17 सितम्बर, 1986 को "हिन्दी निबन्ध" प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें काफी रुचि के साथ कार्यालय के कर्मचारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 22 सितम्बर' 86 को "हिन्दी सप्ताह" के तत्वावधान में पुरस्कार वितरण समारोह क्षेत्रीय आयुक्त श्री डी. एस. ठुकराल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसके मुख्य अतिथि थे अखिल भारतीय पत्रकारिता विकास परिषद के अध्यक्ष एवं दैनिक सन्मार्ग के सम्पादक श्री राम अवतार गुप्त ।

कार्यक्रम दो चरणों में सम्पन्न हुआ । प्रथम चरण में कार्यक्रम का आरम्भ श्री कमल कृष्ण घोष की सरस्वती वन्दना से हुआ । तदुपरान्त श्री उज्जवल पाल एवं श्रीकान्त सरकार के निर्देशन में श्री कमल कृष्ण घोष, श्रीमती रूपा विश्वास, श्रीमती शिवानी राय, श्रीमती अंजना बोस, श्री सुबीर सान्याल, श्रीमती संध्या देबनाथ, श्रीमती स्वपना मुखर्जी एवं श्रीमती मंजुला मुखर्जी द्वारा "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" का सस्वर गायन पूरे

सभाकक्ष को राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रप्रेम से सराबोर कर दिया। इसके बाद श्री उज्जवल पाल के भजन एवं भोजपुरी लोकगीत तथा श्रीकान्त सरकार के मनोज्ञ भजन "तन के तम्बूरे में तारों की तान बोले, जय सियाराम, जय-जय सियाराम" में श्रोता इस तरह भाव विभोर हो गए कि लगता था कि सारे-के-सारे श्रोता भक्ति की मंदाकिनी में डुबकी लगा रहे हों। कार्यालय के कर्मचारियों में तो बार-बार यह कहते हुए सुना गया कि ऐसा कार्यक्रम इस संगठन में प्रथमबार हुआ है।

द्वितीय चरण का समारम्भ श्री ईश्वर दत्त मिश्र शास्त्री की सरस्वती वन्दना से हुआ। इसके बाद सहायक आयुक्त-प्रशासन, श्री दिलीप कुमार भट्टाचार्य ने अपने विनम्र सम्बोधन में सभी आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यालय में हिन्दी के कार्य सम्बन्धी गतिविधियों एवं कार्रवाइयों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पुरस्कृत प्रतियोगिओं को धन्यवाद देते हुए भविष्य में और अधिक संख्या में लोगों को भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। कायक्रम का संचालन करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय के हिन्दी अधिकारी एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉ० जगदीश नारायण ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है फिर भी कुछ कारणों से अभी कुछ कार्यालयों में हिन्दी का प्रसार जितना होना चाहिए नहीं हो सका है। डॉ० नारायण ने आगे कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संदर्भ में राजभाषा हिन्दी का विशेष महत्व है क्योंकि हमारे संगठन द्वारा अधिकांश पत्राचार श्रमिकों से होता है जो मातृभाषा या हिन्दी का ज्ञान तो रखते हैं किन्तु अंगरेजी नहीं जानते। अत: इस संगठन के लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि अधिक-से-अधिक हिन्दी का प्रयोग करें जिससे कि श्रमिकों और संगठन के बीच की दूरी को कम की जा सके।

हिन्दी सप्ताह के दौरान कार्यालय द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता में प्रथम श्री भव रंजन हाल्दार, द्वितीय श्री विश्वनाथ कामती एवं तृतीय पुरस्कार श्री शरत बसु राय चौधरी तथा "हिन्दी निवन्ध" प्रतियोगिता में प्रथम श्री विश्वनाथ कामती, द्वितीय श्री भव रंजन हाल्दार तथा तृतीय पुरस्कार श्रीमती मालविका दास को मिला। नगद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र मुख्य अतिथि श्री राम अवतार गुप्त द्वारा दिया गया। हिन्दी की प्रगति के ठतिहास की चर्चा करते हुए मुख्य अतिथि श्री राम अवतार गुप्त ने इसके विकास में शासन तंत्र को दोषी बताया। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर वल देते हुए कहा कि क्षेत्रीय कार्य क्षेत्रीय भाषा एवं अखिल भारतीय कार्य सम्पर्क भाषा हिन्दी में करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अपने भाषण को समाप्त करते हुए श्री गुप्त ने कहा कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा वनाने से कोई रोक नहीं सकता है।

इस अवसर पर हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री रवीन्द्र दीक्षित ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यालय में 1984 में उत्तीर्ण प्रविण के परीक्षार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किया और इस वर्ष के कार्यालय में उत्तम परीक्षाफल हेतु शुभ कामनाएं दीं। हिन्दी के विकास की चर्चा के सम्वन्ध में ही "नागफनी दरवाजे सोहे", शीर्षक अपनी कविता के माध्यम से सौजन्यमूर्ति, भावमूर्ति एवं कविश्रेष्ठ श्री दीक्षित की निष्कंप वाणी ने अनेक भाव-सबल एवं रसपेशल काव्यमय विकार की ऐसी काव्य सलिला प्रवाहित की कि सहृदय श्रोता मुग्ध हो उठे।

अपने अध्यक्षीय भाषण में क्षेत्रीय आयुक्त श्री डी० एस० ठुकराल ने कार्यालय में हो रही हिन्दी की प्रगति की चर्चा करते हुए सबसे अपील की कि सभी कर्मचारी भविष्य में अपना समस्त कार्य हिन्दी में करने का प्रयत्न करें।

अन्त में राष्ट्रगीत के सस्वर गान के साथ कार्यक्रम समापन हुआ।

21. गोवा, दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत इस निदेशालय में दिनांक 22--26 सितम्बर, 1986 के दौरान "हिन्दी सप्ताह" बड़े उत्साह से मनाया गया। सप्ताह का उद्घाटन समारोह दिनांक 22 सितम्बर, 1986 को 10.00 बजे श्री एस० राजेन्द्रन्, उपनिदेशक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस प्रसंग पर गृह मंत्रालय के हिन्दी प्रशिक्षण विभाग के हिन्दी प्राध्यापक श्री टी० एम० नेवाडी, अतिथि विशेष के रूप में उपस्थित रहे।

श्री राजेन्द्रन ने कर्मचारियों का स्वागत करते हुए अपने उद्-घाटन प्रवचन में ही "हिन्दी सप्ताह" मनाने की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया को भारत के संविधान में, देश में सर्वाधिक बोली और समझी जानेवाली भाषा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारी यह नम्र फर्ज हैं कि कार्यालय के दिन--प्रतिदिन के कामकाज में हम हिन्दी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें और इसके प्रयोग को बढावा दे जिसे हिंदी को सही अर्थों में राजभाषा का दर्जा मिल सके।

हिन्दी प्राध्यापक श्री टी० एम० नवाडी ने अपने प्रवचन में भारत सरकार की राजभाषा नीति प्रावधानों के बारे में और राजभाषा अधिनियम तथा नियम के कार्यान्वयन के बारे में बताया। उन्होंने निदेशालय के कर्मचारियों को 'हिन्दी सप्ताह' को एक कौटुंबिक कार्यक्रम की तरह मनाने के लिए तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के हित में काम करने के लिए अनुरोध किया।

सहायक निदेशक श्री० एस० पी० देसाई ने "हिन्दी सप्ताह" के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी दी।

सप्ताह के दरम्यान प्रस्तुत प्रत्येक फाइल में टिप्पणियां हिन्दी में लिखी गई और बहुत-से पत्रों के मसौदे हिन्दी ही में तैयार किए गए। सेवा-पंजी में प्रविष्टियां हिन्दी ही में भरी गई। निदेशालय के कर्मचारियों ने हिन्दी के काम करने में बड़ा उत्साह दिखाया।

हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह उपनिदेशक श्री राजेन्द्रन् की अध्यक्षता में दिनांक 26 सितम्बर, 1986 को शाम 4.00 बजे आयोजित किया गया। सहायक निदेशक श्री देसाई ने इस निदेशालय में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने के लिए जो कदम उठाए हैं उसके बारे में बताया। अध्यक्ष पद में श्री राजेन्द्रन्

ने अपने वक्तव्य में कहा की इस कार्यालय के 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और इसके परिणाम स्वरुप वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार इस निदेशालय को भारत के अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है।

निदेशालय निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक (25 प्रतिशत) पत्र-व्यवहार हिन्दी में कर रहा हैं।

22. बम्बई (बैंक आफ बड़ौदा)

बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से पिछले दिनों बम्बई में "हिन्दी दिवस" समारोह मनाया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि थे भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य अधिकारी श्री एस० सुब्रहमण्यम् और अध्यक्षता की बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉ० ए० सी० शाह ने।

समारोह के प्रारम्भ में बक महाप्रबन्धक (वा० एवं सं० ऋण), श्री जे० एन० दौलतजादा ने सभी आमंत्रितों का स्वागत किया। अपने स्वागत वक्तव्य में महाप्रबन्धक ने सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राजभाषा के रूप में हिन्दी को एक ऐसा व्यवहारिक रुप देने की अपेक्षाएं की जो समाज के आम आदमी के लिए सहज रूप से ग्राह्य हो और हिन्दी समर्थ भाषा के रूप में अपनाई जा सके।

समारोह के मुख्य अतिथि भा० रि० बैंक के मुख्य अधिकारी श्री सुब्रह्मण्यन् ने अपने उद्घाटन वक्तव्य में इस बात पर बल दिया कि हिन्दी को सर्वसामान्य रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि चिंतन और सोच–विचार से हिन्दी को जोड़ा जाय। चिंतन आदि आंग्लभाषा में होगा तो स्वभाषा का प्रचार–प्रसार स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाएगा। इस प्रसंग में हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरुरत है। आपने ग्राहक-सेवा के प्रसंग में भाषा के महत्व का उल्लेख करते हुए भाषा का योगदान महत्वपूर्ण माना और यह कहा कि ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं में भारतीय भाषाओं को अपनाने से ही बहुमुखी विकास होगा। आज की बड़ी आवश्यकता है कि चिंतन राजभाषा में हो। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर बैंक की संस्था पत्रिका "द बैंक आफ बड़ौदा न्यूज" के "मैथिलीशरण गुप्त स्मृति अंक" का विमोचन भी किया।

समारोह के अध्यक्ष एवं बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉ० ए० सी० शाह ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में हिन्दी दिवस के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि दिवस राजभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति अपने संकल्पों को बल देने में सहायक होता है। भारत जैसे बहुभाषी देश की संस्कृति और परम्परा के अनुरूप हमें यह प्रयत्न करने हैं कि हिन्दी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की कड़ी के रूप में एक उपयोगी भूमिका निभा सके। आपने इस वर्ष मनाए जा रहे "मथिली शरण स्मृति वर्ष" के प्रसंग में स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान का स्मरण करते हुए गुप्ताजी को हिन्दी का एक "बड़ा शायर" और "राष्ट्रीय चेतना का कवि" कहा और राष्ट्रकवि के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस बात पर बल दिया कि गुप्ताजी ने मानवता, राष्ट्र-प्रेम और बन्धुत्व जैसे मूल्यों को स्थापना की थी। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।

इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया किया गया था जिनमें हिन्दी सुगम संगीत एवं "मिश्र की महारानी" हिन्दी नाटक का समावेश था।

बैंक की ओर से हिन्दी दिवस के उपलब्ध में आयोजित की गई विभिन्न साहित्यिक–सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं/कार्यशालाओं आदि के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

23. बम्बई (नौसेना गोदीवाड़ा)

19 सित०, 86 का दिन नौसेना गोदीवाड़ा, बम्बई में हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया। कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति बड़ा ही जोश था। इस अवसर पर "हिन्दी देश की एकता की कड़ी है" विषय पर एक हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 20 प्रतियोगियों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल के सदस्य कमान्डर पी० सी० पुरोहित, वरिष्ठ शिक्षाधिकारी, कमांडर के० पी० जानी, प्रबंधक अंतर्गृह प्रशिक्षण एवं सुरक्षा एवं श्री राममूर्ति सिंह मुख्य शिक्षानुदेशक, ने अहिन्दी भाषी वर्ग में श्री जी० सी० सोनटक्के को प्रथम, श्री घोघारे को द्वितीय, श्री सुखबीर सिंह बाजवा को तृतीय तथा हिन्दी भाषी वर्ग में श्री सुरेश कुमार अवस्थी को प्रथम, श्री अवधेश कुमार पांडे को द्वितीय तथा श्री एम० पी० सिंह को तृतीय घोषित किया।

इस अवसर पर शाखामंत्री श्री विनोद प्रकाश गुप्ता ने परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ सभी विभागों का दौरा किया तथा लोगों से हिन्दी के प्रयोग को सरकारी कामकाज में बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए, इसे जीवन का एक आवश्यक अंग बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर परिषद के कार्यकर्ताओं की सभा में उन्होंने एडमिरल अधिक्षक नौसेना गोदीवाड़ा, बम्बई द्वारा हिन्दी दिवस के अवसर भेजा गया संदेश पढ़कर सुनाया।

वाइस एडमिरल, जगत नारायण सुकुल, अति विशिष्ट सेवा मैडल ने अपने संदेश में कहा, "आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। दिवस विशेष को बनाने का खास मकसद उन उद्देश्यों को याद दिलाना है जो कि हमने एक लम्बे समयपूर्व निश्चित किए थे। आज का दिवस विशेष रूप से हिन्दी के लिए है। वही हिन्दी जिसे हम रोज बोलते हैं, बातें करते हैं। अंतर यही है कि सरकारी फाइलों में नहीं लिखते। अब यही कार्य करना है। "हमारा देश, हमारी राजभाषा" अर्थात् जनता का कार्य जनता की भाषा में।

हिंदी कठिन नहीं है। थोड़ा-सा ध्यान दें। क्यों न जो बोलें वही लिखें; सरकार की नीति भी यही है। झिझक किस बात की। थोड़ी गलती हो सकती है परन्तु जो कहना चाहेंगे, वह दूसरा समझ तो लेगा ही। शब्द अंग्रेजी के ही क्यों न याद हों, उन्हें देवनागरी में लिख दें, बस काम हो जाएगा।

क्यों न आज हम संकल्प करें। कम से कम पाँच शब्द आज से रोजाना हिन्दी में जरुर लिखेंगे, भले ही वह एक अक्षर का शब्द क्यों न हो। वही एक-एक शब्द कुछ दिन में वाक्य बन जाएंगे और आपकी फाइलें भर देंगे।"

आज के दिन की शुरुआत लेफ्टिनेंट कमांडर रमेश चन्द्र शर्मा ने हिंदी में प्रकाशित दैनिक आदेश पर हिन्दी में हस्ताक्षर करके की। डाकयार्ड के सभी विभागों का अधिकाधिक कार्य हिन्दी में हुआ तथा सभी घोषणाएं भी हिंदी में की गई ।

24. बम्बई (दूरदर्शन)

दूरदर्शन केन्द्र बम्बई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में एवं केन्द्र की निदेशक कुमारी लीला बावडेकर जी की अध्यक्षता में दिनांक 1 सितम्बर 1986 को "हिंदी दिवस समारोह" का आयोजन किया गया था। इस एक घण्टे के संक्षिप्त एवं मधुर आयोजन में केन्द्र के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। समारोह में आमंत्रित अतिथि के रूप में बम्बई के एस०एन०डी० टी० महिला विश्व विद्यालय की हिन्दी विभाग की अध्यक्षा डा० (श्रीमती) उमा शुक्ल सहभागी हुई एवं केन्द्र के हिन्दी प्रेमी सहयोगियों नें इसमें विशेष रूप से योगदान दिया ।

समारोह में सर्वप्रथम केंद्र के प्रस्तुतकर्ता श्रेणी I श्री आकाशानन्द जी देशपांण्डे ने सभा को संबोधित किया । अपने सहज सुगम उद्बोधन में उन्होंने उत्कृष्ट भाषा प्रेम समर्पित भाव एकाग्र निष्ठा, दृढ आत्मविश्वास से निरंतर हिन्दी को आगे बढ़ाने, फलने फूलने देने का आहवान किया। हमारी भाषा ही हमारी पहचान है, हमारी शक्ति है, उसे बलशाली करना वृद्धिगंत करना हमारा आद्य कर्त्तव्य है—यही भाव उन्होंने विविध विचारों, उदाहरणों, उत्कट प्रसंगों का वर्णन करते हुए प्रतिपादित किया । उद्बोधन के अन्त में उन्होंने कहा कि केन्द्र में आयोजित हिन्दी निबंध प्रतियागिता में मिले हुए पुरस्कार की राशि से वह एक ट्रॉफी चालू कर रहे हैं जो उनके कार्यक्रम "ज्ञानदीप" से जुड़े विभिन्न ज्ञानदीप मंडलों में से प्रतिवर्ष हिन्दी में और हिन्दी के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले ज्ञानदीप मंडल को दी जायेगी ।

सभा की अध्यक्षा निदेशक महोदया ने श्री देशपाण्डे जी के इस उपक्रम का गौरव किया एवं कहा कि यह गौरव स्वयं दूरदर्शन का गौरव है और हम दूरदर्शन की ओर से सम्मिलित रूप से भी इस प्रकार के कार्य को आगे बढायेंगे ।

श्री देशपाण्डे जी के निष्ठा एवं भावप्रचुर उद्बोधन के पश्चात् केन्द्र के प्रस्तुति सहायक श्री दिलीपकुमार तिवारी ने स्वरचित सुंदर कविता का पाठ किया। वेदना एवं कष्टों से गुजरते हुए हो हम अपना गंतव्य पा सकते हैं—यही आशय ध्वनित करते हुए तिवारीजी ने यह संकेत दिया कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार एवं प्रगति के लिए हमें कितनी ही कठिनाइयों क्यों न झेलनी पड़े हम उन्हें सहर्ष झेलेंगे और उसका यशोपथ प्रशस्त करेंगे ।

कार्यक्रम की आमंत्रित अतिथि डा० (श्रीमती) उमा शुक्ल हिन्दी के प्रसन्न वातावरण में रची बसी हैं। वही वातावरण उन्होंने सभा में भी पल्लवित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हिन्दी को अविकसित या विकासशील भाषा कहना ठीक नहीं क्योंकि यह तो कई सदियों से भारत में सम्पर्क भाषा का काम करती आ रही है और एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त से जोड़ती आ रही है जब अंग्रेजी तो थी ही नहीं फारसी भी नहीं थी। इसके रूप बदलते रहे हैं और एक जीवंत समृद्ध भाषा की तरह यह आज भी बड़ी तेजी से और क्षमता से फैल रही है। इसको बोलने समझने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और हमारे देश के सभी विश्वविद्यालयों के साथ साथ विदेशों में भी इसे उत्साह से पढ़ाया और पढ़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार यह एकता की केवल कडी ही नहीं बल्कि "कमल" है जिसकी पंखुरियां है भारत की समृद्ध प्रादेशिक भाषाएं। दोनों परस्पर पूरक हैं और एक दूसरे से जीवन्त और शोभायमान भी। हिन्दी भाषा के आदिकाल से इस भाषा में काम करने वाले लिखने वाले महापुरुष सन्त कवि, महाकवि सभी भारत के महान आदर्श रहे हैं और भारत की एकता के अत्यंत सदृढ आधार स्तम्भ भी। दरअसल इनके साहित्य का विचार ग्रहण, रसग्रहण करने और उन्हें दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का महत्कार्य हम करना है। यह एक प्रबल आहवान है और पुनीत कर्तव्य भी। डा० (श्रीमती) शुक्ल ने दूरदर्शन को धन्यवाद दिया कि दूरदर्शन बाडी ही सहजता और सक्षमता से हिन्दी का प्रचार प्रसार कर रहा है इस माध्यने में कि दूरदर्शन के अधिकांश कार्यक्रम हिन्दी में होते हैं और उन्हें देखरेख कर ही कोई भी दर्शक बड़ी आसानी से हिन्दी बोलना सीख सकता है। इसके साथ ही इस माध्यम के द्वारा पूरे देश की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का भी परिचय प्राप्त होता है ।

डा० (श्रीमती) शुक्ल के सरस, उदाहरण प्रचुर, सुंदर उद्बोधन के बाद केन्द्र कलाकार श्री जयंत ओक ने महाकवि पं० सूर्यकांन्त त्रिपाठी "निराला" की अमर वाणी प्रार्थना "वीणावादिनी वर दे" का सस्वर पाठ किया। शास्त्रीय संगीत में सजी इस रचना के संगीतकार भी वही थे। निरालाजी के शब्द और श्री ओक के स्वरों का सम्मिलन इतना मधुर था कि श्रोता भावविभोर हो उठे।

अन्त में सभा की अध्यक्षा निदेशक महोदया ने समारोह के अगली कड़ियों को पिरोया। उन्होंने केन्द्र के हिन्दी एकक द्वारा विशेष रूप से केन्द्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनायी गई "कार्यालय सहायिका" का विमोचन किया ।

इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने आशा प्रकट की कि इस "कार्यालय सहायिका" से केन्द्र के सभी अधिकारी कर्मचारी लाभ उठाएंगे । तत्पश्चात् निदेशक महोदया ने केन्द्र में जून–86 में आयोजित "हिन्दी कार्यशाला" 86–87 (प्रथम) में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों को प्रमाण–पत्र वितरित किये। इसी प्रकार केन्द्र में 23 जुलाई 86 को सम्पन्न "हिन्दी निबंध प्रतियोगिता" के पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। हिन्दी भाषी समूह में पुरस्कार विजेता थे श्री दिलीप कुमार तिवारी (प्रथम स्थान) एवं श्री बालगोविन्द शुक्ल (द्वितीय स्थान) तथा अहिन्दी भाषी समूह में पुरस्कार विजेता थे श्री आकाशानन्द देशपाण्डे (प्रथम स्थान) श्रीमती उषा गुजराथी (द्वितीय स्थान) एवं श्रीमती शमा मोहिले (तृतीय स्थान)। निदेशक महोदया ने सभी सहयोगियों की प्रसंशा की एवं उनका उत्साह बढ़ाया ।

कार्यक्रम के अन्त में कार्यक्रम की संयोजिका संचालिका केन्द्र की हिन्दी अधिकारी डा० विजयमाला पण्डित ने निदेशक महोदया, आमंत्रित अतिथि सहयोगी अधिकारी कमचारी वृन्द के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और चायपान के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ ।

25. पुणे (खडकवासला)

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, खडकवासला, पुने–24 में दिनांक 24 सितम्बर, 1986 को हिन्दी दिवस मनाया गया। इस दिवस पर कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया गया था। इस दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह कार्यालय के निदेशक डॉ० जा० सो० तारापोर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रमुख अतिथि के नाते ए० व्ही० शहा, अधीक्षक अभियंता, नर्मदा सागर परियोजना संकुल, बड़वाह, मध्य प्रदेश, उपस्थित थे।

कार्यक्रम का आरंभ श्री अरुण बापट, सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के स्वागत पर भाषण से हुआ। डॉ० के० वि० रमण मूर्ति, अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा श्री अझर अन्सारी राजभाषा अधिकारी का भाषण हुआ। इसके पश्चात् इस दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कविता–पाठ प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त प्रत्याशियों ने अपनी कविता पढ़कर सुनाई। बाद में पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। इस दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित चार प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त प्रत्याशियों को प्रमुख अतिथि श्री ए० व्ही० शहा के शुभ हस्थों से निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किए गय।

1. **निबंध प्रतियोगिता**—25 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया था और पांच पुरस्कार दिए गये।
2. **कविता पाठप्र तियोगिता**—14 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया था और 6 पुरस्कार दिए गय।
3. **मौखिक प्रतियोगिता**—8 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया था और 3 पुरस्कार दिए गये।
4. **टंकण प्रतियोगिता**—8 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया था जिनमें से दो योग्यता प्राप्त पाये गये उन्हें पुरस्कार दिए गये।

पुरस्कार वितरण के पश्चात् श्री ए० व्ही० शहा, प्रमुख अतिथि डॉ० जा० सो० तारापोर, निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा मार्गदर्शन पर भाषण हुआ। उन्होंने सरकार की राजभाषा नीति का जिक्र करते हुए कर्मचारियों को हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने के लिए अनुरोध किया।

26. पुणे टेलीफोन्स

अंत में डॉ० रमण मूर्ति, अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने पुष्पगुच्छ प्रदान किए तथा सौ० कारखानीस, हिन्दी अधिकारी एवं सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा धन्यवाद दिए गये और समारोह संपन्न हुआ।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार पुणे टेलीफोन्स में दि० 16–9–86 से 19–9–86 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया।

दि० 16–9–86 को हिंदी सप्ताह का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ० दुर्गा दीक्षित, हिंदी विभाग प्रमुख, पुणे विद्यापीठ उपस्थित थी। उन्होंने राष्ट्रीय एकात्मता के बारे में विचार व्यक्त किए।

17. पुणे टेलीफोन्स में हिन्दी सप्ताह समारोह के अवसर पर लिया गया चित्र

हिंदी सप्ताह का उद्घाटन करते हुए पुणे टेलीफोन्स के महाप्रबंधक श्री० रा० द० जोशी ने राजभाषा हिंदी का महत्व स्पष्ट किया। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि कार्यालय में सरलतम हिंदी का प्रयोग किया जाए। साथ ही सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने हेतु प्रेरित करते हुए शुभकामनाएँ व्यक्त की। पुणे टेलीफोन्स के उप महाप्रबंधक

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव ने सभी आमंत्रितों का स्वागत किया तथा सहायक अभियंता ए० टी० श्री० बी० के० फुलपगार जी ने पुणे टेलीफोन्स में हिंदी की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई गतिविधियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया एवं हिंदी सप्ताह के कार्यक्रम की रुपरेखा के बारे में भी जानकारी दी।

हिंदी सप्ताह के दौरान वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, सुन्दर लेखन एवं बच्चों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 130 कर्मचारियों ने भाग लिया सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार भेटवस्तुओं के रूप में दिए गए। यह पुरस्कार वितरण समारोह दि० 19–9–86 को किया गया। इस अवसर पर पुणे विद्यापीठ के मराठी विभाग के प्रवक्ता श्री अशोक कामत जी मुख्य अतिथी के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कार्यालयों में किस प्रकार हिन्दी का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है, इसके बारे में अपने विचार स्पष्ट किए। पुरस्कार वितरण के साथ हिंदी को बढ़ावा देने में योगदान देनेवाले कर्मचारियों को प्रमाणपत्र दिए गए।

27. पुणे (दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स)

न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी के प्रादेशिक कार्यालय, पुणे में 27 जून, 1986 को हिंदी दिवस बड़ी धूम–धाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री टि० ए० बुकटे मुख्य अतिथि थे तथा समारोह की अध्यक्षता न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी के प्रादेशिक प्रबंधक श्री सतीन्द्र कुमारजी ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री सतीन्द्र कुमारजी ने हिंदी के कार्यान्वयन में किये गये प्रयासों की सराहना की तथा सांगली मंडल द्वारा ट्राफी प्राप्त करने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि विभागीय कामकाज में हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग में लाना चाहिए।

18. श्री सतीन्द्र कुमार, (प्रादेशिक प्रधान भाषण देते हुए) बाई तरफ से—श्री ऊधोराम सिंह, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, पुणे साथ में श्री टि० ए० बुकटे, पुणे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष (मुख्य अतिथि)

कार्यक्रम की शुरुआत राजभाषा अधिकारी और उपप्रबन्धक श्री सदाशिव खाडिलकर के प्रास्ताविक से हुई। मुख्य अतिथि श्री बुकटेजी ने इस अवसर पर न्यू इंडिया एंश्योरेंस कम्पनी द्वारा हिंदी के कार्यान्वियन में की गई प्रगति को अन्य सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों आदि के लिये अनुकरणीय बताते हुए इस उपक्रम के उच्च अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गये प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री दिनेश देसाईजी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये अति जागरुक है। इसीलिय उन्होंने बम्बई से अपने सहायक प्रबंधक श्री दिनेश भारद्वाज को इस समारोह में भाग लेने के लिये भेजा। श्री दिनेश भारद्वाज ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वियन में आनेवाली हर अडचण को दूर करने के लिए प्रधान कार्यालय दृढ संकल्प है।

गृह मंत्रालय के हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री उधोराम सिंहजी ने राजभाषा अधिनियम / नियमों को स्पष्ट किया तथा पुण में हिंदी के प्रशिक्षण तथा कार्यान्वियन के लिये किये जा रहे प्रयासों का उल्लख किया।

इस अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

9—282 एम० ऑफ०एच०ए०/एन०डी०/86

28. पुणे (आकाशवाणी)

आकाशवाणी पुणे केन्द्र में 16 सितम्बर, 86 को हिन्दी दिवस संपन्न हुआ। साथ ही सप्ताह का उद्घाटन पुणे विश्वविद्यालय की हिन्दी विभाग अध्यक्षा डा० दुर्गा दीक्षित ने किया।

इस अवसर पर केन्द्र के हिन्दी अधिकारी श्री राजाराम नलगे ने कहा कि कड़ुआ सच यह है कि हमारे देश में इतने वर्षों से अंग्रेजी में कामकाज चलता आ रहा है परन्तु अंग्रेजी हमारे पल्ल कभी नहीं पड़ी है और भविष्य में न पड़ेगी। अंग्रेजी का स्थान हमारे संविधान में सहचारी का है, प्रमुख भाषा हिन्दी है। सरकारी कर्मचारी सरकार और जनता की बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो दोनों करे श्रृन्खला-बद्ध कर सकती है। हिन्दी अंग्रेजी की तुलना में बहुत आसान भाषा है, जिसे सारे सहज रूप से ग्रहण कर सकते है। बहुत परिश्रम करने पर भी हम अंग्रेजी में प्रवीणता प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने डा० हरिवंशराय बच्चनजी की आत्मकथा "दशद्वार से सोपान तक" का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चनजी केंब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे है परन्तु राष्ट्रकार्य को देखते हुए उन्होंने सचिवालय में हिन्दी अधिकारी का पद संभाला था। ऐसे विद्वानों की मिसाल, आदर्श हमें राष्ट्र को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय एकता को प्रस्थापित करने की दृष्टि से हिन्दो संपर्क भाषा को आवश्यकता है। आकाशवाणो का संबंध अधिकांश जनता से ही है, अतः हम जैसे कर्मचारियों का प्रथम कर्तव्य जनता का काम जनता की भाषा में करना—हिंदी में करना है। "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" जन सामान्य की सुविधा।

पुणे विश्वविद्यालय के प्रा० डा० श्रीरंग संगोराम ने कहा कि हिन्दी राष्ट्रवाणी के साथ-साथ आकाशवाणी भी है, जिससे घर-घर में हिन्दी सुनने मिलती है। हिन्दी फिल्मों की भूमिका विशेष रूप से हिन्दी के प्रचार में रही है। दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम हिन्दी के आते हैं, उसकी बराबरी विदेशी भाषा नहीं कर सकती। लोग अंग्रेजी को बेधडक भाषा समझते है, लिखते समय अर्थ का अनर्थ होने पर उसी के तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है समझकर चलते है क्योंकि वह इतनी समझ में आती ही नहीं।

बाद में पुणे विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग की प्रमुख डा० दुर्गा दीक्षित ने अपने भाषण में हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित विविध प्रतियोगिताओं एवं कविसंमेलन की सराहना की। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी द्वारा हिंदी से संबंधित आयोजित अच्छे कार्यक्रमों को प्रसारण में उचित स्थान दिया जाता है। आकाशवाणी जनसंपर्क का अच्छा माध्यम होने के नाते से हिन्दी के प्रचार-प्रसार में योगदान जरुर रहा है, आगे भी रहेगा। हिन्दी से संबंधित स्तरीय कार्यक्रम प्रसारित होते रहते है जिससे जनसामान्य को भी हिन्दी प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहा है। हिन्दी अपने आप फलती फूलती रही है, उसे दबाने पर वह दबेगी नहीं बल्कि और उभरकर आएगी। उन्होंने आकाशवाणी केन्द्र में संचालित हिन्दी कार्यशालाओं सराहना करते हुए कहा कि हिन्दी को सही मायने में कार्यान्वित करने की दृढ दृष्टि से कर्मचारियों को उनसे संबंधित कामकाज का प्रशिक्षण जरुर मिलना चाहिए।

बाद में लगभग डेढ घंटे का स्थानीय कवियों का संमलन आमंत्रित श्रोताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कविसंमेलन में स्थानीय स्तर पर कवियों ने भाग लिया। कविसंमेलन बहुत ही रुचिपूर्ण रहा जिसमें विविध रचनाओं हास्य, गजल, गीत, लोकगीत, अर्थपूर्ण कविताओं का रसास्वाद अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रोताओं ने लिया।

कवि संमलन का संचालन केन्द्र की मराठी भाषी उद्घोषिका श्रीमती विनया महेंदले ने किया।

कवि संमलन में श्रीमती विमला जैन, श्री ललनप्रसाद दुबे, श्री कपूर चंद अग्रवाल, सईद अहमद, राजाराम नलगे, श्रीमती प्रभा माथूर, प्रा० द्वारकानाथ अष्टेकर, श्रीमती मालती शर्मा, श्रीमती रजनी पाथरे राजदान, वंशराज मिश्रा आदि 19 हिन्दी प्रेमियों ने भाग लिया था।

29. पुणे (हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स)

"सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में काम करना अपना कर्तव्य समझना चाहिये और उन्हें सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिये" यह विचार हिन्दी दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉ० (श्रीमती) दुर्गा दीक्षित, अध्यक्षा, हिन्दी विभाग, पुणे विश्व-विद्यालय ने प्रकट किये। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी का प्रसार राजनिति एवं हिन्दी भाषियों से दूर रखा जाए ताकि जो लोग थोड़ी बहुत हिन्दी जानते हैं वे सरल से सरल भाषा में हिन्दी का प्रयोग कर सकें, इससे हिन्दी को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। यह कार्य केवल हिन्दी के द्वारा ही किया जा सकता है। विदेशों में अपने अनुभव को बताते हुए उन्होंने कहा कि विदेशी लोग अपनी मातृभाषा में बात करने में अपना गौरव महसूस करते हैं, भारतवासियों को हर कोशिश करनी चाहिए कि वे अधिक से अधिक अपने देश की मातृभाषा हिन्दी का प्रयोग करें।

हिन्दी शिक्षण योजना की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉ० (श्रीमती) अंशुमति दूनाखे ने इस अवसर पर राजभाषा नीति की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है कि सरकारी कर्म-चारियों को हिन्दी में अधिक से अधिक काम करना चाहिय और सरकार इस बारे में कंपनी के मुख्य अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांग सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इस कार्य के लिये राजभाषा विभाग की तरफ से समय-समय पर विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण भी किया जाता है। आशा है इससे सरकारी कामकाज को हिन्दी में करने में तेजी आएगी।

हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स के प्रभारी निदेशक प्रबंधक श्री०अशोक कुमार वासु ने हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन किया जिसके अंतर्गत निबंध, सुलेख, आलेखन एवं टिप्पण वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। श्री वासु ने कंपनी के अधिकारियों एवं

कर्मचारियों से अनुरोध किया कि कंपनी का अधिक से अधिक काम हिन्दी में करें। उन्होंने अधिकारियों वे से कहा कि कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिये अधिक से अधिक प्रेरणा दें।

कंपनी के राष्ट्रभाषा विभाग के अध्यक्ष श्री० सुदेश कपूर ने इस अवसर पर हिन्दी दिवस की महत्वता बताते हुए कंपनी में हो रहे हिन्दी के कार्यों की जानकारी उपस्थित लोगों को दी और अनुरोध किया कि हमें सरल से सरल हिन्दी का प्रयोग करके हिन्दी के कार्य को बढ़ाना चाहिये। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी में काम करना केवल हिन्दी विभाग का काम नहीं है बल्कि सभी विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का काम है।

हिन्दी सप्ताह के दौरान अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और इनमें प्रथम तीन स्थान पाने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र दिए गए।

30 अहमदाबाद (विजया बैंक)

"हिन्दी दिवस" के अवसर पर क्षेत्रीय भाषा गुजराती के साहित्यकार का सम्मान करके विजया बैंक ने एक प्रकार से संविधान की भाषा संबंधी संकल्पना का ही सम्मान किया है। इस नूतन और सराहनीय परम्परा का सूत्रपात करने के लिए विजया बैंक धन्यवाद का पात्र है।"

ये शब्द गुजरात विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ० भोलाभाई पटेल ने हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर कहे।

हमारे स्टाफ सदस्यों में हिन्दी के प्रति जागरूकता उपजाने तथा राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को गति प्रदान करने की दृष्टि से हिन्दी दिवस (14 सितंबर) की पूर्व संध्या पर दिनाक 13-9-86 को गुजरात अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स भवन हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। गुजराती के मूर्धन्य साहित्यकार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्री पन्नालाल पटेल इस समारोह के मुख्य अतिथि थे।

प्रभागीय कार्यालय के श्री बी० नागेश भट्ट द्वारा वंदना के साथ ही समारोह का शुभारंभ हुआ। तदनन्तर हिन्दी अधिकारी श्री भुवनचंद्र जोशी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए उनका परिचय कराया तथा "हिन्दी दिवस" का महत्व बताया।

प्रभागीय प्रबंधक श्री के० यतिराज हेगड़े जी ने समारोह के मुख्य अतिथि श्री पन्नालाल पटेल जी को गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया। डा० भोलाभाई पटेल को प्रभागीय कार्यालय के श्री रजनीकुमार पंड्या ने गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता के 3 निर्णायकों को भी गुलदस्तें भेटकर उनका स्वागत किया गया। श्री महेन्द्रपाल शर्मा, हिन्दी अधिकारी, रिज़र्व बैंक का स्वागत किया श्रीमती शोभा हेगड़े (प्रभागीय कार्यालय) ने, श्री श्यामपाल सिंह, हिन्दी अधिकारी, नाबार्ड का स्वागत किया श्रीमती शालिनी शेट्टी (नवरंगपुरा शाखा) ने और श्रीमती अजिता मेहता (नवरंगपुरा शाखा) ने निर्णायक श्री हसमुख रावल, ड्रामा प्रोड्यूसर, आकाशवाणी, राजकोट का स्वागत किया। तत्पश्चात् प्रभागीय प्रमुख श्री हेगड़े जी ने मुख्य अतिथि श्री पन्नालाल पटेल को शाल अर्पण कर उनका सत्कार किया तथा डा० भोलाभाई पटेल को स्मृतिचिन्ह भेंट किया।

74 वर्षीय श्री पन्नालाल पटेल ने बहुत ही रोचक शैली में अपने वे जीवन-अनुभव सुनाये जो उनकी रचनाओं के स्त्रोत रहे।

प्रभागीय प्रबंधक श्री हेगड़े ने हिन्दी में बोलते हुए प्रभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए गए विशिष्ट कार्यों का उल्लेख किया और भावी संकल्पों की घोषणा की। घोषणा में उन्होंने कहा कि अब से हर एक तिमाही में हिन्दी-कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। दूसरा, यह कि जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उन्हें हिन्दी सीखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित हिन्दी शिक्षण केन्द्रों में भेजा जाएगा।

उन्होंने शाखा प्रबन्धकों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर दिलाया चूंकि ये दोनों ही कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से पूरे किये जाने हैं इसलिए, शाखा प्रबंधक अभी से उचित प्रबन्ध कर लें ताकि वे कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशालाओं/हिन्दी कक्षाओं के लिए यथासमय भार मुक्त कर सकें। अन्त में, उन्होंने सभी स्टाफ सदस्यों को आह्वान किया कि वे अपनी-अपनी जगह पर बैंक का काम-काज हिन्दी में करें। हिन्दी-दिवस आयोजन की यही सार्थकता होगी।

समारोह के अध्यक्ष श्री भोलाभाई पटेल ने कहा कि हिन्दी, राजभाषा के रूप में अपना स्थान बनाती जा रही है। जनभाषा तो वह पहले ही है। क्षेत्रीय भाषाओं को मान देती हुई वह तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है।

तत्पश्चात् सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसे एक अनौपचारिक प्रतियोगिता का रूप दिया गया था। स्टाफ सदस्यों से ठसाठस भरे हॉल में कलाकार साथियों ने अत्यंत मधुर स्वरों में हिन्दी गीत, और भजन गाये तथा स्व-रचित कविताएँ सुनाई। श्रोताओं की वाहवाही और तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल अक्सर गूंजता रहा।

सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद प्रभागाध्यक्ष श्री के० यतिराज हेगड़े जी ने स्टाफ सदस्यों को पुरस्कार/प्रशस्तिपत्र प्रदान किये। उन समस्त स्टाफ सदस्यों को प्रशस्तिपत्र दिए गए जिन्होंने हिन्दी की अनिवार्य या स्वैच्छिक परीक्षाएं पास की थीं।

हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिए गए। विजेता थे —

प्रथम : श्री ब्रह्मप्रवेश तिवारी —रिलीफ रोड शाखा, अहमदाबाद

द्वितीय : श्री राजेश धर्मशी —रिलीफ रोड शाखा, अहमदाबाद

तृतीय : श्री जयप्रकाश जादव —प्रभागीय कार्यालय, अहमदाबाद

हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता के ये विजेता पुरस्कृत हुए :

प्रथम : श्री शांतिलाल ठक्कर —जामखंभालिया शाखा

द्वितीय : श्री जगदीश शाह —मछाड शाखा प्रबन्धक

तृतीय : श्री बी० नागेश भट्ट —प्रभागीय कार्यालय

सांत्वना : श्री ब्रह्मप्रवश तिवारी —रिलीफ रोड शाखा

सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजयी कलाकार ये थे जो पुरस्कृत हुए :

प्रथम : श्रीमती करूणा वांगे —नवरंगपुरा शाखा

द्वितीय : श्रीमती परवीन मेहता —आश्रम रोड शाखा

तृतीय : श्री जयप्रकाश जादव —प्रभागीय कार्यालय

सांत्वना (1) : श्री हरेश देसाई —आश्रम रोड शाखा

(2) : श्री अश्विन रामी —रिलीफ रोड शाखा

अन्त में, प्रभागीय कार्यालय के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री नैषध बी० शाह द्वारा आभार-ज्ञापन के साथ ही यह भव्य समारोह सम्पन्न हुआ।

समारोह का संचालन प्रभाग के राजभाषा अधिकारी श्री भुवनचन्द्र जोशी ने किया।

के. यतिराज हेगड़े

प्रभागीय प्रबन्धक

अहमदाबाद

31 जम्मू (आकाशवाणी केन्द्र)

12 सितम्बर 1986 को रेडियो कश्मीर जम्मू के प्रांगण में "चमचागिरी भी एक कला है" विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जम्मू शहर में स्थित विभिन्न केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों तथा बैंको के 20 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों नई दिल्ली के भूतपूर्व निदेशक पंडित काशीराम शर्मा तथा अध्यक्षता केन्द्र निदेशक श्री किरण शंकर मैत्रा ने की।

लगभग तीन घन्टे लम्बे कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के श्री मनोज शर्मा ने, द्वितीय पुरस्कार क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की कुछ नीलम शर्मा ने तथा तीसरे पुरस्कार की हकदार बनी भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू शाखा की कु० उमा भाखडी। चल-वैजयन्ति पुरस्कार भी राष्ट्रीय ऋषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के श्री जयन्त शर्मा व श्री मनोज ने संयुक्त रूप से जीता। इस अवसर पर अपने केन्द्र के छः निम्न कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया जो अपना पूर्ण काम हिन्दी में ही करते हैं :—

1. श्री भुवनपति शर्मा — कार्यक्रम निष्पादक
2. श्री सुभाष शर्मा — ड्यूटी ऑफिसर
3. श्री मुकेश खरे — इन्जीनियरिंग सहायक
4. श्री बलबीर बिष्ट — वही
5. श्री अजीत सिंह — लिपिक श्रणी प्रथम
6. श्रीमती सन्तोष महाजन — वही

इनके अतिरिक्त कई अन्य अधिकारी/कर्मचारी भी अपना लगभग सारा सरकारी कार्य हिन्दी में ही कर रहेहैं।

हमारे कार्यालय में राष्ट्रभाषा के प्रति रूचि का यह सबसे बडा प्रमाण है कि कार्यालय के कार्यक्रम निष्पादक (समन्वय) डा० अशोक जेरथ ने अपनी ओर से अपने स्वर्गीय पिता श्री शिवनाथ जेरथ की स्मृति में चल-वैजयन्ति उपहार एवं हिन्दी में पूर्ण कार्य करने वालों को दिए जाने वाले आधे पुरस्कार भेंट किए, जबकि शेष तीन पुरस्कार एज्यूकेशन ब्रॉडकास्ट के प्रोड्यूसर श्री जितेन्द्र उधमपुरी ने भेंट किए। अन्य तीन पुरस्कार स्थानीय "योजना" पत्रिका के सम्पादक श्री शिव रैना ने भेंट किए।

प्रतियोगिता के अवसर पर कार्यालय में राष्ट्रभाषा प्रसार पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट कार्यालय के अंग्रेजी भाषा के कार्यक्रम निष्पादक श्री कृष्णचन्द्र दूबे ने पढ़कर सुनाई।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि पंडित काशीराम शर्मा ने कार्यालय में हिन्दी के भारी प्रयोग, प्रचार और प्रसार पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए आह्वान किया कि अन्य कार्यालय भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके हिन्दी में काम करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

अध्यक्ष श्री किरण शंकर मैत्री ने सभी उपस्थित श्रोताओं का धन्यवाद किया और कहा कि भविष्य में इस प्रकार के और कार्यक्रम आयोजित किए जाऐगें तथा कार्यालय में राष्ट्रभाषा की प्रगति की ओर ले जाने के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र एक है और हमारी राष्ट्रभाषा एक है। इसकी प्रगति हम सबका नैतिक कर्त्तव्य है।

32 इशापूर (राइफल फैक्टरी)

आयुध निर्माणी, मुख्यालय, के आदेश के अनुपालनहेतु संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में, हिन्दी दिवस का आयोजन, पूर्ण गरिमा और भव्यता सहित दिनांक 25-9-86 को सम्पन्न हुआ। अति वृष्टि और प्रतिकूल मौसम के बावजूद, इस समारोह में, इस फैक्टरी के तथा इसके सम्बद्ध संस्थानों के कर्मचारी एवम् अधिकारीगण काफी संख्या में उपस्थित रहें एवं समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्साह पूर्वक भाग लिया।

समारोह के सफल सम्पादनहेतु, मुख्य समिति के आलावा कई उप समितियाँ, अधिकारियों अन्य कर्मचारियों को शामिल कर गठित की गई थी। इन उप समितियों ने पुरी दिलचस्पी से कार्यक्रम को सफल करने हेतु काम किया और इसके फलस्वरूप कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर, हिन्दी वाद-विवाद एवं निबन्ध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी जिनमें हिन्दी और अहिन्दी भाषा-भाषी कर्मचारियों ने भाग लिया था। हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता दिनांक 19-9-1986 को हुई थी जिसके विषय निम्नलिखित थे।

(अ) (1) उत्पादकता वृद्धि में श्रमिकोंका योगदान। — केवल हिन्दी भाषा-भाषी प्रतियोगियों

(2) कम्प्यूटर युग में हिन्दी का अस्तित्व । के लिये ।

(3) दूर-दर्शन कितना दूर कितना पास ।

(ब) (1) महंगाई और औद्योगिक अशान्ति । अहिन्दी भाषा-

(2) समाज के पूर्ण विकास में नारी की भूमिका । भाषी प्रतियोगियों के लिये ।

(3) नवीन शिक्षा नीति ।

इसी प्रकार हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 22-9-1986 को किया गया था जिसके विषय निम्न-लिखित थे :–

विषय :–

(अ) राष्ट्रीय एकता के लिये एक राज-भाषा आवश्यक है ।" हिन्दी भाषा-भाषी प्रतियोगियों के लिय ।

(ब) "हिन्दी के माध्यम से सरकारी काम-काज और अधिक सुगम और प्रभावी बन सकता है ।" अहिन्दी भाषा-भाषी प्रतियोगियोंके लिये

उपरोक्त प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया तथा प्रथम तीन सफल प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र एवं यथोचित पुरस्कार, दिनांक 25-9-1986 को मुख्य समारोह में, महाप्रबन्धक महोदय, राइफल फैक्टरी, ईशापुर के द्वारा प्रदान किया गया ।

मुख्य समारोह, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25-9-86 को आयोजित किया गया था जिसमें विशेष अतिथि के रूप में, डा० दयानन्द श्रीवास्तव, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय उपस्थित थे तथा सभा को सम्बोधित किया । इस समारोह का विशेष आकर्षण के रूप में एक कविगोष्ठी भी आयोजित की गई थी, जिसमें स्थानीय कवि एवम् शायर तथा सर्वश्री अनिरूध सिंह, रविन्द्र दीक्षित, जनाब सहुद आलम आफाकी, श्रीमती विभा रानी, डा० हसन जया, जनाब अकिल जिया, श्री अतुल श्रीवास्तव तथा श्री जुगुल किशोर प्रसाद, वरिष्ठ श्रम अधिकारी, राइफल फैक्टरी ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की जिससे समारोह में उपस्थित व्यक्तियों का भरपूर मनोरंजन हुआ और कवि गोष्ठी देरशाम तक चलती रही ।

डा० दयानन्द श्रीवास्तव, ने अपने विद्वत्तापूर्ण अभिभाषण में मुख्य रूप मे हिन्दी भाषा जो आमतौर पर बोली और समझी जाती है, के राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में तथ्य प्रस्तुत करते हुये कहा, कि हिन्दी आज पूरे भारत वर्ष की जन मानस की भाषा है । उन्होंने कहा कि आरंभिक काल से लेकर आजकल हिन्दी भाषा का रूप, समय, काल, स्थान, समाजिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक कारणों से प्रभावित होता रहा है । इसी के फलस्वरूप वर्तमान में प्रचलित हिन्दी खड़ी बोली सरल और सुगम हो गई है । उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी को वास्तविक रूप से पूरे राष्ट्र की भाषा बनाने के लिये एवं इसे और व्यापक बनाने के लिये सभी लोगों को खुले मन से विचार करना आवश्यक है । कभी-कभी राजनीतिक कारणों से भी भाषा का प्रश्न जटिल हो जाता है और इसकी प्रगति रुक जाति है । फिर भी देश की अखण्डता और एकता बनाये रखने के लिये एक सम्पर्क भाषा नितान्त आवश्यक है और हिन्दी का भविष्य उज्वल है । हिन्दी के प्रति बंगाल का योगदान की चर्चा करते हुये, उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी को पूरे राष्ट्र के लिये सम्पर्क भाषा या राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किये जाने की पहल वर्षों पहले, सर्व प्रथम कलकत्ता में ही तत्कालिन विद्वानों और नेताओं द्वारा किया गया था ।

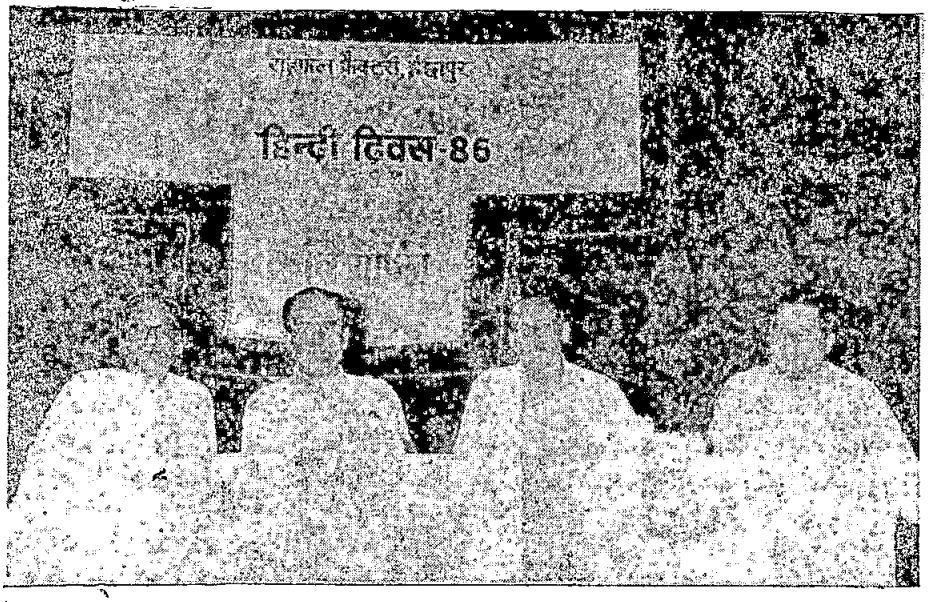

19. राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राइफल फैक्टरी, ईशापुर में हिन्दी दिवस। सप्ताह समारोह के सुअवसर पर श्री दयानन्द श्रीवास्तव, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, श्री बी० एन० माजूमदार, महाप्रबन्धक, राइफल फैक्टरी, श्री आर० पद्मनाभन संयुक्त महाप्रबंधक, श्री आर० दि० जौहरी संयुक्त महाप्रबन्धक-II राइफल फैक्टरी ।

श्री बी० एन० मजुमदार, महाप्रबन्धक, राइफल फैक्टरी, ईशापुर तथा सभा के सभापति ने अपने अभिभाषण में, समारोह के भव्य आयोजन के लिये सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिन्दी के प्रति राइफल फैक्टरी तथा इससे सम्बद्ध संस्थानों के कर्मचारियों में प्रचुर उत्साह और सद्भाव है। इस संबंध में, विगत अप्रैल, 1986 में आयोजित हिन्दी कार्यशाला और फैक्टरी के वर्क्स कमिटी द्वारा आयोजित कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित बंगला और हिन्दी में प्रबन्ध लेखन प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी से संबंधित इस प्रकार के कार्यक्रम में फैक्टरी के सभी कर्मचारी खुले मन से भाग लेते हैं। आज के हिन्दी-दिवस कार्यक्रम में भी सभी कर्मचारी बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित हुये है यह बडा शुभ लक्षण है इस तरह का सद्भाव और अनुकूल वातावरण निर्मित करने मे फैक्टरी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति और हिन्दी अनुभाग ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है जिसके लिये वे प्रशंसा और धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की, कि इसी तरह भविष्य में भी हिन्दी का प्रचार-प्रसार कार्य चलता रहेगा।

श्री आर०पी०जौहरी, संयुक्त महाप्रबन्धक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने अपने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों की, खराब मौसम होने के बावजुद समारोह में उपस्थित होने के लिये हृदय से आभार प्रकट करते हुये कहा कि राइफल फैक्टरी में, आम कर्मचारियों में, हिन्दी के प्रति प्रचुर स्नेह है, और जरुरत इस बात की है कि सद्भाव और प्रेम से हिन्दी के प्रति लोगों में और आकर्षण निर्मित की जाए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति उसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करने की चेष्टा करती है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में, समिति को, आर्डनैन्स फैक्टरी बोर्ड, से तथा फैक्टरी के समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों, तथा युनियनों, एसोसियसनों, वर्क्स कमिटि, जे०सी०एम०आदि से वांक्षित सहयोग प्राप्त होता रहा है, जिसके लिये वे समिति की ओर से आभार प्रकट करते है।

श्री राजीव गुप्ता, कार्यशाला प्रबंधक एवं सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने सभी उपस्थित अतिथियों को समारोह में उपस्थित होने तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने के लिये सभी सम्बन्धित व्यक्तियों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

समारोह का संचालन, श्री गोपालजी सिन्हा, श्रम अधिकारी, राइफल फैक्टरी ईशापुर ने सफलता पूर्वक किया।

समारोह के सफल सम्पादन के लिये गृह मंत्रालय, कलकत्ता के सहायक निदेशकगण सर्वश्री अनिरूद्ध सिंह, रविन्द्र दीक्षित, एवं क० सोमदेव तथा प्राध्यापक श्रीमती विभारानी, श्री अतु श्रीवास्तव आदि ने मुक्त कंठ से समारोह की सराहना की। इस समारोह से सम्बन्धित स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है।

33 नई दिल्ली (दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन)

पिछले वर्षोंकी भांति इस वर्ष भी फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया में 14 सितम्बर से 19 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह बड़े उत्साह से मनाया गया इस सप्ताह के दौरान कार्यालय के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने का अनुरोध बार-बार मुख्य द्वार पर लगे टेपरिकार्डर के माध्यम से किया गया।

हिन्दी सप्ताह की गतिविधियों में--एक हिन्दी कार्यशाला, निबन्ध तथा अनुवाद एवं टिप्पणी आलेखक प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि गतिविधियां प्रमुख थी। हिन्दी सप्ताह तथा हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एस० के० सदाशिवम् द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। तथा हिन्दी शिक्षण योजना से श्रीमती कल्याणीपाल भी अपना प्रथम पाठ देने के लिए उपस्थित थीं।

कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्वोत्तर केन्द्रीय कार्यालय की महिला कर्मचारियों द्वारा एक समूहगान प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रशंसा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा विशेष रूप से की गई। मुख्य जनसम्पर्क प्रबन्धक श्री य० के० शरण ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया तथा हिन्दी के प्रति मन से झिझक दूर करने का आग्रह किया। डा० मुखारिया ने अपने भाषण में कार्यालय के काम में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया। श्री मलिक भी इस अवसर पर बोले। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय ने जो हिन्दी में गहरी रुचि रखते हैं, कहा कि यदि सभी लोग अपने रोजमर्रा के काम में छोटी-छोटी टिप्पणियां हिन्दी में लिखना शुरु कर दें तो थोड़ी सी कोशिश करने पर सभी अधिकारी इसे बड़ी सरलता से कर सकते हैं तथा कार्यालय के काम में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो सकता है।

कार्यशाला का आयोजन ए2ओएस. स्तर के कर्मचारियों के लिए किया गया था। 20 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। शिक्षण हेतु राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के विभिन्न विभागों से विद्वानों को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने हिन्दी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग, पत्राचार, राजभाषा नीति एवं सरकारी कामकाज आदि विषयों पर प्रकाश डाला। निबन्ध तथा नोटिंग, ड्राफ्टिंग प्रतियोगिताओं में अनेक कर्मचारियों ने भाग लिया। दोंनों प्रतियोगिताओं में तीन-तीन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया।

हिन्दी सप्ताह का समापन 19 सितम्बर को हुआ। इस सुअवसर पर हमारे नए अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर० गुप्ता अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ क्षण निकाल कर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए तथा वित्त निदेशक श्री सदाशिवम् भी साथ में थे। श्री आर० गुप्ता ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए तथा उन्होंने अपने भाषण में हिन्दी की प्रगति के लिए हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया।

अन्त में सहायक हिन्दी अधिकारी श्रीमती गीता गुप्ता ने सब अतिथियों को धन्यवाद दिया तथा आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के आयोजन से कर्मचारियों/अधिकारियों में हिन्दी के प्रति रुचि और बढ़ेगी।

निगम के सिन्दरी, गोरखपुर, रामगुण्डम् एककों में भी हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यालय में हिन्दी के प्रचार से संबंधित ब्रैनर्स एवं पोस्टर लगाए गए। गोरखपुर एकक में इस अवसर पर एक हिन्दी कार्यशाला एवं निबन्ध प्रतियोगिता तथा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा अधिक से अधिक कामकाज हिन्दी में किया गया। तलचर एकक में भी कविता, निबन्ध प्रतियोगिताओं तथा हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

34. नई दिल्ली, (गैस अॅथारिटी ऑफ इंडिया)

दिनांक 24 जून, 1986 को इस कम्पनी में प्रथम बार हिन्दी दिवस तथा हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस का उद्घाटन भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार तथा राजभाषा विभाग की सचिव कु० कुसुमलता मित्तल ने किया। इस अवसर पर इस कम्पनी के निदेशक (परियोजना) श्री धर्मदेव ग्रोवर, निदेशक (कार्मिक) श्री रमेश चन्द्र गुप्त, निदेशक (वित्त) श्री केवल कृष्ण कपूर उपस्थित थे। इस के अतिरिक्त राजभाषा विभाग के उपसचिव श्री गोविन्द दास बेलिया तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की उपसचिव कुमारी नीता वाली तथा सहायक निदेशक (हिन्दी) श्री कृष्णकान्त झा भी उपस्थित थे।

हिन्दी दिवस तथा हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर राजभाषा विभाग की सचिव कुमारी कुसुमलता मित्तल का स्वागत करते हुए निदेशक (परियोजना) श्री धर्मदेव ग्रोवर ने कहा कि राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में हमें वास्तव में ठोस कदम उठाने चाहिए। हिन्दी अपनी देश की राजभाषा है। इसका किसी अन्य भाषा से प्रतिद्वन्द नहीं है। संसार के हर देश की अपनी एक राजभाषा होती है और उसी भाषा में वे अपना राज-काज चलाते हैं। हमें भी अपनी भाषा के इस्तेमाल को खूब बढ़ाना चाहिए और सरकारी काम-काज में इसका इस्तेमाल होना चाहिए।

निदेशक (कार्मिक) श्री रमेश चन्द्र गुप्त ने बताया कि इस कार्यालय की स्थापना 16 अगस्त, 1984 को हुई। आरम्भ से ही इस कार्यालय में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रयास जारी किए गए। आरम्भ से ही रबड़ की मोहरें, पत्र-शीर्ष तथा फार्मों को हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में तैयार करने के प्रयत्न किए गए। जिन मदों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उसका लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा। आरम्भ से ही हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते रहे हैं। तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों की जनता, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन की भी व्यवस्था कर ली गई है।

इस कार्यालय में जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें हिन्दी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। प्रोत्साहन के लिए एक नकद पुरस्कार योजना भी घोषित की जा चुकी है। इस योजना के अनुसार हिन्दी प्रवोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएँ पास करने पर क्रमशः 300.00 रुपये, 400.00 रुपये और 500.00 रुपये का एक मुफत नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

श्री गुप्त ने आगे बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई अंग्रेजी आशुलिपिकों तथा अंग्रेजी टंककों के लिए हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टंकण का कार्य करने पर प्रोत्साहन भत्ता योजना इस कार्यालय में भी लागू कर दिया गया है। इस योजना के अनुसार इस कार्यालय में कार्यरत अंग्रेजी आशुलिपिकों तथा अंग्रेजी टंककों को हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टंकण का कार्य करने पर 30 रुपये और 20 रुपये मासिक प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यालय में हिन्दी शब्द-कोषों तथा तकनीकी शब्द-कोषों की व्यवस्था कर ली गई है। हिन्दी पुस्तकालय खोलने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। हिन्दी दिवस तथा हिन्दी कार्यशाला का आयोजन अब नियमित रूप से होता रहेगा। इस कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

हिन्दी प्रशिक्षण

इस कार्यालय की त्रैमासिक पत्रिका "गेल-न्यूज" दोनों भाषाओं में छपती है तथा प्रथम आउटर हिन्दी में भी प्रकाशित किया गया है। परामर्शदाता (हिन्दी) की नियुक्ति से इस कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग और तेजी से बढ़ेगा।

हिन्दी दिवस तथा हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए सचिव महोदया ने यह सुझाव दिया कि जिन इंजिनियर्स को आन्तरिक प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें राजभाषा नीति की जानकारी दी जानी चाहिए और जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें इसी अवसर पर हिन्दी में प्रशिक्षित किया जाए।

प्रशिक्षण की अवधि के समय प्रशिक्षण देने के लिए देवनागरी कम्प्यूटर की मदद ली जाए। इससे अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी सीखने में रुचि लेंगे तथा उन्हें हिन्दी उच्चारण सुधारने में मदद मिलेगी। इस समय टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ रही है। हमें इसके साथ-साथ यांत्रिक सुविधाएं बढ़ानी चाहिए अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे।

उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि प्रबन्धकों के लिए भी हिन्दी कार्यशाला का प्रबन्ध किया जाए और उन्हें सरकारी काम-काज की भाषा की जानकारी दी जाए।

आरम्भ में अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी में लिखा जा सकता है। भाषा में स्पष्टता होनी अति आवश्यक है। कर्मचारियों को अपने कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें ऐसी शब्दावली तैयार करदी जानी चाहिए। गैस से सम्बन्धित मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासन सम्बन्धी छोटे-छोटे नियुक्ति आदेश, छुट्टी आदेश आदि प्रशासनिक कार्य हिन्दी में किए जा सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ

पत्राचार हिन्दी में किए जाएं तथा मानक मसौदे हिन्दी में तैयार किए जाएं ।

इस अवसर पर एक निबन्ध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था । प्रतियोगिता में निम्न तीन निबन्ध लेखकों को नकद पुरस्कार दिए गये ।

1. कुमारी परमजीत कौर, आशुलिपिक अंग्रेजी), श्रेणी तृतीय, प्रथम पुरस्कार 250.00 रुपये ।
2. अजय कुमार थापा, सहायक श्रेणी तृतीय, द्वितीय पुरस्कार 150.00 रुपये ।
3. कुमारी जानकी हिन्दूजा, पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय पुरस्कार, 100.00 रुपये ।

सचिव महोदय के कर-कमलों द्वारा पुरस्कार वितरण सम्पन्न हुआ ।

हिन्दी कार्यशाला के समापन दिवस पर राजभाषा विभाग के अवर सचिव श्री बुद्ध प्रकाश द्वारा कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र दिये गए । श्री बुद्ध प्रकाश ने इस अवसर पर यह कहा कि हिन्दी का विकास सामान्य भाषा की तरह हुआ है । सभी को साथ लेकर चलने से ही इसका और विकास होगा। गाँधी जी के लोकप्रिय होने का एक कारण यह भी था कि व जनभाषा को लेकर आगे बढ़े ।

35. नई दिल्ली (देना बैंक)

हमारे नई दिल्ली क्षेत्र द्वारा दिनांक 1 सितम्बर से 6 सितम्बर 86 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । इस सप्ताह के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय में लगभग पूरा कार्य हिन्दी में किया गया तथा शाखाओं से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वहां पर भी अधिकांशतः काम हिन्दी में किया गया ।

सप्ताह के दौरान दिनांक 5 सितम्बर 1986 को बैंक की ग्रामीण शाखा समानावाहू में ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों से संबंधित सभी कार्रवाई हिन्दी में की जाती है । हिताधिकारियों के प्रस्ताव पत्र तथा अन्य औपचारिकताओं से संबंधित कागजात हिन्दी में भरे गए तथा स्वीकृति पत्र भी हिन्दी में ही दिए गए हैं । समानावाहू शाखा हिन्दी में काम करने के लिए नामित शाखा है, इस शाखा में कोई भी कार्य अंग्रेजी में नहीं किया जाता है । उक्त समारोह में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष सरदार तारा सिंह, संबंधित क्षेत्र के विधायक, सहायक उपायुक्त श्री जगबीर सिंह तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे ।

इसके साथ ही एक निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसके प्रथम तीन विजेताओं को पुस्तकों के रूप में पुरस्कार दिए गए ।

सप्ताह के दौरान केवल अधिकारियों के लिए एक पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

दिनांक 6 सितम्बर 86 को क्षेत्रीय कार्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह के अन्तर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग के निदेशक डा० श्याम सिंह शशि के कर कमलों द्वारा पत्र लेखन प्रतियोगिता एवं निबन्ध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए ।

36. नई दिल्ली (प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय)

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में 17-9-86 को "हिन्दी दिवस" का आयोजन निदेशालय की निदेशक श्रीमती कुमुद बंसल की अध्यक्षता में किया गया । श्री राम दास, उपनिदेशक ने कार्यक्रम का संचालन किया ।

कार्यक्रम का प्रारम्भ करते हुए श्री रामदास ने "हिन्दी दिवस" के आयोजन और महत्व पर प्रकाश डाला । उन्होंने बताया कि संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को यह प्रस्ताव पारित किया कि संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा । इस प्रकार यह संवैधानिक व्यवस्था बन गई और तब से 14 सितम्बर को "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाता है । उन्होंने कहा कि इसी उपलक्ष्य में इस कार्यालय में 15-9-86 से 19-9-86 तक ("हिन्दी सप्ताह" मनाया जा रहा है । जिसके दौरान सभी को हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए । हिन्दी को सर्वनिष्ठ भाषा बनाने के लिए उसमें गुजरात का गौरव महाराष्ट्र की महक, केरल तथा कन्याकुमारी की कमनीयता, बंगाल का वैभव और पंजाब की प्रांजलता का समावेश होना चाहिए ।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री पूर्णानन्द जोशी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा नियमों की संक्षिप्त जानकारी दी । राजभाषा नियमों का अन्य कानूनों की तरह पूरा पालन किया जाना चाहिए ।

हिन्दी अधिकारी श्री विवेक चन्द्र शर्मा ने निदेशालय में हिन्दी की प्रगति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस निदेशालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में लिखे दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी फाइलों पर टिप्पण और मसौदे हिन्दी में प्रस्तुत करते हैं । निदेशालय की पत्रिका "न्यूजलेटर" में हिंदी अंश भी प्रकाशित किया जा रहा है । कुछ एकक यथासम्भव हिन्दी में ही काम कर रहे हैं । इस सबके बावजूद 1986-87 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को चालू वर्ष में प्राप्त करने के लिए काफी कोशिश करनी होगी ।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री रमेश कुमार ने अपनी कविता पाठ द्वारा हिन्दी को सम्मान देने की बात कही । श्रीमती प्रेम कालिया और श्री देवेन्द्र शर्मा ने अपने रोचक चुटकुलों आदि से वातावरण को हास्यमय बना दिया । श्री रामदास ने अपनी भावपूर्ण कविता से हिन्दी को इसका उचित स्थान देने का आहवान किया । श्री जी० वी० भक्तप्रिय और श्री एस० वी० गुप्ता ने हिन्दी सेवा का अपना संकल्प दुहराया और दूसरे साथियों से भी हिन्दी में काम करने का अनुरोध किया । श्री पी० एस० बावा ने आग्रह किया कि

हिन्दी कम जानने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सुविधा के लिए शब्दकोश आदि सहायक सामग्री प्रदान की जाए। डॉ० वी० वेंकटशेषैया, अपर निदेशक ने हिन्दी में बोलकर अहिन्दी भाषियों में उत्साह का सर्जन किया।

निदेशक श्रीमती कुमुद बंसल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सबसे अनुरोध किया कि वे "हिन्दी सप्ताह" के दौरान विशेष रूप से और उसके बाद भी हिन्दी का यथासम्भव प्रयोग बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि हिन्दी अधिकारी ने कुछ अंग्रेजी वाक्यांशों के हिन्दी रूपों वाली जो सूची बांटी है उससे लाभ उठाया जाए। उन्होंने उप निदेशक (प्रकाशन) श्री जी० शिवस्वामी से अनुरोध किया कि वे इस सूची का छोटा-सा फोल्डर बना कर प्रकाशित कर दें ताकि सब कर्मचारी उसे अपने पास आसानी से रख सकें। उन्होंने अपर निदेशक, डॉ० वी० वेंकटशेषैया से अनुरोध किया कि वे संक्षिप्त फार्म में हर महीने इस बात की जानकारी एकत्र करें और समीक्षा करें कि किसने कितना काम (नोटिंग, ड्राफ्टिंग पत्रादि) हिन्दी में किया ताकि तिमाही बैठकों में की जानेवाली समीक्षा में इससे मदद मिल सके। उन्होंने सबसे आग्रह किया कि वे राजभाषा नियमों का पूरा पालन करें और उक्त प्रोत्साहनों का लाभ उठाएं।

निदेशक महोदया की व्यस्तता के बावजूद इस आयोजन की अध्यक्षता करने के लिए धन्यवाद देते हुए श्री रामदास ने हिन्दी अधिकारी और उस सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग देकर इसे सफल बनाया।

37. नई दिल्ली (नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन)

निगम में दिनांक 19 सितम्बर, 1986 को "हिन्दी दिवस" समारोह के उपलक्ष्य में हिंदी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ताकि कर्मचारियों में राजभाषा हिन्दी के प्रति उत्साह एवं रूचि जागृत हो सके। निबन्ध के विषय थे "सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है एवं "राष्ट्रीय एकता में हिंदी का योगदान"। इस प्रतियोगिता को दो भागों में बांटा गया। एक हिन्दी भाषी तथा दूसरी अहिन्दी भाषियों के लिए। दोनों ही वर्गों के लिए क्रमशः 100, 75 और 50 रुपए के तीन-तीन नकद पुरस्कार रख गए। निबंध लेखन के लिए 250 शब्द रखे गए तथा एक घन्ट का समय दिया गया। इस प्रतियोगिता में 16 हिन्दी भाषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उत्साह-पूर्वक भाग लिया।

सांख्यिकी विभाग में सहायक निदेशक (राजभाषा) श्रीमती मधु शर्मा प्रतियोगिता की निर्णायक नियुक्त की गई। इस अवसर पर आमंत्रित अतिथि के रूप में राजभाषा विभाग में निदेशक श्री महेश गुप्त ने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला। हिन्दी दिवस की महत्ता बतलाते हुए उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग और तकनीकी कार्य भी हिन्दी में किए जा सकते हैं। अपने दैनिक कामकाज में सभी को हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करके राजभाषा हिन्दी को समुचित स्थान दिलाने में अपना सहयोग देना चाहिए।

समारोह की अध्यक्षता निगम के अध्यक्ष एवं निदेशक श्री सुरेश चन्द्र कपूर ने की। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि संविधान की आवश्यकताओं के अनुरूप हमें राजभाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भविष्य में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कारों की राशि बढ़ाई जाए व अनेक विषय रखे जाएं और प्रत्येक विषय पर अलग-अलग पुरस्कार रखे जाएं ताकि अधिक से अधिक अधिकारी व कर्मचारी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें और राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने इस अवसर पर हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता के विजताओं को पुरस्कार प्रदान किए तथा बधाई दी।

पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं :—

(1) श्रीमती नरेश सेठी, कार्यालय अधीक्षक . प्रथम पुरस्कार

(2) श्री राम निवास शर्मा, कार्यालय सहायक . द्वितीय पुरस्कार

(3) श्री राजीवरंजन बैसंतरी, सहा० प्रबंधक . . तृतीय पुरस्कार

समारोह के अंत में हिन्दी अधिकारी डा० किरण कुमार ने सभी आमंत्रित अतिथियों और सहभागियों को धन्यवाद दिया व पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी।

38. नई दिल्ली (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक)

भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा सम्बन्धी वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों/सुझावों के अनुसरण में इस कार्यालय में भी "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया गया। हिन्दी सप्ताह 12 से 19 सितम्बर, 1986 तक मनाया गया। 12 सितम्बर को प्रत्येक अनुभाग में हिन्दी में अधिकतम कार्य करने संबंधी प्रेरणा-दिवस के रूप में मनाया, 15 सितम्बर को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से प्रमुख थे :—

1. हिन्दी कार्यशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए जिसके द्वारा अधिकतम स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया ;

2. प्रत्येक मंगलवार को सभी उच्चाधिकारी (केवल ऐसे दस्तावेजों को छोड़कर, जिनमें पंजीकृत हस्ताक्षर ही मान्य होते हैं) सभी कागजातों पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर करें ;

3. भविष्य में प्रत्येक रजिस्टर/फाइलों पर शीर्षक द्विभाषी ही लिखें जाएं

17 सितम्बर 1986 को कार्यालय में हिंदी में पोस्टर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कुल 34 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में निम्न स्टाफ सदस्य विजेता घोषित किए गए :—

		रु०
श्री एम० के० शर्मा, लिपिक .	प्रथम	100
श्री दीपचन्द वाहन चालक . .	द्वितीय	75
श्री आर० आर० आर्य, लिपिक .	तृतीय	50

18 सितम्बर, 1986 को कार्यालय में हिन्दी श्रुतलेख स्पर्धा आयोजित की गई जिसमें 44 स्टाफ सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम निम्न रूप से हैं :—

		रु०
श्री बिशन लाल, लिपिक	प्रथम	100
श्रीमती यशोदा रच्छोया, स्टा० अधि०	द्वितीय	75
कु० राज शर्मा, लिपिक	तृतीय	25
कु० के० आर० सीतालक्ष्मी, लिपिक	संयुक्त विजेता	25

19 सितम्बर, 1986 को एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसमें हमारे बैंक के कार्यपालक निदेशक, डॉ० एस० ए० दवे ने इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। न्होंने इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से स्टाफ सदस्यों की प्रतिभाओं के विकास में मदद मिलती हैं तथा उन्होंने यह सुझाव दिया कि ऐसी ही निबन्ध प्रतियोगिता हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भी आयोजित की जानी चाहिए। इस समारोह में महाप्रन्धक श्री एम० रामास्वामी सहित सभी उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

"हिन्दी सप्ताह" के दौरान हिन्दी के प्रयोग का वातावरण निर्मित हुआ तथा इसके फलस्वरूप हिन्दी अधिकतम प्रयोग के प्रति चेतना व नवउत्साह का संचार दिखाई पड़ा।

39. नई दिल्ली (केन्द्रीय मृदा और अनुसंधान शाला)

अनुसन्धानशाला में 29 सितम्बर, 1986 को अपराह्न 3 बजे से "हिन्दी दिवस" का आयोजन अनुसंधानशाला के निदेशक की अध्यक्षता में किया गया। वक्ता एवं श्रोता सभी प्राय: इस कार्यालय के ही थे। केवल 2 कलाकार कल्याण मंत्रालय से आमंत्रित किए गए थे। इस अवसर पर अनुसंधानशाला के स्टाफ के सभी सदस्यों में विशेष उत्साह देखा गया। और सभी लोग चाहते थे कि वे भी हिंदी के उन्नयन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें।

इस कार्यक्रम का प्रारम्भ राष्ट्रवन्दन "मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है" से किया गया जिसे श्री डी० एस० कलोटी ने प्रस्तुत किया था। इस अवसर पर जो अन्य कविताएं पढ़ी गई, भाषण दिए गए अथवा गीत गाए गए वे सभी देश प्रेम और हिंदी प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। सभी ने इस बात को आवश्यकता पर बल दिया कि सरकारी कामकाज की भाषा एवं सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी को जल्दी से जल्दी उसका वांछित स्थान मिल जाना चाहिए। एसा तभी हो सकता है जब भारत सरकार के सभी वर्ग के लोग अपना दैनिक सरकारी कामकाज यथासंभव हिंदी भाषा में करने लगे।

राष्ट्रीय गीतों में "मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है" तथा "अरूण यह मधुमय देश हमारा" को काफी सराहा गया। हिंदी एकता को कड़ी है इस विषय पर अनुसंधानशाला के नए अवर सचिव श्री ईश्वर सिंह जी का भाषण काफी सराहनीय रहा। इस संदर्भ में उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देकर बताया कि वहाँ के निवासी, चाहे वे किसी देश से आए हों, अमेरिका के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं उनमें देशभक्ति की भावना कूट-कूटकर भरी हुई है। काश ! हमारे देश में भी यही भावना सबके मन में भर जाती तो हमारा देश अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भी आगे बढ़ जाता। उन्होंने आगे कहा कि हम सबको जल्दी से जल्दी हिंदी सीख कर सरकारी कामकाज में उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए तथा जो हिंदी जानते हैं वे बेहिचक हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं।

कार्यशाला में नवनियुक्त अहिंदी भाषी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने भाषण हिंदी में ही दिए जो अत्यंत प्रभावशाली थे। इन अधिकारियों ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि हिंदी एक सरल एव जीवंत भाषा है जिसे बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। उनके मतानुसार हिंदी के प्रचार-प्रसार से निश्चय ही राष्ट्रीय एकता और भी सुदृढ़ हो सकती है।

अनुसंधानशाला के संयुक्त निदेशक श्री विजय मोहन शर्मा जी ने हिंदी को सामयिक उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट किए तथा एक प्रेरक कविता भी पढ़ी जिसकी काफी सराहना की गई।

अंत में अनुसंधानशाला के निदेशक महोदय का भावपूर्ण, प्रेरणाप्रद एवं सारगर्भित अध्यक्षीय भाषण हुआ जिसमें उन्होंने हिंदी की उपयोगिता उसको सार्वदेशिकता और भाषागत सरलता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोगों के लिए यह हर्षकी बात है कि अनुसंधानशाला में हिंदी के प्रयोग में काफी प्रगति हो रही है और उसकी यह प्रगति निरन्तर होती रहे इसके लिए यथासंभव सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

40. नई दिल्ली (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क)

भारत सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार दिनांक 6-10-86 से 9-1-86 की अवधि के दौरान हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सप्ताह की मुख्य विशेषताएं उस इस प्रकार हैं :—

1. माननीय वित्त मंत्री के दिनांक 18 सितम्बर, 1986 के संदेश तथा निदेशक महोदय द्वारा जारी अपील के परिचालन से सप्ताह की शुरूआत हुई।
2. मोटी-मोटी बुनियादी अपेक्षाओं को निहित करने वाले चार्ट सभी के बीच परिचालित किए गए।
3. हिन्दी के प्रयोग के लिए काफी पहले से ही विनिर्दिष्टित किए गए क्षेत्रों में भी हिन्दी के प्रयोग की शुरूआत की गई।
4. विशेष रूप से आग्रह किया गया कि यथासंभव प्रशिक्षण के माध्यम के रूप में हिन्दी का ही प्रयोग किया जाए।
5. वर्ष 1986-87 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों से सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत करवाया तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन अधिकारी को प्रशासनिक मामलों में जिम्मेदार ठहराया गया।
6. क्योंकि उन सभी मदों के लिए हिन्दी का प्रयोग काफी पहले से किया जा रहा है जिनके लिए इसका प्रयोग सम्भव है इसलिए इन क्षेत्रों की बाबत केवल स्थिति का जायजा

लिया गया और देखा गया कि इसका अनुपालन सही रूप से हो पा रहा है ।

7. इस सप्ताह के दौरान विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि पाठ्यक्रम के सभी कार्यक्रम हिन्दी में भी जारी किए जाएं और तदनुसार सभी पाठ्यक्रम के कार्यक्रम द्विभाषिक रूप से जारी किए गए ।

8. इस सप्ताह के दौरान शासकीय कामों से इतर हिन्दी में रूचि उत्पन्न करने के लिए हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता व हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें पुरस्कार का प्रावधान भी रखा गया है ।

2. इस सप्ताह के दौरान जारी किए गए कागजात जैसे अपील, पोस्टर आदि की प्रतियां जानकारी के लिए संलग्न हैं ।

प्रशिक्षण निदेशालय, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

"ए" विंग, तृतीय तल पुष्प भवन , मदनगीर, नई दिल्ली-110 062

अपील

प्रशिक्षण निदेशालय दिनांक 6-10-86 से 9-10-86 के दौरान हिन्दी सप्ताह का आयोजन कर रहा है । इस सप्ताह के आयोजन की सफलता आप सब पर निर्भर करती है । मेरी आप सभी से अपील है कि आप यथाशक्य इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने-अपने स्तर पर अपेक्षित योगदान दें ।

इस प्रक्रिया में आपको अब तक हिन्दी में किए गए काम का जायजा लेते हुए उन क्षेत्रों की शिनाख्त करनी होगी जो कि अभी तक हिन्दी के प्रयोग से अछूते रह गए हैं, "क्यों"? इस "क्यों" का उत्तर ढूंढने के प्रयास में आपको ज्ञात होगा कि अधिकांश स्थितियों में हम सब आदतन अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं । इस आदत को बदलकर हिन्दी से अछूते क्षेत्रों में भी, हिन्दी के प्रयोग की शुरुआत करें, जहाँ पहले से हिन्दी का प्रयोग हो रहा है, उन क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाए ।

इस सप्ताह के दौरान हिन्दी के प्रयोग में जो तेजी आएगी उस मापदन्ड को भविष्य में भी बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहें ।

आप अपने-अपने कार्य का जायजा लें, आपको पता चलेगा कि कुछेक ऐसे पक्ष/क्षेत्र भी हैं जहां तथाकथित नीति का अनुपालन नहीं हो रहा है इन क्षेत्रों में राज भाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

"नीति" के अनुपालन का दायित्व किसी एक पदाधिकारी का न हो कर संघ के विविध कार्यालयों में काम कर रहे प्रत्येक व्यक्ति का है । यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कर्त्तव्य से विमुख हो रहे हैं । आशा है कि आप ऐसा नहीं होने देंगे । अन्त में एक बार मेरी आप से पुनः अपील है कि आप-अपने स्तर पर अधिकांश रूप हिन्दी का प्रयोग करें ताकि आप अपने अधीन काम पर रहे पदाधिकारियों एवं सहकर्मियों के सम्मुख इस दिशा में एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत कर सकें ।

लज्जा राम

निदेशक

41. नई दिल्ली (निरीक्षण निदेशालय)

निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान) और उस से संबद्ध निदेशालयों में 8 सितम्बर, 1986 से 16 सितरम्बर, 1986 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया और 9 सितम्बर, 1986 को हिंदी दिवस के रूप में एक समारोह का आयोजन किया गया ।

हिन्दी सप्ताह के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

प्रचार कार्य

महानिदेशक (अनुसंधान), श्री ज्ञानेन्द्रनाथ गुप्त और निरीक्षण निदेशक (अनुसंधान), श्री के० रंगराजन, ने अपील जारी करके सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे इस सप्ताह के दौरान अपना सरकारी कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करें ।

कार्यालय परिसरों में जगह-जगह राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रयोग के बारे में जारी किए गए पोस्टर लगाए गए और हिंदी सप्ताह को सफल बनाने संबंधी बैनर लगाए गए ।

शब्दावली

इस सप्ताह के दौरान अपने निदेशालयों से संबंधित शब्दों का चयन करके एक शब्दावली तैयार की गई । इस शब्दावली में संबंधित शब्दों को 12 शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है ताकि इन निदेशालयों के कर्मचारियों को अपेक्षित शब्द को ढूंढने में सुविधा रहे । शब्दावली के अन्त में राजभाषा के संबंध में हमारे अधिकारियों के विचार संकलित किए गए हैं ।

प्रतियोगिताएं

इस अवधि के दौरान "हिंदी कार्य प्रतियोगिता" और "हिंदी टिप्पण और प्रारूपण प्रतियोगिता" नामक दो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । "हिंदी कार्य प्रतियोगिता" के अधीन कर्मचारियों ने अपना सरकारी कार्य अधिक से अधिक हिंदी में किया, इस से कर्मचारियों में प्रतियोगिता का सप्ताह तो रहा ही है इसके साथ-साथ काफी कार्य भी निपटाया गया है । इस प्रकार इस योजना से यह सप्ताह एक कार्य निपटान सप्ताह के रूप में भी मनाया गया ।

"हिंदी टिप्पण और प्रारूपण प्रतियोगिता" दिनांक 12-9-86 को आयोजित की गई । इस से कर्मचारियों में हिंदी में कार्य करने की क्षमता का पता चला है । उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता में कर्मचारियों ने 82 प्रतिशत तक अंक प्राप्त किए हैं और फेल तो कोई कर्मचारी हुआ ही नहीं है । इस प्रतियोगिता के लिए प्रश्न-पत्र तैयार करने और उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का कार्य राजस्व विभाग के विशेष अधिकारी (हिंदी) श्री दिवसपति डिमरी ने किया था ।

इन प्रतियोगिताओं में हिंदी और अहिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए पुरस्कारों को अलग-अलग व्यवस्था की गई थी। इन प्रतियोगिताओं के अधीन 24 गर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

हिंदी दिवस

19 सितम्बर, 1986 को हिंदी दिवस के रूप में एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता महानिदेशक (अनुसंधान), श्री ज्ञानेन्द्रनाथ गुप्त ने की और श्रीयुत श्रीइन्द्र त्रिपाठी सदस्य (स्टाफ व प्रशिक्षण), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली, मुख्य अतिथि के रूप में और आयकर आयुक्त के रैंक के लगभग 16 वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य अधिकारी पधारे थे।

कार्यक्रम की शुरूआत श्री के० रंगराजन, निरीक्षण निदेशक (अनुसंधान) द्वारा दिए गए स्वागत भाषण से की गई। श्री रंगराजन ने सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने राजभाषा हिंदी के प्रयोग को लगातार बढ़ाते रहने की आवश्यकता पर बल दिया और यह उद्गार व्यक्त किए की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में अ हिंदी भाषी अधिकारी अपना पूरा सहयोग देते हैं और देते रहेंग ।

इसके पश्चात् सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अपने निदेशालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में राजभाषा हिंदी के लिए वातावरण तैयार करने और हिंदी के प्रयोग में अपने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयासों का उल्लेख किया। नेमी प्रकार के पत्रों के मानक प्रारूप हिंदी में तैयार कर दिए गए हैं। चारों निदेशालयों में एक-एक हिंदी टाइपराइटर और द्विभाषिक टाइपिस्ट और आशुलिपिक उपलब्ध करा दिए गए हैं। कार्यालय में एक समृद्ध और सुव्यवस्थित हिंदी पुस्तकालय है। इस प्रकार के प्रयासों से हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि इन प्रयासों के कारण निदेशालय का लगभग 70 प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाता है।

3 इसके पश्चात् सदस्य (स्टाफ व प्रशिक्षण) श्री त्रिपाठी ने निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान) द्वारा तयार की गई समेकित शब्दावली का विमोचन किया।

4. तब पिछले एक वर्ष के दौरान आयोजित चार हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित 31 कर्मचारियों को श्री त्रिपाठी ने प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

5. तत्पश्चात् हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में विजयी 24 कर्मचारियों और वर्ष 1985 की नकद पुरस्कार योजना के अधीन एक कर्मचारी को नकद पुरस्कार तथा प्रशंसा-पत्र श्री तिपाठी जी द्वारा प्रदान किए गए।

पुरस्कार आदि के वितरण केबाद मुख्य अतिथि श्रीयुत श्रीइन्द्र त्रिपाठी ने सभा को संबोधित किया। निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान) द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि "शायद विरले ही कार्यालय से होंगे, जहां लोगों ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग में इतनी रूचि ली हो।" हिंदी के प्रगामी प्रयोग के कार्यक्रम को हमारे निदेशालय में दूरदर्शितापूर्ण और योजनाबद्ध बताते हुए और निरीक्षण निदेशक (अनुसंधान) श्री के० रंगराजन द्वारा दिए गए स्वागत भाषण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि "इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन जितनी परिष्कृत हिंदी उन्होंने बोली, उसको सुनकर किसी को भी गर्व की अनुभूति होगी। अगर ऐसे सुयोग्य अधिकारी हैं तो अवश्य पूरे कार्यालय को प्रोत्साहन मिलेगा।" श्री त्रिपाठी ने कहा कि "कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि अगर हिंदी में कार्य करेंगे तो उसमें योग्यता कम झलकेगी, परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है योग्यता का आधार भाषा नहीं प्रतिभा है।" अंग्रेजी के प्रति मोह रखने वाले लोगों के बारे में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "अंग्रेजी जानना या अंग्रेजी बोल सकना एक योग्यता मानी जा सकती है, परन्तु इसलिए अंग्रेजी का प्रयोग करते रहना कि उन्हें लोग ज्यादा योग्य समझेंगे, यह एक प्रकार का मानसिक दारिद्र्य है।"

इसके पश्चात् महानिदेशक (अनुसंधान) श्री ज्ञानेन्द्रनाथ गुप्त ने अपने अध्यक्षीय भाषण में, श्री त्रिपाठी को समारोह में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया और इस बात पर बल दिया कि सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का प्रयोग किया जाए। तकनीकी शब्दों के बारे में भी उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय के रूप में सटीक शब्दों को स्वीकार किया जाए।

अध्यक्षीय भाषण के बाद निरीक्षण उप-निदेशक (अनुसंधान) एवं राजभाषा अधिकारी श्री एम० के० पाण्डेय ने सभी अतिथियों, उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारयों और अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया।

इस कार्यक्रम के बाद संगीत-सभा का आयोजन किया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के युवा उदीयमान कलाकारों द्वारा प्रस्तुत मनोरंजन कार्यक्रम का सभी उपस्थित लोगों ने भरपूर आनन्द लिया।

42. नई दिल्ली (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया)

दिल्ली आंचलिक कार्यालय में हिन्दी दिवस समारोह।

दिल्ली आंचलिक कार्यालय की ओर से हिन्दी दिवस समारोह 14 सितम्बर की पूर्व संध्या पर दिनांक 13 सितम्बर, 1986 को दिल्ली के गाँधी मेमोरियल हाल, प्यारेलाल भवन, नई दिल्ली में बड़े ही धूम-धाम मनाया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री एम. एन. बुच, आई. ए. एस. संयुक्त सचिव, बैंकिंग प्रभाग तथा हमारे बैंक के निदेशक को आमंत्रित किया गया। समारोह की अध्यक्षता हमारे महाप्रबंधक श्री एस. सुब्रमण्यम ने की।

कार्यक्रम हमारे बैंक की महिला कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से शुरू हुआ। उसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एम. एन. बुच, आई. ए. एस, संयुक्त सचिव, बैंकिंग प्रभाग ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री बुच ने कर्मचारियों अपने दैनिक कार्य में अधिक से अधिक हिन्दी अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बैंक के काम-काज में वैसी हिन्दी का प्रयोग हो जिसमें अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्द भी

हों, सिर्फ संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के प्रयोग से वह जन-साधारण की भाषा नहीं रह जायेगी और उसमें राजभाषा के रूपमें जनसाधारण की भाषा हिन्दी को ही अपनाना है। उन्होंने सेन्ट्रल बैंक द्वारा हिन्दी में किये जा रहे कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की।

मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुये दिल्ली अंचल के उप महाप्रबंधक श्री एस. के. गाबा ने दिल्ली अंचल द्वारा हिन्दी में किये जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली अंचल की 146 शाखाओं में 57 शाखाओं में सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में हो रहा है तथा 142 शाखाओं को राजभाषा नियम 1976 की धारा 10(4) के के अधीन अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय को लिखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की लगभग सभी शाखाओं में हाजिरी रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, स्क्रॉल, कार्यालय आदेश तथा डें बुकों में हिंदी में काम हो रहा है। आंचलिक कार्यालय में भी एफ, आवास ऋण, शिकायत, कार्मिक, पत्र प्रेषण तथा कृषि विभाग में कार्य हिन्दी में किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली महानगर की खान मार्किट शाखा को हमने आदर्श शाखा के रूप में घोषित किया है। इस शाखा में हिन्दी में हो रहे कार्यों पर एक कार्यक्रम 24 जुलाई को दूरदर्शन के नेटवर्क कार्यक्रम से प्रसारित किया गया। उन्होंने श्री एम. एन. बुच, श्री एस. सुब्रमण्यम, श्री रा. वि. तिवारी तथा श्री श्री जगदीश सेठ का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया।

महाप्रबन्धक श्री एस. सुब्रमण्यम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सेन्ट्रल बैंक में हिन्दी में हो रहे कार्यों की जानकारी दी तथा राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रूस, जापान आदि देशों में जब उनकी भाषा में काम हो सकता है तब हम अपने देश में अपनी भाषा में काम क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कर्मचारियों से हिंदी में काम करने का अग्रह किया।

श्री जगदीश सेठ, उप निदेशक, बैंकिंग प्रभाग ने माननीय वित्त मंत्री का संदेश पढ़कर उपस्थित कर्मचारियों का सुनाया। अन्त में श्री रा० वि० तिवारी मुख्य अधिकारी (राजभाषा) ने हिन्दी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला तथा दिल्ली अंचल में हिन्दी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

उक्त अवसर पर हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित दिल्ली में विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार विजेताओं का तथा दिल्ली की शाखाओं में कार्यरत उन कर्मचारियों को जिन्होंने वर्ष 1985 में हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य किया उनको श्री एम. एन. बुच द्वारा प्रमाण पत्र दिये गये। उक्त अवसर पर कर्मचारियों द्वारा तीन घंटे का रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

43. कलकत्ता (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक)

विकास बैंक के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी सप्ताह समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। राज काज में हिन्दी को अपनाने के प्रति सही अर्थों में जिस भावना की जरूरत है, वह इस समारोह के दौरान देखने को मिली। सप्ताह के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विशेष बैठक के अलावा तीन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और तिम दिन पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया।

16 सितम्बर, 1986 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विशेष बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पू. क्षे. का के उप महाप्रबंधक श्री रवीन्द्र दासगुप्त ने की। बैठक में तय हुआ कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने तथा हिन्दी पत्राचार को बढ़ाने के लिए छोटे आकार के पत्रों को हिन्दी में भेजना शुरू किया जाए। साथ ही नए वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई।

17 सितम्बर को भाषण प्रतियोगिता रखी गई। इसमें कुल छः प्रतियोगिताओं ने भाग लिया।

सर्वश्री देवव्रत चक्रवर्ती, औद्योगिक वित्त सहायक, कार्तिक जी. आल. स्टाफ अधिकारी, व पी. एम. सुब्रह्मण्यन्, आशुलिपिक ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए।

18 सितम्बर, 1986 को सुलेख व कविता पाठ प्रतियोगिताएं रखी गई। चूंकि महाप्रबंधक श्री एस. गोपालन एवं उपमहाप्रबंधक श्री बी. जी. वाडिंग भी प्रतियोगिताओं में भाग लेने को पहुंचे थे, इसलिए दोनों प्रतियोगिताओं में पर्याप्त उत्साह था। 13-14 प्रतियोगियों ने इनमें भाग लिया, सुलेख में श्री ओम प्रकाश पवार, स्टाफ अधिकारी को प्रथम; श्रीमती संध्या भट्टाचार्जी, स्टाफ अधिकारी को द्वितीय एवं श्री संजय कुमार पै, स्टाफ अधिकारी को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

कविता पाठ प्रतियोगिता ने तो छोटे, मोटे कवि-सम्मेलन का ही रूप ले लिया, स्व० भवानी प्रसाद मिश्र की "गीत फरोश' धूमिल की 'रोटीओं और संसद' तक व माखनलाल चतुर्वेदी की 'पुष्प की अभिलाषा' मैथिली शरण गुप्त की 'यशोधरा' तक फैली हिन्दी कविता की बहुरंगी झलक इस प्रतियोगिता में मिली, श्री पी. एम. सुब्रह्मण्यन् आशुलिपिक को पहला– श्री बी. जी. वाडिंग, उप महाप्रबंधक को दूसरा; एवं श्री एस. पी. चक्रवर्ती, क्लर्क को तीसरा पुरस्कार मिला।

22 सितम्बर को हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह आयोजित हुआ। एम. पी. बिड़ला फाउंडेशन की अनुसंधान एवं प्रकाशन इकाई के प्रबंधक संपादक डॉ० पृथ्वीनाथ शास्त्री इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। पू. क्षे. का. के महाप्रबंधक श्री एस. गोपालन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

पू. क्षे. का. के हिन्दी अधिकारी ने हिन्दी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पू. क्षे. का. में हिन्दी के प्रयोग पर हुई प्रगति का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। श्री सुब्रह्मण्यन् ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त कविता 'गीत-फरोश' का पाठ किया। प्रथम पुरस्कार प्राप्त वक्ता श्री देवव्रत चक्रवर्ती ने हिन्दी व बंगला के परस्पर मेल से संबंधित दो तीन दृष्टांत प्रस्तुत किये और बताया कि किस तरह उन्होंने धीरे-धीरे हिन्दी सीखी। उप प्रबंधक श्री आर. विजय वर्मा ने यसुदास का गाया एक हिन्दी गीत गाया जिसमें शास्त्रीय व लोकशैली का अदभुत मेल हुआ था।

डॉ० पृथ्वीनाथ शास्त्री ने मुख्य अतिथि के आसन से कहा कि हिन्दी आज संपर्क भाषा के रूप में उभर रही है पूरी तरह से राष्ट्रभाषा बनने में यद्यपि अभी थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हिन्दी में वह शक्ति है जो दूसरी भारतीय भाषाओं के शब्दों व शैलियों को लेकर समन्वय का रास्ता दिखा सकती है। उन्होंने हिन्दी में विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्दों का जोड़े जाने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ० शास्त्री का मत था कि यह कहना गलत है कि वाराणसी की हिंदी सही है या दिल्ली, इलाहाबाद की। दरअसल इन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि गैर हिन्दी भाषी प्रांतों में उभरती हुई हिन्दी को अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि बम्बई व कलकत्ता की हिन्दी शैलियों का भी उतना ही महत्व है जितना दिल्ली या वाराणसी की शैलियों का। व्याकरण की दृष्टि से भलेही हम इन्हें सही न कहें लेकिन हिन्दी की शैलियों के रूप में इन्हें स्वीकार करना ही होगा। यदि विभिन्न प्रान्तों में वहां की आवश्यकताओं के मुताबिक हिन्दी के भिन्न भिन्न रूप निखरते हैं तो इसमें उसका विकास ही होता है, हिन्दी भाषियों से डॉ० शास्त्री का आग्रह था कि उन्हें कम से कम दो अन्य भारतीय भाषाएं सीखनी चाहिए।

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिन्दी के महत्व पर बल दिया। उनका कहना था कि भलेही सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रयोग ज्यादा न होता हो, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक यदि किसी एक भाषा से काम चलाना हो तो हिन्दी सीखिये। उन्होंने कहा, हिन्दी में काम करते हुए हमें शर्म नहीं, आत्म गौरव होना चाहिए। उन्होंने आशा प्रकट की कि धीरे धीरे ऐसे आयोजनों से हिन्दी में काम करने का माहौल बनेगा। उन्होंने पुरस्कार विजताओं से भी आग्रह किया कि वे अब कुछ काम भी हिन्दी में शुरू करें।

तदुपरांत अध्यक्ष श्री गोपालन ने पुरस्कार वितरित किए।

44. पटना

बैंक आफ इंडिया के बिहार अंचल में 14 सितम्बर स 21 सितम्बर 1986 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर बिहार अंचल स्थित सभी प्रशासनिक कार्यालयों एवं 281 शाखाओं में बैंक के लगभग समस्त कार्य हिन्दी में हुए। सभी प्रशासनिक कार्यालयों तथा अधिसूचित शाखाओं में हिन्दी सप्ताह के बैनर भी प्रदर्शित किए गए।

इस अवसर पर पटना आंचलिक कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अंतर-बैंक हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता :

ये प्रतियोगिताएं 17 व 19 सितंबर को अपराह्न 4 बजे आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र में दो वर्गों (हिन्दी भाषी तथा अन्य भाषा-भाषी) में आयोजित की गई।

इस प्रतियोगिता में निम्मलिखित बैंकों के पटना नगर स्थित कार्यालयों/शाखाओं के कर्मचारियों ने भाग लिया :—

1. इंडियन बैंक
2. बैंक आफ बडौदा
3. इलाहाबाद बैंक
4. कारपोरेशन बैंक
5. नाबार्ड
6. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
7. बैंक आफ इंड़िया

इस प्रतियोगिता में निबंध के विषय निम्नलिखित थे :—

क. हिन्दी भाषी वर्ग —"बिहार के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बैंकों का योगदान"

ख. अन्य भाषा-भाषी वर्ग:— "बैंकों में हिन्दी"

विजेताओं को 20 सितंबर 1986 को आयोजित हिन्दी सप्ताह समारोह में आंचलिक प्रबंधक, श्री प्रितपाल सिंह जनेजाके करकमलों से पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिन्दी सप्ताह" समारोह--पुरस्कार वितरण एवं सांस्कृतिक समारोह

"हिन्दी सप्ताह" पर आंचलिक कार्यालय में मुख्य समारोह दिनांक 20 सितंबर 1986 को अपराहन 2.30 बजे आयोजित किया गया। इसी समारोह में हिन्दी सप्ताह पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए आंचलिक प्रबंधक, श्री प्रेतपाल सिंह जनेजा ने कहा कि मूल प्रश्न हिन्दी का नहीं बल्कि हिन्द का है। भाषा राष्ट्रीय एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अतः राष्ट्रभाषा हिन्दी को समुचित आदर मिलने और प्रयोग होने पर ही भारत की एकता बनी रह सकती है। उन्होंने अंग्रेजी-राज का उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय लोग हिन्दी का प्रयोग करते समय गर्व महसूस करते थे और देश को आजादी दिलाने में हिन्दी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने यह आह्वान किया कि अगले वर्ष 1987 को हम "हिन्दी वर्ष" के रुप में बनाएं और बिहार अंचल में बैंक का संपूर्ण कार्य हिंदी में ही करना शुरू कर दें।

इस अवसर पर उप आंचलिक प्रबंधक (परिचालन), श्री यशपाल महाजन, उप आंचलिक प्रबंधक (योजना एवं विकास), श्री वसन्त सप्तर्षि तथा मुख्य प्रबंधक, श्री पन्नालाल पंकज ने भी अपने विचार प्रकट किए।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मुख्य अधिकारी, डा०बी०एम० सिंह ने अंतर-बैंक हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की।

तत्पश्चात् अन्तर-बैंक हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा हिंदी टंकण प्रतियोगिता के विजेताओं को आंचलिक प्रबंधक, श्री प्रितपाल सिंह गजनेजा के कर-कमलों से पुरस्कार प्रदान किए गए।

समारोह की शुरूआत, प्रभारी अधिकारी, श्री कल्पनाथ दुबे की सरस्वती बंदना एवं अभ्यागतों के स्वागत के साथ हुई। कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी, श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता ने किया। धन्यवाद ज्ञापन मुख्य प्रबंधक, श्री एस० सी० सान्याल ने किया।

समारोह के अंत में बैंक के स्टाफ सदस्यों ने एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसमें श्री प्रितपाल सिंह जनेजा ने शेरो-शायरी, श्री वसन्त सप्तर्षि ने गीत, श्री जगदीश नारायण यादव ने गजलें तथा श्री सिद्धनाथ सहाय एवं श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता ने स्वरचित कविताएं प्रस्तुत की। और इसके साथ एक अत्यधिक सफल "हिंदी सप्ताह" समारोह का समापन हुआ।

45. धनबाद

खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के मुख्यालय तथा जोनल कार्यालयों में दिनांक 22 सितम्बर, 1986 स 26 सितम्बर, 1986 तक हिन्दी सप्ताह के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिनांक 22 सितम्बर, 86 को खान सुरक्षा उपमहानिदेशक श्री यल०यम० मिश्रा ने हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन किया। दिनांक 23 सितम्बर, 86 को हिन्दी एवं अहिन्दी भाषियों की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता तथा दिनांक 24 सितम्बर, 1986 को हिन्दी टंकण प्रतियोगिता आयोजित की गई।

भाषण प्रतियोगिता के हिन्दी भाषी वर्ग में सर्वश्री मिश्री सिंह, जयप्रकाश झा तथा आर० एस० पी० सिंह को क्रमशः प्रथम, द्वितीय तृतीय तथा अहिन्दी भाषी वर्ग में सर्वश्री के०एल० सुराल, महबूब आलम तथा सुनील हाजरा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए गए। हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूपण प्रतियोगिता के हिन्दी भाषी वर्ग में सर्वश्री मिश्री सिंह, जयगोविन्द राम तथा जयप्रकाश झा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय तथा अहिन्दी भाषी वर्ग में के० एल० सुराल, एन० बी० दास और बिनुलाल किस्कु को क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए गए। हिन्दी टंकण प्रतियोगिता में सर्वश्री विजय कुमार श्री वास्तव, युगल किशोर प्रसाद तथा शिवशंकर प्रसाद को क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

पूरे सप्ताह के दौरान हिन्दी में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए शाखाओं में प्रतिनिधित्व की दृष्टि स सर्वश्री जयगोविन्दराम, सुरेन्द्र झा, दिलीप चौधरी, मथुरा प्रसाद साव, शिवलाल भगत, श्रवण कुमार, श्रीमती एस० के० रपाज, सुश्री शिप्रा चट्टोराज, शिव गोविन्द राम, भगत माँझी, रामदेव राम, विनोद कुमार राय, गोपाल उपाध्याय, कुलदीप मिस्त्री, रामापति राम और परशुराम दूबे को भी पुरस्कृत किया गया। पूरे वर्ष तक हिन्दी के कार्यों में विशेष योगदान स्वरूप सर्वश्री काली प्रसाद रजवार, चन्द्रका प्रसाद औरअ वधेश प्रसाद गुप्ता को भी पुरस्कार दिया गया।

पूरे सप्ताह के दौरान हिन्दीं में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री मिस्त्री सिंह, श्री जयप्रकाश झा और श्री वीरेन्द्र प्रसाद केसरी को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार स सम्मानित किया गया तथा अनुभागों में कार्य की उत्कृष्टता एवं मात्रा की दृष्टि स विधि शाखा, यांत्रिक शाखा और परीक्षा शाखा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय शील्ड प्रदान किए गए।

समापन समारोह के अध्यक्ष दैनिक "आवाज" के सम्पादक श्री अह्लादेव सिंह शर्मा ने पुरस्कार वितरण किए। उन्होंने खान सुरक्षा महानिदेशालय में हिन्दी की प्रगति की भूरि-भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि हिन्दी में राष्ट्रभाषा की पूरी गरिमा है और देश की अखंडता तथा एकता को बनाए रखने के लिए सम्पर्क तथा राजभाषा के रूप में इसके प्रचार प्रसार की नितांत आवश्यकता है।

धनबाद जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री सतीश चन्द्र समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि खान सुरक्षा महानिदेशालय भारत सरकार का एक प्रमुख प्रतिष्ठान है। जिसपर देश की सम्पूर्ण खानों में कार्यरत कर्मचारियों की जीवन रक्षा का दायित्व है। पहले यहां के मुख्य खान निरीक्षक अंग्रेज हुआ करते थे आजादी के बाद यह स्थिति बदली और अब अपने ही देश के राष्ट्रभक्त अधिकारी इसके नियंता हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि यह हिन्दी में काम होना शुरू हो गया है। उन्होंने अहिन्दी भाषी मनीषियों और की राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीय भावना और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के पीछे उनके उद्देश्य की विस्तार से चर्चा की तथा यह आशा व्यक्त की कि यह महानिदेशालय उस गरिमा का पालन करता रहेगा।

प्रो० राजेश्वर वर्मा ललित तथा प्रो० श्री नारायण समीर ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए एवं प्रतियोगिता में शामिल होनेवाले सभी प्रतियोगितायों की सराहना की। इस अवसर पर खान उपमहानिदेशक के साथ अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। श्री आनन्द कुमार शर्मा, हिन्दी अधिकारी ने इस महानिदेशालय में हिन्दी के प्रयोग की चर्चा की और सभी आगत अतिथियों एवं समारोह में उपस्थित व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट किया।

46. जोधपुर

ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, राजस्थान परियोजना कार्यालय जोधपुर में दिनांक 13 सितंबर, 1986 को हिन्दी दिवस समारोह बहुत ही प्रभावशाली तरीके से मनाया गया। इस अवरस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित डॉ० इंदिरा जोशी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी), जोधपुर विश्वविद्यालय ने समारोह का उद्घाटन किया। अपने विद्वत्तापूर्ण भाषण में उन्होंने राजभाषा हिन्दी के भाषा-वैज्ञानिक मानदण्डों पर खरे उतरने, उसकी सहजता, सरलता, व्यापक लोकप्रियता और संपूर्ण देश की अखण्डता हेतु संपर्क भाषा के रूप में उपयोगिता पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने श्रोताओं के मानस को झकझोरते हुए अपनी हीन भावनाओं को दूर करने, विदेशी भाषा मुक्ति पाने और अपने व्यक्तित्व को अपनी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी के माध्यम संवारने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित श्री महेन्द्र पाल सिंह, स्नातकोत्तर अध्यापक (हिन्दी), ने अपनी जोशीली वक्तृता द्वारा श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हुए राजभाषा हिन्दी की विशेषताओं ओर देश व देशवासियों के लिए उसके महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। सही अर्थों में स्वाधीनता एवं प्रगति के लिए राजभाषा हिन्दी की उपादेयता पर उन्होंने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। परियोगना प्रबंधक डॉ० अविनाश चन्द्र ने राजभाषा हिन्दी को सरकारी कामकाज में अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग करने के लिए कहा।

हिन्दी-दिवस के इस आयोजन की स्मृति सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस अवसर पर "हिन्दी-प्रगति" शीर्षक एक स्मारिका भी प्रकाशित की गई जिसका विमोचन डॉ० इंदिरा जोशी ने किया। उक्त स्मारिका की सामग्री और कलेवर को आयोजन के सर्वथा उपयुक्त और उच्च स्तरीय बताया व सराहा गया।

इसी अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें कविता-पाठ, गीत-गायन, एकल-अभिनय, प्रहसन एवं हास्य-एकांकी आदि रंगारंग मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। अन्त में कलाकारों और हिन्दी निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित किया गया।

46. जयपुर (दूरसंचार)

हर वर्ष की भांति वर्ष 1986 में हिन्दी सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया। यह महाप्रबन्धक दूरसंचार एवं जिला प्रबन्धक कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। दूरसंचार निदेशालय के आदेशानुसार इसे मनाए जाने का निर्णय दोनों कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिया गया। हिन्दी सप्ताह के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया और सप्ताह के दौरान सभी कार्य दिवसों में विभिन्न कार्यक्रम यथा संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, प्रतियोगिताएँ तथा सांस्कृतिक कायक्रम आयोजित करवाए जाने का निर्णय लिया गया। महाप्रबन्धक दूरसंचार ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किए जाने के लिए एक मार्मिक अपील जारी की। तारीख वार आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

दिनांक 15 सितम्बर 86 को दूरसंचार कार्यालय परिसर स्थित मनोरंजन क्लब में एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें हिन्दी में कार्य करने के दौरान आने वाली कठिनाइयों व उनके सामाधान विषय पर चर्चा की गई। चर्चा पूर्व श्री जगतप्रकाश गर्ग, महाप्रबन्धक दूरसंचार, श्री प्रेमनाथ उप्पल, अपर महाप्रबन्धक दूरसंचार, श्री जुगलकिशोर गुप्ता-उप महाप्रबन्धक दूरसंचार एवं श्री सी. एम. गुप्ता, निदेशक दूरसंचार ने सारगर्भित विचार व्यक्त किए। सभी ने हिन्दी में कार्य करने की पुरजोर अपील कीं तथा बताया कि हिन्दी में काम करना सरल है। विभाग सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्यशाला आयोजन की व्यवस्था कर रहा है तथा संदर्भ-साहित्य उपलब्ध करा रहा है। कर्मचारियों के लिए कई प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाएं लागू की गई है। इसमें सभी से भाग लेने की अपील की गई। कर्मचारियों द्वारा व्यक्त कठिनाइयों का समाधान हिन्दी अधिकारी श्री शिवसिंह भदौरिया ने नियमों का उल्लेख कर दिया तथा हिन्दी में कार्य करने के लिए आहवान किया। इस गोष्ठी की सफलता की अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा भविष्य में ऐसी संगोष्ठियों के आयोजन का सुझाव दिया। महा-प्रबन्धक महोदय ने हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा देने वाले प्रत्येक कार्यक्रम के सफल आयोजन का आश्वासन दिया। कार्यालय द्वारा प्रशासनिक व तकनीकी शब्दावली तैयार करने का आदेश हिन्दी अधिकारी आदि को दिया।

दिनांक 16 सितम्बर को मुहर्रम का अवकाश रहा। अतः कार्यक्रम आयोजित नहीं करवाए गए।

दिनांक 17 सितम्बर को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें महाप्रबन्धक दूरसंचार कार्यालय तथा जिला प्रबन्धक टेलीफोन कार्यालय एवं अन्य सम्बद्ध कार्यालय के कर्मचारियों ने काफी संख्या में भाग लिया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

सायंकाल 2 बजे से 3 बजे तक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका विषय "संवैधानिक मान्यता के बावजूद भी सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का यथष्ट प्रयोग नहीं होने के कारण व सुझाव" था। इसमें लगभग 38 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए गए। जिला प्रबन्धक टेलीफोन कार्यालय का कोई भी प्रतियोगी इस प्रातयोगिता में स्थान नहीं पा सका।

सायंकाल 3.30 बजे से 4.30 तक टिप्पण, प्रारूप लेखन एवं अनुवाद प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। इसमें सभी कार्यालय के लगभग 36 कर्मचारियों ने भाग लिया। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन श्री सुखजीलाल मीणा, हिन्दी अधिकारी (हि. वि. सेवा), जयपुर टेलीफोन ने किया। इसमें इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे।

1. श्री रामगोपाल गुप्ता	प्रथम
2. श्री रामकिशोर राय	द्वितीय
3. श्री राजकुमार जोशी	तृतीय

उसी दिन 5 बजे श्रुतिलेख प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई गई जिसमें लगभग 30 कर्मचारियों ने भाग लिया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन श्री प्रेमनारायण माथुर सहायक निदेश कार्यालय महाप्रबन्धक दूरसंचार जयपुर ने किया। इसमें इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पां रहे :—

1. श्री सत्यप्रकाश अंगिरस	प्रथम
2. श्री राजकुमार जोशी	द्वितीय
3. श्री एस. एन. गुप्ता	तृतीय

दिनांक 18 सितम्बर 86 को जिला प्रबन्धक टेलीफोन कार्यालय परिसर स्थित फैडरेशन हॉल में एक विचार-गोष्ठी आयोजित को गई जिसका विषय "राजभाषा हिन्दी और हमारा दायित्व" था। इसमें जयपुर नगर के तथा दिल्ली के विद्वानों को आमंत्रित किया गया।

आयकर आयुक्त (अपील) डा० ओंकारनाथ त्रिपाठी ने कहा कि हिन्दी को जब तक जन आंदोलन से नहीं जोड़ा जाएगा, तब-तक इसकी प्रगति में शंका है। उन्होंने कहा कि हिन्दी राज्याश्रय में नहीं बल्कि जनता के संघर्षों में पली है।

मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री मुश्ताक अहमद "राकेश" ने कहा कि हिन्दी उन शहीद आत्माओं की विरासत है जो देश की एकता व अखण्डता के लिए तिल-तिलकर जीवन होम गए।

कन्नड विद्वान श्री पी. सदाशिव भट ने अंग्रेजी गुण अपनाने और विद्यालयी पाठ्यक्रमों में प्रांतीय चरित्रों के समावेश का सुझाव दिया।

कुमारी शमीम अख्तर, उप जिलाधीश जयपुर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी केवल हिन्दुओं की ही नहीं अपितु सभी भारतवासियों कीभाषा है। उसे अनुवाद क्लिष्ट नहीं अपितु सरल बनाया जाना चाहिए।

डा० नरेन्द्र व्यास, सदस्य सलाहकार समिति जन संसाधन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने अपने महत्वपूर्ण भाषण में कहा कि हिन्दी संविधान के तहत जनता पर उसकी सुविधा के लिए लागू की गई है। अतः उसे राष्ट्र की एकता के लिए स्वीकारा जाना चाहिए।

भाषा विभाग के निदेशक डा० कलानाथ शास्त्री ने सुझाव दिया कि भाषा को क्लिष्टता से बचा जाए। यदि अंग्रेजी के सही पर्याय न मिल पाएं तो अंग्रेजी शब्दों को अपनाने में परहेज न किया जाए हिन्दी को गंगा बनाएं ताकि सभी भाषाई नाले इसमें समा जाए।

महाप्रबन्धक दूरसंचार श्री जगतप्रकाश गर्ग ने विभाग में हुई प्रगति तु अवगत कराया। जिला प्रबन्धक श्री पृथीपाल सिंह ने सभी आमंत्रित विद्वानों का स्वागत किया तथा श्री जुगलकिशोर गुप्ता, उपमहाप्रबन्धक दूरसचार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

दिनांक 19 सितम्बर 86 को महाप्रबन्धक दूरसंचार व जिला प्रबन्धक टेलीफोन जयपुर कार्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। जिसमें एक लघु नाटक व अन्य रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ये कार्यक्रम जयपुर टेलीफोन के कर्मचारियों एवं उनके बालक-बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरान्त मुख्य अतिथि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आर० पी० अग्रवाल के कर-कमलों से विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरण कर सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि ने हिन्दी सप्ताह आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला।

जिला प्रबन्धक टेलीफोन ने कार्यालय में हुई हिन्दी प्रगति एवं सप्ताह भर में आयोजित कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला और सप्ताह समापन की घोषणा की। इसअवसर पर महाप्रबन्धक दूरसंचार एवं उप महाप्रबन्धक दूरसंचार ने भी अपने बहुमूल्य विचारों से उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया। हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों को जयपुर नगर के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया।

48. जयपुर (सैंट्रल बैंक)

सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर द्वारा 15 से 20 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस उपलक्ष में निम्नांकित प्रतियोगिता आयोजित की गई :

1. हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता, 1986
2. हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, 1986
3. आपके विचार आपका सुलेख प्रतियोगिता, 1986

इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों के विशेष रूचि एवं उत्साह प्रदर्शित किया। प्रतियोगिताओं का परिणाम इस प्रकार रहा :—

1. हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता :

प्रथम—श्री बी रबल सिंह, मुख्य खजांची
द्वितीय—श्री बिहारी लाल नाटाणी, उपलेखाकार
तृतीय—श्री सुनील गुप्ता, लिपिक

2. हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता :

प्रथम—श्री योगेश कुमार, अरोडा, विशिष्ट सहायक
द्वितीय—श्री आर० पी० गुप्ता, उपलेखाकार
तृतीय—श्री मदन मोहन कालुडिया, लिपिक

49. जयपुर (महालेखाकार कार्यालय)

दिनांक 17 सितम्बर 1986 को 2.30 बज अपराह्न महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और महालेखाकार (लेखा व हक) के कार्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉ० ओंकारनाथ त्रिपाठी, आयकर आयुक्त (अपील्स) ने की। श्रीमान हीरालाल इन्दौरा, वित्त राज्य मंत्री (कारागार एवं उद्योग) मुख्य अतिथि थे तथा श्री युगल किशोर चतुर्वेदी, सदस्य केन्द्रीय हिन्दी समिति, विशिष्ट अतिथि थे।

डॉ० ओंकार नाथ त्रिपाठी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिन्दी तो ब्रह्म के समान सर्वत्र व्याप्त है, आवश्यकता है केवल उसके चिरन्तन उपयोग की। उन्होंने कहा कि हिन्दी के विकास के बिना हमारी स्वतन्त्रता अधूरी है। हिन्दी दिवस मनाने का अर्थ है, हिन्दी के प्रचार-प्रसार में बाधक अड़चनों का अवलोकन व निरीक्षण। उन्होंने मंत्री महोदय के समक्ष यह सुझाव दिया कि हमें अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की सद्भावना यात्रा करनी चाहिए तथा उनको महसूस होने वाली अड़चनों को समझने व दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

मुख्य अतिथि, राज्यमंत्री श्री हीरालालजी इन्दौरा ने अपने भाषण में कहा कि हिन्दी ने आज़ादी के बाद जैसे तो प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में विकास किया है किंतु यह हमारी प्रमंख भाषा तभी बन पाएगी जबकि उसका दैनिक कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग किया जायेगा। गौरव की बात तो यह है कि दक्षिण में भी आज हिन्दी अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हिन्दी बोलने वालों को हीन दृष्टि से देखा जाना त्यागना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर कहीं हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में बोलना संक्षिप्त व मीठा लगे तो ऐसा बोलने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि हमारे केन्द्रीय कार्यालयों में भी अधिक से अधिक काम हिन्दी में हो रहा है।

विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए स्वतन्त्रता सेनानी व वयोवृद्ध पत्रकार पं० युगल किशोर चतुर्वेदी ने कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्वतंत्रता के चार मुख्य संबोधक होते हैं :—राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय मुद्रा और राष्ट्रीय भाषा। हिन्दी को 14 दिसम्बर 1949 को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। उहोने बताया कि हिन्दी को राष्ट्र-भाषा का दर्जा देने में अधिक योग था अहिन्दी भाषी लोगों का, जैसे कि महात्मा गांधी व गोपाल स्वामी आयंगार। इसलिए आज यह कहना कि हिन्दी किसी पर थोपी जा रही है, गलत है। उन्होंने आगे कहा कि हम हिन्दी को अपनाकर ही अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं तथा उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि जब दूसरे देशों के लोग अपनी

भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम क्यों नहीं अपनी भाषा अपनाते और क्यों नहीं अपनी भाषा के उपयोग के प्रति अपनी हीन भावना त्यागते।

हिन्दी के मर्मज्ञ विद्वान् डॉ० कलानाथ शास्त्री, निदेशक, राजभाषा विभाग, राजस्थान ने कहा कि हमें हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए ताकि आग आने वाली पीढ़ी को स्वत: ही हिन्दी का निर्मित पथ मिले। उन्होंने कहा कि कठिन हिन्दी के बजाए सरल अंग्रेजी में बोलना हिन्दी का अपमान नहीं, वरन् यह जो अंग्रजी को हिन्दी में आत्मसात करना है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि तुलसी की साहित्यिक रचनाओं तक में फारसी के शब्द गुंथ हुए मिलते हैं।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा व महालेखाकार (लेखा व हक) के कार्यालयों द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका "घूमर" के पांचवें, छठे एवं सातवें अंक के श्रेष्ठ रचनाकारों को मुख्य अतिथि महोदय इन्दौराजी ने पुरस्कार वितरित किये। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल बसन्त राव पाटिल, तथा स्वतंत्रता सेनानी व राजस्व मंडल के भूतपूर्व सदस्य श्री देवीशंकर तिवाड़ी से प्राप्त शुभ संदेश पढ़े गये। उल्लेखनीय है कि इस समारोह में नगर राज भाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।

समारोह के अंत में श्री बी० जे० देसाई, महालेखाकार (लेखा-(परीक्षा) ने सभी माननीय अतिथियों का समारोह में पधारने के लिए व उन महानुभावों का जिन्होंने समारोह की सफलता के लिए शुभ संदेश भेजे थे, आभार प्रकट किया। उन्होंने कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने समारोह को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दिया।

50. जालंधर

दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर में दिनांक 18-9-86 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन कार्यालयाध्यक्ष श्री नेत्रसिंह रावत ने किया तथा इसकी अध्यक्षता दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर के उपनिदेशक (प्रशासन) श्री टी० एस० वेंकटेसन ने की। इस समारोह में मुख्य अतिथि थे डॉ० सेवासिंह, प्राध्यापक, यूनिवर्सिटी ई वनिंग कालेज, जालन्धर, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे डॉ० हरमोहिन्द्र सिंह बेदी, रीडर, हिन्दी विभाग, गुरू नानक देव युनिवर्सिटी, अमृतसर तथा समारोह के संचालक थे श्री बलविन्दर अत्री, सहायक समाचार सम्पादक। इस अवसर पर दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर की विभिन्न शाखाओं से काफ़ी मात्रा में अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।

सर्वप्रथम, केन्द्र अभियन्ता श्री एस० आर० हीर ने मुख्य अतिथि तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों का स्वागत किया। तत्पश्चात् कार्यालयाध्यक्ष श्री नेत्रसिंह रावत द्वारा समारोह का उद्घाटन किया गया और उन्होंने इस अवसर पर "हिन्दी दिवस अपील" जारी की। सब से पहले उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि इस हिन्दी दिवस समारोह की अध्यक्षता एक अहिन्दी भाषी क्षेत्र से आए अधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने दूरदर्शन में राजभाषा के प्रयोग पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि दूरदर्शन में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हिंदी में काफ़ी कार्य हो रहा है तथा स्टाफ आदि से संबंधित यदि अन्य अपेक्षित सुविधाएं मिल जाएं तो निश्चय ही इस कार्य में और अधिक तेज़ी लाई जा सकती है देश के एकीकरण में हिन्दी के महत्व पर बल देते हुए उनका यह कहना विशेष उल्लेखनीय है कि देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तो बहुत सी बातें हैं परन्तु हिन्दी एक ऐसा सूत्र है जो देश को जोड़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है। सभी भारतीय भाषाओं के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाने की महत्ता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यदि हिन्दी भाषी लोग अन्य भाषाओं के प्रति व्यवहारिक रवैया अपनाएं तो कोई कारण नहीं कि अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी के प्रति कोई दुराभाव रखें।

मुख्य अतिथि के रूप में डॉ० सेवा सिंह ने हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि हिन्दी हमारे संघर्ष की भाषा है, हमारे जन-सामान्य की भाषा है, अत: हम सब का कर्तव्य है कि अपनी राष्ट्रीय भाषा का सम्मान करें तथा इसकी प्रगति के लिए अपना सक्रिय योगदान दें। उनका कहना था कि हमें भाषणों की बजाए सम्वाद पर बल देना चाहिए क्योंकि हिन्दी की प्रगति सरकारी आदेशों अथवा भाषणों द्वारा नहीं हो सकती। भाषा का सम्बन्ध देश की चेतना तथा देश की संस्कृति से जोड़ते हुए उन्होंने पूछा कि क्या हम क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय संस्कृति को लेकर राष्ट्रीय संस्कृति को उपर उठा सकते हैं। उनके विचार में इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण करना होगा और यह तभी हो सकता है यदि हमारी दृष्टि राष्ट्रीय भाषा पर पड़े।

डॉ० हरमोहिन्द्र सिंह बेदी ने अपने सम्बोधन में हिन्दी दिवस के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि हमें हिन्दी दिवस 14 सितम्बर को ही नहीं अपितु वर्ष भर मनाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रभाषा की प्रगति में पंजाब के योगदान पर प्रकाश डालते हुए पंजाबी को हिन्दी की छोटी बहन बताया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री टी० एस० वेंकटेसन ने उन्हें इस समारोह की अध्यक्षता करने का अवसर देने के लिए अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने कर्मचारियों को याद दिलाया कि हिन्दी सीखने तथा हिन्दी में काम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कार तथा प्रोत्साहन दिए जाते हैं, अत: कर्मारियों को इनका लाभ उठाते हुए अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करना चाहिए।

समारोह के अन्त में केन्द्र के हिन्दी अधिकारी श्री विश्व मित्र धीर ने दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर में राजभाषा संबंधी गत वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों से सभी को अवगत कराया। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि शीघ्र ही इस केन्द्र पर हिन्दी निबन्ध तथा हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगितायें आयोजित करने का प्रस्ताव हैं। इसके लिए महानिदेशालय से संगत दिशा-निर्देश भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

चाय-पान के पश्चात सहायक केन्द्र निदेशक श्री इन्द्रजीत निराला द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए समारोह सम्पन्न हुआ।

हिन्दी कार्यशाला

इस केन्द्र पर कर्मचारियों को टिप्पण, आलेखन तथा पत्र-व्यवहार में सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए दिनांक 23-9-1986 से 27-9-1986 तक चतुर्थ हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें केन्द्र के विभिन्न भागों से आठ कर्मचारियों ने भाग लिया । कर्मचारियों को प्रशिक्षण केन्द्र के हिन्दी अधिकारी श्री विश्व मित्र धीर द्वारा दिया गया । कार्यशाला के समापन दिवस पर इन सभी कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र दिए गए । इस समारोह की अध्यक्षता भी श्री टी० एस० वेंकटेशन, उपनिदेशक (प्रशासन) ने की तथा उन्होंने कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए । इसी अवसर पर केन्द्र के जिन कर्मचारियों ने वर्ष 1985 में हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ तथा हिन्दी टाइपिंग की परीक्षाएं पास कीं उन्हें भी प्रमाण-पत्र दिए गए । प्रमाण-पत्र के साथ साथ सभी कर्मचारियों को केन्द्र की ओर से पुरस्कार के रूप में एक-एक जॉटर पैन भी दिया गया । कार्यालयाध्यक्ष श्री नेत्रसिंह रावल ने प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए राजभाषा कार्य में अपना योगदान देंगे । अब तक आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं का ब्यौरा देते हुए हिन्दी अधिकारी ने बताया कि इन चार कार्यशालाओं में केन्द्र के 49 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी कार्यशालाओं में इस केन्द्र के कर्मचारी इसी प्रकार उत्साह दिखाते रहेंगे । इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए चाय-पान का प्रबन्ध भी किया गया । अन्त में हिन्दी अधिकारी द्वारा सभी को धन्यवाद देते हुए समारोह का समापन हुआ ।

विश्वमित्र धार
हिन्दी अधिकारी

51. रोहतक

केन्द्रीय कार्यालय रोहतक में दिनांक 8 सितम्बर से 13 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । इस सप्ताह के दौरान हिन्दी में दिए गए उल्लेखणीय कार्यों की झलक इस प्रकार हैं :—

— सभी परिपत्र/कार्यालय आदेश द्विभाषी या केवल हिन्दी में निकाले गए ।

— "क" एवं "अ" क्षेत्र को भेजे गए सभी लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे गए । इस संदर्भ में हमें सूचित करना है कि उपरोक्त दोनों मदों का यहां पहले से ही अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

— तार भी हिन्दी में काफी संख्या में भेजे गए

— सांख्यिकी विभाग एवं स्थापना विभाग द्वारा शत प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया गया ।

— हिन्दी पत्राचार/हिन्दी कार्य में वृद्धि करने के लिए विभिन्न मानक प्रपत्र/पत्र प्ररूप/फार्म केवल हिन्दी में जारी किये गये । इनके प्रारूप इसके साथ सलंग्न किए जा रहे हैं ।

— इस उपलक्ष्य में कपड़े के ध्वज पट्ट (बैनर) क्षेत्रीय कार्यालय, दोनों स्थानीय शाखाओं एवं विस्तार पटलों पर लगवाये गये ।

— राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के परिसर में चार महापुरुषों की उक्तियां हार्डबोर्ड पर नवा कर लगवाई गई ।

इसके अतिरिक्त हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 11-9-86 को अपराह्न 3-30 बजे एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय (मुख्यालय) एव दोनों स्थानीय शाखाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढचढ कर भाग लिया । इस अवसर पर जुलाई से दिसम्बर 1985 को समाप्त अवधि हेतु हिन्दी में सर्वोत्तम काम करने के लिए प्रशंसा पत्र प्राप्ति योजना के अन्तर्गत श्री सुदर्शन कुमार, शाखा कार्यालय, बहादुरगढ़ को केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र/प्रशंसा-पत्र प्रदान किया गया । समारोह की रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :—

क्षेत्रीय कार्यालय रोहतक में कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 11 सितम्बर 1986 को अपराह्न 3-30 बजे हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में (रंगारंग कार्यक्रम) का आयोजन किया गया । उक्त समारोह की अध्यक्षता श्री पी० आर० रैना, क्षेत्रीय प्रबंधक (स्थानापन्न) ने की ।

सर्वप्रथम श्री के० एल० पहूजा, राजभाषा अधिकारी ने समारोह में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर अपने विचार व्यक्त किये । उन्होंने हिन्दी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और विस्तार से राजभाषा नीति स्पष्ट की । उन्होंने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से रोजमर्रा का काम सरल तथा सुबोध हिन्दी में करने का अनुरोध किया । उन्होंने उस बात को दबाव देकर कहा कि केवल राजभाषा अधिकारी के प्रयास से हिन्दी आनी सम्भव नहीं है बल्कि इसके लिए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सामुहिक प्रयास करने होंगे तभी इसका अधिकतम सीमा तक कार्यान्वयन किया जा सकता है । श्री पहूजा ने कहा ऐसे समारोहों को आयोजित किए जाने के पीछ एक ही उद्देश्य होता है कि राजभाषा का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो ताकि कर्मचारियों में इसके प्रयोग करने में रूचि बढ़े । उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय एवं समस्त शाखाओं में हिन्दी में सम्पन्न होने वाले कार्यालयों का विवरण प्रस्तुत किया ।

श्री डी० के० मैनी, शाखा प्रबन्धक, सिविल रोड़, रोहतक ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है अतः हमें इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए ।

श्री चम्बा राम अरोड़ा, शाखा प्रबन्धक, माडल टाऊन रोहतक, जिन्होंने अभी हाल ही में यहां कार्यभार ग्रहण किया है कहा कि हिन्दी एक विशाल भाषा है और सरलता एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से कोई भी भाषा इसके सम्मुख ठहर नहीं सकती । उन्होंने राजभाषा के समृद्ध शब्द भण्डार एवं इसकी महानता का उल्लेख किया ।

कुमारी नरेश सिन्धवानी, जो कि कार्मिक विभाग में कार्यरत हैं ने हिन्दी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि यह दिवस 14 सितम्बर को क्यों मनाया जाता है। कुमारी सिन्धवानी ने कहा कि हमें इस अवसर पर यह शपथ लेनी चाहिए कि हम अपना सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करेंगे ।

श्री राजकुमार राजपाल उपलेखाकार ऋण विभाग ने कहा कि क्योंकि हम काफी समय पराधीन रहे हैं इसलिए हम अंग्रेजी की गिरफ्त में इतना जकड़े हुए हैं कि इसका मोह छोड़ नहीं पा रहे । उन्होंने कहा कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि जितने अच्छे विचार हम अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकते हैं उतने किसी और भाषा में नहीं । अतः हमें इस अवसर पर यह कहना चाहिए कि हम अपनी मातृ-भाषा का हीं प्रयोग करेंगे तभी इस दिवस को आयोजित किए जाने का औचित्य है ।

कुमारी विनोद मिगलानी, सांख्यिकी विभाग क्षेत्रीय कार्यालय रोहतक ने कहा कि आप स्वयं ही सोचे कि हमारे में से कितने कर्मचारी अधिकारी "कान्वेन्ट एजुकेटिड" हैं । शायद कोई नहीं । अगर कोई एक आध है तो भी मैट्रिक तक हर जगह हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई ही जाती है । तो मातृभाषा से ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों । मैं रोजाना की दिनचर्या में यह देखती हूं कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अंग्रेजी नहीं बोलता । वह सारा दिन हिन्दी बोलता है फिर कार्यालय के कार्य में हिन्दी का प्रयोग क्यों नहीं करता । अतः हम सबको इस समारोह से यह लेकर जाना चाहिए कि कल से हम कार्यालय के कार्य में हिन्दी का प्रयोग करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि इसका सफलता पूर्वक आयोजन किया गया ।

इसके पश्चात एक (रंगारंग कार्यक्रम) का आयोजन किया गया जिसमें श्री सुभाष चन्द्र छाबड़ा, श्री रामगोपाल, श्री अशोक मग्गु, श्री अविनाशी लाल चावला, श्री सतबीर सिंह, श्री सुदर्शन कुमार, श्री शिवचरण गुप्ता, कुमार दीपक एवं कुमारी रीतु ने अपनी सरल रचनाओं द्वारा सभी का मन मोह लिया ।

कुमारी आशा डंग, वसूली विभाग ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपनी मातृभाषा में विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं । अतः हमें इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए ।

श्री एन० के० कपिल, उपमुख्य अधिकारी, (परिचालन विभाग) ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि जब हम बैंक में आए थे तब हिन्दी नहीं थी । अगर अब जैसा प्रचार उस समय हिन्दी में होता तो हमें अब प्रयोग करने में इतनी कठिनाई न होती ।

श्री बी० के० धीर, उपमुख्य अधिकारी (ग्रामीण विकास) ने कहा कि अगर सरकार इस सम्बन्ध में सख्त निर्देश जारी करे तो इसका कार्यान्वयन शीघ्र हो पाएगा । उन्हों ने पंजाब सरकार का उदाहरण भी दिया कि वहां पंजाबी ही मुख्य भाषा है और सभी कार्यालयों में प्रयुक्त की जाती हैं । उन्होंने कहा कि हमने अपने सभी कृषि वित्त अधिकारियों/कृषि सहायकों को यह निर्देश दिए हैं कि वह केवल हिन्दी का ही प्रयोग करें ।

श्री ईश कुमार मल्होत्रा, लेखाकार, शाखा कार्यालय माडल टाउन रोहतक ने कहा कि हम अपनी शाखा में हिन्दी का अधिकतर प्रयोग कर रहे हैं और सभी सहायक बहियां लैजर हिन्दी में लिख रहे हैं । उन्होंने कहा कि हमारी शाखा के कर्मचारी भी अब हिन्दी में रुचि ले रहे हैं और हम उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं ।

इसके पश्चात माननीय श्री पी० आर० रैना द्वारा केन्द्रीय कार्यालय द्वारा प्रारम्भ की गई प्रशस्ति पत्र प्राप्ति योजना के अन्तर्गत जुलाई से दिसम्बर, 1985 को समाप्त अवधि हेतु हिन्दी में सर्वोत्तम काम करने के लिए शाखा कार्यालय बहादुरगढ़ के श्री सुदर्शन कुमार को केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त प्रशंसा पत्र/प्रमाणपत्र प्रदान किया गया ।

श्री सुदर्शन कुमार के इस अवसर पर बताया कि यद्यपि वह विज्ञान के छात्र रहे हैं लेकिन हिन्दी के प्रयोग में अब वह इतना अभ्यस्त हो चुके हैं कि अब अंग्रेजी को प्रयोग करने में उन्हें कठिनाई अनुभव होती हैं । उन्होंने कहा कि अगर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इसमें रूचि ली जाए तो राजभाषा का अधिकतम सीमा तक कार्यान्वयन किया जा सकता है । उन्होंने एक सरल रचना भी पढ़ी जिसने सभी कर्मचारियों को मंत्र मुग्ध कर दिया ।

अन्त में अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री पी० आर० रैना, क्षेत्रीय प्रबन्धक (स्थानापन्न) ने कर्मचारियों से बैंक के कार्य में हिन्दी का अधिकाधिक उपयोग करने का आग्रह किया एवं अपने अमूल्य अनुभव व सुझावों से अवगत कराया । अध्यक्ष महोदय ने श्री सुदर्शन कुमार को हिन्दी में सर्वोत्तम काम करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय से प्रशंसा पत्र मिलने पर बधाई दी । उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे क्षेत्र में पूरे चण्डीगढ़ अचंल से अधिक कार्य हिन्दी में किया जा रहा है । द्वितीय आचंलिक हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में तीनों पुरस्कार हमारे क्षेत्र को मिले हैं, इस पर उन्होंने सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को बधाई दी और उनसे अनुरोध किया कि वे केन्द्रीय कार्यालय/आचंलिक कार्यालय द्वारा समय-2 पर अयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़चढ़ कर भाग लें और हमारे "क्षेत्र" का नाम रौशन करें । उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि राजभाषा के प्रचार प्रसार का बीड़ा यहां के वरिष्ठ अधिकारियों को उठाना होगा । उन्हें चाहिए कि वह अपने प्रभागों में कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिये प्रोत्साहित करें । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषा अधिकारी तैनात है लेकिन केवल राजभाषा अधिकारी के प्रयासों से राजभाषा का प्रयोग सम्भव नहीं है बल्कि इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे । अतः आप सबको चाहिए कि जितना हो सके राजभाषा हिन्दी में कार्य करें । अगर आप एक बार हिन्दी में काम करना प्रारम्भ कर दें तो मेरे ख्याल से कोई कठिनाई नहीं आयेगी । मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आप आसान हिन्दी का प्रयोग करें, जो आपके मन में शब्द आते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, शब्दों के लिए अटके न ।

उपर्युक्त कार्यक्रम का संचालन श्री के० एल० पहूजा, राजभाषा अधिकारी ने किया । अन्त में श्री पहूजा ने समारोह में उपस्थित

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और जलपान के साथ समारोह की कार्यवाही समाप्त हो गई ।

52. चंडीगढ़ (अनुसंधान तथा विकास संगठन)

पिछले वर्ष की भांति वर्ष 1985–86 में हिन्दी सप्ताह समारोह आयोजित किया गया । इस समारोह के आयोजन के लिए नीचे लिखी प्रतियोगिताएं सम्पन्न कराई गईं :—

1. निबन्ध लेखन प्रतियोगिता
2. प्रारुप और टिप्पण लेखन प्रतियोगिता
3. कविता पाठ प्रतियोगिता
4. भाषण प्रतियोगिता

उपरोक्त प्रतियोगिता में क्रमशः 23, 12, 14 व 6 व्यक्तियों ने भाग लिया । प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों में अधिकारीगण प्रशासकीय, वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित सभी वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित हुए । इस वर्ष के समारोह की विशेष बात यह रही कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगिओं, निर्णायक मण्डल के सदस्यों, सरकारी कामकाज में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अन्य व्यक्तियों, सभी को विभिन्न पुरस्कार प्रदान कर के उत्साहित किया गया है । पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से सम्पन्न किया गया । इस समारोह की अध्यक्षता एयर कोमोडोर एस० के० सेन, निदेशक, चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला ने की । कुमारी कुसुमलता मित्तल, सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।

श्रीमती एयर कोमोडोर, एल० के० सेन ने अपने कर कमलों से पुरस्कार वितरित करके विभिन्न प्रतियोगियों व सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रचार प्रसार से सम्बन्धित व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्राचीन कला केन्द्र तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार विभाग के सौजन्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

अपने उद्घाटन भाषण में एयर कोमोडोर एन० के० सेन, निदेशक, चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला ने, राजभाषा पर सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया । उन्होंने अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करने पर बल देते हुए कहा कि वह कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए सभी साधक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ।

श्री एस० एल० कोहली, सहायक निदेशक, अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ने अपने स्वागत भाषण में, इस प्रयोगशाला में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग की स्थिति की चर्चा करते हुए यह आश्वासन दिया कि इस विषय में उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए न कोई और कसर छोड़ी गई है और न ही छोड़ी जाएंगी ।

कुमारी कुसुम लता मित्तल, मुख्य अतिथि, ने प्रमुख रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य से सम्बन्धित अनुसंधान प्रयोगशाला में राजभाषा के सम्बन्ध में हमारी गतिविधियों पर हर्ष प्रकट करते करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को राजभाषा में काम करते हुए हिचकिचाना नहीं चाहिए । उन्होंने कहा कि आज स्वैच्छा पूर्वक राजभाषा को अपनाने की आवश्यकता है । उन्होंने सरल सहज भाषा का, जो हर व्यक्ति समझ सके, प्रयोग करने पर बल दिया ।

53. लखनऊ (भारतीय गैस प्राधिकरण)

गैस अथारिटी इण्डिया लिमिटेड (गैस) ने लखनऊ स्थित कार्यालय में पहली बार हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया जो कि 23 सितम्बर से 30 सितम्बर, 1986 तक जारी रहा । सप्ताह का उद्घाटन 23 सितम्बर को अथारिटी के विकास दीप, ब-22, स्टेशन रोड, लखनऊ स्थित कार्यालय में श्री भक्तदर्शन उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने दीप प्रज्वलित कर किया । इस अवसर पर राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में कठिनाईयां और उनका समाधान" विषय की संगोष्ठी में बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित श्री योगेश दयालु भूतपूर्व आई० ए० एस० तथा उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के निदेशक डा० प्रयाग दत्त चतुर्वेदी ने भाग लिया ।

अपने स्वागत सम्बोधन में अथारिटी के उप महाप्रबन्धक श्री बी० लाल ने हिन्दी भाषा के प्रयोग में हुई प्राप्ति पर प्रकाश डाला और बताया कि एन० बी० जे० गस पाइप लाइन के सम्बन्ध में जब अंग्रेजी भाषी विदेशी विशेषज्ञों से सम्पर्क स्थापित होता है तब इस बात का आभास होता है कि हमें भी अपनी भाषा एवं राजभाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि विदेशी विशेषज्ञ सदैव ही अपनी भाषा में बातचीत करना पसंद करते हैं । तथा वह अंग्रेजी माध्यम को पसन्द नहीं करते हैं ।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री भक्त दर्शन ने कहा कि हिन्दी के विकास की बात करना तो हमारा अधिकार है परन्तु ऐसा करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज भाषा के रूप में केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों की ही हिन्दी को बढ़ावा न मिले बल्कि देवनागरी लिपीमें लिखी गई उस हिन्दी को प्रोत्साहन मिले जिसमें अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओ का समावेश भी हो । इसी भावना को लेकर हिन्दो को राज भाषा के रूप में अपनाया गया है ।

उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के निदेशक डा० प्रयाग दत्त चतुर्वेदी ने कहा कि आज हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जो लोग इस बात का बहाना बनाकर कि हिन्दी अधिक कठिन भाषा है इसके प्रयोग से कतराते हैं उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि जब वह अंग्रेजी भाषा के लम्बे लम्बे एवं उच्चारण में कठिन शब्दों को कंठस्थ कर सकते हैं तो क्यों नहीं वह हिन्दी के सरल शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं । क्या यह बात हमारी विकार ग्रस्त मानसिकता का परिचायक नहीं है । डा० चतुर्वेदी ने दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में हिन्दी सप्ताह को लेकर चल रही प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि यद्यपि समस्त दक्षिण भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है परन्तु हर क्षेत्र में राजनीति का दखल होने के कारण भाषाओं का भी राजनीतिकरण हो गया है । डा० चतुर्वेदी ने

कहा कि वास्तव में यह प्रतिक्रिया राजनीतिक है ना कि हिन्दी विरोधी ।

सुविख्यात हिन्दी सेवक श्री योगेश दयालु, आई०ए०एस० (रिटायर्ड) ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को वास्तविक रुप में न अपनाया जाना हमारी मानसिक दास्ता एवं विकार ग्रस्त मानसिकता का प्रतीक है । श्री दयालु ने ने कहा कि यद्यपि हिन्दी का विकास किसी अन्य भाषा को समाप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है । परन्तु इसे सबसे अधिक प्राथमिकता दो जानी चाहिए क्योंकि हिन्दी हमारी पहचान है ।

संगोष्ठी में बड़ी संख्या में अन्य प्रान्तों से आए कर्मचारियों ने जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश एवं केरल, हिन्दी के प्रयोग में आने वाली समस्याओं पर विचार किया। इन सभी ने हिन्दी के प्रयोग में अभूतपूर्व रुचि का प्रदर्शन किया ।

एक सप्ताह तक चलने वाले इन कार्यक्रमों को कुछ इस प्रकार से संयोजित किया गया है कि रोचक माध्यमों से राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग की ओर कर्मचारियों को आकृष्ट किया जा सके । वादविवाद प्रतियोगिता, सुलेख एवं रचनात्मक लेखक तियोगिता, क्षणिकायें, के अतिरिक्त हिन्दी में ही सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया जा रहा है ।

54. लखनऊ (टेलिफोन्स)

लखनऊ टेलीफोन जिले में 15–9–86 से 20–9–86 तक हिन्दी सप्ताह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया । सरकारी काम-काज में हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु इस अवधि में व्याख्यानमाला, टिप्पण आलेखन एवं निबंध प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी आदि विभिन्न कार्यक्रमों का सकल आयोजन किया गया । दिनांक 17-9-86 को एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया जिसका विषय था —"निज भाषा उन्नति है तब उन्नति को मूल" । इसका शुभारम्भ मा सरस्वती के पूजन एवं वंदना से हुआ । जिला प्रबन्धक श्री अशोक कुमार गुप्त ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा "या वीणा वरदण्ड मंडित करा" के श्लोक से माँ सरस्वती की वंदना की गई। इसके बाद मुख्य टेलीफोन केन्द्र की परिचालिकाओं ने हार्मोनियम एवं तबला की तार पर महाकवि निराला द्वारा रचित "वरदे बीणा वादिन वरदे" की मधुर ध्वनि में वंदना गीत प्रस्तुत किया और श्रोताओं को भावविभोर कर दिया ।

सरस्वती वंदना के बाद व्याख्यानमाला प्रारम्भ हुई । जिसमें अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मातृभाषा की उन्नति हेतु तनमन-धन से योगदान करने के संकल्प को दोहराया। प्रतियोगियों के परिणाम की घोषणा कार्यक्रम की समाप्ति पर की गई जिसका आकलन मंडल अभियंता कौन कैसरबाग की अध्यक्षता में गठित एक तीन सदस्यीय समिति ने किया था। जिला प्रबन्धक श्री अशोक कुमार गुप्त ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिन्दी के प्रयोग के संकल्प को दोहराया तथा सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने सरकारी काम-काज को हिन्दी में ही करने का आवाहन किया । कार्यक्रम के आयोजक हिन्दी अधिकारी श्री प्रभुदयाल सुखीजा ने सरल व्यावहारिक एवं बोलचाल की भाषा के प्रयोग पर बल दिया । उन्होंने कहा कि हिन्दी में अनेक भाषाओं के शब्द आत्मसात हो गए है अतः बेहिचक उनका प्रयोग किया जाना चाहिए । चाहे वे उर्दू के हों या अंग्रेजी के । हां क्लिष्ट और समास बहु भाषा के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है । इस कार्यक्रम का संचालन उपमंडल अधिकारी फोन (मुख्य) उत्तर केसरबाग टेलीफोन केन्द्र श्री दिनेश कुमार शुक्ल ने किया । अंत में सबको मिष्ठान वितरण किया गया ।

इसी दिन (दिनांक 17–9–86) अपराह्न में टिप्पण आलेखन एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हिंदी अनुभाग के कक्ष में किया गया । इसमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया । प्रतियोगियों के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर परिणाम घोषित किए गए जिनमें प्रथम, द्वितीय एवं सान्त्वना पुरस्कार दिया गया ।

दिनांक 19–8–86 को हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी अनुभाग के कर्मचारियों ने सम्पर्क अभियान चलाया जिसमें उन्होंने विभिन्न अनुभागों/इकाइयों में जाकर कर्मचारियों को हिन्दी प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया । हिन्दी वाक्यों की उक्तियों की पट्टिकाएं कार्यालयों में लगाई गई तथा सहायक साहित्य "अंग्रेजी हिन्दी पाकेट गाइ ड" की प्रतियां वितरित की गई ।

दिनांक 19–9–86 को एक गोष्ठी/ (समापन समारोह) का आयोजन किया गया । इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिन्दी साहित्य जगत की प्रतिष्ठित उपन्यासकार एवं लेखिका श्रीमती गौरापन्त शिवानी को आमंत्रित किया गया था । आज के समारोह का शुभारम्भ मुख्य अतिथि श्रीमती शिवानी द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ एवं ट्रंक एक्सचेंज की परिचालिकाओं ने "वरदे वीणा वादिन वरदे" का मधुर वंदना गीत प्रस्तुत किया तथा श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया । इसके बाद जिला प्रबन्धक श्री अशोक कुमार गुप्त ने मुख्य अतिथि श्रीमती शिवानी को पुष्पहार प्रदान कर उनका अभिनंदन किया । श्री-चन्द्रप्रकाश राव, हिंदी अधिकारी, हिंन्दी विशेष सेवा ने इस समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया । इस कार्यक्रम में सम्पूर्ण हाल श्रोताओं से खचाखच भरा था और लखनऊ टेलीफोन में हिन्दी सप्ताह के उपलक्ष में इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों का हिस्सा लेना एक ऐतिहासिक दृश्य था । अनेक वक्ताओं ने अपने विचार, गीत तथा कविताएं प्रस्तुत किये । मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए श्रीमती शिवानी ने राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति स्वाभिमान जागृत करने के लिए अपनी गौरवमयी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया और सरकारी काम हिंदी में ही करने का आहवान किया । उनका विचार था कि यदि हम अपनी महान संस्कृति को नहीं भूलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा हिन्दी प्रेम बना रहेगा । उनके पांण्डित्यपूर्ण भाषण एवं विचारों को सुनकर श्रोतागण प्रभावित हुए बिना न रहे । अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री अशोक कुमार गुप्त जिला प्रबन्धक ने बताया कि हमारे टेलीफोन जिले में हिन्दी आधकारी

श्री प्रभुदयाल सुखीजा के प्रयासों से बहुत काम हिन्दी में हो रहा है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी---ऐसा मेरा विश्वांस है। इस अवसर पर हिन्दी विशेष सेवा पर कार्यरत श्रीमती मीरा अवस्थी तथा उनकी सहेलियों ने एक सहगान "हिन्दी होगी कामयाब एक दिन" प्रस्तुत करके एक समा बांध दिया। मुख्य अतिथि श्रीमती शिवानी ने विभिन्न आयोजनों (व्याख्यान माला टिप्पण आलेखन एवं निबंध प्रतियोगिता आदि) में सफल विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। अन्त में श्री अशोक कुमार गुप्त-जिला प्रबन्धक ने श्रीमती गौरापन्त शिवानी को उनकी हिन्दी साहित्य सेवा के लिए त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) की मूर्ति भेंट करके सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजक श्री प्रभुदयाल सुखीजा, हिन्दी आधकारी है वे मुख्य अथिति श्रीमती शिवनी, अध्यक्ष एवं जिला प्रबन्धक श्री अशोक कुमार गुप्त तथा समारोह में आये सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आधार व्यक्त किया जिनके सहयोग से हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित सभी कार्यक्रमों को अभूतपूर्व सफलता मिली। अन्त में जलपान एवं मिष्ठान वितरण के साथ समारोह समाप्त हुआ। इस समारोह की मुख्य-मुख्य झलकियां दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ द्वारा अपने समाचार में प्रमुखता से दिखाई गई तथा आकाशवाणी में प्रसारित की गई।

लखनऊ टेलीफोन के इस हिन्दी सप्ताह में कर्मचारियों एवं अधिकारियों सभी ने अत्यधिक उत्साह का प्रदर्शन किया जो अभूतपूर्व था।

55. मुजफ्फरपुर

बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय और मुजफ्फरपुर क्षेत्र स्थित समस्त शाखाओं में दिनांक 14 सितम्बर 1986 से 21 सितम्बर 1986 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। हिन्दी सप्ताह के दौरान दिनांक 17-09-1986 को एक समारोह आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय प्रबंधक श्री पी० आर० याज्ञिक ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है। अतः हमें बैंक के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमारे अधिकांश ग्राहक हिन्दी भाषी हैं। उनकी भाषा में काम कर हम अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं और हिन्दी के माध्यम से ही हम श्रेष्ठ सेवा प्रदान कर सकते हैं।

अध्यक्षीय भाषण करते हुए बिहार अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री प्रितपाल सिंह जनेजा ने कहा कि मेकाले ने अंग्रेजी को 5 वर्ष में और टोडरमल ने उर्दू को 3 वर्ष में लागू कर दिया तो यदि हम स्वतन्त्रता के 39 वर्षों बाद भी हिन्दी को लागू नहीं कर पाए हैं तो यह बडे आंश्चर्य की बात है। बिहार में हिन्दी लागू करने में तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि हिन्दी भाषी राज्य में भी हिन्दी का प्रयोग करने के लिए कहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवा अब ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल गई है जहां हमारा ग्राहक या तो निरक्षर है या हिन्दी ही समझता है। उन्होंने अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर यह बताया कि ऐसा देखने में आया है कि ऋण वितरण समारोहों में लाभग्रहीताओं से पूछा गया कि कितना ऋण मिला है? कितना ब्याज देना पड़ेगा, किस काम के लिए ऋण दिया गया है? तो उन लोगों ने बताया कि उन्हें मालूम नहीं क्योंकि ऋण स्वीकृति पत्र अंग्रेजी में दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कि बिहार में 70 से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, यदि उनको सचमुच आर्थिक रूप से ऊपर उठाना है तो उन्हें पूरा-पूरा मार्गदर्शन देना पड़ेगा और यह कार्य हिन्दी के ही माध्यम से हो सकता है अंग्रेजी के माध्यम से नहीं। इसीलिए 2 अक्टूबर 1986 से बिहार अंचल की सभी ग्रामीण शाखाओं को हिन्दी में काम करने के लिए अधिसूचित कर दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

समारोह का उद्घाटन भाषण करते हुए पटना विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति तथा वर्तमान में इण्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा ने कहा कि आजादी के पहिले की राष्ट्रभाषा क्या हो इसका कोई विवाद नहीं था परन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि आजादी के बाद देश की राष्ट्रभाषा विवाद का विषय बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि यदि सचमुच हम मानते हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी है तो हिन्दी दिवस या हिन्दी सप्ताह मनाने का कोई औचित्य नहीं है। बैंक यदि चाहे तो चरणबद्ध कार्यक्रम बनाकर बहुत कम समय में बैंक में हिन्दी को लागू कर सकते हैं और ऐसे समारोह मनाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

हिन्दी विश्व की सरलतम भाषा है इसका व्याकरण 15 दिनों में सीखा जा सकता है। बैंक के कामकाज में अंग्रेजी के 500 शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। हिन्दी में इतने शब्द जानना कठिन काम नहीं है।

अन्त में उन्होंने कहा कि हिन्दी को लागू करने के लिए केवल मानसिकता में परिवर्तन करने की जरूरत है। दो प्रतिशत अंग्रेजी जानने वाले बहुत दिनों तक शासन नहीं चला सकते। जनता अभी सोयी हुई है यदि वह जाग गई तो क्या विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कहना कठिन है। आप ने उपस्थित बैंक कर्मियों से आग्रह किया कि आप हिन्दी के प्रयोग को आगे बढ़ावें, आप का व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा।

इस अवसर पर संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के कुलपति श्री सुरेन्द्र कुमार ब्रह्मचारी तथा बिहार विश्वविद्यालय के हिन्दी के व्याख्याता श्री महेन्द्र कुमार मधुकर ने जोरदार शब्दों में हिन्दी के विकास और प्रयोग की वकालत की।

इस अवसर पर आंचलिक प्रबंधक श्री प्रितपाल सिंह जनेजा ने मुख्य अतिथि भी देवेन्द्र नाथ शर्मा को शाल भेंट कर सम्मानित किया तथा मुजफ्फरपुर क्षेत्र के समस्त स्टाफ सदस्यों की ओर से आंचलिक प्रबंधक श्री प्रितपाल सिंह जनेजा को अभिनन्दन पत्र से विभूषित किया गया।

हिन्दी सप्ताह के दौरान बैंक आफ इंडिया मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी कार्य-निष्पादन प्रतियोगिता, राजभाषा शील्ड प्रतियोगिताएं आयोजित की गई,

जिसके लिए विजेता उम्मीदवारों और विजेता शाखाओं क्रमश नकद पुरस्कार, रजत कप और शील्ड पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी।

अन्त में राजभाषा अधिकारी श्री उदय नारायन पाण्डेय ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

56. वाराणसी

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने एवं कार्मिकों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से 15 सितम्बर से 22 सितम्बर 1986 तक हिन्दी सप्ताह आयोजित किया गया, सप्ताह के दौरान कार्यालय तथा शाखाओं में "बैंक में राजभाषा का प्रयोग" विषयक बोर्ड प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का संकल्प लिया गया.

22 सितम्बर 1986 को ही सांय 6.00 बजे क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आनन्द प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया और काव्य गोष्ठी के शुभारंभ पर कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव ने कहा कि हिन्दी दिवस हमें अपने देश एवं अपनी भाषा की अस्मिता का बोध कराता है; इसी दिवस की याद में हम यह संकल्प लें कि यह दिवस रोज हमारे कामकाज का अंग बना रहे. मौलिक रचना का उद्भव केवल अपनी भाषा में ही संभव है, कविता संदर्भों में पैदा होती है तथा कवि यहीं से चेतना लेकर शब्दों के माध्यम से श्रोताओं के भीतर उद्वोलन पैदा करता है.

गोष्ठी के अध्यक्ष श्री आनन्द प्रकाश अग्रवाल ने समापन करते हुए कहा कि यह आयोजन सभी के हृदय में छिपी हुई प्रतिभा को मुखरित करने का सशक्त माध्यम है, उन्होंने भी अपने उद्गार गीत के माध्यम से व्यक्त किये तथा गोष्ठी को हिन्दी की प्रगति की दिशा में एक महती उपलब्धि बताया, अन्त में श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव ने धन्यवाद देते हुए कहा कि समय समय पर इस प्रकार के आयोजन हिन्दी के प्रति अनुकूल वातावरण निर्माण में अमूल्य सहयोग देंगे.

57. इलाहाबाद (इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज)

संस्थान में 8 से 14 सितम्बर, 86 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन हुआ। हिन्दी दिवस 14 सितम्बर 86 को इस सप्ताह का समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न हुआ।

सप्ताह का शुभारंभ दिनांक 8 सितम्बर, 86 को महाप्रबंधक श्री व० बालचन्द्र शेट्टी की अपील के प्रसारण के साथ हुआ (संलग्नक–1) इस दिन संस्थान में हिन्दी सप्ताह और हिन्दी दिवस के बैनर तथा पोस्टर (संलग्नक–2) भी प्रदर्शित किए गए।

दिनांक–9 सितम्बर 86 को एक हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था–"औद्योगिक प्रगति में भारत" अथवा "उद्यमों में तकनीकी कौशल तथा गुणवत्ता का महत्व"।

दिनांक 11 सितम्बर, 66 को "राष्ट्रीय एकीकरण में राष्ट्रभाषा की भूमिका" विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता सम्पन्न हुई।

दोनों प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अधिकारी वर्ग, महिला कर्मचारी वर्ग, पुरुष कर्मचारी वग तथा अहिन्दी भाषियों के लिए तीनों में दो–दो विशेष पुरस्कार भी रखे गए थे।

सप्ताह पर्यन्त हिन्दी अनुभाग तथा उससे सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संस्थान में हिन्दी का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर सम्पर्क किया।

दिनांक 14 सितम्बर, हिन्दी दिवस पर समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह महाप्रबंधक/राजभाषा अधिकारी श्री व० बालचन्द्र शेट्टी की अध्यक्षता में बहु–उद्देश्य ीय भवन में सम्पन्न हुआ।

इस कार्यक्रम का प्रारंभ भारत–रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन के चित्र को माल्यार्पण तथा राष्ट्रीय स्व० माधव शुक्ल की हिन्दी वंदना "हिन्दी हिन्द देश की बानी" के साथ हुआ। तद्पश्चात् श्री राधवेन्द्रसिंह ने उ० म०प्र० (का० एवं प्र०) ने समारोह के अध्यक्ष महाप्रबंधक एवं सभी उपस्थित जनों का स्वागत करते हुए भारत सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला।

श्री संत कुमार टण्डन, हिन्दी अधिकारी, ने भारत सरकार की राजभाषा नीति, हिन्दी के वार्षिक कार्यक्रम एवं विभिन्न पुरस्कार तथा प्रोत्साहन योजनाओं पर प्रकाश डाला (संलग्नक–3) उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए वर्ष 86–87 से प्रारंभ की गई श्रीमती इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड के संबंध में भी में भी जानकारी दी और इसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को कहा।

इस अवसर पर मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री हरीश गुप्त तथा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के शाखा मंत्री श्री श्रीनारायण राय ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

समारोह में अपना भाषण देते हुए महाप्रबंधक श्री व० बालचन्द्र शेट्टी ने संस्थान में सरकारी कामकाज में हिन्दी के व्यवहार में हुई प्रगति पर प्रशंसा व्यक्त की। महाप्रबंधक ने यह विश्वास व्यक्त किया कि हिन्दी में काम करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं, उन्हें प्राप्त करने में सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना सामूहिक दायित्व निर्वाह करेंगे, जिससे हम राजभाषा के कार्यक्षेत्र में अपनी अतीत में निर्मित छवि और अर्जित उपलब्धियों को और अधिक समुज्जवल कर सकें। इस दिशा में प्रबंधकवर्ग की ओर से अपेक्षित सभी सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने का महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया।

समारोह में महाप्रबंधक / अध्यक्ष महोदय ने भारत सरकार की "मूल हिन्दी टिप्पण तथा प्रारुपन प्रोत्साहन योजना", संस्थान द्वारा आयोजित हिन्दी भाषण, हिन्दी लेख, हिन्दी

निबंध एवं अधिकारियों के लिए" "हिन्दी व्यवहार पुरस्कार योजना" में पुरस्कृत 32 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्तिपत्र तथा पुरस्कार प्रदान किए गए।

श्री सुरेश चन्द्र मिश्र, कार्मिक प्रबंधक ने मुख्य अतिथि, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इस समारोह की सफलता के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम का संचालन हिन्दी अधिकारी श्री संत कुमार टण्डन ने किया।

58. रुड़की

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी० बी० आर० आई०) रुड़की में 17 सितम्बर 1986 को "हिन्दी दिवस समारोह" का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की रुड़की शाखा के द्वारा किया गया। समारोह का मुख्य आकर्षण रुड़की विश्वविद्यालय, पोलिटेकनीक एवं स्थानीय डिग्री कालेजों के छात्रों एवं छात्राओं की "वाक प्रतियोगिता" था। प्रतियोगिता का विषय "शिक्षा का माध्यम क्या हो" रक्खा गया था। प्रतियोगिता में रुड़की विश्वविद्यालय, पोलिटेक्नीक, डी० ए० वी० कालेज, बी० एस० एम० कालेज के सात छात्रों एवं एस० डी० कन्या डिग्री कालेज की तीन छात्राओं ने भाग लिया। परिणाम इस प्रकार रहे :

प्रथम–कु० अलका गर्ग, बी० ए० (द्वितीय वर्ष) सनातन धर्म गर्ल्स डिग्री कालेज, रुड़की द्वितीय – श्री संजय राना, बी० एस० सी०") के० एल० डी० ए० वी० कालेज, रुड़की तृतीय– कु० श्रुति गुप्ता, बी० ए० (प्रथम वर्ष) सनातन धर्म गर्ल्स डिग्री कालेज, रुड़की।

समारोह की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डा० राजेन्द्र भण्डारी ने की और पुरस्कार वितरण श्रीमती मीना भण्डारी के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हआ। संस्थान में कार्यरत अहिन्दी भाषी कर्मचारियों की एक "वाक प्रतियोगिता" "राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा का योगदान" विषय पर, हिन्दी परिषद द्वारा 8 सितम्बर 1986 को आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता के विजयी प्रतियोगी श्री अमिताभ देव (प्रथम), श्री हृषिकेश मजुमदार (द्वितीय) एवं श्री अमिताभ दत्त (तृतीय) को भी इसी समारोह में पुरस्कृत किया गया।

हिन्दी परिषद के अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद कोशिक ने समारोह मे उपस्थि सभी विद्वत जन का स्वागत करते हुए परिषद के बारे में संक्षिप्त जानकारी एवं समारोह के कार्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत की। संस्थान के निदेशक डा० राजेन्द्र भण्डरी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जापान, रुस एवं अन्य विकसित देशों का उदाहरण देते हुए इस वात पर बल दिया कि राष्ट्र के चहुँमुखो विकास के लिए यह अनिवार्य है कि उसके सभी कार्य उसकी अपनी भाषा में ही किये जायें। विदेशी भाषा थोपने के कारण विद्यार्थियों को सोखने की क्षमता का ह्रास हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं बुद्धिजीवियों को भाषा के माध्यम के महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से विचार करने की सलाह दी। संस्थान के उपनिदेशक एवं हिन्दी परिषद शाखा के संस्थापक सदस्य श्री त्रिजुगी नाथ गुप्त ने परिषद के कार्यक्रमों की प्रशंसा की और विद्यार्थियों का इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए राष्ट्रभाषा के प्रति श्रद्धा का भाव निर्माण करना परम अनिवार्य है। उन्होंने प्रस्तुतीकरण से प्रसन्न होकर दो विद्यार्थी श्री राज किशोर, बी० ई० (यांत्रिकी अभि०) रुड़की विश्वविद्यालय एवं श्री संजय, के० एल० पोलिटेक्नीक, रुड़की को अपनी ओर से 25–25 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया।

प्रायः सभी प्रतियोगियों ने शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही होना चाहिए इस पर अपनी सहमति प्रकट की और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा पाने के लिए उनके सामने जो कठिनाई आ रही है उन पर प्रकाश डाला। समारोह का संयोजन एवं संचालन श्री सतीश कुमार मल्होत्रा ने किया। अन्त में समारोह में उपस्थित समस्त हिन्दी प्रेमियों का धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए परिषद के शाखा मंत्री श्री नकली सिंह त्यागी ने बताया कि कुछ ही वर्षों में संस्थान का पूरा शोध कार्य एवं प्रशासनिक कार्य हिन्दी में होने लगेगा।

59. दहरादून

राजभाषा कार्यान्वयन समिति यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, देहरादून ने 19 सितम्बर 1986 को हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत "वार्षिक हिन्दी समारोह" का आयोजन किया। इस समारोह का मुख्य आकर्षण था–"कवि सम्मेलन" एवं "रंगारंग" कार्यक्रम।

समारोह की अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रुप में श्रीमती डा० आर० हृदयनाथ ने की।

समिति के सचिव श्री डी० आर० अरोड़ा ने सभी गणमान्य अतिथियों का एवं समस्त श्रोतागण का इस वार्षिक हिन्दी समारोह की पूर्व संध्या एवं मधुर वेला में हार्दिक स्वागत किया। इसके उपरान्त अध्यक्ष श्री वि० बी० वरखेड़े ने हिन्दी समारोह तथा हिन्दी के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डाला।

समारोह क शुभारम्भ सरस्वती वन्दना द्वारा किया गया। जिसका आयोजन संस्थान के कर्मचारी श्री शमशेर सिंह ने किया था। सचिव ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि सस्थान में हिन्दो की कक्षाएं गत वर्षों से चल रही हैं। गत वर्ष 18 व्यक्तियों ने प्रवीण तथा 12 व्यक्तियों ने प्राज्ञ एवं दो व्यक्तियों ने प्रबोध की परिक्षा पास की। संस्थान वैज्ञानिक श्री प्रवीर कुमार दत्त ने 70%से भी अधिक अंक प्रवीण की परीक्षा में प्राप्त किये उनको 300/– रुपये का नक़द पुरस्कार तथा एक वर्ष के लिए वैयक्तिक वेतन वृद्धि सरकार की तरफ से प्राप्त हुई।

गत वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर एक निबन्ध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था जिसमें बंगलौर, हैदराबाद, मसूर, तथा सस्थान के व्यक्तियों को पुरस्कार भी दिये गये।

मैसूर, हैदराबाद तथा दिल्ली के संस्थानों के विजेता अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए समारोह में पधारे।

संस्थान में वाद-विवाद प्रतियोगिता, श्रुतलेख एवं सुलेख प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। इसमें भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार हिन्दी एवं अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों को दिये गये।

इस संस्थान में सभी दैनिक आदेश हिन्दी एवं अंग्रेज़ी में छापे जा रहे है। बहुत से फार्म जो दैनिक प्रयोग में लाए जाते है उनका भी हिन्दी रुपान्तर तैयार कर दिया है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक पत्र-व्यवहार, टिप्पणियां इत्यादि हिन्दी में लिखी जाएं।

इसके पश्चात् मुख्य अतिथि श्रीमती डा० आर० हृदयनाथ के कर कमलों द्वारा लगभग 40 प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र एवं-पारितोषिक प्रदान किये गये।

डा० महेश कुमार शर्मा ने शेष कार्यों के लिए मच संचालन कया।

रंगारंग कार्यक्रम

इसका आयोजन संस्थान के वैज्ञानिक श्री बी० वी० राव ने किया। इसमें श्री भूपेन्द्र कुमार ने भिन्न-भिन्न स्वरों में एवं बोलियों में गाने प्रस्तुत किये।

डा० अजय कुमार रेड्डी वैज्ञानिक "ख" ने मक अभिनय का प्रदर्शन किया।

श्री बी० वी० राव एवं श्री गौतम मुखर्जी ने एक बड़ी ही रुचिकर लघुनाटिका प्रस्तुत की।

डा० गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी ने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम निदेशक डा० हृदयनाथ की अध्यक्षता में आरम्भ किया। कवि गोष्ठी में 15 कवि तथा 2 कवित्रियां ने भाग लिया।

सभी कवि एवं कवित्रियों को श्रीमती डा० आर. हृदयनाथ ने पुरस्कारों से सम्मानित किया।

श्री बी० वि० राव "संयोजक" ने सभी उपस्थित अतिथियों एवं श्रोतागण को धन्यवाद दिया।

60. आगरा

आगरा, 21 सितम्बर, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा में राज भाषा अधिकारी श्री अनिल कपूर की सूचनानुसार श्री के० एल० शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक की अध्यक्षता में 20 सितम्बर (शनिवार) को बैंक जय प्लेस शाखा के हॉल में "हिन्दी दिवस" समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य-अतिथि डा० गणपति चन्द्र गुप्त, निदेशक, के एल एम एल हिन्दी विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय थे। समारोह के अवसर पर "बैंक-सेवा में राजभाषा हिन्दी का महत्व" विषय पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वश्री सुभाष चन्द्र जायसवाल, नरेश कुमार, जी4 पी० अग्रवाल अनिल कुमार शर्मा व ए० पी० एस० त्यागी को मुख्य अतिथि द्वारा क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवम् पंचम पुरस्कार प्रदान किए गए।

समारोह के अवसर पर एक लघु काव्य-गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें सर्वश्री प्रताप दीक्षित, राजकुमार "रंजन", अनिल कपूर, चन्द्रभान, डा० श्याम लाल यादव, नरेश कुमार, के० के० अग्रवाल, डी० के० शर्मा तथा कु० रश्मि अग्रवाल ने अपनी सरस कविताओं व गीतों से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में डा० गणपति चन्द्र गुप्त, मुख्य अतिथि, श्री के एल शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक, श्री डी० पी० पा० सिन्हा, शाखा प्रबंधक, जय प्लेस शाखा ने बैंक तथा सरकारी काम काज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग तथा संभावनाओं के विभिन्न पहलुओं पर वक्तव्य दिए। "हिन्दी दिवस" समारोह का संचालन श्री अनिल कपूर, राजभाषा अधिकारी ने किया।

61. भोपाल (डाक विभाग)

भोपाल स्थित डाक विभाग के कार्यालयों द्वारा 16 सितम्बर से मनाए जा रहे हिन्दी सप्ताह का समापन 22 सितम्बर को एक सादे किन्तु आकर्षक कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में बोलते हुए मध्य प्रदेश डाक परिमंडल के पोस्टमास्टर जनरल श्री जी. वी. एस. राव ने कहा कि मध्य प्रदेश एक हिन्दी भाषी राज्य है और यहां हिन्दी के प्रयोग-प्रसार के अवसर बहुत अधिक हैं। उन्होंने कर्मचारियों से आव्हान किया कि वे अपने सरकारी काम में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें। किसी भी भाषा का ज्ञान उसके अभ्यास पर निर्भर होता है। हम जितना अधिक उस भाषा में बोलेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे उतना ही अधिक हमें उस भाषा का ज्ञान होगा और परोक्ष रुप में वह भाषा भी समृद्ध होगी।

इसके पूर्व पोस्टमास्टर जनरल ने हिन्दी सप्ताह के दौरान भोपाल स्थित डाक कार्यालयों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किए। पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों में डाक परिमंडल कार्यालय के अलावा डाक टिकट भंडार, डाक वस्तु भंडार, रेल डाक सेवा, प्रवर अधीक्षक डाकघर, उपनिदेशक लेखा (डाक), सेंट्रल, टी० टी० नगर मुख्य डाकघर तथा प्रधन डाकघर के कर्मचारी थे।

राजभाषा सामान्य ज्ञान परीक्षा का प्रथम पुरस्कार सर्वश्री विनोद कुमार श्रीसास्तव, एवं शफकत अली खान को तथा द्वितीय पुरस्कार नारायण दास वैष्णव व मजहर अली को और तृतीय पुरस्कार सी० डी० मन्दसौर वाले व मुजीव सिद्दीकी को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजभाषा प्रश्न मच का प्रथम पुरस्कार भी रामगोपाल व श्रीमती रेखा कुन्टे को व द्वितीय पुरस्कार आर० एस० राठौर व नरेन्द्र कुमार रायकवाड को प्राप्त हुआ। अन्ताक्षरी प्रतियोगिता की चलित शील्ड उपनिदेशक लेखा (डाक) कार्यालय के समूह "अ" का नेतृत्व करने वाले श्री रायकवाड को प्रदान की गई। हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार

(शेष पृष्ठ 123 पर)

16. हिंदी कार्यशालाएँ

1. विशाखापत्तनम्

विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना के हिन्दी कक्ष ने 25 अगस्त, 1986 से 30 अगस्त, 1986 तक छ दिन की अवधि के लिए एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। इस परियोजना में यह कार्यशाला अपने किस्म की तीसरी कार्यशाला है, जिसमें हिन्दी का सामान्य ज्ञान रखनेवाले कुछ कार्यपालिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके पहले ये कार्यशाला मात्र चार दिन के लिए आयोजित की जाती थी। इस बार अवधि को दो दिन के लिए बढ़ाकर, हिन्दी व्याकरण संबंधी मूल विशेषताएं, वाक्य संरचना की पद्धतियां, कार्यालयीन हिन्दी की विशेष शैली आदि विषयों को भी शामिल कर दिया गया ताकि राजभाषा हिन्दी के तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वरुप के साथ-साथ प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी व्याकरण के आम नियमों के बारे में कुछ जानकारी दी जा सकें।

इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए इस परियोजना के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने कहा कि देश की मौजूदा हालत को दृष्टि में रखते हुए हिन्दी को अपनाना राष्ट्र के प्रति हमारे गौरव एवं प्रेम का अत्यंत महत्वपूर्ण मिसाल होगा। हिन्दी का कार्यान्वयन देश प्रेम का एक सक्रिय प्रतीक है। एकता के साथ देश प्रेम के प्रति भी हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा और राजभाषा का प्रचार एवं प्रसार, इस दिशा में हमारा एक प्रभावशाली कदम होगा। जब तक हम हिन्दी को अपनायंगे नहीं, तब तक देश का एकता के लिए कोई सार्थकता नहीं रहेगी। इस दिशा में सरकारी उपक्रमों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अध्यक्ष महोदय ने आगे यह भी कहा कि इस कार्य में हम अपने इंजीनियरों को शामिल कर रहे हैं, यह वही प्रसन्नता की बात है। सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस हिन्दी कार्यशाला में कार्यालयीन हिन्दी के बारे में सीखें और आगे जाकर अपने सरकारी काम में हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें।

उद्घाटन समारोह में उपस्थित सज्जनों का स्वागत करते हुए इस परियोजना के उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक (सेवाएं) और प्रभारी हिन्दी अधिकारी श्री सी० एल नारायण ने सरकारी उपक्रमों के अंतर्गत राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की दिशा में हिन्दी कार्यशालाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।

इस सभा में मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित डा० के राजशेषगिरि राव (प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय) ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में हिन्दी के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास तथा उसकी वर्तमान स्थिति पर बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया। उनके मतानुसार हिन्दी सभी भारतीय भाषाओं को एक रुप में देखने-दिखाने के लिए उपयुक्त एक मात्र वातायन है। इसीलिए स्वप्नद्रष्टा महात्मा गांधी ने कहा, "एक राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, एक हृदय हो भारत जननी" और अपने एकादश व्रतों में हिन्दी के प्रसार को भी शामिल कर लिया।

उद्घाटन समारोह के पश्चात्, विशाखापट्टणम के सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के राजभाषा अधिकारियों ने छ दिन के लिए राजभाषा संबंधी भाषण और सामग्री देकर प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी ज्ञान को बढ़ाने का सफल प्रयास किया।

पहले पहल इस परियोजना के कार्यालय अधीक्षक (राजभाषा), डॉ एस कृष्णबाबु ने प्रशिक्षणार्थियों को कार्यशाला की रुप रेखा के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया। 25 अगस्त 1986 के अपराह्नवाले सत्र में हिन्दी शिक्षण योजना के अवकाश प्राप्त सहायक निदेशक तथ आंध्र विश्वाविद्यालय के प्रौढ़ शिक्षा विभाग में चलाये जानेवाले अनुवाद पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक श्री पी. एस. राठोर ने हिन्दी में वाक्य संरचना के मूल तत्वों पर प्रकाश डाला।

दि० 26 अगस्त, 1986 को हिन्दी शिक्षण योजना के आकाश प्राप्त प्राध्यापक श्री विश्वंबरदत्त गौड ने हिन्दी में संयुक्त वाक्य संरचना के नियमों और उसकी विविध पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को व्यापक परिचय दिया। उसी दिन अपराह्नवाले सत्र में डॉ० एस. कृष्णबाबु ने कार्यालय अधीक्षक (राजभाषा) ने हिन्दी व्याकरण की मूल विशेषताएं समझाते हुए उन पर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कुछ अभ्यास करवाये।

दि० 27 अगस्त, 1986 के पूर्वाह्न को श्री पी. एस. राठोर ने राजभाषा अधिनियम, 1967, राजभाषा नियम 1976 के विविध प्रावधानों एवं उपबंधों के बारे में प्रशिक्षणर्थियों को विस्तृत जानकारी देते हुए टिप्पण तथा प्रारुप लेखन के व्यावहारिक पक्ष का विस्तृत परिचय दिया। उसी दिन अपराह्न को श्री जी. रामनारायण (हिन्दी अधिकारी, ट्रेजिंग कार्पोरेशन, विशाखापट्टणम) ने भारत की राजभाषा नीति का विश्लेषण किया जिसके अनंतर डॉ० एस. कृष्ण बाबु ने प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी मेंप्रशासन शब्दावली का ब्यौरा देते हुए कार्यालयों में आम तौर पर प्रयुक्त होनेवाली नेमी कार्यालय टिप्पणियों के हिन्दी रुपांतरों के बारे में समझाया।

दि० 28 अगस्त 1986 के पूर्वाह्न को हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लि० के अनुभाग अधिकारी (हिन्दी) श्री घनश्याम शुक्ल ने कार्यालयीन काम में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी में तार भेजना, बैठकों की कार्य सूची/कार्यवृत्त हिन्दी में बनाना आदि विषयों पर अपने

वक्तव्य सुनाये। उसी दिन उपराह्नवाले सत्र में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हिन्दी अधिकारी, डॉ० वी. ए. चार्युलू अनिवार्य कारणों से अपने वक्तव्य सुनाने न आ पाये थे इसलिए परियोजना के कार्यालय अधीक्षक डॉ० एस. कृष्णबाबु ने हिन्दी में टिप्पण तथा प्रारुप लेखन के व्यावहारिक पक्ष का विश्लेषण करते हुए प्रशिक्षणार्थियों द्वारा हिन्दी में टिप्पण लिखने के अभ्यास करवाये।

दि० 29 अगस्त 1986 के पूर्वाह्न को ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के हिन्दी अधिकारी श्री जा० रामनारायण ने पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन जैसे विधि कार्यालयीन कागजों के प्रारूप हिन्दी में तैयार करने की प्रविधि को स्पष्ट किया और व्यावहारिक रुप से प्रशिक्षणार्थियों द्वारा इस प्रकार के कागजों के कुछ नमूने तैयार करवाये। उसी दिन अपराह्नवाले सत्र में हिन्दुस्तान स्टील कान्स्ट्रक्शन लिमिटेड के अनुभाग अधिकारी श्री धनश्याम शुक्ल ने आचरण एवं अपील नियमावली छुट्टी संबंधी नियमावली, अनुशासनिक मामलें आदि विषयों पर भाषण दिया। जिसके अनंतर श्री विश्वंबरदत्त गौड ने प्रशिक्षणार्थियों द्वारा व्यावहारिक अनुवाद के कुछ अभ्यास करवाये।

कार्यशाला के अंतिम दिन पर अर्थात् दि० 30 अगस्त 1986 के पूर्णह्न को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटड के हिन्दी अधिकारी श्री दीनदयाल गुप्त ने बिलों का भुगतान, लेखा आपत्तियां, पेशगियां आदि विषयों पर हिन्दी में टिप्पणियां तथा प्रारुप लेखन की पद्धति को समझाया और कार्यालय में आम तौर पर प्रयुक्त होने वाले द्विभाषी फार्मों का परिचय दिया।

दि० 30 अगस्त 1986 के अपराह्न को प्रोजेक्ट आफीस के सम्मेलन कक्ष में इस कार्यशाला का समापन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाषण देते हुए इस परियोजना के प्रभारी राजभाषा अधिकारी श्री सी. एल. नारायण ने यह आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला में प्राप्त राजभाषा संबंधी अपने ज्ञान को इसमें भाग लिए हुए सभी कार्यपालक आगे जाकर अपने कार्यालयीन काम में यथासंभव प्रयोग करते रहेंगे और हिन्दी के कार्यान्वयन की दिशा मे अपना महत्वपूर्ण योग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर कार्यशाला के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हुए श्री आर. वी वी. जी जोगाराव, प्रबंधक (विद्युत) और डॉ० वी फणीन्द्रुडु, सहायक प्रबंधक (सांख्यकी) ने भाषण दिए। उन्होंने कहा कि हिन्दी कक्ष द्वारा आयोजित यह कार्यशाला इस परियोजना में हिन्दी के कार्यान्यिवन की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। उनके मतानुसार राजभाषा हिन्दी से संबंधित संदर्भ साहित्य परियोजना के हर जोन में रखना उपयुक्त होगा क्योंकि जिससे उन्हें आवश्यकतानुसार देखने में और उपयोग करने में सुविधा हो। उन्होंने यह भी राय प्रकट की कि प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र में हिन्दी कक्ष के लिए एक अलग कमरा दे दिया जाय ताकि वह राजभाषा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उस कमरे में आयोजित करते रह सकें। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री दिलबागराय अहूजा ने उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया। राजभाषा अधिकारी श्री सी. एल. नारायण ने यह आश्वासन दिया कि इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाइ की जाएगी। हिन्दी में काम करनेवाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाने की बात जब उठायी गयी और हिन्दी टंकन में सहायकों के प्रशिक्षण की मांग की गई तो अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि इन मदों पर विचार किया जा रहा है।

इसके पश्चात् इस परियोजना के अध्यक्ष महोदय, श्री दिलबागराय अहूजा ने 14 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया। हिन्दी कक्ष के कार्यालय अधीक्षक डॉ एस कृष्णबाबु के आभार निवेदन से वी एस. पी की तृतीय हिन्दी कार्याशाला का समापन हो गया।

सी० एच० नारायण
हिन्दी अधिकारी

2. हैदराबाद, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र

उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, हैदाराबाद के राजभाषा कार्यान्वियन समिति के तत्वावधान मे एक चार दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 24, 25 तथा 28, 29 जुलाई 1986 को किया गया था, जिसमें प्रशासन एवं लेखा अनुभाग से बीस कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सबसे पहले श्री एस. एस. धुत्रे हिन्दी अधिकारी ने कार्यशाला का उद्देश्य एवं विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस कार्याशाला का मुख्य उद्देश्य यही है कि अहिन्दी भाषियों के हृदयों में हिन्दी के प्रयोग के प्रति होनेवाली झिझक दूर करना और उन्हें हिन्दी के प्रति आकृष्ट कर उनसे हिन्दी मे कार्य करवाने का प्रयास करवाना। कार्यशाला को चार सत्रों मे बांटा गया था। इन चार सत्रों में राजभाषा नीति का परिचय, हिन्दी ही राजभाषा क्यों ? टिप्पण और आलेखन, पत्रों के विविध रुप, पदों का सृजन, पदोन्नति, सेवा पंजियों में प्रविष्टियां, फर्नीचर लेखन सामग्री की खरीदी आदि विषय रखे गए। कार्यशाला मे भाग लेनेवाले कर्मचारियों से अभ्यास भी करवाया गया।

दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक श्री एस. सुब्रमणि के द्वारा कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन संपन्न हुआ। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि "हिन्दी हमारी संघ की राजभाषा है और हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कार्य एक विदेशी भाषा मे हो रहा है उसे हिन्दी मे संपन्न किया जाए"। उन्होंने आगे कहा कि "कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना हमारा नैतिक दायित्व है और राजभाषा का सही कार्यान्वियन आप ही ही कर सकते हैं। इसके प्रयोग में सरल एवं सुबोध हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। चाहिए। मुझे आशा है कि आप इस कार्यशाला का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे"।

उद्घाटन के पश्चात् श्री विजय कुमार मल्होत्रा, सदस्य सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति, सिकंदराबाद ने प्रतिभागियों को राजभाषा हिन्दी विषयक संविधान मे उपलब्ध प्रावधानों का न केवल विस्तार से किन्तु रोचक ढंग से विश्लेषण

किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि "सर्वाधिक बोली और समझी जानेवाली भाषा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है" उन्होंने राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम 1976 तथा वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के महत्व को बताते हुए कहा कि वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करना हमारा कर्तव्य है।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में श्री नरहर देव, हिन्दी अधिकारी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने "हिन्दी ही राजभाषा क्यों ?" विषयपर बोलते हुए स्वतंत्रापूर्व और स्वतंत्रोत्तर हिन्दी के विकास का परिचय दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कार्यालय में प्रयोग की जानेवाली कुछ टिप्पणियों और आलेखों के नमूने भी बताए तथा प्रतिभागियों से अभ्यास भी करवाया।

कार्यशाला के तीसरे सत्र में केन्द्र के हिन्दी अधिकारी, श्री एस. एस. धुत्रे ने कार्यालय में प्रयोग किए जानेवाले विभिन्न पत्रों के नमूनों को बताया तथा उनके आधार पर प्रतिभागियों से अभ्यास भी करवाया।

कार्यशाला के चतुर्थ तथा अंतिम सत्र में पी. आर धनाते, हिन्दी अधिकारी, एच.एम.टी लिमिटेड ने पदों का सृजन, पदोन्नति सेवा पंजियों में प्रविष्टियां, फर्नीचर, स्टेशनरी की खरीद आदि के बारे में विस्तृत रुप से बताया और अभ्यास भी करवाया।

तत्पश्चात आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रुप में श्री वेमूरी राधाकृष्णमूर्ति, अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश हिन्दी आकदमी को आव्हानित किया गया था। समापन समारोह के आरंभ में केन्द्र के हिन्दी अधिकारा श्री एस. एस. धुत्रे ने कार्यशाला की रीपोर्ट को पढ़कर सुनाया। इसके पश्चात श्री पी. आर धनाते अपने संक्षिप्त भाषण में प्रतिभागियों से निवेदन किया कि वे अपने दैनंदिन कार्य में हिन्दो का प्रयोग करें। एक दिन में अगर पांच हिन्दी शब्दों का प्रयोग किए भी जाए तो एक महीने में करीब डेढ़ सौ शब्दों का प्रयोग होगा और साल में करोब दो हजार शब्दों का प्रयोग होगा। जहां हिन्दी शब्द नहीं सूझते है वहां अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग देवनागरो लिपि में कर सकते हैं। निदेशक श्री एस. सुब्रमणि ने प्रतिभागियों में संदर्भ साहित्य का वितरण करते हुए कहा कि "मुझे आशा है कि इस कार्यशाला से आप सभी काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने दैनंदिन कार्य में इस कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते रहेंगे।

मुख्य अतिथि श्री वे० राधाकृष्णमूर्ति ने अपने भाषण में स्वतंत्रता आंदोलन में हिन्दी के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया। उन्होंने इस संदर्भ में एक उदाहरण देते हुए कहा कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद जनजागृति के लिए सारे भारत में घुमा तब उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक विचारों से लोगों को शिक्षित करने के लिए हिन्दी ही एक उपयुक्त भाषा है और इसी उद्देश्य से गांधीजी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में की और अपने पुत्र श्री देवीदास गांधी को प्रचारक के रुप में इस कार्य में लगाया। उन्होंने आगे कहा कि दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जो हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार में सहायक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने निवेदन किया कि दूरदर्शन द्वारा हिन्दी का अधिक से अधिक प्रचार तथा प्रसार हो।

कुमारी गायत्री देवी, हिन्दी अनुवादिका के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही समारोह का समापन संपन्न हुआ।

शिवानन्द धुत्रे
हिन्दी अधिकारी
HINDI OFFICER
उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद
Upagraha Doordarshan Kendra, Hyderabad

3. बेंगलूर, इसरो उपग्रह केन्द्र

दिनांक 1 से 3 सितम्बर, 1986 को इसरो उपग्रह केन्द्र में तीन दिन की हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन केन्द्र के उप निदेशक डा० शिव प्रसाद कोस्टा जी ने किया। कार्यशाला में उस केन्द्र के कुल 31 कर्मचारियों ने भाग लिया। बेंगलूर में स्थित सरकारी उपक्रम तथा अन्य संस्थाओं के राजभाषा अधिकारियों ने व्याख्यान दिए और कर्मचारियों से अभ्यास भी कराया। समापन समारंभ श्री आर० एस० एल० प्रभु, मण्डल प्रबंधक, केनरा बैंक मुख्यालय, बेंगलूर द्वारा दिए भाषण से सम्पन्न हुआ।

20. इसमें उपग्रह केन्द्र में हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के अवसर पर बैठे हुए—बाँए से—श्री अमजद अली खाँ, सहायक प्रबंधक (हिन्दी), अ० शिवप्रसाद कोस्टा, उप निदेशक, इसरो उपग्रह केन्द्र तथा श्री के० आर० रामनाथ, प्रधान, कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन, इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर।

4 कलकत्ता

सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दिनांक 21-7-86 से 24-7-86 तक निगम के हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों के लिए एक चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि उनके हिन्दी ज्ञान को व्यावहारिक प्रशिक्षण द्वारा निखार कर दैनिक कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़े ।

कार्यशाला का उद्घाटन प्रसिद्ध विचारक, साहित्यकार, प्राध्यापक डॉ० कृष्ण बिहारी मिश्र ने दीप प्रज्वलित करके किया। अपने उद्घाटन भाषण में डॉ० मिश्र ने आत्म सम्मान एवं राष्ट्र गौरव की दृष्टि से राजभाषा हिन्दी के महत्व पर तो प्रकाश डाला ही, साथ ही हिन्दी के क्षेत्र में बंगाल के योगदान को भी स्पष्ट किया। कार्यशाला के प्रशिक्षणार्थियों के प्राज्ञ के प्रमाण पत्र भी डॉ० मिश्र ने वितरित किए ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री एस० के० बोस ने निगम में राजभाषा संबंधी प्रगति पर प्रकाश डालने के साथ ही कार्यशाला के उद्देश्य को स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने यह विश्वास भी प्रकट किया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारी कार्यशाला में सीखी हुई बातों को भूल नहीं जाएंगे। कर्यालय के दैनिक कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग स्वयं करने के साथ ही अपने सहकर्मियों को भी इस काम के लिए प्रेरित करेंगे।

निगम के महा प्रबंधक (कार्मिक), श्री बासुदेव घोष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। कार्यक्रम का संचालन निगम की हिन्दी अधिकारी सुश्री रेणु बांठिया ने किया।

5. बम्बई

दूरदर्शन केन्द्र बम्बई में, दिनांक 1-10-86 से 4-10-86 तक संपूर्ण तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला 86–87 (द्वितीय) का आयोजन किया गया। राजभाषा विभाग द्वारा निर्देशित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 86–87 में केन्द्र में आयोजित यह दूसरी कार्यशाला थी––तथा दूरदर्शन केन्द्र बम्बई में आयोजित कार्यशाला संगोष्ठी कार्यक्रमों में सातवां कार्यक्रम। यह कार्यशाला राजभाषा कार्यान्वयन समिति दूरदर्शन केन्द्र बम्बई के तत्वावधान में एवं केन्द्र के निदेशक महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

दूरदर्शन केन्द्र बम्बई में आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं की तरह इस कार्यशाला का स्वरुप भी विशिष्ट था। केन्द्र के लेखा (लेखा एवं बजट) तथा लेखा (वित्त) अनुभागों के सभी कर्मचारियों को इन संपूर्ण तीन दिनों के लिए इसमें भाग लिया एव इन तीन दिनों में अपना सारा काम हिन्दी में किया। इन अनुभागों के दोनों अनुभाग––प्रमुख एवं केन्द्र के शासनिक अधिकारी इसमें विशेषज्ञ की हैसियत से सम्मिलित हुए एवं उन्होंने कार्यशाला के प्रशिक्षणार्थियों का सफल मार्गदर्शन किया। इस प्रकार कार्यशाला में नौ लिपिक श्रेणी I, छः लिपिक श्रेणी II एवं चार सामान्य सहायकों अर्थात् कुल उन्नीस प्रशिक्षणार्थियों ने तथा तीन मार्गदर्शक अधिकारियों दो लेखापाल एवं एक प्रशासनिक अधिकारी ने भाग लिया। अनुभाग प्रमुखों ने अपने अनुभाग के कर्मचारियों को पूरे समय के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया तथा प्रशासनिक अधिकारी महोदय ने इन तीन दिनों में समय-समय पर कर्मचारियों की टेबल पर जाकर उनकी कठिनाईयां जानकर उनको हल करके उन्हें अपना मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला के संपूर्ण समय में केन्द्र की हिन्दी अधिकारी एवं हिन्दी एकक के सदस्यों ने कार्यशाला सदस्यों की सहायता की। हिन्दी एकक में इसके लिए अनुवाद, मूल टिप्पण आलेखन और टंकण का काम प्रभूत मात्र में हुआ। दोनों अनुभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को संदर्भ साहित्य उपलब्ध कराया गया एवं हिन्दी दिवस (1-9-86) को जारी दूरदर्शन केन्द्र बम्बई के हिन्दी एकक द्वारा तैयार की गई कार्यालय सहायिका की प्रतियां उन्हें उपयोग के लिए दी गई।

दिनांक 1-10-86 को सुबह 10 बजे कार्यशाला के लिए नामित मार्गदर्शक प्रशासनिक अधिकारी श्री सि० ब० शिर्गे ने हिन्दी अधिकारी के साथ अनुभागों में हिन्दी में प्रारंभ हो चुके काम को देखना, सुझाव देना एवं कर्मचारियों को सहायता देना प्रारंभ किया। जैसे कि पहले ही निदेशक महोदय एवं उपनिदेशक (प्रशासन) महोदय के कार्यशाला संबंधी आदेश जारी किये थे––हिन्दी में काम 1-10-86 की सुबह से ही प्रारंभ हुआ। इसके लिए कोई औपचारिक सभा नहीं की गई––प्रशासनिक अधिकारी, एवं हिन्दी अधिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य दो अनुभाग प्रमुख मार्गदर्शकों के साथ इस कार्यालय का काम प्रारंभ किया। 1, 3 एवं 4 अक्तूबर 86, इन तीन दिनों के संपूर्ण कार्यसमय में सभी प्रशिक्षणार्थियों ने अपने टेबल का सारा काम हिन्दी में किया।

लेखा (लेखा एवं बजट) अनुभाग के सदस्यों ने अपने अनुभाग प्रमुख लेखापाल श्री वि० ई० बोदल्लू के मार्गदर्शन में लेखाकार्य के बजट, बजट एवं प्रशासन, लेखा परीक्षा आपत्तियां एवं उनके उत्तर आदि के संबंध में काम, कार्यालय फर्निचर, मशीनें आदि की खरीद फरोख्त एवं मरम्मत दुरुस्ती, स्टेशनरी सामान खरीदना, बांटना इसी प्रकार लेखा अनुभाग से सम्बद्ध परिवहन अनुभाग में मोटर गाडियों की खरीद मरम्मत, किराये पर गाडी लेना उनके बिलों का भुगतान तथा परिवहन से जुड़ा सभी प्रकार का कामकाज हिन्दी में मूल टिप्पण आलेखन पत्राचार के रुप में किया गया। इसी प्रकार केन्द्र के कर्मचारियों के लिए स्कूटर, पंखा, मकान, मोटर साइकल, साईकल आदि के लिए अग्रिम राशि मंजूर करना, देना, सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि से संबंधित सभी काम अग्रिम एवं किश्तों में अदायगी से संबंधित काम हिन्दी में किया गया। और मुख्य रुप से नियमित विभागीय कालाकारों विभागीय कर्मचारियों एवं नियमित सरकारी कर्मचारियों वर्ग तीन और चार के वेतन बिल बनाने का काम इस अनुभाग में हिन्दी में प्रारंभ हुआ। माह का आरंभ होने से अक्तूबर माह का सारा काम काज एवं भविष्य में हमेशा के लिए वेतन बिल आदि हिन्दी में ही बनाने का निर्णय लिया गया। जो कि इस कार्यशाला की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।

इसी प्रकार लेखा (वित्त) अनुभाग के सदस्यों ने अपने अनुभाग प्रमुख लेखापाल श्री ए० एच० सावंत के मार्गदर्शन में अपना सारा काम हिन्दी में किया। जैसे रोकडिया का सारा काम, जिसमें टी

आर–4 कैश बुक, सरकारी रोकड की पंजी, अवितरित वेतन की पंजी आपूर्तिकताओं की जी, अन्य केन्द्रों से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट की पंजी धनादेश पंजी और इसी तरह की अन्य पंजियों का रख रखाव आदि उन्होंने हिन्दी में किया। अन्य सदस्योंने आपूर्तिकताओं के बिल की पंजी, स्ट्रिगर की पंजी, खर्च की पंजी ज्याति प्राप्त निर्माताओं को भुगतान की पंजी का रखरखाव आदि तथा सप्लाई बिलों के संबंध में पत्राचार, महानिदेशालय की मंजूरी आदि इसी प्रकार धनादेश लेखा समाधान विवरण एआईआर–4 पंजी कलाकारों की निवीदा का लागबुक प्रविष्टि से मिलान, साप्ताहिक लेखा विवरण तैयार करना आदि कार्य इन तीन दिनों में हिन्दी में किये। चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ट्यूशन फो दावे तथा समयोपरि दावे के पंजियों का रख-रखाव आदि इसी प्रकार कलाकारों का भुगतान आदेश वही, हिन्दी चलचित्र पंजी, धनादेश लेख एवं धनादेश-प्रेषण पंजी आदि भी हिन्दी में लिखी गई। धनादेश प्रेषण का मुखपत्र पहले से ही हिन्दी में भेजा जाता रहा है।

दोनों अनुभागों में उपयोग में आनेवाले सभी प्रपत्रों की जाँच की गई कि वे द्विभाषिक हैं या नहीं। उन्हें पूरी तौर पर द्विभाषिक रुप में ही प्रयुक्त किया गया। सभी छपे हुए द्विभाषिक रजिस्टरों में हिन्दी में लिखा गया एवं अनुभागों के रबर-स्टैम्पों की जाँच की गई कि वे द्विभाषिक ही हैं। लेखा (लेखा व बजट) अनुभाग के सभी रबर स्टैम्प द्विभाषिक ही थे—लेखा (वित्त) के दो अंग्रेजी थे उन्हें बदल दिया गया। हिन्दी कार्यशाला के अनुषंग से इन सारी बातों की जाँच करके उन्हें नियमित किया गया। कार्यशाला के तीन दिनों के दौरान कर्मचारियों ने अपना टिप्पण आलेखन हिन्दी में किया। मूल पत्र हिन्दी में तैयार किये गये। रजिस्टरों फाईलों के शीर्ष उपशीर्ष एवं अन्य विवरण हिन्दी में लिखे गये। उपस्थिति पंजी हिन्दी में भरी गई और कर्मचारियों के नाम हिन्दी में ही लिखे गये।

प्रस्तुत कार्यशाला अत्यंत सफल रही और इसकी वजह से अनेक कर्मचारियों ने कार्यशाला के पश्चात् हिन्दी में ही काम करना जारी रखा। कार्यशाला समापन के वाद प्रशिक्षणार्थियों को दी गई प्रश्नावली के उत्तर देते हुए उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया।

कार्यशाला के दूसरे दिन अर्थात् 3-10-86 को दुपहर साढे बारह बजे केन्द्र के प्रमुख माननीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में कार्यशाला सदस्यों को प्रमाण-पत्र वितरित करने का समारोह सम्पन्न हुआ। समारोह में उपनिदेशक (प्रशासन), दोनों प्रशास-निक अधिकारी, तीनों लेखापाल, प्रधान लिपिक एवं प्रशासन शाखा के सभी सदस्यों ने भाग लिया। हिन्दी अधिकारी द्वारा कायशाला की कार्यनिष्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया गया। श्री सि० ब० शिंगे, प्रशासनिक अधिकारी ने अपने हिन्दी में कार्य करने के उत्सांह-पूर्ण अनुभव एवं कार्यशाला की सफलता तथा लेखा अनुभाग में विशिष्ट आलेखन टिप्पण की चर्चा की। निदेशक श्री आर० एस० सावदेकर जी ने हिन्दी के गौरवपूर्ण स्थान का उल्लेख किया—उन्होंने कहा कि मराठी भाषी प्रदेश में हिन्दी हमारी अपनी ही दूसरी भाषा है और लिपि के मामले में तो वह हमारी अपनी ही है क्योंकि दोनों की लिपि देवनागरी है—अतएव हिन्दी कार्यशाला की सफलता निःसंदिग्ध है। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों एवं उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी का काम इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहें। दिनांक 4-10-86 को ही निदेशक महोदय विदेश यात्रा पर जाने वाले थे अतएव यह कार्यक्रम कार्यशाला के मध्य में ही आयोजित किया गया। निदेशक महोदय ने उत्साह-वर्धक तालियों के बीच कार्यशाला सदस्यों को पुरस्कार स्वरुप प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

समारोह के अन्त में केन्द्र की हिन्दी अधिकारी एवं कार्यशाला कार्यक्रमों की संयोजिका डा० विजयमाला पण्डित द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। चाय के साथ समारोह सम्पन्न हुआ और दूसरे दिन अर्थात् 4-10-86 को कार्यदिवस की समाप्ति पर कार्य-शाला के समापन की घोषणा की गई।

डॉ० विजयमाला पण्डित
हिन्दी अधिकारी
कृते निदशक

6. बर्नपुर

कार्यपालकों और गैर कार्यपालकों को कार्यालय का काम हिन्दी में करने के लिए अभ्यास का अवसर देने हेतु 20 और 21 अगस्त को इस्को की बर्नपुर और कुल्टी इकाई में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का संचालन हिन्दी शिक्षण योजना (राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार) के संयुक्त निदेशक डा० अशोक कुमार भट्टाचार्य ने किया। डा० भट्टाचार्य ने कार्यालयीन हिन्दी के स्वरूप पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने खुसरों के भाषा सम्बन्धी प्रयोगों के रोचक नमूनें देते हुए कहा कि तत्कालीन परिस्थितियों में खुसरों के ये प्रयोग उनके साहस के परिचायक हैं तथा आज की कामकाजी हिन्दी के आधार हैं। कामकाजी भाषा जटिल या बोझिल नहीं होनी चाहिए। इन कार्यशालाओं में दैनिक प्रयोग में आने वाले हिन्दी पत्राचारों का अभ्यास कराया गया। कार्यशाला में भाग लेने वालों ने इसमें गहरी रुचि ली तथा हिन्दी में काम करते समय उन्हें जो कठिनाइयां होती हैं उनका जिक्र किया। डा० भट्टाचार्य ने उनकी समस्याओं और शंकाओं का व्यावहारिक उदाहरण देकर समाधान किया। डा० भट्टाचार्य के दक्ष संचालन और कर्मियों की सक्रिय भागीदारी ने इन कार्यशालाओं को काफी रोचक और सफल बना दिया।

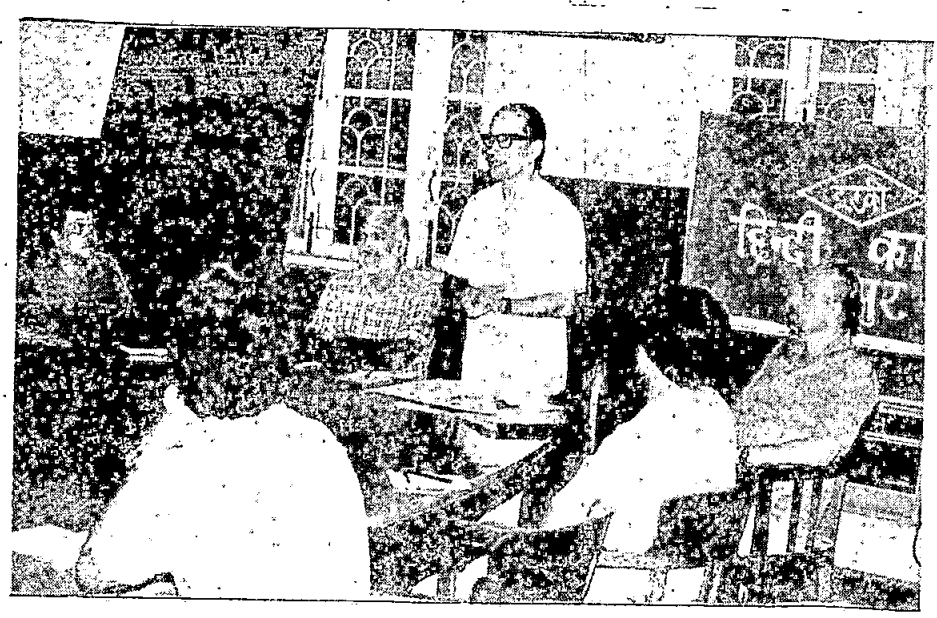

21. इस्को, बर्नपुर में हिन्दी कार्यशाला में प्रतिभागियों की समस्याओं का निवारण करते हुए राजभाषा विभाग, हि० शि० यो० के संयुक्त निदेशक डा० भट्टाचार्य।

बर्नपुर की कार्यशाला का उद्घाटन महाप्रबंधक (वर्क्स) श्री के० डी० एस० ढिल्लन ने किया। उन्होंने हिन्दी कार्यान्वयन की दिशा में की गई प्रगति का जिक्र करते हुए यह आशा व्यक्त की कि सबके सहयोग से काम और बढ़ेगा। बर्नपुर की कार्यशाला में कुल 38 कार्यपालकों और गैर कार्यपालकों ने भाग लिया। कार्यशाला के औपचारिक उद्घाटन के पूर्व सहायक प्रबंधक (हिन्दी) श्री पौहारी शरण सिन्हा ने अतिथियों तथा भाग लेने वालों का स्वागत किया। इस अवसर पर अधीक्षक (तकनीकी सेवा) श्री तपन कुमार घोष भी उपस्थित थे। श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

कुल्टी की कार्यशाला का उद्घाटन महाप्रबंधक (कुल्टी व स्टिकस्कॉन) श्री विनय कुमार साहा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि इस दिशा में काफी काम हुआ है किन्तु हमें इसी से संतुष्ट नहीं होना है तथा इस काम को और आगे बढ़ाना है। कुल्टी की कार्यशाला में भी कुल 38 कार्यपालकों और गैर कार्यपालकों ने भाग लिया। श्री नन्द कुमार मिश्र द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

कार्यशाला के सफल संचालन और सक्रिय भागीदारी को देखकर यह निश्चित राय बनती है कि कर्मी काफी प्रेरित हुए हैं तथा हिन्दी में कार्यानुरोध कार्य और अधिक बढ़ेगा।

7. नई दिल्ली (इण्डियन ओवरसीज बैंक)

क्षेत्रीय प्रबंधक श्री ए० वद्यनाथ ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने शाखा-प्रबंधकों से निम्नलिखित के अनुपालन की पुष्टि मांगी।

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन

(1) बैंक के नाम-पट्ट, साइन बोर्ड, काउंटर बोर्ड, कमचारियों की नाम-पट्टियां, जन साधारण के लिए सूचनाएं आदि द्विभाषिक रूप में हैं;

(2) द्विभाषिक लेखन सामग्री, विशेष रूप से जन-साधारण के लिए द्विभाषिक लेखन सामग्री का प्रयोग;

(3) द्विभाषिक रबड़ की मोहरों का प्रयोग और सिर्फ अंग्रेजी में बनी मोहरें वापस कर देना ;

(4) द्विभाषिक कैश-टोकनों का प्रयोग ;

(5) हाजिरी रजिस्टर द्विभाषिक रुप से या सिर्फ़ हिन्दी में रखना ;

(6) कार्यालय-आदेश, कार्य-नियतन आदेश तथा कर्मचारियों के लिए नोटिस हिन्दी में या द्विभाषिक रूप से जारी करना।

इस प्रसंग में क्षेत्रीय प्रबंधक ने शाखा-प्रबंधकों को स्मरण कराया कि कोई भी लेखन-सामग्री सिर्फ़ अंग्रेजी में छपवाया/बनवाया न करें।

2. राजभाषा नियम 1976 का अनुपालन

इसके बाद श्री लायकराम, राजभाषा अधिकारी अंचल कार्यालय ने राजभाषा नियम 1976 के अनुपालन की चर्चा करते हुए निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की :—

(1) हिन्दी में मिले पत्रों का जवाब हिन्दी में ही दिया जाये ;

(2) मूलतः हिन्दी में पत्र-व्यवहार किया जाये। वर्ष 1986–87, वार्षिक कार्यक्रम अनुसार क्षेत्र "क" हेतु लक्ष्य 70% है।

(3) नेमी पत्राचार आदि के द्विभाषिक प्रारूपों में हिन्दी अंश को भरा जाये ताकि मूल हिन्दी पत्रा चार को बढ़ाया जा सकेगा।

(4) डाक-रजिस्टरों तथा अन्य रजिस्टरों को हिन्दी में लिखना और लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखना ।

(5) हिन्दी में ड्राफ्ट जारी करना ।

(6) हिन्दी में तार देना ।

(7) पास-बुक में हिन्दी में प्रविष्टि करना ।

उपर्युक्त में से प्रथम मद के बारे में सभी शाखा-प्रबन्धकों का उत्तर सकारात्मक था । शेष मदों के बारे में अनुपालन की पुष्टि करने के लिए कहा गया ।

मद सं० 5 व 6 के संदर्भ में प्रबंधकों का ध्यान क्षे० का० परिपत्र सं० 124/86 दि० 14-8-86 तथा 123/86 दि० 14-8-86 की ओर आकृष्ट किया गया ।

3. मुख्य अतिथि

डॉ० महेशचन्द्र गुप्त, निदेशक (हिन्दी) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने शाखा प्रबंधकों को बताया कि वे किस प्रकार हिन्दी का प्रयोग करके अच्छी ग्राहक सेवा दे सकते हैं, अपने बैंक के लिए "डिपॉजिट" बढ़ा सकते हैं और ऋणों पर नियंत्रण रख सकते हैं । उन्होंने देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शब्दों की कमी के कारण किए मत । यदि आप किसी अंग्रेजी शब्द का हिन्दी पर्याय नहीं जानते हैं तो आप उसे देवनागरी लिपि में लिख कर काम चला सकते हैं । उन्होंने हिन्दी पत्राचार बढ़ाने पर विशेष बल दिया ।

4. राजभाषा प्रयोग संबंधी सामान्य मुद्दे

इसके बाद राजभाषा अधिकारी ने निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की ।

5. खुली चर्चा के मध्य विभिन्न प्रबंधकों ने निम्नलिखित सुझाव दिये और बैंक में हिन्दी प्रयोग संबंधी अपनी कठिनाइयां बताई ।

हिन्दी में ड्राफ्ट जारी करने के संबंध में कुछ शाखा-प्रबंधकों ने बताया

—यदि ग्राहक हिन्दी में चालान फार्म भरता है तो स्टाफ-जन सहर्ष हिन्दी में ड्राफ्ट बना देते हैं ।

—यदि ग्राहक अंग्रेजी में चालान फॉर्म भरता है तो स्टाफ-जन हिन्दी में ड्राफ्ट बनाने में झिझकते हैं । यह समझा जाता है कि ग्राहक अंग्रेजी में ड्राफ्ट चाहता है । और ग्राहक की नाराज़गी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी में ड्राफ्ट बनाते हैं ।

6. उक्त सुझावों और कठिनाइयों के संबंध में राजभाषा अधिकारी और विभिन्न शाखा प्रबंधकों ने अपने विचार इस प्रकार रखें :—

(क) सभी शाखा-प्रबंधकों को सुझाव मान्य था । राजभाषा अधिकारी का मत था कि बैंक में हिन्दी का प्रयोग शाखा प्रबंधकों सहित सभी बैंक कर्मचारियों को करना है । इस प्रकार नामित अधिकारी राजभाषा कक्ष के साथ पत्र-व्यवहार एवं हिन्दी संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई हेतु उपयुक्त है ।

(ख) राजभाषा अधिकारी ने कहा यदि शाखाएं (5क) अनुसार नाम सूचित करेंगी तो विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था अवश्य की जायेगी ।

(ग) राजभाषा कक्ष, अंचल कार्यालय/केन्द्रीय कार्यालय से मंजूरी मिलने पर कार्रवाई की जायेगी ।

(घ) चूंकि तीन बार द्विभाषिक मोहरें दी जा चुकी हैं अतः अब और मोहरें नहीं दी जायेंगी । हां मोहरों का द्विभाषिक पाठ सभी शाखाओं को दुबारा दिया जायेगा । एक बार पहले कें० का० भिजवाया था ।

(च) शाखा-प्रबंधक स्टाफ-जनों से हिन्दी में काम लें । उन्हें हिन्दी में काम करने को प्रोत्साहित करें । स्वयं भी यथासंभव हिन्दी में काम कर उदाहरण प्रस्तुत करें ।

(छ) हिन्दी में ड्राफ्ट जारी करने संबंधी कठिनाइयों से राजभाषा कक्ष, अंचल कार्यालय व केन्द्रीय कार्यालय को अवगत कराया जायेगा ।

शाखाएं अपने परिसर में निम्नलिखित सूचना-पट्ट लगा सकते हैं :—

(1) ड्राफ्ट हेतु हिन्दी में भरे गये चालान फार्मों का स्वागत है ।

(ज) पास-बुक में To/By के स्थान पर नामे/जमा शब्दों का प्रयोग किया जाये । प्रविष्टियों संबंधी पाठ के संक्षिप्त रूप द्विभाषिक पास-बुकों में मुद्रित हैं, उनका प्रयोग किया जाये ।

(झ) इस विचार पर पहले ही काम किया जा रहा है । वर्ष 1984–85 में जिन शाखाओं का निरीक्षण किया गया था वहां से अंग्रेजी में बनी मोहरें उठा ली गयी थीं । खेद की बात है कि वे शाखाएं अंग्रेजी में बनी मोहरों का प्रयोग कर रही हैं ।

उपर्युक्त विचार-विमर्श से सभी शाखा-प्रबंधक सहमत थे ।

सभी शाखा-प्रबंधकों ने एक मत से स्वीकार किया कि हमें बैंक में हिन्दी का प्रयोग करना ही है । राजभाषा अधिकारी ने श्री पी० एल० रामस्वामी प्रभारी स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र और बालकृष्णन, अधिकारी, मानव संसाधन विकास कक्ष को कार्यशाला आयोजन में सहयोग हेतु विशेष रूप में साधुवाद कहा । और डॉ० महेश चन्द्र गुप्त निदेशक (हिन्दी) राजभाषा विभाग के प्रति आभार प्रकट किया ।

राजभाषा अधिकारी की ओर से भरपूर तकनीकी सहायता के आश्वासन तथा सभी को धन्यवाद-ज्ञापन के साथ कार्यशाला सम्पन्न हुई ।

एस० रामस्वामी
मुख्य अधिकारी

13—282 एम आफ एच. ए./एन. डी./86

8. नई दिल्ली (भारतीय जीवन बीमा निगम)

दिनांक 2 जून, 1986 को मंडल कार्यालय के सभा कक्ष में हिन्दी कार्यशाला के इस वर्ष के प्रथम सत्र का उद्घाटन श्री एल० पी० चौधरी, प्रबन्धक (लेखा) मं०प्र० द्वारा किया गया । इस अवसर पर मंडल कार्यालय के प्रभारी अधिकारीगण श्री आर० के० कोहली, प्रबन्धक (विकास प्रशिक्षण केन्द्र), श्रीमती के० विश्वनाथन, प्रबन्धक (बीमा सेवा), श्री बी० के० ग्रोवर, प्रबन्धक (समूह बीमा), श्री आर० के० जिन्दल, प्रबन्धक (कार्यालय सेवाएं), श्री अतुल कुमार शुक्ल, प्रबन्धक (कार्मिक व ओ० सं०) भी उपस्थित थे । इनके अतिरिक्त प्रशिक्षकों के रूप में श्री सी० एन० शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (बीमा सेवा), श्री एम० सी० जैन, प्र० अ० (बन्धक), श्री बी० एन० मल्होत्रा, उ० श्रे० स० (बन्धक) व श्री अशोक कुमार (कार्मिक) भी उपस्थित थे और इस अवसर पर विशेष तौर से मुख्य अतिथि के रूप में श्री एम० एल० मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भी उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे । कार्यशाला के इस प्रथम सत्र में प्रशिक्षण हेतु शाखाओं एवं विभागों के 30 उच्च श्रेणी सहायकों को नामित किया गया था ।

कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों, प्रशिक्षणार्थियों एवं श्री मैत्रेय जी का स्वागत करते हुए श्री अतुल कुमार शुक्ल, प्रबन्धक (कार्मिक व ओ० सं०) ने कहा कि "दिल्ली मंडल के देश की राजधानी में स्थित होने से हर क्षेत्र में इसके द्वारा कीर्तिमान स्थापित करने की अपेक्षाएं की जाती हैं। यही कारण है कि उसे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में नई दिशा देनी है । चूंकि अधिकांश कर्मचारीगण हिन्दी में कार्य-साधक ज्ञान रखते हैं एवं लगभग सभी प्रपत्र द्विभाषी मुद्रित हैं अत: वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुगम है । इस दिशा में हिन्दी कार्यशालाओं की उपयोगी भूमिका है । इस प्रथम सत्र में उ० श्रे० सहायकों को निर्मंत्रित करने का विशेष उद्देश्य है।" व० मं० प्रबन्धक द्वारा पदभार ग्रहण करते ही हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में कितनी अभिरुचि दर्शाई है उसकी भी उन्होंने सोदाहरण चर्चा की । मंडल कार्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी उन्होंने सबको अवगत कराते हुए आशा व्यक्त की कि हिन्दी कार्यशाला का भरपूर फायदा प्रशिक्षार्थी उठाएंगे । कार्यशाला का विधिवत् उद्घाटन करते हुए श्री एल० पी० चौधरी जी ने कहा कि "हिन्दी में कार्य-साधक ज्ञान होते हुए भी कार्यालय के कामकाज में हिन्दी प्रयोग में जो झिझक व संकोच है उसे दूर करना चाहिए। हिन्दी जो कि राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा है उसको राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा तभी होगी जब सारा कार्य हिन्दी में किया जाएगा" हिन्दी में कार्य करने से किस प्रकार कार्य उत्पाद में वृद्धि होती है उसकी उन्होंने उदाहरण सहित व्याख्या की और विश्वास व्यक्त किया कि कार्य-शाला में प्रशिक्षण प्राप्त करके कर्मचारीगण अपने अपने कार्यालयों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे । सरकार की राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यक्रम के प्रमुख मुद्दे, नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रयासों, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों, राजभाषा अधिनियम व नियमों के अनुपालन की कानूनी बाध्यताओं, केन्द्रीय हिन्दी समिति व हिन्दी सलाहकार समिति में लिए गए प्रमुख निर्णयों आदि के बारे में विस्तारपूर्वक श्री एम० एल० मैत्रेय ने बताया । सभी अधिकारियों एवं सरकारी प्रतिनिधि के उपस्थित रहने व मार्गदर्शन करने का धन्यवाद करते हुए श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, भाषा सहायक ने हिन्दी कार्यशाला के पाठ्यक्रम प्रशिक्षण अवधि में कार्यक्रम-संचालन तथा निगम में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की भी चर्चा की। उद्घाटन समारोह का संचलन श्री मदनलाल खन्ना राजभाषा कार्यान्वयन अधिकारी ने किया ।

दिनांक 3 जून, 1986 से 25 जून 1986 तक हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षकों के रूप में श्रीमती के० विश्वनाथन, श्री एल० पी० चौधरी, श्री बी० के० ग्रोवर जैसे प्रमुख अधिकारियों ने भी अपने विभागों (लेखा, बीमा सेवा, समूह बीमा) के कार्यों को सरलता से हिन्दी में करने का प्रशिक्षण दिया तथा अन्य कक्षाओं में श्री मदनलाल खन्ना, श्री एस० पी० जैन, श्री बी० एन० मल्होत्रा, श्री जसवन्तराय वर्मा, श्री जयपाल आर्य, श्री अशोक कुमार एवं श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रशिक्षार्थियों को भिन्न-भिन्न कार्यों को हिन्दी में करने का व्यवहारिक ज्ञान कराया ।

दिनांक 26 जून 1986 को सभा कक्ष में हिन्दी कार्य-शाला के समापन समारोह के अवसर पर श्री एस० के० मुखर्जी, प्रबन्धक (विपणन) विशेष अतिथि के रूप में पधारे। इस अवसर पर प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा "हिन्दी कार्यशाला को सफलता तभी होगी जब आप अपने अपने कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने की मानसिकता बना कर यहां से जाएंगे; जबतक आपका अपना अन्तर्मन हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होगा तब तक हिन्दी में कार्य नहीं किया जा सकेगा । जरूरत इस बात की है कि हम अपनी मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए अपनी राज-भाषा को अपनाएं । हम हिन्दी में अपना कार्य अधिक तेजी से, सुगमता से करके अपनी कार्यक्षमता की छाप छोड़ सकते हैं ।"

क्षेत्रीय राजभाषा अधिकारी श्री अमृत लाल ने मंडल कार्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की कि सभी के सहयोग से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में यह मंडल अग्रणी प्रमाणित होगा । श्री बी० पी० मेहता (शाखा 113), श्री जी० पी० भाटिया (डाटा प्रोसेसिंग) ने प्रशिक्षण काल के अपने अनुभवों को बताते हुए कार्यशाला के सुचिपूर्ण

संचालन, उपयोगी कार्यक्रम एवं प्रशिक्षकों की जहां भूरि भूरि प्रशंसा की वहीं उसे अधिक कारगर बनाने के सुझाव भी दिए । उन्होंने श्रोमती के० विश्वनाथन द्वारा अपनाई गई प्रशिक्षण शैली की बार बार चर्चा करते हुए उसे अत्यन्त प्रभावो एवं अनुकरणीय बताया । साथ ही प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण कक्ष को अधिक सुविधा सम्पन्न बनाने, अधिकारियों द्वारा उत्साहवर्धक रवैया अपनाने, कार्यशाला के दौरान अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की ।

सभी कर्मचारियों एवं प्रशिक्षकों का धन्यवाद करते हुए श्री आर० वी० रमेश, प्रबन्धक (कार्मिक) (जन्होंने प्रथम बार हिन्दी में भाषण किया) ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी कर्मचारी गण हिन्दी के प्रभागो प्रयोग में अपेक्षित अभिरुचि दर्शाएंगे । समापन समारोह का संचालन श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, भाषा सहायक ने किया तथा सभी कार्यशाला दिवसों के पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवेचन करते हुए कहा कि सभी कर्मचारीगण हिन्दी के सन्देश वाहक बनकर अपने अपने कार्यालयों में प्रेरकदायी नीति अपनाएंगे।

प्रबन्धक

9. नई दिल्ली (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि0

संघ की राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए निगम के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा 30-31 जुलाई, 1986 को निगम के हिंदी आशुलिपिकों/टंककों के लिए दो दिवसीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में विभिन्न परियोजनाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों ने भाग लिया । केंद्रीय कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन निगम के निदेशक (कार्मिक) श्री आर० डी० गुप्त ने किया । अपने उद्घाटन भाषण में श्री गुप्त ने देश की राजभाषा हिंदी के विकास की मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डालते हुए इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि पूरे देश को जोड़ने के लिए एक संपर्क भाषा का होना कितना जरूरी है । अपनी बात को स्पष्ट करते हुए इस संदर्भ में उन्होंने विदेशों में वहां की भाषाओं की स्थिति पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने अनुवाद की भाषा से दूर रहकर मूल हिंदी के प्रयोग पर जोर दिया । उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी को सरल बनाने पर उसका प्रयोग तेजी से हो सकेगा । हिंदी का जो स्वरूप अनुवाद के रूप में हमारे सामने आता है उसके प्रति लोगों में रुझान पैदा नहीं हो सकता । उन्होंने इस विशेष कार्यशाला के आयोजन को एक नया कदम बताया और इसकी सफलता को कामना की ।

इस विशेष कार्यशाला का आयोजन करने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशा०) एवं हिंदी विभागाध्यक्ष श्री बिनय कुमार ने कहा कि हिंदी के प्रयोग को गति प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि हम हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों/टंककों को उनकी जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक करें । उन्होंने कहा कि हिंदी का प्रचार-प्रसार सम्मिलित रूप से ही किया जा सकता है । हिंदी जानने वाले सभी कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे निगम के हर क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को जहां तक संभव हो शुरू करें । इस संदर्भ में उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को इस क्षेत्र में उनकी अपनी-अपनी भूमिका से अवगत कराते हुए यह आश्वासन दिया कि इस दिशा में प्रयास करनेवालों को हर संभव सहायता दी जाएगी ।

इस अवसर पर हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय के उप निदेशक श्री त्रिलोकी नाथ कौशिक ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि एन० टी० पी० सी० द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यशाला का हिंदी के विकास में एक प्रशंसनीय कदम है । उन्होंने कहा कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन लगभग सभी सरकारी कार्यशालाओं एवं निगमों द्वारा किया जाता है । यह पहला मौका है जबकि एन० टी० पी० सी० द्वारा आयोजित आशुलिपिकों/टंककों की कार्यशाला में शामिल होने का अवसर मिला है । उन्होंने सरकार की हिंदी आशुलिपि/टंकण के संबंध में बनाई गई विभिन्न योजनाओं से कर्मचारियों को अवगत कराया ।

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मिश्र
राजभाषा अधिकारी

10. नई दिल्ली (मौसम विज्ञान विभाग)

मौसम विज्ञान विभाग में कर्मचारियों को हिन्दी में काम कराने का अभ्यास कराने के लिए 11-8-86 से 18-8-86 तक हिन्दी अनुभाग द्वारा एक हिन्दी कार्यशाला भी चलाई गई । सरकार की राजभाषा नीति व हिन्दी कार्यशाला की आवश्यकता व महत्व पर हिन्दी अधिकारी श्री ए० एस० वर्मा ने प्रकाश डाला । इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में महानिदेशक महोदय ने कर्मचारियों व अधिकारियों से कहा कि कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने के बाद पूरा काम हिन्दी में करें और जो कर्मचारी अच्छी हिन्दी जानते हैं वे अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में ही करें । अधिकारी भी हिन्दी में काम करने वालों को प्रोत्साहित करें, अपर महानिदेशक डा० शशि मोहन कुलश्रेष्ठ ने भी कर्मचारियों व अधिकारियों को हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने का अनुरोध किया । कार्यशाला में हिन्दी में नोट और मसौदा लिखने का प्रशिक्षण भी विभाग के अधिकारियों द्वारा ही दिया गया ।

ए० एस० वर्मा
हिंदी अधिकारी

11. नई दिल्ली (इंडियन आयल कार्पोरेशन)

भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप इस वर्ष की चौथी तथा कार्यशालाओं के क्रम में 10 वीं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन प्रशिक्षण केन्द्र में 20-10-86 से 22-10-86 तक किया गया ।

इस कार्यशाला में 25 कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया ।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मानव संसाधन विकास प्रबंधक श्री ए० आर० खान ने कहा कि "हमें हिन्दी का इसलिए प्रयोग नहीं करना है कि सरकार ने इसके बारे में आदेश जारी किए हैं बल्कि हमें अपने आप खुले दिल से हिन्दी का प्रयोग करना है ।"

22. इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमि० के महाप्रबन्धक (पाइपलाइन) श्री एन० एल० मजूमदार के साथ राजभाषा विभाग उप के निदेशक (कार्यान्वयन) डॉ० राजेन्द्रसिंह कुशवाहा, बीच में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का संदेश।

कार्यशाला में सहभागियों को राजभाषा नीति और हमारे उत्तरदायित्व, टिप्पणी, शब्दावली, पत्राचार, हिन्दी वाक्य-विन्यास, वर्तनी की अशुद्धियां तथा व्यावहारिक हिन्दी के बारे में बताया गया । इसमें गुजरात रिफाइनरी के आंतरिक वक्ताओं के अतिरिक्त, सेन्ट्रल एक्साइज, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा पेट्रोफिल्स के अधिकारियों ने भी व्याख्यान दिए ।

कार्यशाला के समापन-अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ कार्मिक व प्रशासन प्रबंधक श्री रामकुमार मनोत ने कहा कि "किसी भी भाषा का मुख्य उद्देश्य अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना होता है । यदि हमारी भाषा में सहजता और सरलता हो तो हम दूसरों तक अपनी बात बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं । अतः हमें ऐसी हिन्दी का इस्तेमाल करना है जो सभी को समझ में आ जाए।"

इस कार्यशाला में सहभागियों से व्यावहारिक अभ्यास भी कराए गए ।

डॉ० सतीश चन्द्र
हिंदी अधिकारी

12. आगरा (सेंट्रल बैंक)

हमारे कार्यालय द्वारा लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के लिये दिनांक 29-9-86 से 1-10-86 तक एक तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया था । इसमें हमारे क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं से 23 लिपिकवर्गीय कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

उक्त कार्यशाला का उद्घाटन आगरा के संसद् सदस्य माननीय श्री निहाल सिंह जैन ने किया । श्री जैन ने अपने सम्बोधन में कहा कि हिन्दी के प्रयोग में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिये बल्कि इसका अधिकाधिक प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ बनाना चाहिये । उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि बैंकों द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति को समुचित रूप से अपनाया जा रहा है ।

उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता आगरा की सामाजिक एवं कांग्रेस नेत्री श्रीमती डा० आर० के० वर्मा ने की । क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री ठी० सी० सरावगी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए हिन्दी प्रयोग हेतु बैंक द्वारा उठाये गये कदमों का विवरण प्रस्तुत किया तथा प्रतिभागियों को अधिकतम दैनिक कार्य हिन्दी माध्यम से

करने की प्रेरणा दी। केनरा बैंक के मण्डल प्रबन्धक श्री एच० डी० सूड़ा ने हिन्दी प्रयोग पर अपने विचार रखते हुए व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला।

दैनिक "स्वराज्य टाइम्स" आगरा के प्रधान सम्पादक श्री आनन्द शर्मा ने कार्यशाला का समापन करते हुए प्रतिभागियों से अपील की कि वे प्राप्त प्रशिक्षण का लाभ अपने कार्यालयों एवं शाखाओं को दें क्योंकि हिन्दी देश की एकता को मजबूत करती है। उन्होंने सेन्ट्रल बैंक द्वारा हिन्दी प्रयोग के लिये किये जा रहे प्रयासों पर हर्ष एवं संतोष व्यक्त किया। आगरा विश्व विद्यालय के उपकुल सचिव डा० राम अवतार शर्मा, केनरा बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री वाई० एस० सोमशेखर, क्षेत्रीय प्रबन्धक डी० सी० सरावगी, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री पी० एन० चतुर्वेदी, आँचलिक कार्यालय, लखनऊ के उपमुख्य अधिकारी श्री मोहन सिंह राठोर ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किये। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री सैयद वकील अहमद कादरी द्वारा किया गया।

सैयद वकील अहमद कादरी
राजभाषा अधिकारी

13. जयपुर (बैंक आफ इंडिया)

बैंक आफ इंडिया के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 6-10-86 से 9-10-86 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। लिपिकों की जयपुर क्षेत्र की इस पांचवीं हिन्दी कार्यशाला में क्षेत्र की विविध शाखाओं के 19 लिपिकों ने भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन क्षेत्र के राजभाषा कक्ष के प्रभारी अधिकारी श्री एस० पी० गर्ग "सुमन" ने किया।

23. बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला में मुख्य अतिथि प्रो० डा० राजेन्द्रप्रसाद शर्मा का स्वागत करते हुए बैंक के अधिकारी गण।

मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो० डा० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कर्मचारियों को हिन्दी के विविध पहलुओं एवं कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के महत्व के बारे में बताते हुए अपने ओजस्वी भाषण में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता बैंक के जयपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री अनन्त अराध्ये ने की एवं उन्होंने बताया कि बैंक हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिये कृत-संकल्प है। कार्यशाला के समापन समारोह में जयपुर (मुख्य) शाखा के प्रबन्धक श्री खन्ना एवं कार्मिक विभाग के उपमुख्य अधिकारी श्री दलाल ने अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यशाला के दौरान कर्मचारियों को हिन्दी की सांविधिक स्थिति, राजभाषा नियमों, बैंकिंग शब्दावली, पत्र लेखन आदि की व्यापक जानकारी दी गई। कार्यशाला में पर्याप्त व्यावहारिक कार्य भी कराया गया एवं कर्मचारियों ने भी इसे बेहद उपयोगी पाया।

अनुदेशों में भी गर्ग "सुमन" के साथ साथ बैंक के उत्तरांचल के राजभाषा कक्ष के अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं श्री सुशील जन थे।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

14. उदयपुर

कार्यालय कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए हिन्दी कार्यशालाओं की महत्ती भूमिका एवं उपादेयता को ध्यान में रखते हुए हिन्दी की व्यावहारिक गतिविधियों के अन्तर्गत हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की मटून माइन्स इकाई में विगत 31 जुलाई, 1986 को एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन राजभाषा संस्थान के निदेशक श्री हरिबाबू कंसल ने तथा अध्यक्षता हिन्दी विद्वान प्रो० डा० नेमनारायण जोशी ने की । कार्यशाला में इकाई के कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रधान कार्यालय, जिंक स्मेल्टर देवारी तथा केन्द्रीय अनुसंधान विकास प्रयोगशाला के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

24. हिन्दुस्तान जिंक लिमि० राजपुरा दरीबा खान प्रधान कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला में उद्घाटन भाषण देते हुए राजभाषा विभाग के भूतपूर्व उप सचिव, श्री हरिबाबू कंसल

श्री वार्ष्णेय द्वारा प्रस्तुत सरस्वति वन्दना से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में श्री हरिबाबू कंसल ने सरकारी नियमों आदि का पालन करते हुए हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया । उन्होंने कम्पनी में राजभाषा हिन्दी के लिये किये जा रहे कार्यों की सराहना की । डा० जोशी ने हिन्दी के प्रयोग में आने वाली मानसिक बाधाओं का जिक्र किया और उनसे मुक्ति के उपाय सुझाए । इस कार्यशाला गोष्ठी को भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के श्री महावीर प्रसाद खाण्डल तथा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की खेतडी इकाई के डा० इन्द्रजीत चौपड़ा ने भी सम्बोधित किया । कार्यशाला में कार्मिक प्रबन्धक श्री यदुनाथ सिंह, श्री बाबूलाल धावरी, श्री राही, श्री शेखावत, श्री वार्ष्णेय आदि ने भी अपनी बात रखी । इकाई प्रधान श्री एन० वी० बंसल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं हिन्दी के प्रयोग को बल मिलता है और भ्रान्तियों का निराकरण होता है । उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी को राजभाषा नियमों की जानकारी होना चाहिये और उनका सतर्कता से अनुपालन किया जाना चाहिये । कार्यशाला गोष्ठी का संचालन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, श्री पुरुषोत्तम छंगाणी ने किया ।

पुरुषोत्तम छंगानी

15. लखनऊ (युको बैंक)

यूको बैंक अंचल कार्यालय, लखनऊ ने अपने कार्यालय में बैंक के शाखा प्रबन्धकों/अधिकारियों को बैंकिंग कार्य राजभाषा हिन्दी में करने का प्रशिक्षण देने के लिए 11 व 12 अगस्त, 1986 को एक दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की । इस कार्यशाला में 30 शाखा प्रबन्धकों / अधिकारियों ने भाग ग्रहण किया ।

कार्यशाला का उद्घाटन कार्यक्रम लखनऊ नगर के लब्ध-प्रतिष्ठ शिक्षाविद् तथा साहित्यकार डा० कुँवर चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा रचित "जय हिन्दी" गीत के गायन से प्रारंभ हुआ । इस गीत को नगर के ख्याति प्राप्त कवि-संगीतकार श्री लक्ष्मी नारायण "बन्दा" तथा उनकी शिष्य मंडली के समवेत स्वरों में प्रस्तुत किया गया । इसके पश्चात् मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस० पी० नागेन्द्र उपकुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा माँ सरस्वती को माल्यार्पण तथा दीपप्रज्ज्वलित किया गया । तदुपरान्त कु० माधवी रानी शुक्ला द्वारा अमर कवि निराला द्वारा रचित "वर दे वीणा वादिनी वर दे" वाणी वन्दना प्रस्तुत की गई ।

इसके बाद अंचल प्रबन्धक श्री जयगोपाल अग्रवाल ने मुख्य अतिथि प्रोफेसर नागेन्द्र का पुष्पहार पहनाकर हार्दिक स्वागत किया । इस अवसर पर उन्होंने हिन्दी कार्यशाला के संचालन में सहयोग हेतु सभागत बैंक आफ इण्डिया के राजभाषा अधिकारी श्री अद्भूत प्रकाश मिश्र तथा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के उप प्रबन्धक, राजभाषा श्री मोहन सिंह राठौर तथा प्रेस प्रतिनिधियों, अन्य विशिष्ट अतिथियों एवम् प्रबुद्धवर्ग का स्वागत किया । अपने स्वागत-अभिभाषण में

अंचल प्रबन्धक महोदय ने कहा :– मैं प्रोफेसर एस० पी० नागेन्द्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए हमारा निमन्त्रण स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय निकालकर बैंक को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित किया।" हिन्दी भारत की अधिकांश जनता द्वारा समझी व बोली जाती है। अतः समय की माँग है कि देश की जनता की भलाई के लिए संघ सरकार का सम्पूर्ण कामकाज राजभाषा हिन्दी में किया जाना चाहिए। हम अपने बैंक में बैंकिंग कार्य हिन्दी में करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें लगातार तेजी लाएंगे। तत्पश्चात्, राजभाषा अधिकारी श्री कुन्दन लाल शुक्ल ने उपकुलपति महोदय से अपने आशीर्वचन देने का अनुरोध किया।

उपकुल पति महोदय ने हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि निस्संदेह भाषा संस्कृति की आत्मा होती है और यदि किसी राष्ट्र या उसकी संस्कृति को खोखला करना हो तो उससे उसकी भाषा छीन लो। ये शब्द मुझे याद आते हैं और इन शब्दों को मैं इतिहास के पन्नों से जोड़ना चाहता हूँ। इन शब्दों से जुड़ा हुआ है पश्चिमी साम्राज्यवाद का 250 वर्षों से अधिक का इतिहास। जहाँ-जहाँ उपनिवेश बना वहां इन साम्रज्यवादी शक्तियों ने अपनी भाषा का प्रचार किया। स्थानीय भाषा को लोगों से छीन लिया और उन पर अपनी भाषा को लाद दिया। इससे उपनिवेशों में एक नई संस्कृति जन्मी। आप अपनी भाषा बोल नहीं सकते। उनकी भाषा को समझ नहीं सकते। दूसरे की भाषा में जो कुछ आपको बताया गया वही आपके लिए अन्तिम आदर्श वाक्य बन गया; वही संस्कृति हो गई; वही राष्ट्रवाद आपने स्वीकार कर लिया। इस तरह का साम्राज्यवाद उस विश्व पर थोपा गया जिसे आज का तीसरा विश्व कहा जाता है। कैसी विडम्बना है। विश्व के भी विभाजन हो गए हैं––पहला, दूसरा और तीसरा विश्व इस तरह का विभाजन इस जनतन्त्र के युग में इस बराबरी के युग में स्वीकार किया गया है ? यह तीसरा विश्व कौन है, इसमें वे देश हैं, जो अभी हाल ही में स्वतन्त्र हुए हैं। इसमें हैं भारत वर्ष, दक्षिण के देश तथा एशिया के तमाम देश जो अभी कुछ दिन पहले ही स्वाधीन हुए हैं। इन सभी देशों से उनकी भाषा छीन ली, अपनी भाषा लाद दी और उनकी संस्कृति नष्ट कर दी, इस तरह का षड़यन्त्र इस साम्राज्यवाद ने चलाया। हमारा राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन बहुत लम्बा चला। सन् 1885 से प्रारम्भ हुआ 1986 आ गया। हमने अपने राष्ट्रीय आन्दोलन की शताब्दी भी मना ली। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन ने राजनैतिक स्वतन्त्रता तो प्राप्त-कर ली परन्तु हम इसे सांस्कृतिक मोड़ नहीं दे पाये। इस दिशा में तिलक और गांधी ने प्रयास किया। तिलक ने स्वराज्य का नारा दिया और गांधी ने उसका भाष्य किया। उन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परम्पराओं की प्रतिस्थापना और उनको सम्मान देने के लिए जनता का आह्वान किया। हमें अपनी भाषा, संस्कृति, परम्पराओं का इनका संज्ञान होना चाहिए तभी आत्मसम्मान पैदा होगा तभी हम अपनी स्वतन्त्रता, संस्कृति के प्रति आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पैदा कर सकेंगे। वस्तुतः इस आत्मसम्मान को अपने देश में आज तक नहीं पैदा कर सके हैं। हिन्दी में कार्य करने के लिए आप लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, किसकी प्रेरणा से––सहायक महाप्रबन्धक की प्रेरणा से! शासन की प्रेरणा से! चूंकि संविधान म हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान है इस लिए हिन्दी के प्रयोग को बढाने के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है ! इसमें निजी प्रेरणा किंचित भी नहीं है? वस्तुतः हिन्दी के प्रचार-प्रसार और प्रयोग का कार्य स्वयंप्रेरित होना बहुत आवश्यक है। हममें यह जो हीनभावना घर कर गई है, वह हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण में बहुत बड़ी बाधा है। आज हमारा समाज बँट गया है। एक समाज दूसरे की भाषा के माध्यम से बोल रहा है, उसी में अपना गौरव समझता है। यह है विदेशी भाषा बोलने वाला समाज। इसी में आपका बैंकों का समाज, व्यापार का समाज है जो **विदेशी भाषा बोलनेवाले भद्रसमाज** का अंग बन गया है। यह **कृत्रिम समाज** है जो विदेशी भाषा बोलना ही अपना सुयश मानता है। दूसरा समाज अपनी राष्ट्रभाषा बोलने वाला **सामान्य समाज**। खेद का विषय है कि स्वतन्त्रता के बाद इन दोनों समाजों का भेद बढ़ गया है, घटा नहीं। इसका दायित्व भी हमारे ऊपर है।

आप हिन्दी कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं अच्छी बात है। आप लोग आत्मप्रेरित होकर हिंदी में कार्य करें इसमें सरकार या वरिष्ठ कार्यपालकों का आश्रय अथवा प्रश्रय निरपेक्ष रहना चाहिए तभी सम्मानजनक स्थिति होगी। हमें विदेशी भाषा नहीं आएगी तो लोग क्या कहेंगे, आधुनिक समाज में, जीवन में काम कैसे चलेगा इस तरह का सोचना मानसिक अवसाद (इन्फीरिआरिटी काम्प्लेक्स) है।

मैं यहाँ कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं प्राग (चेकोस्लोवाकिया) गया था। वहाँ पर प्राच्य विद्या संस्थान (ओरिएण्टल इंस्टीट्यूट) के निदेशक से तथा वहां कार्यरत अन्य प्राध्यापकों से लगभग ढाई घंटे तक बातचीत अंग्रेजी में होती रही। बात पूरी होते ही निदेशक महोदय ने मुझसे पूछा कि आप उत्तर भारत के हैं या दक्षिण भारत के। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं उनका आशय समझ गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हिन्दी जानते हैं। उन्होंने कहा मैं हिन्दी जानता हूँ, बोलता हूँ और लिखता हूँ। मुझे डर था कि आप ही हिन्दी नहीं जानते क्योंकि आप भारत से आए हैं। भारत में कुछ लोग हिन्दी जानते हैं और कुछ लोग नहीं। प्राग में ही मैं एक दूसरे विद्या संस्थान में गया। वहाँ पर संस्थान के लोगों ने मुझसे कहा कि आप भारत से आए हैं कृपया आप अपना वक्तव्य हिन्दी में दें। मैंने उनसे पूछा कि आप हिन्दी जानते हैं। उन्होंने कहा कि आप पहले हिन्दी में बोलें फिर उसी बात को अंग्रेजी में कहें और फिर हमारा दुभाषिया हमें उसका चेक में अनुवाद सुना देगा। हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि बोलने में हिन्दी अच्छी लगती है या अंग्रेजी। इसके बाद मैं डेढ़ घंटे तक बोलता रहा। पहले हिन्दी में फिर उसी को अंग्रेजी में। अन्त में उन लोगों ने कहा कि आपके द्वारा बोली गई हिन्दी अंग्रेजी की तुलना में कहीं अधिक अच्छी लगी। हिन्दी सुनने में अच्छी लगती है।

लखनऊ में जापान के सहयोग से स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान खोला जा रहा है। कल मैं कुछ जर्मन डाक्टरों से बात कर रहा था मैंने उनसे पूछा कि क्या जापान में आयुर्विज्ञान बहुत विकसित है। आपके यहाँ जो यांत्रिकी, तकनीक तथा परीक्षण यन्त्रों का विकास किया गया है यह सब आपकी भाषा के माध्यम से या विदेशी भाषा के जरिए। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ नई तकनीक, विज्ञान

आदि सब कुछ अपनी भाषा के माध्यम से विकसित हो रहा है। हमारा भारतीय प्रबुद्ध वर्ग सोचता है कि आधुनिक विज्ञान, तकनीकी कार्य, चिन्तन हिन्दी या राष्ट्रीय भाषाओं के माध्यम से नहीं हो सकता। उनका ऐसा सोचना भ्रामक है। मेरे विचार से यह उनका प्रमाद या आलस्य है। आप अपना बैंकिंग कार्य हिन्दी में सरलता के साथ कर सकते हैं केवल इसके लिए आत्मप्रेरित हो जाएँ। दर आयद दुरुस्त आयद। हिन्दी में काम करने से अपनी भाषा का उन्नयन होगा। आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। आप समझ सकेंगे कि हमारी भाषा कितनी समृद्ध है। उच्च से उच्च विचार आप अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा आपको अवबोध पैदा होगा। हिन्दी कार्यशाला में आपको अनेक नए शब्द सीखने को मिलेंगे शुरु में कुछ कठिनाई अनुभव हो सकती है पर यह प्रयोग से दूर हो जाएगी। अब तो बहुत से शब्दकोष निर्मित हो गए है। अतः हिन्दी में काम करने में कठिनाई नहीं होगी। आप काम चलाऊ भाषा में बैंकिंग कार्य कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आप में हिन्दी को सम्मान देने की भावना पैदा होगी।

भाषा के नाम पर उत्तर और दक्षिण का भेद खड़ा करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हिन्दी और दक्षिण की भाषाओं की आत्मिक शक्ति एक है, यह है संस्कृत भाषा जो सभी भारतीय भाषाओं की जननी हे। मैंने भाषा के बारे में एक बार एक मलयालयम के साहित्यकार के विचार जानने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि सबसे ललित भाषा संस्कृत है और इसके बाद मलयालम। इसी तरह जब तेलुगु के साहित्यकार से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने भी कहा कि सबसे ललित भाषा संस्कृत इसके बाद तेलुगु। उत्तर और दक्षिण के बीच भाषा का प्रश्न पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे राजनैतिक स्वरूप दे दिया गया है। दक्षिण के लोगों को हिन्दी सीखने में कोई कठिनाई नहीं है। इसी तरह हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों की दक्षिण की मलयालम और तेलुगु आदि भाषाओं को सीखने में कोई कठिनाई नहीं। इतना बड़ा देश है। हिन्दी के साथ दक्षिण की भाषाएं आराम से पढ़ी व सीखी जा सकती हैं। इसी तरह दक्षिण के लोग अपनी भाषाओं के साथ हिन्दी को सीख सकते हैं। देश में सम्पर्क की भाषा विदेशी भाषा अंग्रेजी कदापि नहीं होनी चाहिए। यह हो भी नहीं सकती। आप विदेशी भाषा आजीवन सीखें परन्तु विदेशी नहीं मान सकते कि आप इसे साधिकार बोल सकते हैं या इसमें कुछ लिख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि सरोजनी नायडू कितनी विदेशी थीं वे अंग्रेजी में कविता करती थीं, उनकी एक अंग्रेजी कविता में एक पंक्ति है "लाफ्टर आन दि लिप्स (Laughter on the lips)" अंग्रेजी रचनाकारों ने इस पर टिप्पणी की—होठों पर मुस्कान आती है, हँसी नहीं। हँसी तो गले से आती है। फिर कैसी रचना की गई है ? विदेशी भाषा का अपना एक अलग स्वरूप है। आपकी भाषा की आत्मा दूसरी है। इसकी प्रकृति भी भिन्न है। टैगोर जैसे और विद्वान भी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखते थे। परन्तु उन्हें अंग्रेजी में कुछ विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला सका।

इस हिन्दी कार्यशाला का केवल तात्कालिक लाभ नहीं है इसका सबसे बड़ा लाभ है हिन्दी में काम करना शुरु कर अपनी भाषा का उन्नयन करना। आज ऐसे कितने लोग हैं जो हिन्दी में पत्राचार करते हैं? अंग्रेजी में काम करने की आदत पड़ी है, और अंग्रेजी में ही पत्र-व्यवहार किया जाता है। आप हिन्दी में पत्राचार करना आरम्भ करें। आज जो सांस्कृतिक परिवर्तन लाना अपेक्षित है। आज जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है जिसके लिए आप हम सभी चिन्तित हैं, उसे उपने राष्ट्र, अपनी भाषा, संस्कृति का सम्मान देकर ही सुरक्षित रखा जा सकता है। हिन्दी में काम करने से आप बैंकिंग कार्य में हिन्दी का विकास तो करेंगे ही इसके साथ आप अपने मित्रों को भी, जो अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अपना काम हिन्दी में करने की प्रेरणा देंगे। यह हिन्दी कार्यशाला से प्राप्त प्रशिक्षण का कालान्तर में सबसे बड़ा लाभ होगा। मैं हिन्दी कार्यशाला की सफलता की शुभ कामना करता हूँ। हिन्दी में काम करने से आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, आपकी संस्कृति का उन्नयन होगा और आप अपने देश का सम्मान बढाएँगे।

16. मसूरी

हिन्दी में काम करने वाले अकादमी के कर्मचारियों को झिझक व संकोच दूर करने तथा राजभाषा हिन्दी को अकादमी में लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से अकादमी के निदेशक श्री रमेशनाथ चोपड़ा की प्रेरणा व मार्गदर्शन से तीसरे हिन्दी कार्यशाला की रूप-रेखा तैयार की गई। कार्यशाला का आयोजन दिनांक 21-7-1986 से 29-7-1986 तक किया गया। हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन अकादमी के हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के प्रोफसर डा० कैलाशचन्द्र भाटिया द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक श्री एस० पार्थसारथी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ, उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा की गई।

कार्यशाला में राजभाषा नीति सहित विभिन्न कार्यालयोन विषयों पर 14 व्याख्यान निष्पादित किए गए। डा० रमेश कुमार आंगिरस तथा डा० ब्रजानन्द सिंह ने अतिथि व्याख्याता के रूप में अपने व्याख्यान निष्पादित किए। अकादमी के व्याख्याता डा० कैलाश चन्द्र भाटिया, श्री एस० पी० सिंह, डा० पुष्पलता सिंह एवं श्री वी० के० वाकणकर ने भी विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए।

कार्यशाला में उद्घाटन व समापन के अवसर पर हिन्दी के विद्वानों के अतिरिक्त विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि विद्वानों यथा—गुजराती के श्री के०एन० त्रिवेदी, मराठी के श्री एम० तडवलकर, उड़िया तथा बंगला के श्री एस० के० त्रिपाठी तथा प्रोफेसर डी० बनर्जी की उपस्थिति जहां एक ओर इस हिन्दी कार्यशाला की विशेषता कही जा सकती है वहाँ दूसरी ओर इससे अकादमी का राष्ट्रीय स्वरूप उजागर होता है, जो भाषाई सहयता के लिए अनुरूप परिवेश निर्माण में सहायक है।

आयोजकों की ओर से डा० (श्रीमती) पुष्पलता सिंह, हिन्दी अधिकारी द्वारा कार्यशाला के आयोजन में विभिन्न प्रकार के सहायक अतिथि-व्याख्याताओं, स्थानीय व्याख्याताओं व प्रतिभागियों को उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए आभार व्यक्त किया।

डा० पुष्पलता सिंह
हिंदी अधिकारी

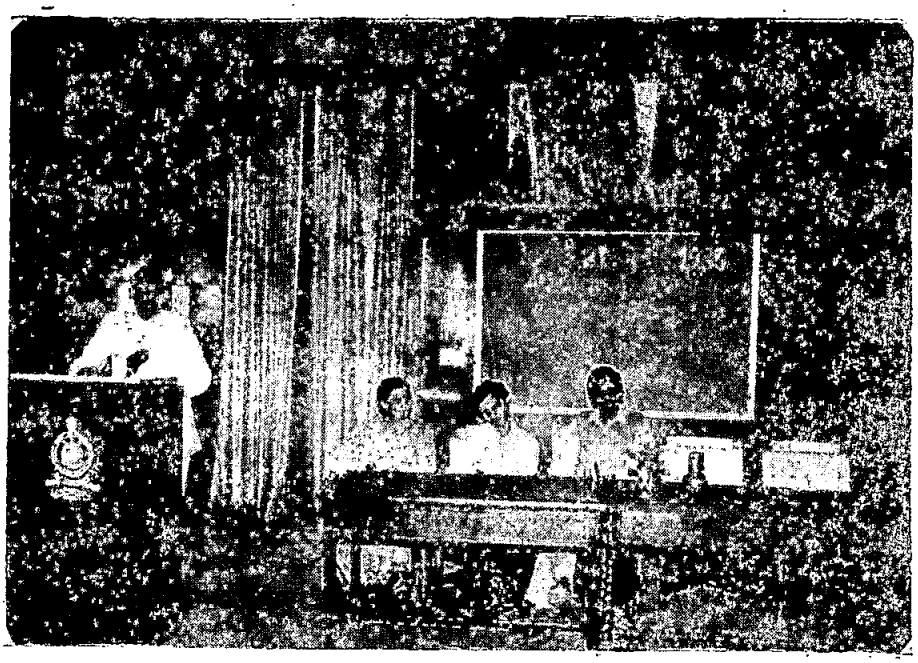

25. लालबहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए अकादमी के हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के प्रोफेसर डा० कैलाशचन्द्र भाटिया।

(पृष्ठ 108 का शेष)

संजय कुमार खरे व द्वितीय पुरस्कार अरुण कुमार सरोदे को प्राप्त हुआ। **कावर पाठ** में श्री कृष्ण कान्त शर्मा (प्रथम), एल० एच० सेलूकर (द्वितीय), ओम प्रकाश चौहान (तृतीय) को पुरस्कार प्रदान किया गया। **हिन्दी निबंध प्रतियोगिता** में रेल डाक सेवा के० के० चोलकर, रमेश चन्द्र पन्त, मूलचन्द्र बलाही, गुजाब मुजीब सिद्दीकी और प्रधान डाकघर की कु० लक्ष्मी महावर, कु० सरिता खुराना, कु० रानी बिजलानी, कन्हैया लाल सोनी एवं एन० के० सोनी पुरस्कृत किए गए। **हिन्दी सुलेख एवं गीत गायन प्रतियोगिता** में एस० जी० गोरे, गणेश राम कोकोड़, फिलिप टी० पी० रविशंकर शर्मा, लक्ष्मण बहादुर शर्मा, रमेश चन्द्र पन्त, एन० के० झा, जी० पी० विश्वकर्मा, श्रीमती वानखेडे, अशोक श्रीवास्तव, और के० एस० कुरुप को पुरस्कार प्राप्त हुआ।

हिन्दी सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यालयों में कार्यक्रमों के आयोजन में विशेष रुचि, उत्साह और सहयोग प्रदान करने के लिए उपनिदेशक लेखा (डाक) श्री आर० एस० सुमरा, रेल डाक सेवा अधीक्षक श्री के० डी० ललवानी और परिमंडल कार्यालय के उच्च श्रेणी लिपिक श्री एम० सी० त्रिवेदी तथा सेंट्रल टी० टी० नगर मुख्य डाकघर की श्रीमती जयश्री कस्तूरे को पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस कार्यक्रम में परिमंडल कार्यालय के अधिकारियों के अलावा निदेशक डाक सेवाएं (मु०) श्री एस० ब्रम्हानन्दम विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का आरंभ डाक परिमंडल के हिन्दी अधिकारी डॉ० क० मा० भाटी के स्वागत भाषण से हुआ। हिन्दी सप्ताह की रिपोर्ट परिमंडल के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री वामन राव पाठक द्वारा प्रस्तुत की गई।

हिन्दी सप्ताह के दौरान भोपाल प्रधान डाकघर में एक अखिल भारतीय हिन्दी कवि सम्मेलन का आयोजन तथा परिमंडल कार्यालय में देवनागरी मध्य प्रदेश पिनकोड डायरेक्टरी का प्रकाशन व मध्य प्रदेश के सांसदों की बैठक और डाक परिसर में वृक्षारोपण आदि प्रमुख कार्यक्रम भी शामिल हैं।

17. विविधा

1. केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पच्चीस वर्ष

पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित 'हिमाचल भवन' में केंद्रीय हिंदी निदेशालय का रजत जयंती समारोह मनाया गया। इसका उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पी० वी० नरसिंहराव ने किया। उद्घाटन के बाद मंत्री महोदय ने 15 अहिंदी भाषी हिंदी लेखकों का उनकी श्रेष्ठ कृतियों के लिए पुरस्कार दिए। पुरस्कृत लेखकों में डा० अजयकुमार पटनायक (उड़िया), डा० इम्मानुएल इ० जेम्स (कन्नड़), डा० शशि शेखर तोषखानी (कश्मीरी), डा० पारुकांत देसाई (गुजराती), डा० ओम प्रकाश गुप्त (डोगरी), डा० बलदेवराज गुप्ता (डोगरी), डा० विश्वनाथ अय्यर (तमिल), श्रीमती सरस्वती रमानाथ (तमिल), कु० भास्करम यज्ञेश्वर ललिताम्बा (तेलुगु), सुरेन्द्र चंद्र वात्सायन (पंजाबी), सुरेश सेठ (पंजाबी), सदानंद महादेव पेठे (मराठी), श्रीमती शीला सत्यनारायण (मराठी), के० गोपीनाथन (मलयालम) तथा डा० जी० गोपीनाथन (मलयालम) शामिल हैं। इस अवसर पर श्री राव ने 4 त्रिभाषा कोशों, 'भारतीय कविता' तथा निदेशालय की 'विवरणिका' का विमोचन भी किया तथा घोषणा की, "हिंदी हम सब की है। इसकी जिम्मेदारी केवल केंद्र या हिंदी भाषी राज्यों की नहीं है, बल्कि गैर-हिंदी भाषी राज्यों की भी है।" उद्घाटन सत्र के बाद लगातार दो दिन तक चार विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिनमें देशभर से आए हिंदी प्रेमियों, विद्वानों, साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने भाग लिया। समापन गोष्ठी की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध हिंदी सेवी डा० गंगाशरण सिंह ने की। इसमें मुख्य अतिथि, संसद सदस्य डा० रत्नाकर पांडेय ने ओजपूर्ण भाषण दिया और निदेशक श्री राजमणि तिवारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मार्च 1960 में की गई थी। इसे संघ की भाषा के रूप में हिंदी के प्रसार-प्रचार और विकास का काम सौंपा गया था। आरंभ के वर्षों में इस पर शब्दावली निर्माण और कार्यविधि साहित्य के अनुवाद का भी दायित्व था, जो कालांतर में दूसरे कार्यालयों को सौंप दिया गया। अतिरिक्त दायित्वों से मुक्त होकर के० हि० नि० एकाग्रचित्त होकर निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास कार्यों में लग गया है :—

(1) **कोश निर्माण :** इसके अंतर्गत भारतीय भाषा कोश, द्विभाषी व्यावहारिक लघु कोश, त्रिभाषी कोश, तत्सम शब्दकोश, भारतीय भाषा परिचय कोश, हिंदी तथ संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं के कोश आदि का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जर्मन-हिंदी, चैक-हिंदी आदि कोशों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही विभिन्न भाषाओं की वार्तालाप पुस्तिकाओं पर भी कार्य चल रहा है। कोशों का सारा कार्य प्रधान संपादक डा० नरेंद्र व्यास की देख-रेख में किया जाता है।

(2) **भाषा, यूनेस्को दूत, वार्षिकी तथा साहित्यमाला आदि का प्रकाशन :** के० हि० नि० एक त्रैमासिक पत्रिका 'भाषा' का प्रकाशन करता है, जिसके संपादक सुपरिचित साहित्यिकार श्री जगदीश चतुर्वेदी है। 'भाषा' के अनेक संग्रहणीय विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे भाषा-विज्ञान अंक, प्रेमचन्द विशेषांक, बाल विशेषांक, रजत जयंती विशेषांक आदि। निदेशालय 'यूनेस्को दूत' शीर्षक से विश्व दर्शन की एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन करता है। यह 'यूनेस्को कूरियर' का हिंदी संस्करण है, जिसमें विश्व भर के ख्यातिप्राप्त लेखकों और चिंतकों के लेख प्रकाशित होते हैं। इसी क्रम में 'वार्षिकी' और 'साहित्यमाला' शीर्षक पुस्तकें भारत की संविधान स्वीकृत भारतीय भाषाओं के संदर्भ ग्रंथ है। 'वार्षिकी' प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, जिसमें सभी भाषाओं के साहित्य पर सर्वेक्षण लेखों और उस वर्ष की श्रेष्ठ रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। 'साहित्यमाला' के अंतर्गत अब तक जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, वे हैं : 'भारतीय भाषाओं के साहित्य का संक्षिप्त इतिहास', 'भारतीय कहानी', 'भारतीय निबंध' और 'भारतीय कविता'। कुछ अन्य पुस्तकों, जैसे 'भारतीय एकांकी, 'भारतीय उपन्यास' और 'भारतीय कविता में राष्ट्रीय भावना' का कार्य भी जारी है।

(3) **विस्तार कार्यक्रम :** इस योजना के अंतर्गत हिंदी के प्रचार-प्रसार के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं, हिंदीतर भाषी हिंदी नवलेखक कार्य शिविर, हिंदीतर भाषा विद्यार्थियों की अध्ययन यात्राएँ प्राध्यापक व्याख्यान यात्राएं तथा साहित्य की विभिन्न विधाओं पर संगोष्टियाँ, आदि। साथ ही हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के हिंदी शोध छात्रों तथा स्वैच्छिक हिंदी सेवी संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है और हिंदीतर भाषी लेखकों द्वारा हिंदी में लिखी श्रेष्ठ पुस्तकों पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

(4) **पत्राचार पाठ्यक्रम :** हिंदीतर भाषी राज्य के लोगों, विदेशों में बसे भारतीयों तथा हिंदी सीखने के इच्छुक विदेशियों को पत्राचार द्वारा हिंदी सिखाने के उद्देश्य से 1968 में पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग की स्थापना की

गई थी। यह विभाग, जिसके प्रभारी उपनिदेशक श्री देवेंद्र दत्त नौटियाल हैं, प्रति वर्ष देश-विदेश में लगभग 100 केंद्रों पर परीक्षाओं का आयोजन करता है और लगभग 15,000 लोगों को अंग्रेजी, तमिल, मलयालम तथा बंगला आदि भाषाओं के माध्यम से हिंदी सिखाता है। इस विभाग ने छात्रों के लिए उपयोगी पुस्तकें, वार्तालाप पुस्तिकाएं तथा स्वयं शिक्षक पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं।

(5) **विविध योजनाएं :** के० हि० नि० के अंतर्गत कई अन्य योजनाएं भी चल रही हैं, जिनमें शोधकार्य की दृष्टि से 'राजभाषा हिंदी के बोलचाल के स्वरूप का सर्वेक्षण' अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी तरह देवनागरी एवं परिवर्धित देवनागरी के मानकीकरण, आदि की योजनाओं का भी विशेष महत्व है। एक अन्य योजना, जिसके अन्तर्गत हिंदी पुस्तकों की खरीद करके उनका हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में निःशुल्क वितरण किया जाता है, हिंदी के प्रचार-प्रसार में बेहद उपयोगी सिद्ध हुई है।

के हि० नि० में पिछले पच्चीस वर्षों में अपने विषय और क्षेत्र के अनेक सुप्रसिद्ध व्यक्तियों ने काम किया है। इनमें प्रमुख रूप से डा० दौलतसिंह कोठारी तथा डा० निहालकरण सेठी (भौतिकीविद्), प्रो० सिद्धेश्वर वर्मा तथा डा० बाबूराम सक्सेना (भाषा-वैज्ञानिक), प्रो० हरवंशलाल शर्मा तथा डा० रणवीर रांग्रा (समालोचक), कुलभूषण, वदीउज्जमाँ, सुरेंद्र अरोड़ा, मस्त राम कपूर तथा वीरेंद्र सक्सेना (कहानीकार), जगदीश चतुर्वेदी, श्यामसिंह शशि, चंद्रकांत देवताले, शेरजंग गर्ग तथा रमेश गौड़ (कवि), रमेश दत्त शर्मा, प्रेमानन्द चंदोला तथा कृष्ण कुमार गुप्त (विज्ञान लेखक), रामेश्वर प्रेम (नाटककार), जयदेव तनेजा (नाट्य समीक्षक), के० खोसा (चित्रकार) और श्रीमती सरोजिनी वि० आर्य (लेखिका), आदि का नामोल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा निदेशालय को डा० नगेंद्र जैसे सुविख्यात समालोचक का सहयोग परामर्शदाता के रूप में, और अन्य अनेक वैज्ञानिकों, भाषा-शास्त्रियों, कोशकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों आदि का सक्रिय सहयोग विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों के रूप में मिलता रहा है।

अंत में यही कहा जा सकता है कि के० हि० नि० सचमुच भाग्यशाली है कि उसे इतने सारे प्रतिष्ठित लेखकों/विद्वानों का सहयोग मिला और अभी भी मिल रहा है। अब रजत जयंती के बाद पूर्ण युवावस्था में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में उससे यह भी अपेक्षा की जा सकती है कि वह निरंतर प्रगति करते हुए देश-विदेश में हिंदी प्रचार-प्रसार की अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाएगा।

श्रीमती देश कुमारी

नौएडा में सेन्ट्रल बैंक के राजभाषा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

सेन्ट्रल बैंक द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत राजभाषा अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 4-8-86 से 9-8-86 तक सेन्ट्रल बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने किया। उक्त अवसर पर बोलते हुए उन्होंने सरकार की राजभाषा नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार की अपेक्षाओं से अधिकारियों को अवगत कराया तथा इस बात पर बल दिया कि राजभाषा अधिकारी एक हिन्दी अधिकारी बनकर न रहें बल्कि वे सही अर्थों में राजभाषा अधिकारी की भूमिका को समझकर काम करें। उन्होंने राजभाषा नीति के सम्बन्ध में समझा-बुझाकर लोगों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करने में राजभाषा अधिकारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पर भी प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि के रूप में सेन्ट्रल बैंक के महाप्रबन्धक श्री एस० सुब्रह्मण्यम् ने राजभाषा विभाग के अधिकारियों को प्रति, जो समय-समय पर बैंक को अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं, आभार प्रकट किया तथा राजभाषा अधिकारियों से आग्रह किया कि वे बैंक में राजभाषा नीति को लागू करने के प्रति अपनी भूमिका को सही परिप्रेक्ष्य में देखें और लोगों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करें। दिल्ली अंचल के उपमहाप्रबन्धक श्री एस० के० गावा ने सेन्ट्रल बैंक द्वारा राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी तथा सेन्ट्रल बैंक के मुख्य अधिकारी (राजभाषा) श्री रा० बी० तिवारी ने पाठ्यक्रम के विषय में संक्षिप्त परिचय दिया।

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिकारी की भूमिका, हिन्दी के लिए नामित शाखाओं में किए जाने वाले कार्य, बैंक में हिन्दी प्रशिक्षण के विभिन्न पहलू, बैंकिंग शब्दावली, अनुवाद के मूल सिद्धान्त, बैंकों में हिन्दी अनुवाद के विभिन्न पहलू, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संयोजन और संचालन, तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा सरकार को भेजी जाने वाली अन्य रिपोर्टें, राजभाषा अधिकारियों से प्रबन्ध मण्डल की अपेक्षाएं, कार्यालयीन पत्राचार, पारिभाषिक शब्दावली आदि विषयों पर व्याख्यान रखे गए। विभिन्न विषयों पर व्याख्यान के लिए अतिथि वक्ता के रूप में श्री जगदीश सेठ, उपनिदेशक (बैंकिंग प्रभाग), श्री एम० एल० मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी, श्री महेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी (पंजाब नेशनल बैंक), श्री बी० एन० सिंह, निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, श्री के० के० शर्मा, क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा डा० राजमणि तिवारी, निदेशक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, श्री नरेश मल्होत्रा, क्षेत्रीय प्रबन्धक को आमंत्रित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन श्री वीर अभिमन्यु कोहली, उप-सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने किया। उक्त अवसर पर बोलते हुए श्री कोहली ने सरल तथा सुबोध हिन्दी अपनाने पर

बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जब तक आम जनता की भाषा को हम राजभाषा के रूप में नहीं अपनाते तब तक हमें सही दिशा में हिन्दी को लागू नहीं कर पायें हैं। इसके साथ ही श्री कोहली ने प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये।

कृष्ण मोहन मिश्र
उप मुख्य अधिकारी

3. एक नया कदम

विजय मोहिनी मिल, त्रिवेन्द्रम, केरल में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए एक नया कदम उठाया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रति दिन मिल के मुख्य सूचनापट्ट पर हिन्दी का एक शब्द लिखा जाता है जिसका अंग्रेजी और मलयालम लिखा होता है। इससे अहिन्दी भाषियों को हिन्दी शब्द को आत्मसात करने में बड़ी सहायता मिलती है।

डॉ० हरिसिंह राना
वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)

4. अभिव्यक्ति कोश का प्रकाशन

हिन्दी और अंग्रेजी को भावाभिव्यक्ति में काफी अन्तर है और प्रत्येक उस व्यक्ति को वाक्यों के निहितार्थों को समझने में कठिनाई होती है जो भाषा और उसके मूड को पहचानने में दक्ष नहीं है। मुझे विश्वास है कि शब्दकोशों से अलग, किन्तु उसी परम्परा का यह अभिव्यक्ति कोश वास्तव में भाषा-प्रेमियों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में राजभाषा से जुड़े हुए लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपादान सिद्ध होगा।

हमारा भारतवर्ष एक बहुभाषा-भाषी राष्ट्र है। शताब्दियों तक पराधीन रहने के कारण भारतवासी अपनी भाषाओं के सौन्दर्य और उनकी भाव-प्रवणता से दूर होते चले गए। अंग्रेजी शासन काल में हम लोग अपनी भाषाएं नहीं बल्कि संस्कृति से भी विमुख हो गए। अंग्रेजी हमारे राज-काज और नीजि व्यवहार में ऐसी छा गयी कि आज भी उसका वर्चस्व होने के बावजूद हम भारतीय समुचित रूप से उसकी अर्थच्छटाओं को पकड़ पाने में चूक जाते हैं।

भाषाओं को अपनी एक नीजी अभिव्यक्ति क्षमता होती है, उनका एक नीजि सौंदर्य और अस्तित्व होता है। भारत को स्वाधीनता मिलने के बाद हिन्दी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा का सम्मान भारतीय संविधान में प्रदत्त किया गया। जन सामान्य की इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियमावली 1976 लागू किए जिसके फलस्वरूप सरकारी कामकाज में द्विभाषिकता की स्थिति निर्मित हुई। भारत सरकार के मंत्रालय, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन उद्यमों के अनुवाद और अनुवादक जन-सामान्य से जुड़ गए। द्विभाषिकता की इस स्थिति ने सरकारी अनुवादकों की संख्या में काफी वृद्धि की, लेकिन अनुवाद के लिए जिस कौशल, व्यावहारिक दक्षता की अपेक्षा है, उसकी अपर्याप्तता ने अनुवाद की प्रमाणिकता को प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ा है।

इसके अतिरिक्त सरकारी साहित्य के अनुवादकों की भी अपनी एक सीमा है, वह है उनका प्रत्येक विधान में पूर्णतया दक्ष न होना। यह स्वाभाविक भी है। फलतः अनुवाद में समर्थ शब्दकोशों की विशेष भूमिका है। इसी स्थिति और परिस्थिति पर सफलता-पूर्वक नियंत्रण रखने के लिए द्विभाषी कोशों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। भारतवर्ष में द्विभाषी कोश-निर्माण परम्परा काफी पुरानी है। "अंग्रेजी-हिन्दी", अंग्रेजी-संस्कृत", "संस्कृत-हिन्दी", "हिन्दी-मराठी", "मराठी-हिन्दी", "हिन्दी-तमिल", "मलयालम-हिन्दी", "उर्दु-हिन्दी", "हिन्दी-गुजराती", "बंगला-हिन्दी" आदि कोश बहुतायत में उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता ने विदेशी भाषाओं के साथ हिन्दी में द्विभाषी कोशों की रचना को बढ़ावा दिया है। द्विभाषी कोशों में सर्वाधिक संख्या, "अंग्रेजी-हिन्दी" कोशों की है और निरन्तर इनके स्तर में सुधार होता जा रहा है।

प्रस्तुत कोश शब्द कोश नहीं है बल्कि यह शब्द/पद-कोश है जिसमें अंग्रेजी के विभिन्न प्रकार के पदों के, एक से लगने वाले किन्तु विभिन्न अर्थ देने वाले पदों के अंग्रेजी-हिन्दी रूपों का सागर समाहित है। सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की चरित्र (गोपनीय) पंजिकाओं में सामान्यतया अंग्रेजी वाक्यांशों का इस आधार पर प्रयोग किया जाता है कि इनके हिन्दी पर्याय बड़े हो जाते हैं। इस अभिव्यक्ति कोश में इन वाक्यांशों के बहुत सटीक और संक्षिप्त हिन्दी पर्याय कोश की महत्ता और उपयोगिता के साथ-साथ हिन्दी की क्षमता को भी प्रमाणित करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े, अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भाषाविद् डा० कैलाशचन्द्र भाटिया की यह नवीनतम कृति वास्तव में नव-अनुवादकों और भाषा-प्रेमियों के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सौगात है। श्रेष्ठ बाइंडिंग, सुन्दर मुद्रण वाली अत्यन्त उपादेय इस पुस्तक का मूल्य इतना अधिक है कि सामान्य पाठक को इसे खरीदने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा।

पुस्तक का नाम—अंग्रेजी हिन्दी अभिव्यक्ति कोश
लेखक— डा० कैलाशचन्द्र भाटिया
प्रकाशक— प्रभात प्रकाशन, चावड़ी बाजार, दिल्ली-110 006
पृष्ठ संख्या— 423 मूल्य 120/- रु०
प्रकाशन वर्ष— 1986

5. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि० नई दिल्ली में हिंदी हस्ताक्षर प्रतियोगिता का आयोजन

फरवरी मार्च, 1986 में दिल्ली स्थित यूनिटों के समस्त गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए हिन्दी हस्ताक्षर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 230 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के आयोजन से महसूस किया गया कि बीएचईएल के कर्मचारी हिन्दी में अत्याधिक रुचि रखते हैं।

उक्त 230 कर्मचारियों में से इकतीस को पुरस्कार के लिए चुना गया, जिनमें बारह गैर-हिन्दी भाषी एवं उन्नीस हिन्दी-भाषी-थे। पुरस्कार वितरण समारोह 14 अगस्त, 1986 को कारपोरेट कार्यालय में आयोजित किया गया। निदेशक (कार्मिक) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया।

अपने व्याख्यान में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने समस्त कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा देते हुए कहा, कि हिन्दी हम सबकी अपनी भाषा हैं और ज्यों-ज्यों हम इसका प्रयोग बढ़ाएंगे, इसका और अधिक विकास होगा। हमें अपने प्रत्येक कार्य में हिन्दी का सम्मान प्रयोग करना चाहिए।

26. हिन्दी हस्ताक्षर प्रतियोगिता के विजेता श्री सुबीर कुमार गुहा को पुरस्कार प्रदान करते हुए निदेशक (कार्मिक) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह। दाँयें से श्री बी० वी० भारद्वाज, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) श्रीमती शशि जैन एवं श्री राजसिंह

6. मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनु) पुणे के कार्यालय में हिंदी कवि संम्मेलन/लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन

मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कार्यालय में 30 जुलाई, 1986 को अपरान्ह 3 बजे से 6 बजे तक हिन्दी कवि सम्मेलन/लोकगीत प्रतियोगिता समारोह का आयोजन भी नूतन दास मौ० वि०अ०म०नि० (अन०) अध्यक्षता में किया गया। इस समारोह में पुणे के सभी कार्यालयों से कर्मचारियों, अधिकारियों ने भाग लिया। इस समारोह के मुख्य अतिथि डा० दुर्गा दीक्षित, हिन्दी विभाग अध्यक्ष, पुणे विश्वविद्यालय थी।

समारोह का प्रारम्भ डा० जी० पी० श्रीवास्तव इस कार्यालय की हिन्दी परिषद शाखा के अध्यक्ष के स्वागत भाषण के साथ हुआ। डा० श्रीवास्तव ने बताया कि यह समारोह हिन्दी के प्रचार-प्रसार तभा लोकप्रिय बनाने हेतु आयोजित किया गया है। तथा हम सभी उपस्थिप सज्जनों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इस समारोह में उपस्थित जनसमूह को काफी प्रेरणा मिलेगी। इसके पश्चात् हिन्दी परिषद के मंत्री वंशराज मिश्रा ने समारोह के आयोजन की रूपरेखा बताते हुए सभी का स्वागत किया।

इसके बाद हिन्दी कवि सम्मेलन की प्रतियोगिता शुरू की गई जिसमें अपने कार्यालय के 22 प्रतियोगियोंने स्वरचित या हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों की कविताएँ सुनाई। जिस में प्रथम स्थान श्री० शत्रुधन प्रसाद जी, द्वितीय श्री० एम० एच० चौधरी, तृतीय स्थान श्री० व्ही० वी० पसरणीकर को प्राप्त हुआ।

लोकगीत प्रतियोगिता वाद्य संगीत से हुई। जिसमें प्रथम स्थान श्री० वंशराज मिश्रा, द्वितीय आर० डी० परमेश्वरी, तृतीय स्थान सत्यनारायण तिवारी को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् आमंत्रित कवियित्री मालती शर्मा, विमला जैन ने अपनी-अपनी कविताओं से समारोह के हर्षोल्लास को बढ़ाया। इनकी कविताएँ उद्देश्यपूर्ण ही नहीं बल्कि हास्यप्रद भी थी।

अपने भाषण में डा० दुर्गा दीक्षित ने बताया कि यह समारोह बहुत ही आकर्षक ढंग से आयोजित किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि म एक मौसम विभाग के समारोह मे नही बल्कि साहित्यिक स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में बैठी हूँ। इस से हमें प्रतित होता है कि इस विभाग में राजभाषा हिन्दी के प्रति एक विशेष लगाव है। मेरी कामना यह है कि यह आस्था दिनोदिन आस्था और बढ़ती रहें।

अध्यक्षीय भाषण में नूतन दास सभी को अभिनन्दन करते हुए यह आशा व्यक्त की कि हमें ऐसे समारोह के आयोजन में हमेशा इसी तरह हिन्दी के विद्वानों का सहयोग प्राप्त होता रहे तथा हमारे अधिकारी कर्मचारी अपनी रुचि हिन्दी राजभाषा के प्रति बढ़ाएं यह हमारी कामना हैं तथा हमारा सहयोग हमेशा सब लोगों के साथ है। अन्त में उन्होंने हिन्दी परिषद के अध्यक्ष और मौसम विज्ञान के उप-महानिदेशक (उपकरण तथा जां० से०) के सेवा-निवृत्ति होने पर उन्हें भावभीनी वधाई दी। इस कार्यक्रम की आकाशवाणी पुणे द्वारा रिकार्डिंग की गई।

धन्यवाद भाषण में हिन्दी परिषद के उपाध्यक्ष डा० उदय शंकर डे ने सभी को धन्यवाद दिया।

बि० बि० चक्रवर्ती

सहायक मौसम विज्ञानी (प्रशासन)

भा०स०म०ना०—वि07—282 एम० ऑफ एच० ए०/एन० डी०/82—23-1-87—7,000.

प्रश्न - मंच

: भारत सरकार ने गुजरात स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए वर्ष 1986–87 का जो वार्षिक कार्यक्रम बनाया है, उसकी प्रमुख व्यवस्थाऐं कौने-कौन सी हैं ?

दिसंबर 1967 में संसद द्वारा पारित भाषा नीति संबंधी संकल्प के पैरा एक के अनुसार, हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने हेतु केन्द्र सरकार प्रति वर्ष एक गहन एवं विस्तृत कार्यक्रम बनाती है और उसे लागू करवाती है ।

भारत सरकार ने वर्ष 1986–87 के लिए गुजरात स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए जो कार्यक्रम बनाया है, उसकी मुख्य व्यवस्थाऐं निम्नानुसार हैं :-

— 'ख' क्षेत्र अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्यों एवं चंडीगढ़ तथा अंडमान - निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों से 'क' व 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों में 50% पत्र हिन्दी में हों ।

— 'ख' क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों से 'ग' क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को प्रेषित पत्रों में से 10% पत्र हिन्दी में हो एवं इनका अनुवाद भी संलग्न किया जाय ।

— 'ख' क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों से 'क' या 'ख' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य सरकार व संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालयों को या यहां के व्यक्तियों को प्रेषित पत्रों में से 40% पत्र हिन्दी में हों ।

— हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में दिए जांय ।

— हिन्दी में लिखे या हस्ताक्षर किए गए सभी आवेदनों / अपीलों / अभिवेदनों के उत्तर अनिवार्य रुप से हिन्दी में दिए जांय ।

— राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के 80% या उससे अधिक कर्मचारियों / अधिकारियों (समूह 'घ' को छोड़कर) ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जांय । इन अधिसूचित कार्यालयों में मूल कार्य हिन्दी में करने का प्रयास किया जाय । इसके लिए राजभाषा नियम 8 (4) के अंतर्गत इन कार्यालयों को विनिर्दिष्ट किया जाए ।

— सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाऐं, प्रशासनिक वे अन्य प्रतिवेदन, प्रेसविज्ञप्तियां, संविदाऐं, करार, अनुज्ञप्तियां, निविदा-सूचनाऐं आदि हिन्दी - अंग्रेजी दोनों में जारी किए जांय ।

— मैनुअल, संहिताऐं व अन्य प्रक्रिया साहित्य, फार्म रजिस्टरों के शीर्ष, नाम पट्ट, सूचना पट्ट ,पत्र-शीर्ष, लिफाफों पर लेख आदि हिन्दी - अंग्रेजी में हों ।

— सरकारी विज्ञापन हिन्दी - अंग्रेजी में हो ।

— राजभाषा नीति के अनुपालनार्थ न्यूनतम हिन्दी पदों का सृजन किया जाय ।

— देवनागरी, टाइपराइटरों तथा यांत्रिक व इलेक्ट्रानिक उपकरणों की व्यवस्था की जाय ।

— केन्द्रीय सेवाओं के लिए आयोजित भरती परीक्षाओं के वैकल्पिक माध्यम के रुप में हिन्दी के प्रयोग की छूट दी जाय ।

— देश के विशिष्ट शहरों जिनमें बडोदरा भी शामिल है, में उक्त केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने के लिए एवं इन नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को अधिक सक्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जांय ।

— वर्ष में कम से कम 4 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाय ।

— हिन्दी दिवस - हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया जाय ।

— कार्यालयों का निरीक्षण किया जाय ।

— राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों की व्यवस्थाओं के समुचित अनुपालन के लिए प्रभावी जांच-बिंदु बनाए जांय ।

संसार में विद्वान ही प्रशंसित होता है। विद्वान ही सर्वत्र आदर पाता है। विद्या से धन-धान्य, मान-प्रतिष्ठा आदि सब कुछ मिलता है। विद्या का सर्वत्र आदर होता है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री जयपालसिंह द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, नाशिक-6 द्वारा मुद्रित।